खण्ड-299, अंक-4
सोमवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1894
(31 जुलाई, 1972 ई0)

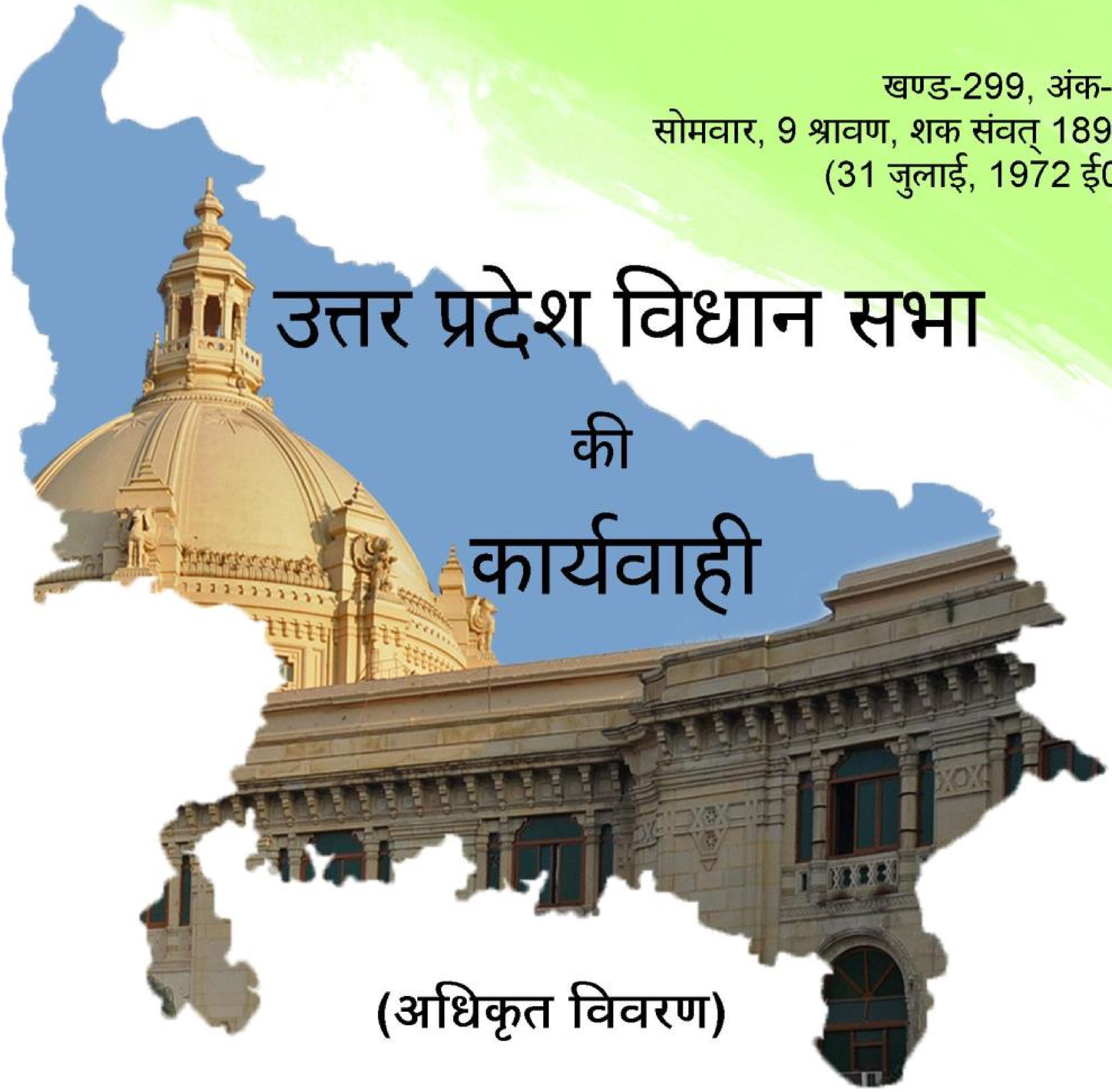

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 31 जुलाई, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—367

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री

गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल; सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंग बहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण' श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दर्लसिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री

वंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद ,श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीरसिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल' श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराजसिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्तीचरण पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठोर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोषकुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री

सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 31 जुलाई, 1972 ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं क्रय केन्द्रों पर कृषकों के लिये चेक की व्यवस्था

**1—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर पांच हजार रुपये तक के चेक कृषक को (Bearer) देने के सरकार द्वारा आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो मुरादाबाद क्रय केन्द्रों पर यह (Crossed) चेक क्यों दिये जा रहे हैं? (Crossed) चेक देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

किसान की लिखित प्रार्थना पर ही बियरर चेक देने की व्यवस्था है अन्यथा रु० 500 तक आर्डर चेक, रु० 501 से 1,000 तक क्रास्ड चेक तथा 1,000 से अधिक धनराशि के "एकाउन्ट पेई" चेक देने के आदेश हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद 5 हजार रुपये तक के क्रास चेक क्यों काटे गये और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि 5 हजार रुपये से ऊपर के अगर क्रास चेक काटे गये तो आदेश यह थे कि अगर कोई कृषक ऐसी प्रार्थना करे कि उसको क्रास चेक

दिया जाये, वैसे एकाउन्ट पेई चेक मिलना चाहिये था, लेकिन प्रार्थना पर क्रास चेक दिया जा सकता था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हमारी तो श्रीमन्, यह शिकायत है । अगर प्रार्थना करते तो शिकायत क्यों करते । सरकार के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद क्रास चेक दिये गये ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी क्या शिकायत है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

शिकायत यह है कि क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर पांच हजार तक के चेक कृषक को बीयरर देने के सरकार द्वारा आदेश दिये गये हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, पांच हजार नहीं 500 रुपये हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यदि हां, तो मुरादाबाद क्रय केन्द्रों पर यह क्रास चेक क्यों दिये जा रहे हैं ? क्रास चेक देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, कृषकों को राहत नहीं दी गई । बावजूद स्पष्ट आदेश के उनको क्रास चेक दिये जा रहे हैं । क्या उन्होंने इसकी जांच कराई है और उसकी क्या रिपोर्ट आई है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह आदेश हो चुके हैं कि क्रास चेक के बजाय एकाउन्ट पेई चेक दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि बियरर चेक देना चाहिये था ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर आदेश यह थे कि .....

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मुझे आदेश की जानकारी है । बियरर चेक देने के बजाय क्रास चेक दिये गये, यह हमारी शिकायत है ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

पांच हजार रुपये के बियरर चेक नहीं दिये जा सकते थे । पांच सौ से नीचे के दिये जा सकते थे ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि क्रास चेक इसलिये दिये गये कि बैंक में बैलेन्स नहीं था। इसलिये लोगों को टालने के लिये दिये गये हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने आदेश पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि 500 रुपये तक का बियरर चेक देंगे 501 से 10,000 तक क्रास चेक देंगे और उसके ऊपर अकाउन्ट पेइंग चेक देंगे। जो प्रश्न किया जा रहा है कि 5 हजार वालों को क्रास चेक क्यों दिया गया तो वह क्रास चेक की जगह अकाउन्ट पेइंग चेक ही दिया गया है, इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में उन्होंने जितना गहूं क्रय किया और उसके लिये जो चेक इशू किये गये उनका भुगतान ठीक से न होने से किसानों को भारी कठिनाई का मुकाबला करना पड़ा है ? यदि यह सही है, तो पिछले पेमेन्ट के लिये मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे कि उनका भुगतान आसानी से हो सके ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

बहुत से चेक इशू किये गये हैं उनका पेमेंट भी हो चुका है लेकिन अगर कहीं दिक्कत है तो उनकी सूचना को आधार मानकर हम दिखला लेंगे कि अगर कहीं चेक का पेमेंट नहीं हुआ है तो उसके लिये शीघ्र उपाय किया जायगा।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

अभी बताया गया कि अगर कोई प्रार्थना-पत्र दे तो 5,000 रुपए का बियरर चेक दिया जा सकता था लेकिन बहुत से लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये और उनको बियरर चेक नहीं दिया गया क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यदि माननीय सदस्य हमें उस विशेष क्रय-विन्दु का नाम बता दें तो जांच करा लेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे ताकि पेमेंट में दिक्कत न हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गत सप्ताह चेकों के पेमेंट में देरी होने पर सहकारिता मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे शीघ्र ही किसानों का पेमेंट हो सके ? तो क्या मंत्री जी सहकारिता मंत्री जी से मिलकर कोई इस बात की व्यवस्था करेंगे कि किसानों के पड़े हुये चेकों का शीघ्र पेमेंट हो सके ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं सहकारिता मंत्री जी से बात करूंगा कि कितने ऐसे चेक हैं जिनका पेमेन्ट नहीं हुआ है और उनका पेमेन्ट शीघ्र कराने की व्यवस्था करेंगे।

वन विभाग के प्रचार हेतु फिल्म आफिसर के पद का सृजन

**2—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी तथा श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन्य जन्तु पार्कों तथा वनों की ओर स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु डाक्यूमेन्ट्री फिल्में तथा टेलीवीजन फिल्में बनाने के लिये अलग फिल्म डिवीजन के गठन पर वन विभाग विचार कर रहा है ? क्या यह भी सही है कि एक फिल्म आफिसर की नियुक्ति रु० 250—550 के स्केल में करने पर भी विचार हो रहा है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय होने की आशा है ?

वन राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

वन्य जन्तु पार्कों तथा वनों की ओर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु डाक्यूमेन्टरी फिल्में तथा टेलीवीजन फिल्में बनाने के लिये अलग फिल्म डिवीजन के गठन का इरादा नहीं है, अपितु वन विभाग के प्रसार प्रभाग के सुदृढ़ीकरण के हेतु रु० 250—550 के वेतन-क्रम में एक फिल्म आफिसर के पद के सृजन का प्रश्न वन विभाग के विचाराधीन है । आशा है कि इस प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय हो जायगा ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह वन विभाग के प्रचार के लिये जो फिल्म बन रही है वह कौन बना रहा है और वह किसके माध्यम से बन रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

सूचना विभाग द्वारा ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

यह जो 250—550 के वेतन-क्रम में फिल्म आफिसर की नियुक्ति हो रही है उसका प्रचार अधिक हो तो क्या सूचना निदेशालय ने इस पर आपत्ति की है कि इसको सूचना निदेशालय में ही मर्ज किया जाय ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

जी हां, उनके द्वारा आपत्ति की गयी है लेकिन वन विभाग की आवश्यकता अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और प्रसार और प्रचार हेतु अलग से एक फिल्म आफिसर की नियुक्ति आवश्यक समझी गई है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने इरादा नहीं किया या इसकी जरूरत नहीं समझते या आर्थिक कारणों से यह सम्भव नहीं हो पा रहा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

आर्थिक कारणों से यह सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या उनके विभाग के पास फिल्म खींचने के कैमरे हैं और क्या जानवरों की फिल्म वे खिचवाते हैं ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

वन विभाग ही खींचता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सूचना विभाग खींचता है या वन विभाग ही खींचता है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

दोनों विभागों से बनती है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जैसा कि माननीय मंत्री जी को विदित होगा कि आजकल टलीवीजन का प्रसार हो गया है । आपने टाइगर हंटिंग वगरह को बैन कर दिया है और दूसरे कानून भी हैं जिनके द्वारा आपने हंटिंग में

काफी बैन लगा दिया है। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये तथा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के लिये व्यापक पैमाने पर टेलीविजन फिल्म बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

इस प्रश्न का सम्बन्ध वन विभाग से है । पर्यटक विभाग इससे अलग है । वे ही इसकी व्यवस्था कर सकेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जिस जंगल में काले हिरण पाये जाते हैं, उनकी भी वन विभाग के किसी अधिकारी ने फिल्म तैयार करायी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

काले हिरणों की भी फिल्म अवश्य तैयार करवा लेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि वन विभाग में एक फिल्म अधिकारी के पद के सृजन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । तो क्या अन्य पदों के सृजन का प्रश्न भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो ये कौन से पद हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

फिल्म अधिकारी के अतिरिक्त एक कनिष्ट लिपिक का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

फंड्स की कमी के कारण यह बात नहीं हो पा रही है । मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि सूचना विभाग और वन विभाग में ये कार्य किए जायं । इससे मैं भी सहमत हूं कि ऐसी फिल्मों को ज्यादा बनवावें । तो क्या मंत्री जी इस कार्य को किसी फिल्म स्टार को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

फिल्म स्टार की आवश्यकता नहीं है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मंत्री जी ने कहा वन विभाग का इरादा है, वह निर्णय कर चुके हैं, फिल्म आफिसर की नियुक्ति करने जा रहे हैं और प्रश्न विचाराधीन है । जब आप इरादा भी कर चुके हैं, निर्णय भी हो चुका है तब इसको करने में क्या दिक्कत महसूस हो रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—

अभी वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं हो पायी है ।

ट्रांसफार्मर में तांबे के तार के स्थान पर अल्यूमुनियम के तार की सप्लाई

**3—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को विदित है कि फैजाबाद के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत् विभाग ने फरवरी मार्च, 1972 में शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उक्त विभाग द्वारा कलकत्ते की एक फम से खरीदे गये 2,000 ट्रांसफार्मर्स (Transformers) की अनुबन्ध के अनुरूप तांबे के तार से सज्जित होना चाहिये किन्तु उस फर्म द्वारा तांबे के तार के स्थान पर अल्यूमुनियम तार से सज्जित माल सप्लाई किये गये ? क्या यह भी सच है कि उक्त सप्लाई में शासन को लगभग बीस लाख रुपये की क्षति हुई ? यदि हां, तो इसका अनुबन्ध किसने किया था, बिल का भुगतान किसने किया और शासन सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

विद्युत् राज्य मंत्री (गोस्वामी श्री राधाकृष्ण)—

अधिशासी अभियन्ता, फैजाबाद ने इस विषय में शासन को कोई सूचना नहीं दी है । विद्युत् अनुरक्षण खंड, फैजाबाद में वर्ष 1972 ई० के माह फरवरी व मार्च महीने में कलकत्ते की किसी भी संस्था द्वारा कोई भी ट्रांसफार्मर क्रय नहीं हुआ और न इस सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध किया गया ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री बी० पी० पांडेय, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने राज्य विद्युत् परिषद् को लिखा है कि किसी ट्रांसफार्मर में तांबे के तार न होकर एल्यूमुनियम के तार पाये गये और उसको टैक्निकल एक्जामिनेशन के लिये भेज रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उपलब्ध सूचना के अनुसार कलकत्ते की किसी फर्म से कोई सप्लाई नहीं हुयी । ऐसी कोई सूचना भी नहीं है कि उनके यहां पर कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें तांबे के स्थान पर एल्यूमुनियम के तार पाये गये हों ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मेरा प्रश्न यह था कि क्या श्री बी० पी० पांडेय, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने राज्य विद्युत् परिषद् को लिखा है कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई अनुबन्ध के अनुरूप नहीं है और राज्य विद्युत् परिषद् ने इसे टेक्निकल एक्जामिनेशन के लिये भेज रखा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले ही माननीय सदस्य से अनुरोध किया कि उनको जो भी ट्रांसफार्मर्स सप्लाई हुए हैं उनमें कोई भी ट्रांसफार्मर्स की सूचना नहीं दी है जिनमें तांबे की जगह एल्यूमुनियम के तार हैं और जिसमें किसी प्रकार की एक्जामिनेशन की आवश्यकता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या राज्य विद्युत् परिषद् ने कलकत्ता की किसी फर्म से दो हजार या ढ़ाई हजार के करीब ट्रांसफार्मर्स का इस समय में क्रय किया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस समय तो फैजाबाद से सम्बन्धित प्रश्न था । अब पूरे विद्युत् परिषद् का पूरे उत्तर प्रदेश के लिये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहां-कहां से अनुबन्ध किये गये । इसके लिये मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, फैजाबाद के इंजीनियर ने क्रय किया यह तो है नहीं। इस में तो कहीं नहीं लिखा है । क्रय तो विद्युत् परिषद् करती है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना के आधार पर कि फैजाबाद के इंजीनियर ने ट्रांसफार्मर्स को कलकत्ता से खरीदा है क्या इसकी भी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर्स विद्युत् परिषद् द्वारा किस जिले में खरीदे गये हैं और खरीदे हैं तो उस पर तांबे के तार हैं या एल्यूमुनियम के ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य की इस सूचना के आधार पर जानने की कोशिश की जायेगी और यदि यह बात सत्य है तो आवश्यक कायवाही की जायेगी ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है वह यह है कि अधिशासी अभियन्ता, फैजाबाद ने इस विषय में शासन को कोई सूचना नहीं दी है । विद्युत् अनुरक्षण खंड, फैजाबाद में वर्ष 1972 ई० के माह फरवरी व मार्च महीने में कलकत्ते की किसी भी संस्था द्वारा कोई भी ट्रांसफार्मर क्रय नहीं हुआ और न इस सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध किया गया । मान्यवर, जो प्रश्न है उसका उत्तर सही नहीं आया है । पान्डेय जी जो थे उनको कलकत्ते की फर्म वाले पचास हजार दे रहे थे परन्तु उनको जो कि ईमानदार थे कैपिटल सिनेमा के पास जो छोटा-सा आफिस है उसके पास बैठा दिया गया है और सारी बातें छिपाई जा रही हैं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय सदस्य को यदि ऐसी सूचना है और वे यदि उसका विवरण मुझे दे दें तो सारे आवश्यक तन्त्रों द्वारा उसकी जांच कराई जायेगी और जो भी उसके लिये आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी । इस समय तो एक प्रश्न यही है कि अधिशासी अभियन्ता,फैजाबाद ने शासन को कोई सूचना नहीं दी है । विद्युत् परिषद् ही तैयार करती है । यदि उसने तथ्य छिपाये भी होंगे तब हम देखेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, यह बात बहुत ही आपत्तिजनक है । प्रश्न जो पूछा गया है वह बहुत हल्के में चला गया है । प्रश्न जो कपूर साहब ने पूछा है वह यह है कि फैजाबाद के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इन्फार्मर का काम किया । उन्होंने ऐसा कोई पत्र लिखा है सरकार को इलेक्ट्रिक सप्लाई परिषद् जो है उसने कोई क्या ऐसा सामान खरीदा है ? जवाब दिया गया है कि उन्होंने नहीं खरीदा है । विद्युत् परिषद् तो एक इन्फार्मेशन दे रही थी ।

श्री अध्यक्ष—

अधिशासी अभियन्ता, फैजाबाद ने इस सम्बन्ध में शासन को कोई सूचना नहीं दी है । यह कैटेगारिकल है । अब वह दूसरी चीज है । विद्युत् अनुरक्षण खंड, फैजाबाद में वर्ष 1972 के माह फरवरी व मार्च महीने में कलकत्ते की किसी भी संस्था द्वारा कोई भी ट्रांसफार्मर क्रय नहीं हुआ ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, आप देखें इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत दिया गया है । इनको यह लिखना चाहिये कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कोई ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा गया न कि फैजाबाद के लिये कोई ट्रांसफार्मर नही खरीदा गया । आप इसको स्थगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

जब सरकार यह सूचना देती है कि उन्होंने सूचना नहीं दी, तब फिर कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बंशीधर पांडेय—

फिर यह क्यों कहते हैं कि फैजाबाद के लिये कोई नहीं खरीदा गया ? अगर सूचना नहीं दी है तो सेकेन्ड पार्ट आफ दी क्वैश्चन एराइज ही नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि फैजाबाद के सम्बन्धित अधिकारी ने लिखा है अतः उनके खयाल में आया होगा कि फैजाबाद के लिये पूछा जा रहा है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

उनके खयाल में कैसे आ सकता है । आप जरा प्रश्न देखें। लिखा हुआ है, क्या सरकार को विदित है कि फैजाबाद के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत् विभाग ने फरवरी-मार्च, 1972 में शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उक्त विभाग द्वारा. . . उक्त विभाग का मतलब है विद्युत् बोर्ड या पावर डिपार्टमेंट. . . कलकत्ते की एक फर्म से खरीदे गये 2,000 ट्रांसफार्मर्स. . अगर उनको जवाब देना था तो यह कि विद्युत् परिषद् ने कोई ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह प्रश्न पूछा गया कि क्या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, फैजाबाद ने इस तरह की कोई सूचना शासन को दी है, उसके उत्तर में कहा गया कि कोई सूचना नहीं दी है । जब यह जानकारी हमारे पास आई तो इसके आधार पर यह कल्पना कि शायद फैजाबाद के बारे में प्रश्न हो लेकिन यह नहीं सोचा गया कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पूरे प्रदेश के परचेजेज के बारे में कोई इन्टीमेशन देगा, अतः फैजाबाद में इसी बीच में जो भी ट्रांसफार्मर सप्लाई हुये हैं बड़ी-बड़ी फर्मों द्वारा फैजाबाद के लिये उनमें तांबे के तार हैं एल्युमुनियम के नहीं । अब माननीय सदस्य मुझ को सूचना दे रहे हैं, इसी आधार पर म जानकारी कराने की कोशिश करूंगा और वे अगर अधिक सूचना देगें तो गहराई से जांच करवाने का प्रयास करूंगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

यह ट्रांसफार्मर विद्युत् परिषद् के कार्यालय से खरीदे गये हैं या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद खरीदता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह जो ट्रांसफार्मर के आर्डर हैं वह विद्युत् परिषद् की एक परचेज कमेटी है वह टेन्डर इन्वाइट करती है और वही परचेज का निर्णय लेती है और वही आवंटन करती है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह जो ट्रांसफार्मर भेजे गये हैं वह तांबे के तार के भेजे गये हैं या एल्युमुनियम के ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

असरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं को अन्तरिम सहायता

**4—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले हजारों अध्यापकों व अध्यापिकाओं को अब तक अक्तूबर, 1971 व मार्च, 1972 से दी जाने वाली अन्तरिम सहायता नहीं मिली है ? यदि हां, तो सरकार अध्यापक व अध्यापिकाओं को उपरोक्त अन्तरिम सहायता की धनराशि कब तक वितरित कराने का विचार कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

दोनों ही अन्तिरम सहायताओं के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशियां मंडलीय अधिकारियों के निस्तारण पर शिक्षा निदेशक द्वारा मई, 1972 में रख दी गई हैं और उनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले में पुलिस द्वारा पकड़ी गयी गांजा से लदी ट्रक

*1—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में 15 अप्रैल, 1972 को एक गांजा से लदी ट्रक पुलिस द्वारा पकड़ी गई है ? यदि हां, तो ट्रक के साथ कितना गांजा या अन्य सामान तथा कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं और इस ट्रक का नम्बर क्या है तथा इसके मालिक कौन हैं ?

आबकारी उप मंत्री (श्री राम पूजन पटेल)—

दिनांक 15 अप्रैल, 1972 को गोरखपुर जनपद में आबकारी अवरोध (बैरियर) पर आबकारी विभाग द्वारा एक ट्रक गांजे से लदी पकड़ी गई । इसमें पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने भी सहायता की ।

31 बोरों में, 1200 किलोग्राम गांजा मोम से भरे 158 बोरे जिनमें यह गांजा छिपाया गया था तथा ट्रक चालक जो एक मात्र व्यक्ति ट्रक में था, ट्रक के साथ अभिरक्षा में लिये गये । इस ट्रक पर डी० एल० एल० 633 नम्बर प्लेट लगा हुआ था । ट्रक के स्वामी का पता लगाया जा रहा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रक चालक से कोई बयान लिया गया कि यह ट्रक किसका है और गांजा कहां से लादा गया था ?

आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, जो ड्राइवर मौके पर पकड़ा गया, उसने किसी मालिक का नाम नहीं लिया । डी० एल० एल० 633 नं० की प्लेट आगे-पीछे लगी थी उसका पता लगाया गया तो यह श्री सुरजीत सिंह के नाम है जो दिल्ली के रहने वाले हैं । चालक के कक्ष से ए० ए० टी० 639 नं0 की प्लेट भी मिली है । अभी रेडियोग्राम से सूचना मिली है कि यह श्री करतारसिंह के नाम है जो पंजाब के हैं । इस सम्बन्ध में अगली कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गांजा कहां से लाया गया और यह ट्रक वाला गांजा लेकर कहां जा रहा था ? क्या चालक ने इस सम्बन्ध में कोई बयान दिया और अगर कोई बयान दिया तो उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह ट्रक जिसका था उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है । अब यह गांजा कहां से आ रहा था, तो इससम्बन्धमें कहना है कि गांजे का प्रोडक्शन अपने यहां नहीं होता है । यह नेपाल से लाया जाता है । नेपाल वालों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जब पहले प्रश्न पूछा गया तो उत्तर दिया कि यह जानकारी हासिल की जा रही है कि ट्रक का मालिक कौन था । दूसरी बार पूछने पर बताया कि ट्रक का मालिक कौन था । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ट्रक का चालक गिरफ्तार किया गया और उसके पास रजिस्ट्रेशन के जो कागजात मिले तो वे किस के थे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह वाकया 15 अप्रैल, 1972 का है। उस वक्त जो कागजात मिले वह तो जो गलत प्लेट लगाई गयी थी, उसके कागजात मिले। उसमें उस प्लेट नं० से ट्रक की चेसिस टैली नहीं हुई। उसके बाद दुबारा जांच की गयी तो दूसरी असली प्लेट का पता चला। इसकी जब जांच की गयी तो पता चला कि यह श्री करतार सिंह पंजाब की हैं। यह अभी कल-परसों पता चला कि करतार सिंह पंजाब के रहने वाले हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, गोरखपुर डिवीजन में उत्तर प्रदेश इक्साइज और सेन्ट्रल इक्साइज का एक ऐसा गिरोह है जो इस काम को कर रहा है। क्या माननीय मंत्री जी इस स्मगलिंग की रोकथाम की कोई कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कोशिश नहीं हुई तो पकड़े कैसे गये ? गांजा स्क्वाड बराबर इस सम्बन्ध में कोशिश करता है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे डी० एल० एल० 633 के अलावा कोई 10/12 प्लेटें और उस ट्रक की प्राप्त हुई हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सिर्फ दो ही प्लेटें मिली हैं, एक वह जो आगे-पीछे लगी थी और दूसरी वह जो चालक के कक्ष से मिली।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर डिवीजन में हर महीने इस तरह के केस पकड़े जाते हैं और उत्तर प्रदेश इक्साइज और केन्द्रीय इक्साइज विभाग के लोगों के मिले-जुले होने के कारण यह स्मगलिंग हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी, उनके विभाग के जो अफसर वहीं एक अर्से से हैं, उनको कहीं पश्चिम में भेजने की कृपा करेंग ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य आज पहले-पहल कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई चौकी हमारी बीच में पड़ी थी जहां से कि ट्रक गुजरा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य को कैसे मालूम है कि ठेला किस रास्ते से आया ? अगर माननीय सदस्य को मालूम है कि कहां-कहां से ठेला आया तो उसकी इनक्वायरी करायी जा सकती है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री करतार सिंह जिनका कि ठेला है और जो पंजाब के रहने वाले हैं, वह कांग्रेस (आर) के एम० पी० हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं जरा गलत कह गया था। करतार सिंह वल्द धर्म सिंह, गोशा महल रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश के हैं, पंजाब के नहीं हैं। कांग्रेस (आर) के हैं या किस पार्टी के हैं यह पता नहीं है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ट्रक पकड़ा गया, उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है या सरकारी कस्टडी में है और अगर जमानत पर छोड़ा है तो किसकी जमानत पर?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

मेरी सूचना के अनुसार अभी तो पुलिस की कस्टेडी में मुलजिम भी है, ठेला भी है और गांजा भी है ठेले के ड्राइवर को भी जमानत नहीं हुई है ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक की जांच से कुछ पता लग सका कि गांजा कहां ले जाया जा रहा था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जांच का तो सोर्स आफ इन्फारमेशन ड्राइवर ही होता है । उसने इस तरह की कोई इन्फारमेशन नहीं दी, इसलिये इस बात का कुछ पता नहीं लग सका कि कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि यह गांजा नेपाल का था और लिखित उत्तर में कहा है कि मोम में छिपाया हुआ था । इससे जाहिर होता है कि कोई बहुत बड़ा गैंग इस देश में आपरेट कर रहा है । जब नेपाल से यह गांजा लाया गया तो क्या ड्राइवर का बयान लिया गया कि किस रास्ते हिन्दुस्तान में लाया और किस रास्ते गोरखपुर पहुंचा ? और कस्टम और पुलिस के जो अधिकारी हैं, इन लोगों को अब तक मुअत्तल क्यों नहीं किया गया ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैंने इस बात को कई मर्तबा कहा है कि ड्राइवर के बयान से कोई बात का क्लू नहीं मिल रहा है कि कहां से आया और किस रास्ते से आया और कहां जा रहा था । वह नैपाली गांजे की क्वालिटी है इसलिये ऐसा समझा जाता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या मंत्री जी ने अपने विभाग से इस बात की छानबीन कराने का प्रयास किया और क्या इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि इस तरह की तस्करी क्यों की जा रही है ? नैपाल से तस्करी का अड्डा बना हुआ है हिन्दुस्तान और उसके बाद यह सरकार बैठकर तमाशा देख रही है । सारे अधिकारी उसमें शामिल हैं और ये लोग मौज ले रहे हैं । उनके खिलाफ कार्यवाही करने में आपको क्या हिचकिचाहट है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य काफी रोश में हैं । मैंने पहले ही अर्ज किया था कि इसमें अभी जांच हो रही है । वह अभी कम्प्लीट नहीं हुई है । हो सकता है कि जांच में यह पता लग जाय कि ट्रक कहां जा रहा था और कहां से आया था ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

प्लेट के नम्बर के आधार पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, तो कर्मचारियों ने इन्टर प्राविन्स परमिट का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट देखा है और क्या उसमें चेसिस नम्बर वही है जो ट्रक का है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य को मैंने पहले ही कहा था कि दो प्लेट्स ड्राइवर के पीछे निकली थीं। उनसे चेसिस नम्बर का मिलान किया गया है और करतार सिंह के नाम का पता लगा है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

प्लेट नम्बर से चेसिस का पता नहीं लगता है । इसका रजिस्ट्रेशन से पता मिल सकता है । इन्टर प्राविन्स ट्रक चलाने की कार्यवाही की है या नहीं, नहीं तो मुकदमा छूट जावेगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमान्, माननीय सदस्य का जो तजुर्बा है, उसकी इन्फारमेशन लेते हुये मुकदमे में कार्यवाही की जावेगी ।

*2—श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री गोपाल दत्त ओझा तथा श्री हीरासिंह बोरा—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

महाकवि देव स्मारक हाई स्कूल, कुसमरा, मैनपुरी में नियंत्रक की नियुक्ति

*1—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाकवि देव स्मारक हाई स्कूल, कुसमरा, जिला मैनपुरी की प्रबन्ध समिति में झगड़ा होने के कारण जिलाविद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ने नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति कब की थी और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

निरीक्षक ने प्रथम बार 30-12-68 को प्रशासक की नियुक्ति हेतु संस्तुति की थी जिस पर शिक्षा निदेशक ने जांच पड़ताल प्रारम्भ कर दी। 1971 में पुनः निरीक्षक ने मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से साधिकार नियंत्रक बनाने की संस्तुति की थी। पर जांच के बीच में ही फिर निरीक्षक ने दिनांक 11 अगस्त, 1971 को सूचित किया कि एक नियमित कमेटी का निर्माण हो गया है और कार्य उसके सुपुर्द कर दिया गया है अतः आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। पर यह कमेटी भी अन्य संवर्गों को मान्य नहीं हुयी और विवाद पुनः चल पड़ा है । अतः शिक्षा उप निदेशक मुख्य कार्यालय द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 1972 को स्वयं आकर स्थिति का पूर्ण अध्ययन कर शासन को पुनः आख्या भेजी गयी है। जिसके अनुसार समिति की स्थिति पूर्णरूपेण विवादास्पद प्रतीत होती है। अतः संस्था में साधिकार नियंत्रक बनाने की कार्यवाही चल रही है।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब सन् 1968 में पहली बार इसके लिये रिपोर्ट हुई कि वहां पर नियंत्रक नियुक्त कर दिया जाय, तो 1972 हो गया, इतने विलम्ब का क्या कारण है और कौन उत्तरदायी है और कब तक प्रशासक नियुक्त कर दिया जावेगा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, 1967 से विद्यालय की जांच की कार्यवाही शुरू हुई। जब यह चल रही थी तो प्रबन्ध समिति के चुनाव हुए। उस समय जिला विद्यालय निरीक्षक ने रिपोर्ट भेजी कि स्थिति में सुधार हो गया है । तत्काल विरोधी पार्टी ने प्रत्यावेदन दिया । इस पर डिप्टी डायरेक्टर (हेड क्वार्टर्स) को आदेश हुये कि मौके पर जांच करें। इस प्रक्रिया के बाद नियंत्रक नियुक्त कर देंगे, अगर जांच में यह पता लगा कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि इस झगड़े के कारण विद्यालय के अध्यापकों को कई माह से वेतन नहीं मिला है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अप्रैल, 1971 से कोई वेतन बकाया नहीं है। इससे पहले की जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य बतलायेंगे तो कार्यवाही की जावेगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

प्रबन्ध समिति के झगड़े के मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, प्रमुख कारण तो अधिकार लिप्सा का है और यही कारण है जिसके कारण झगड़ा होता है कि कौन प्रबन्धक बने और कौन मैनेजर। एक बार तीन कमेटियां बन गई। उसके बाद एक कमेटी बनी जिला विद्यालय निरीक्षक ने रिपोर्ट की उसके बाद यहां से डिप्टी डाइरेक्टर भेजे गये।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि कमेटियां बनीं और बाद में बिगड़ी और उसके बाद शिक्षा निदेशक मौके पर जांच करने के लिये गये। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा निदेशक कब मौके पर गये और उनकी रिपोर्ट क्या थी और उसको मानने में क्या दिक्कत है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सन् 1971 में दो कमेटियों की रिपोर्ट आई। डिप्टी डाइरेक्टर हेडक्वार्टर जांच करने के लिये गये। उन्होंने रिपोर्ट दी कि ऐसा होने से विद्यालय को क्षति पहुंच रही है तथा यह भी कहा कि वहां पर अनियमिततायें हो रही हैं। अब वहां पर साधिकार नियंत्रक नियुक्त होने में कोई देर नहीं है और वह शीघ्र ही नियुक्त हो जायगा।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—

1971 में विद्यालय निरीक्षक ने रिपोर्ट दी कि नियंत्रक नियुक्त कर दिया जाय। उस समय सारा प्रबन्ध, नियुक्ति तथा वेतन आदि का काम इन्सपेक्टर के हाथ में था। फिर उन्होंने कैसे दूसरी कमेटी की स्थापना कर ली। निरीक्षक के हाथ में उस समय सारे अधिकार थे और उसी को सब कुछ करना था। उसने न तो चुनाव की कोई तारीख घोषित की और एक फर्जी कमेटी बनाकर उसको रेकमेंड कर दिया। उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विद्यालय की अव्यवस्था को देखते हुये तत्काल शासन ने आदेश दिये और जिला विद्यालय निरीक्षक उसके कार्य को देखने लगे जिससे अध्यापकों को कोई असुविधा वेतन आदि में न होने पाये। शासन जो भी कार्यवाही कर सकता है उसने तत्काल कर दिया। कमेटी को समाप्त करके साधिकार नियंत्रक नियुक्त कर दिया जाय यह एक बड़ा कदम है और उसके लिये पूरी प्रक्रिया करनी आवश्यक है। अब हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जब कहा कि अब कमेटी बन गई है उसी समय चुनाव हुये उस समय हमारा उत्तरदायित्व नहीं होता। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो गये हैं। उसके बाद जब आपत्ति हुयी तो उस समस्या के बारे में जानकारी हासिल की गई और जब निश्चित हो गया कि वहां पर संघर्ष है तब कार्यवाही की गई।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

सरकार विद्यालयों में अनुदान देती है तो उसको यह भी चाहिये कि कुछ अपने सदस्यों को भी नामिनेट करे ।

श्री रामगोपाल सेठ—

हमारे मित्र यह तो विरोधी बात बोल रहे हैं ।

उप-निरीक्षक, जिला विद्यालय, टिहरी के कार्यालय का आडिट

*2—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद के विद्यालय उप निरीक्षक के कार्यालय का कब से (आडिट) निरीक्षण नहीं हुआ और क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मार्च, 1969 में आडिट निरीक्षण किया गया था। दिसम्बर, 1970 में यह कार्यालय जिला परिषद टिहरी गढ़वाल में विलीन हो गया।

श्री इन्द्रमणि—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आडिट निरीक्षण में जो अनियमितताएं थीं क्या उनका निराकरण अभी तक किया गया अथवा नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसके बारे में विद्यालय को आदेश दे दिये गये हैं कि संबंधित अधिकारी विद्यालय से कम्प्लायन्स रिपोर्ट लें । जो भी उचित कार्यवाही आवश्यक थी वह हो रही है।

श्री इन्द्रमणि—

1969-70 के बीच में वहां पर कितने अध्यापकों का वेतन नहीं गया है, कितनी अनियमितता हुई हैं, उसका उत्तरदायित्व किस पर रहेगा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इन्हीं सब चीजों को देखने के लिये और अध्यापकों के मामले का निपटारा करने के लिये वहां 3 लिपिक अब भी इसी कार्य के लिये लगे हुये हैं । साल साल में उनके कार्य-काल में वृद्धि की जाती है और सारे कार्यों का निपटारा करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1969 में जो निरीक्षण किया गया था उसमें क्या कोई वित्तीय अनियमिततायें पायी गयीं ? यदि हां, तो उसका निराकरण किया है अब तक या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो आडिट हुआ, उसकी भी आडिट रिपोर्ट है, वह कम्पलायेंस के लिये भेजी गयी और जब कम्पलायेंस आ जायगा संबंधित विभाग से तब उसके बारे में देखा जायगा कि जो रिपोर्ट है उसमें कौन-कौन से आडिट स्टैंड करते हैं, कौन से नहीं करते हैं और उनके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी ।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें मुख्य-मुख्य आपत्तियां क्या थीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल बढ़ा रहे हैं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी इसकी पूरी सूचना उपलब्ध करने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन इसके आधार पर कि कुछ आपत्तियां हैं । उसमें प्रश्न इतना होता है कि जब तक कम्पलायेंस के बाद आडिट के आब्जेक्शन फाइनल रूप से पेंडिंग नहीं रह जाते हैं तब तक कोई आडिट का आब्जेक्शन स्टैंडिंग नहीं माना जाता इसलिये पेंडिंग ही रहा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आडिट रिपोर्ट की कम्पलायेंस आम तौर से नहीं होती है और उसकी वजह से अनियमिततायें बढ़ती रहती हैं, तो क्या सरकार कोई आदेश जारी करेगी कि एक निश्चित अवधि के अन्दर कम्पलायेंस अवश्य हो जाया करे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसीलिये आडिट होता है कि जो आब्जेक्शंस हों उनकी कम्पलायेंस हो । यह कहना कि नहीं होता है यह न्यायोचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो बिलम्ब होता है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

मंत्री जी ने कहा कि 1969 में आडिट हुआ और 1972 तक मालूम नहीं हुआ कम्पलायेंस के बारे में तो यह आडिट रिपोर्ट कब उपलब्ध हुई और विभाग के अन्दर क्या नियम हैं कि कितने दिनों के अन्दर कम्पलायेंस हो जाना चाहिये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

समस्या इसलिये उपस्थित हुई कि जिनके अन्तर्गत ये विद्यालय चल रहे हैं उनसे हटाकर जिला परिषद् में आ गये और प्रशासन बदला, विभाग बदला, इसलिये थोड़ा सा विलम्ब हुआ है । लेकिन उसकी पूरी कम्पलायेंस प्राप्त की जा रही है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

आडिट की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और विभाग के अन्दर क्या नियम है कि आडिट की रिपोर्ट का कब तक कम्पलायेंस होना चाहिये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सूचना की आवश्यकता है कि किस तारीख को आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, दढरौल, शाहजहांपुर के अध्यापकों का देय

*3—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, दढरौल (शाहजहांपुर) में कितने अध्यापकों ने सन 1970–71 में इस्तीफा दिया और उनमें से किस-किस की वार्षिक वृद्धि एवं भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया और कब तक भुगतान हो जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

केवल एक अध्यापक ।

इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वेतन वृद्धि तथा भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान यथा शीघ्र कर दिया जायेगा ।

*4—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

पर्वतीय जिलों के विद्यालय निरीक्षकों आदि को कुली सुविधा

*5—श्री हरीसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बतायेगी कि पर्वतीय जिलों के विद्यालय निरीक्षकों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, उप विद्यालय निरीक्षिकाओं तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षिकाओं को उनके क्षेत्र भ्रमण में जो कुली की सहायता मिलती थी वह नवम्बर, 1969 से बन्द करने का क्या कारण है ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक विषम स्थित को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र के उक्त कर्मचारियों को पुनः कुली सुविधा देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विद्यालय उप निरीक्षकों तथा विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों को उपलब्ध कुली की सुविधा समाप्त कर दी गयी है । कुली की सुविधा इन कर्मचारियों के वास हेतु खेमा आदि ले जाने के लिये प्रदान की गई थी, परन्तु अब पंचायत घरों तथा विद्यालय भवनों आदि का अधिक संख्या में निर्माण हो जाने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो गई और उनके लिये दौरे में अपने साथ खीमा आदि ले जाना आवश्यक नहीं रहा ।

जी हां, पर्वतीय क्षेत्र की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये इन कर्मचारियों को पूर्व प्रदत्त कुली की सुविधा पुनः प्रदान कर दी गई है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

अब स्कूल और पंचायतघरों में क्या बिस्तरे आदि की भी सुविधा कर दी गयी है कि उनको कुछ ले जाना ही न पड़े ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह कुली वगैरह खेमा इत्यादि ले जाने के लिये विशेष तौर पर होते थे । बिस्तर वगैरह ले जाने के लिये तो टी०ए०, डी०ए० की अलग व्यवस्था होती है। इन कुलियों से सामान नहीं ढुलवाया जाता था । अब चूंकि खेमों के स्थान पर पंचायतघर और स्कूल वगैरह बन गये हैं इसलिये कुलियों की व्यवस्था बन्द कर दी गयी थी । लेकिन मालूम होता है कि इससे पहाड़ के रहने वालों को कठिनाई होती है इसलिये उसको पुनः स्वीकृत कर दिया गया ।

श्री हरीसिंह बिष्ट—

एक कुली कब से मिलता था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक कुली मिलेगा या दो कुली मिलेंगे इसका एक नार्म दिया हुआ है ।

श्री इन्द्रमणि —

आपने जो उत्तर लिखा है कि अब खेमों की आवश्यकता नहीं है तो यह जो खेमे वाली प्रथा थी, तीन कुली उनको मिलते थे, वह कब बन्द कर दी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

श्रीमन्, शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा यू-594/66 जी०ए०डी०, दिनांक 22 सितम्बर, 1966 में दिये गये आदेशों के अनुसार उप विद्यालय निरीक्षक को दो कुली और उप सहायक विद्यालय निरीक्षक को एक कुली की व्यवस्था थी । बाद में शासन ने यह निर्णय लिया कि सभी जिलों में उप विद्यालय निरीक्षक तथा सहायक उप विद्यालय निरीक्षकों को खेमा ले जाने की सुविधा तुरन्त समाप्त कर दी जाय क्योंकि अब उनको यह असुविधा नहीं रह गई है।

गोविन्द सिंह नेगी—

मेरी बात को जानकारी समझ कर कि दो कुली पहाड़ के अन्दर खेमा नहीं ले जा सकते या मंत्री जी इस चीज को सही समझेंगे कि ये कुली खेमे के लिये नहीं थे ? दूसरे, क्या मंत्री जी को यह विदित है कि पहाड़ के अन्दर जितने स्कूल खुले उनमें बिस्तरे की कोई व्यवस्था नहीं है लिहाजा कुली की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या मंत्री जी यह उम्मीद करते हैं कि उप विद्यालय निरीक्षक और दूसरे कर्मचारी अपनी पीठ पर बिस्तर ले जायें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इन्हीं सब असुविधाओं को देखते हुये उसका पुनः निरीक्षण किया गया और अब कुली स्वीकृत कर दिये गये हैं ।

श्री इन्द्रमणि—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनको कुली दे देंगे लेकिन 1970 में जब आदेश गये उस समय के कुछ टी० ए० बिल लोगों के पड़े हुये हैं । तो क्या उनके कुलियों के बिलों का भुगतान करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य विस्तृत सूचना देंगे तो निश्चित् उस पर कार्यवाही कराने का मैं प्रयास करूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इस बात को देखते हुये कि सरकार इस चीज का औचित्य समझती है कि उनको कुली मिलने चाहिये क्या उस दिन से जिस दिन से राजाज्ञा की है जिनके टी० ए० बिल्स पेंडिंग हैं उनको देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो कह दिया कि सूचना देंगे तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

विधायक जी, गोविन्द सिंह जी को भी तो दौरा करना पड़ता है । तो क्या उनके लिये भी कुली की व्यवस्था करेंगे पहाड़ पर ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

आदर्श माध्यमिक विद्यालय, हाटा बाजार, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

*6—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श माध्यमिक विद्यालय, हाटा बाजार, जिला गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, जालसाजी, गबन आदि के संबंध में वहां की जनता द्वारा हस्ताक्षरित अनेक शिकायती-पत्र जुलाई, 1971 से अब तक मुख्य मंत्री को तथा जिलाधिकारियों को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिस पर जांच कराई गई । शिकायत में केवल इतना सत्य पाया गया कि श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल विद्यालय के भूतपूर्व प्रबन्धक श्री जनार्दन हीप्रसादशुक्ल के छोटे भाई हैं । अन्य शिकायतों में कोई वास्तविकता नहीं पाई गई ।

श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल स्थायी हो चुके हैं और उनके भाई श्री जनार्दन शुक्ल प्रबन्धक पद से 26 दिसम्बर, 1971 को त्याग-पत्र देकर अलग हो गये हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतें क्या-क्या थीं और किसके द्वारा जांच करायी गयी और जांच का ब्योरा क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, शिकायतें तो कई हैं, मगर मुख्य-मुख्य यह हैं कि हाटा विद्यालय के प्रबन्धक श्री जनार्दन प्रसाद शुक्ल ने अपने सगे छोटे भाई श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल की नियुक्ति एल० टी० ग्रेड में अपने हाथों अपने कार्यालय में की । एक शिकायत यह है कि श्री रमापति दुबे जिन्होंने इंटर अभी हाल ही में किया एवं पुराने नार्मल ट्रेंड हैं, उन्हें एल० टी० ग्रेड से भी अधिक वेतन दिया जाता है । एक यह थी कि दिनांक 11–7–71 को इस विद्यालय में अध्यापकों का जो साक्षात्कार हुआ और जो नियुक्तियां हुईं उसमें कुछ अनियमिततायें हुईं जिनका उल्लेख किया गया । जो भी मुख्य-मुख्य शिकायतें हैं ये नियुक्तियों से ही संबंधित हैं । मान्यवर, उस सबकी जांच करायी गयी मगर उन शिकायतों में कोई तत्व नहीं पाया गया, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जांच किसने की ? और जिनकी शिकायत थी क्या उनको भी बुलाकर सुना गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जांच जिला विद्यालय निरीक्षक ने की । उनकी रिपोर्ट पत्रावली में मौजूद है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जो उत्तर दिया गया उसमें बताया गया कि दिसम्बर, 1971 में प्रबन्धक महोदय ने इस्तीफा दे दिया और यह शिकायत की गयी थी कि जुलाई, 1971 में, यानी 6 माह तक अपने पद का दुरुपयोग करते रहे और अपने सगे संबंधियों को नियुक्त करते रहे तो इसके लिये भी कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, शिकायत आने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्यवाही की । यह ठीक है कि दो भाई नहीं रह सकते थे, इसलिये श्री जनार्दन प्रसाद शुक्ल ने इस्तीफा दे दिया । उनके भाई तो 1968 से कार्य कर रहे हैं, इस बीच नियुक्ति करने का प्रश्न कहां है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या यह शिकायत भी थी कि हरिजन छात्रों को जो सरकार आदि से फीस मिला करती थी या बाढ़-पीड़ितों के लिये जो सहायता मिली थी उसमें भी कुछ गबन आदि था और वह संबंधित छात्रों को नहीं मिला ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो शिकायतें मिली उसमें तो यह शिकायत नहीं थी, लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं मेरी समझ से इसकी तो कोई अवहेलना कर नहीं सकता । अब अगर उनकी जानकारी में कोई बात हो तो वे लिख कर दे दें, हम उसकी भी जांच करवा लेंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मंत्री जी ने बताया कि 1958 से पहले यह व्यवस्था थी कि कोई प्रबन्धक के रिश्तेदार उसमें नहीं रह सकते हैं, तो क्या हर प्रबन्धक को कोई फार्म वगैरह भरना पड़ता था कि इस में हमारे रिश्तेदार नहीं हैं ? इसको देखते हुए 1958 का अध्यापक वैसे ही दोषी है जैसे कि पहले के, क्या इसकी वह जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह तो पहले ही कहा गया कि श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल 1958 से एल० टी० ग्रेड में हैं । जब आपत्ति हुई तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने निदेश दिया कि दों में से एक रह सकते हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया ।

कुंवर इंटर कालेज, इलाहाबाद में प्रशासक की नियुक्ति

*7—श्री के० एस० मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सही है कि जिला निरीक्षक, जनपद, बुलन्दशहर ने अपने पत्र संख्या सी०/एम० एल०—4711, दिनांक 25 नवम्बर, 1968 द्वारा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के कुंवर इंटर कालेज की अनियमितताओं को देखते हुए वहां प्रशासक की नियुक्ति की संस्तुति की है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है । क्या वर्तमान जिला निरीक्षक, बुलन्दशहर ने भी इस संबंध में कोई कार्यवाही करने की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । शिक्षा निदेशक द्वारा विद्यालय का अनुदान दिसम्बर, 1968 में निलम्बित कर दिया गया है । विद्यालय के लेखा का आडिट हो गया है तथा उसके आधार पर प्रबन्धक की अनुपालन आख्या विभाग को प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा अन्य विभागीय कार्यवाही की जायगी । अनुपालन आख्या पर विचार करने के उपरान्त ही शिक्षा निदेशक प्रशासक की नियुक्ति की जाय या न की जाय इस संबंध की संस्तुति और प्रस्ताव भेज पायेंगे । उसकी प्राप्ति पर ही शासन आगे की कार्यवाही कर सकेगा । वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की मांग नहीं की है। अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वाल्टरगंज चीनी मिल (स्ती) के सीरे की तस्करी

*8—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या आबकारी मंत्री को यह जानकारी है कि मई, 1970 में वाल्टरगंज चीनी मिल, बस्ती में मिल नियंत्रित एक वैगन सीरा खांडसारी सीरे के नाम पर तस्करी करते हुए आबकारी निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया और उक्त मिल के मालिक पर तस्करी का मुकदमा न्यायालय में कायम किया गया किन्तु संबंधित आबकारी निरीक्षक जिन्होंने इस तस्करी के माल को पकड़ा और मिल मालिकों का चालान कराया उनका स्थानान्तरण कर दिया है जबकि उस स्थान पर केवल ढाई वर्ष ही रहे हैं । यदि हां, तो क्यों ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 6 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां, संबंधित आबकारी निरीक्षक श्री जटा शंकर सिंह का स्थानान्तरण आबकारी आयुक्त के आदेश संख्या 2644/एक-बी-419 बी, दिनांक 24 जून, 1972 के अनुसार सरैया डिस्टिलरी को हो गया है। स्थानान्तरण अधिकतर प्रशासनि सुविधाओं को देखते हुए जनहित में किये जाते हैं। अतः श्री जटा शंकर सिंह को वाल्टरगंज में ढाई वर्ष से अधिक हो चुकने के कारण उनका स्थानान्तरण सामान्य रूप से हुआ है।

[31 जुलाई, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हरिपुर, बलिया के किसानों की अध्याप्त की गई भूमि का मुआवजा

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जल-विद्युत विभाग के लिये मौजा हरिपुर चन्द्रभानु के छोटे किसानों की भूमि वर्ष 1968 में अध्यापित की गई ? यदि हां, तो कितना और इसका मुवाविजा काश्तकारों को कब किस दर से दिया गया है और यदि अब तक नहीं दिया गया है, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

बलिया जल विद्युत विभाग के लिये मौजा हरिपुर में 9.28 एकड़ भूमि वर्ष 1969 में अध्याप्त की गई थी। काश्तकारों को अभी तक भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा हेतु उचित कार्यवाही जिलाधीश, बलिया द्वारा की जा रही है।

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी, कृपया बतायेगी कि उक्त किसानों के प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन केंद्रीय विद्युत मंत्रीं, श्री राव और उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री ने किसानों की उक्त अध्यापित भूमि में से कुछ हिस्सा निकाल देने को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों के प्रारूप क्या हैं और अब तक इन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि काश्तकारों की कुछ भूमि तथा कुछ भूमि कुंवर सिंह विद्यालय की लेकर विद्युत उपगृह बनाया जाय तथा काश्तकारों की शेष भूमि को छोड़ दिया जाय। किन्तु विद्यालय की भूमि उपलब्ध न हो सकी। उपगृह की आवश्यकता को देखते हुये भूमि को छोड़ देना संभव नहीं हुआ।

*3—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

*4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों का प्रदर्शन

*5—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 3 एवं 4 अप्रल, 1972 को शक्ति भवन लखनऊ के सामने कोई प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को अधिकारियों के सामने रखा ? यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ? शासन उन्हें कब तक पूरा कर देगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, दिनांक 4 अप्रैल, 1972 को साढे पांच बजे शाम को शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारियों ने मांग पत्र राज्य विद्युत् परिषद् को प्रस्तुत् किया। कर्मचारियों की मांगों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है। राज्य विद्युत् परिषद् कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूर्ण करने हेतु सदैव प्रयत्नशील है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 623 पर)

राज्य विद्युत् परिषद् के घाटे का विवरण

*6—श्री रामगोपाल संड तथा श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970–71 में राज्य विद्युत् परिषद् पर कितना ऋण था? क्या सरकार पिछले पांच वर्ष के परिषद् के घाटे का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की भी कृपा करेगी? सरकार इस घाटे को लाभ में बदलने के लिये क्या कर रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1970–71 के अन्त में राज्य विद्युत् परिषद् पर 587.39 करोड़ रु0 का ऋण था और पिछले पांच वर्षों में घाटा 42.15 करोड़ का था। राज्य विद्युत् परिषद् नें स्वयं प्रशासनिक सुधार लागू किये हैं और राज्य सरकार ने परिषद् के कार्य कलापों का अध्ययन करने के लिये एक समिति गठित की है जो विद्युत् उत्पादन तथा अन्य सभी पहलुओं पर विचार करेगी और परिषद् के कार्यों के संबंध में किफायत बरतने एवं कार्य कुशलता बढ़ाने के उपाय सुझायेगी।

*7—श्री कल्याणसिंह—

[20 वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

अलीगढ़ जिले में चीनी का लाइसेन्स

*8—श्री कल्याण सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्टूबर, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक अलीगढ़ जिले के किस-किस विधान सभाई क्षेत्र में किस-किस न्याय पंचायत केंद्र पर चीनी वितरण हेतु कहां-कहां, किस-किस व्यक्ति को लाइसेंस स्वीकार किये गये? क्या यह सच है कि लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को दिये गये हैं जो संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र के निवासी नहीं हैं? यदि हां, तो ऐसा करने के कारण क्या हैं और इसके लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

यू० पी० शुगर ऐंड गुड़ डीलर्स लाईसेंसिंग आर्डर, 1962 के अन्तर्गत केवल चीनी के थोक बिक्रेताओं को लाइसेंस देने ही का प्राविधान है। फुटकर बिक्री की व्यवस्था के लिये जिलाधिकारी इकरारनामे के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों से प्रबन्ध करते हैं। अतएव प्रश्नगत लाइसेंसों के देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी, सहकारी समितियां की सेवा निवृत्ति एवं उनके द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी

*9—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत स्तर प्रदेश, लखनऊ अपने पद से कब रिटायर हो रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्तमान मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ दिनांक 2 अक्टूबर, 1972 (पूर्वान्ह) को 58 वर्ष की सेवा निवृत्त की आयु पूर्ण कर लेंगे।

*10—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि स्टेट इम्पालाईज वेलफेयर करापोरेशन द्वारा मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से कुछ सम्प्रेक्षाधिकारी वेतन-क्रम रु0 160–280 या ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक वेतन क्रम 200–450 में कार्यरत अधिकारियों का नाम कारपोरेशन में ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक वेतन क्रम 200–450 में प्रति नियुक्ति हेतु उनकी संस्तुति के साथ मांगा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी ने अपने यहां से एक वरिष्ठ अधिकारी जो वेतन क्रम 225– 500 में कार्यरत हैं अपनी संस्तुति के साथ नाम कारपोरेशन में भेजा था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

स्टेट इम्पलाईज वेलफेयर कारपोरेशन ने मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी से तीन चार योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों के नामों की सूची वेतन क्रम रु0 200–450 में ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु मांगी थी। उनकी मांग में किसी विशेष वेतन क्रम के अधिकारियों का उल्लेख नहीं था। मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी ने वेतनमान रु0200–450 में स्थायी ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक एवं तदर्थ रूप में 225–500 रु0 के वेतनक्रम में कार्यरत एक अस्थायी जिला सम्प्रेक्षाधिकारी के नाम की संस्तुति की। विभाग की नीति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिये ज्येष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है। तदनुसार संस्तुत अधिकारी को योग्यता, अनुभव की दृष्टि से उपयुक्त समझा गया।

आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति

*11—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या आबकारी मंत्री को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1967 के नियमों के अनुसार 1965 या इसके पहले से जो रिक्तियां आबकारी निरीक्षकों के पदोन्नति के लिये हैं उनकी सूची चयन के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं, नियमों के अनुसार वांछित रिक्तियों की सूची चयन के लिये लोक सेवा आयोग को भेजी गई है।

बुलन्दशहर के ग्रामों का विद्युतीकरण

*12—श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में वित्तीय वर्ष 1971–72 में कितने गावों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था? क्या लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

60 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जो समय के अन्दर पूरा कर दिया गया। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*13—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री शिव कैलाश, श्री मोतीलाल देहलवी, श्री शिव प्रसाद पांडिया, श्री भगेलू सिंह—

[15वें गलवार में ता०प्र० 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र क ग्रामों में विद्युतीकरण

*14—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—(जिला झांसी)

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बुन्देलखंड क्षेत्र में ग्रामीण विद्युणीकरण के लिये 8 प्रतिशत प्रति लाभ पर विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है और क्या यह सही है कि बुन्देलखंड अधिकारी उसका अर्थ केवल यह लगा रहे हैं कि यह सुविधा समस्त बुन्देलखंड को न होकर बुन्देलखंड में केवल पहाड़ी क्षेत्र के लिये ही है ? यदि हां, तो इस तरह के आदेश का स्पष्टीकरण करके उक्त अधिकारियों को सही दिशा देने की कृपा करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, राजाज्ञा संख्या 101पी/23-पी-1-77 एच0आर0 दिनांक, 8 फरवरी, 1972 में बुन्देलखंड के पहाड़ी इलाकों में विद्युतीकरण तथा विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 15 प्रतिशत प्रतिलाभ के स्थान पर 8 प्रतिशत प्रतिलाभ पर कार्य करने का निर्णय लिया गया था। इसके पश्चात् इस राजाज्ञा को शासनादेश संख्या 1927पी/23-पी-1-77 एच0आर0,दिनांक 19 अप्रैल, 1972 द्वारा संशोधित कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है जिसके अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 8 प्रतिशत प्रतिलाभ का सिद्धांत बुन्देलखंड के चारों जिलों (झांसी, जालौन, बांदा तथा हमीरपुर) में सभी स्थानों पर लागू होगा संबंधित अधिकारियों को तदनुसार कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित हो चुके हैं।

कोषागारों के मुख्य लिपिकों के चयन सम्बंधी नियमों में संशोधन

*15—श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोषागारों के मुख्य लिपिकों के चयन से संबंधित रेवेन्यू मैन्युअल के पैरा 1044(बी) (3) के संशोधन हेतु प्रस्ताव गत 2 वर्षों में जिला अधिकारियों से प्राप्त हुये हैं। यदि हां तो उक्त पैरा में कोई संशोधन शासन ने किया है? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

केवल जिलाधिकारी आगरा से अगस्त, 1971 में रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 1044 (बी) (3) के संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस पर राजस्व परिषद द्वारा आयुक्त आगरा मंडल, आगरा के विचार मांगे गये हैं। उनके विचार प्राप्त होने पर रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 1044(बी) (3) के संशोधन के संबंध में विचार किया जायेगा।

कठघरिया, नैनीताल में बिजली का अस्थायी कनेक्शन

*16—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की दिनांक 17-4-72 ई० को नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के क्रम पर क्या विद्युत मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला नैनीताल में विद्युत अनुरक्षण खण्ड हल्द्वानी के स्थान कठघरिया में जिस एक टेम्प्रेरी कनेक्शन को दिनांक 6 सितम्ब र, 971 ई० से दिया गया था यह किस व्यक्ति के नाम पर किस आधार से दिया गया ? क्या यह सही है कि इस कनेक्शन पर भारी बोल्ट के दर्जनों बल्ब जलते रहे ? यदि हां, तो कुल कितनी यनिट बिजली खर्च हुई और इससे आय कम होने का कारण क्या हुआ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल, पटेल चौक हल्द्वानी न ग्राम कठघरिया स्थित मन्दिर में अखण्ड रामायण पाठ के लिए 2 के० डब्लू० के अस्थायी कनेक्शन के लिये उपखंड अधिकारी हल्द्वानी को एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसके संदर्भ में उनके कनेक्शन उपरोक्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया एवं यह कनेक्शन दिनांक 6—9—71 को दिया गया। उसके पश्चात उपभोक्ता के आवेदन पर अधिशासी अभियन्ता हल्द्वानी द्वारा 17 दिन के लिए और स्वीकृति दी गयी। उसके पश्चात् एक स्वीकृति माह के लिये और दी गयी। कनेक्शन 30—10—71 को विच्छेद कर दिया गया।

यह सच है कि बी०एण्ड एल० फार्म के अनुसार 40 वाट के 40 बल्ब एवं 100 वाट के 4 बल्ब लगाये गये। विद्युत् का कुल खर्चा 180 यूनिट हुआ एवं इस विभाग को रु० 84.70 की राजस्व आय हुई। खर्चा कम आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त 15 रुपये प्रेलीमिनरी (Preliminary Charges) चार्जेज के रूप में लिये गये।

दल बदली रोकने के कानून की मांग

*17—श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि 24 मार्च, 1972 को सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश की है कि दल बदल के रोकने का एक कानून बना दिया जाय? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दल बदल रोकने का कानून बनाने पर केन्द्रीय सरकार को 24 मार्च, 1972 को कोई सिफारिश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नहीं भेजी गयी।

*18—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[16 वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ईंट के भट्ठों के मालिकों का शिष्ट मंडल

*19—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई) तथा श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ईट भट्टों के मालिकों का शिष्ट मन्डल मार्च, 1971 से मार्च, 72 तक अनेक बार उनसे मिला है और मौखिक एवं लिखित रूप में यह प्रार्थना की है कि ईटों के भट्टों पर एक-मुश्त बिक्रीकर उतनी धनराशि का लगा दिया जाय कितनी गत तीन वर्षों की ईटों की बिक्री से प्राप्त बिक्रीकर की आय की औसत धनराशि है, और यह सही है कि मंत्री जी ने शिष्ट मन्डल को यह आश्वासन दिया है कि नियमों का अवलोकन कराने के पश्चात शीघ्र निर्णय लेंगे? यदि हां, तो शासन ने क्या निर्णय लिये?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सही है कि ईटों पर बिक्री कर के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ईट निर्माता संघ ने शासन को प्रत्यावेदन भी दिए और संघ के शिष्ट मंडल भी वित्त मंत्री से मिले। किन्तु संघ ने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया था कि ईट भट्टों पर एक मुश्त बिक्री कर उतनी धनराशि का लगा दिया जाय जितनी गत तीन वर्षों की ईटों की बिक्री से प्राप्त बिक्रीकर की आय की वार्षिक औसत धनराशि है। संघ ने मांग की थी कि ईटों पर वर्तमान 7 परसेंट बिक्री कर के बजाय एक निश्चित धनराशि की वार्षिक फीस लगा दी जाय। कुछ प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि प्रदेश के समस्त भट्टों को ए तथा बी दो श्रेणीयों में वर्गीकृत करके उन पर क्रमशः 3 हजार तथा 2 हजार या 2500 रु० वार्षिक फीस लगा दी जाय। संघ के सचिव ने इस सम्बन्ध में एक स्वतः पूर्व प्रस्ताव एवं

भट्टों की सूची शासन को भेजने का आश्वासन किया था किन्तु अभी तक उनसे कोई प्रस्ताव या सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। अस्तु शासन द्वारा इस विषय में कोई निर्णय लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

न्याय पंचायत मझगवां क्षेत्र, जौनपुर की निरस्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें

*20—श्री उमानाथ सिंह, (जिला जौनपुर) श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जौनपुर जनपद में न्याय पंचायत मझगवां विकास क्षेत्र जलालपुर के कुछ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान मार्च, अप्रैल, 1972 में निरस्त कर दी गई थी? यदि हां, तो पुनः उन दुकानदारों को किस आधार पर दुकानें दे दी गई?

डाक्टर सीताराम—

एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो श्री बंश लाल गुप्त के नाम थी, निरस्त कर दी गई, थी परन्तु उसक द्वारा जिलाधीश के समक्ष रिवीजन, जिसमें उसने अपनी भूल स्वीकार की थी और क्ष मा याचना भी की थी, प्रस्तुत किये जाने पर जिलाधीश ने उसकी दुकान को पुनः बहाल करने के आदेश दे दिये और तद्नुसार उसे दुकान दे दी।

बदायूं के चोरी गये ट्रांसफार्मर

*21—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने हाल ही में यह आदेश जारी किया है कि जनवरी, 1972 से जो ट्रासफर्मर चोरी गये उनके बदले में दूसरे ट्रासफार्मर लगा दिये जायेंगे? यदि हां, तो वह आदेश बदायूं जनपद में कब भेजा गया था और इस पर कब से अमल किया गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, इस आशय के आदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा बदायूं जनपद में फरवरी, 1972 में भेजें गये और तभी से इन आदेशों का पालन किया जा रहा है।

*22—श्री मोहम्मद असरार अमह

क्या विद्युत मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-72 से 10-6-72 तक बदायूं हाईडिल डिवीजन में कितने ट्रासफार्मर किस किस हार्सपावर के चोरी हुए उनमें से कितने रिप्लेस कर दिये गये और कितने अभी रिप्लेस करने को बाकी है? अतः कब तक रिप्लेस कर दिये जायेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

विद्युत अनुरक्षण खण्ड, बदायूं में दिनांक 1-1-1972 से 10-6-1972 तक कुल 88 ट्रांसफार्मर चोरी हुए जिनमें से राज्य विद्युत परिषद द्वारा 80 बदले जा चुके हैं, तथा शेष 8 पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही उनके बदलने की सम्भावना है।

पी० सी० एफ० देवरिया द्वारा खरीदे गये गेहूं का भुगतान

*23—श्री रामधारी शास्त्री—(जिला देवरिया)

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सर्वजीत पुत्र ब्रह्म देव, ग्राम हाता शुकदेव पुत्र मुआऊ ग्राम गाजीपुर मनई पुत्र बिन्गा ग्राम धुरिया ब्लाक तमकुही राज, जिला देवरिय ने अपना लगभग 15 हजार रुपये का गेहूं सहकारी संघ तुरपट्टी ब्लाक दुदही, थाना तुरपट्टी जिल देवरिया के माध्यम से पी0 सी0 एफ0 देवरिया को जो एफ० सी० आई० के एजेन्ट के रूप में काम करता था, सितम्बर 1971 में बेचा? यदि हां, तो उक्त गल्ले का दाम अब तक सम्बन्धित किसानों को दिया गया? यदि नहीं तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। गल्ले के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित किसानों को किया जा चुका है।

*24—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[11वें सोमवार के लिये स्थगित]

*25—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[11 वें सोमवार के लिये स्थगित]

लखनऊ में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के बेसिक विभाग के अध्यापकों का वेतन

*26—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जनपद में कितने सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और कितनों में संलग्न बेसिक विभाग में संलग्न बेसिक विभाग चल रहे ह और उन बेसिक विभागों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को क्या वेतन मय महंगाई के दिया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी—)

लखनऊ जनपद में कुल 107 मान्यता एवं सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। उनमें से 74 विद्यालयों के साथ बेसिक अनुभाग संलग्न हैं। उन अनुभागों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को विभिन्न दरों से वेतन तथा मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।

प्रदेश में बिक्री-कर बकाया

*27—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या 1 जून, 72 को प्रदेश में कितना बिक्री-कर बकाया था एवं 2 लाख से ऊपर किन-किन फार्मों पर बकाया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 1 जून, 1972 को प्रदेश में 36.61 करोड़ रुपये बिक्री-कर बकाया था। 2 लाख से ऊपर जिन फार्मों पर बकाया है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 624 पर)

*28—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर प्रथम या भत्ता पर ही लगे ऐसी व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बिक्री-कर प्रथम अवस्था पर ही लगे ऐसी व्यवस्था सभी प्रकार की वस्तुओं पर करने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*29—श्री राम सिंह खन्ना—

[निरस्त]।

*30—श्री हरिबंश सहाय—

[9वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*31—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[11 वें सोमवार के लिये स्थगित]

*32—श्री मलिखान सिंह—

[11 वें सोमवार के लिए स्थगित]

*33—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[11 वें सोमवार के लिये स्थगित]

*34—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[11वें सोमवार के लिये स्थगित]

एटा जिले में भट्ठों को कोयला

*35—श्री रेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में माह 1 अक्तूबर, 1971 से मई, 1972 तक किन किन भट्ठे को कितना कितना कोयला दिया गया ? क्या यह सच है कि उक्त कोयले से भट्ठे न चलाकर कोयले का दुरुपयोग किया गया? यदि हां, तो वह कौन-कौन भट्ठे हैं, और किस किस के हैं तथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—

एटा जिले में 1 अक्तूबर, 1971 से मई, 1972 तक जिन भट्ठों को जितना जितना कोयला दिया गया उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। भट्ठों द्वारा कोयले के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 626 पर)

जिला परिषद् जूनियर बेसिक विद्यालय अध्यापक नियमावली का प्रकाशन

*6—श्री राम सागर—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् जूनियर बेसिक विद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली, 1967 को अब तक प्रकाशित न करने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 12 मई, 1972 को माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् जूनियर बेसिक स्कूल अध्यापक सेवा नियमावली को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है। पर अब बदली हुई परिस्थिति में उक्त नियमावली पर सरकार तथा बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा पुनः विचार किया जाना आवश्यक है।

जी हां, पत्र मिला था। जो कार्यवाही हुई है वह इस उत्तर के पहिले भाग में बतला दिया गया है।

*37—श्री हरिवंश सहाय—

[11वें सोमवार के लिए स्थगित]

*38—श्री लालसा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, फर्रुखाबाद की सेविकाएं

*39—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद एवं आर० आई० जी० एस०, इलाहाबाद का कोई ज्ञापन 1971-72 में राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय फर्रुखाबाद को मिला था? जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि जिन सेविकाओं की सेवाओं की अवधि 5 वर्ष या इसके ऊपर की है उनकी छटनी न की जाय? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों के आदेशों के उपरान्त भी उक्त अवधि वाली सेविकाओं की सेवायें समाप्त करने का निश्चय किन विशेष परिस्थितयों में लिया गया? क्या सरकार उन्हें पुनः सेवा में लेने को तैयार है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमला पति त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर तथा एच० बी० टी० आई० कानपुर के अध्यापकों का वेतन-क्रम

*40—डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर और जे० एच० बी० टी० आई०, कानपुर के प्रवक्ता, सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर का वेतन-क्रम उत्तर प्रदेश में स्थित सभी इंजीनियरिंग कालेज के उस वर्ग के अध्यापकों के वेतन-क्रम से अपेक्षाकृत कम है? यदि हां तो क्यों? क्या 1962 से आज तक सभी वेतन-क्रम का पुनरीक्षण किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां।

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर और एच० बी० टी० आई०, कानपुर के प्रवक्ता सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर का वेतन क्रम अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर लागू किया गया था। वर्ष 1962 से उक्त परिषद् द्वारा इन्जीनियरिंग संस्थाओं के शिक्षकों के वेतन मानों के पुनरीक्षण की संस्तुति नहीं की गयी। इसीलिये उक्त शिक्षकों के वेतन-क्रम का पुनरीक्षण नहीं किया गया। अब इन शिक्षकों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण का मामला शासन द्वारा गठित वेतन आयोग के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

मेरठ के ग्रामों का विद्युतीकरण

1—श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा चलाई गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जिला मेरठ के विकास खंडों के किन किन ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1970–71 और 1971–72 में किया गया तथा वर्ष 1972–73 में ब्लाक लौनी के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण होने वाला है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सम्पूर्ण मेरठ जनपद में वर्ष 1970–71 में कुल 15 तथा 71–72 में 21 गांवों का विद्युतीकरण एल० टी० मेन्स द्वारा किया गया है, जिनकी खन्डवार सूची संलग्न है।

चालू वर्ष 72–73 में 100 गांवों के विद्युतीकरण का (सी० डब्लू० पी० सी० की परिभाषानुसार) प्रस्ताव है, जिनमें से लौनी ब्लाक के भी उपयुक्त पाये गये गांवों में मार्च, 1973 के अन्त तक बिजली पहुंचाई जा सकेगी।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ...630.पर)

रायबरेली के विभिन्न ग्रामों में विद्युत् लाइन पहुंचाने की योजना

2—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली, विकास खंड मुस्तफा बाद के ग्राम फरीदपुर, बभनपुर, बिकई, साराय परसू, सलेमपुर भैरों, अकौढ़िया, आबा जहानियां, हरिहरपुर, निगोहां, बुकरूल्लापुर, माधवपुर, गनसरी, बड़ा गांव, देहरामऊ, असकरनपुर, इटौली तथा अतरमपुर गांवों में कब तक विद्युत् लाइन पहुंच जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

रायबरेली जनपद के विकास खण्ड मुस्तफाबाद के अन्तर्गत ग्राम मतरमपुर, बेहरामऊ, इटौली, असकरनपुर, गंगोसरी, फरीदपुर, एवं बिकई तक इस वर्ष (1972–73) विद्युत् लाइन पहुंचने की योजना है। शेष गांवों के विद्युतीकरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

सहायक लेखाधिकारी तथा लेखाधिकारी की नियुक्ति

3—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के नियन्त्रण में दिनांक 1 मई, 1972 को कहां कहां सहायक लेखाधिकारी तथा लेखा अधिकारी के पद रिक्त थे और उन पर किन कारणों से नियुक्ति नहीं की जा सकी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 1 मई, 1972 को वित्त विभाग के नियंत्रण में सहायक लेखाधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं था। उस तिथि को वित्त विभाग के नियंत्रण में 300–900 रुपये के वेतन-मान में लेखाधिकारी के निम्नलिखित नव सृजित पद रिक्त थे जो नियुक्ति की तिथि से सृजित समझे जाते हैं:—

(1) लेखा तथा प्रशासकीय अधिकारी, मुख्यालय कमांडेन्ट जनरल होमगार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

उक्त दोनों पदों पर उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिनांक 17 जुलाई, 1972 को जारी हो चुके है।

उत्तीर्ण ट्रेजरी आफिसर्स की नियुक्ति

4—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या वित्त मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के वित्त विभाग में कितने ऐसे सहायक है जिन्होंने मई, 1972 के पूर्व ट्रेजरी आफिसर की परीक्षा पास कर ली है ? लेकिन उनकी नियुक्ति उपरोक्त रिक्त सहायक लेखा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी पदों पर नहीं की जा सकी है और क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस समय मई, 1972 के पूर्व ट्रेजरी आफिसर की परीक्षा पास किये हुए तीन सहायक वित्त विभाग में है।

उपर्युक्त लेखाधिकारी के पदों पर इन सहायकों में से नियुक्ति इसलिये नहीं की जा सकी है क्योंकि वे उन पर नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं हैं।

5—श्री चेतराम गंगवार—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

6—श्री राम गोपाल सण्ड—

[11वें सोमवार के लिये स्थगित]

7—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[8 वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

8—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद के किन-किन गांवों को 1971–72 एवं 1972–73 में सम्मिलित किया गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1971–72 में इलाहाबाद जिले के 8 गांवों का एल०टी०मेन्स द्वारा और 131 गांवों का सी०डब्लू०पी०सी० की परिभाषानुसार विद्युतीकरण किया गया है।

वर्ष 1972–73 में एल०टी०मेन्स द्वारा 24 तथा सी०डब्लू०पी०सी० की परिभाषानुसार 80 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिनमें से 30–6–72 तक क्रमशः 4 एवं 26 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है उनकी सूची सदस्य महोदय मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

गोरखपुर के थोक चीनी विक्रेताओं के रद्द एवं पुनःरेस्टोर किये गये लाइसेंस

9—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1972 से 30 जून, 1972 तक कितने थोक चीनी विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किये गये हैं ? और उनके नाम एवं पते क्या क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न गत अवधि में गोरखपुर जिले में किसी थोक चीनी विक्रेता का लाइसेन्स रद्द नहीं किया गया।

10—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 15 फरवरी, 1972 से 30 जून, 1972 तक गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कितने थोक चीनी विक्रेताओं को उनकी दुकानों को पुनः

रेस्टोर करने की आज्ञा प्रदान की गई है ? उन दुकानदारों के नाम और पते क्या हैं जिनकी दुकानें पुनः रेस्टोर हुई है ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्नगत अवधि में गोरखपुर जिले में निम्नलिखित थोक चीनी विक्रेताओं के नियन्त्रित चीनी बेचने के अनुबन्ध पत्र पुर्नस्थापित किये जाने हेतु आदेश दिये गये :

1—सर्वश्री जगमोहन राम राम चन्दर कौड़ीराम, गोरखपुर ।

2—सर्वश्री उदय नारायण शम्भू नाथ, बांसगांव, गोरखपुर ।

11—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[11वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न सं० 1 पर स्थानान्तरित।]

भगवन्त नगर उन्नाव में विद्युतीकरण का कार्य एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण

12—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या विद्युत मंत्री बतायेंगे कि उन्हें भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव क विधायक द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 1972 का भेजा हुआ कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने उक्त क्षेत्र में बिजली लाइनों के बिछाये न जाने तथा पिछले 3 महीनों से कार्य ठप्प पड़े रहने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उपरोक्त आशय का दिनांक 27 जून, 1972 का पत्र प्राप्त हुआ है तथा विद्युतीकरण क कार्यों को पूरा करने के लिये सामान का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

13—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या विद्युत मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त क्षेत्र के बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा पिछले महीनों में कितने कितने ट्रान्सफारमर्स चैनल्स तथा डबल पोल्स की मांग की गई है और उनमें से कितनों कितनों की पूर्ति कर दी गई है और शेष की कब तक कर दी जायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पिछले तीन महीनों में सहायक अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण उप खण्ड उन्नाव ने निम्न सामान की मांग की तथा उसकी निम्न प्रकार से पूर्ति की गई ।

1—ट्रांसफारर्मस—

100 के० बी०ए०	2 नम्बर
75 के०बी०ए०	5
63 के०बी०ए०	12
50 के०बी०ए०	6
25 के०बी०ए०	2
15 के0बी0ए0	9
	36

2—डबलपोल के वास्ते 5/72 में 100 रेल 75 पौण्ड के उन्नाव जिले के लिये दी गई है?

3—3000 के०जी० चैनल की मांग की गई परन्तु उसकी पूर्ति नहीं की जा सकी क्योंकि उपरोक्त सामान स्टाक में नहीं था फिर भी उपरोक्त की पूर्ति हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राजकीय महिला सेवारत प्रशिक्षण केन्द्र वृन्दावन की अध्यापिकाओं द्वारा सुरक्षा कोष में दिया गया धन

14—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रधानाचार्य राजकीय महिला सेवारत प्रशिक्षण केन्द्र वृन्दावन ने कितना रुपया सुरक्षा कोष में महिला अध्यापिकाओं से लिया? क्या महिला अध्यापिकाओं से लिये हुए धन की रसीद दी गई ? इसी प्रशिक्षण केन्द्र के महिला अध्यापिकाओं द्वारा कितने स्वेटर फौजी जवानों के लिये प्रशिक्षिण केन्द्र में लिये गये और कितना रुपया महिला अध्यापिकाओं से इस मद में लिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

15—श्री सियाराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय महिला प्रशिक्षण कन्द्र वृन्दावन तथा बरेली कब से चल रहे हैं और कितनी अध्यापिकायें इस प्रशिक्षण केन्द्रों से अब तक पास हुई और कितने प्रतिशत परीक्षाफल रहा है ? इन अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण देने में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

दुलारी नगर, सुल्तानपुर के स्कूल का नव-निर्माण

16—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर को वर्ष 1970-71 में ग्राम प्रधान ग्राम सभा दुलारी नगर जिला सुल्तानपुर तहसील मुसाफिरखाना ने उक्त ग्राम के स्कूल के नवनिर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसे किसी भी प्रार्थना-पत्र की जानकारी अध्यक्ष, जिला परिषद् एवं जिला अधिकारी सुल्तानपुर के कार्यालय को नहीं है।

राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र, वृन्दावन, मथुरा की अध्यापिकाओं को देय मार्ग व्यय

17—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र, वृन्दावन, मथुरा, में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सेवारत अध्यापिकाओं को पिछले कितने वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त करने आने व जाने का मार्ग व्यय प्रदान नहीं किया गया है और उसके न दिये जाने के क्या कारण है और यह कब तक अदा कर दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बिलों का विलम्ब से प्राप्ति के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सेवारत अध्यापिकाओं का पिछले पांच वर्षों से मार्ग व्यय का भुगतान नहीं किया गया है। इस वर्ष भुगतान प्रत्याशित है।

बरूआसागर झांसी की बी० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य

18—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरूआसागर जिला झांसी में बी०टी०सी० प्रशिक्षण की विद्यालय इमारत की आधार शिला शिक्षा मंत्री सन् 1969 में रक्खी थी? यदि हां, तो क्या यह बतायेंगे कि उक्त इमारत का कार्य अब तक आरम्भ न होने का क्या कारण है? और अब कब तक कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

स्कूल भवन के आंगणन शासन के विचाराधीन है। स्वीकृति के पश्चात निर्माण कार्य आरम्भ हो जायगा।

बिक्री-कर बाकाया की वसूली

19—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि 31 मई, 1972 तक बिक्रीकर की कितनी राशि बकाया थी उसमें से कितनी दिनांक 15 जून, 1972 तक वसूल हुई है और अभी तक कितनी राशि शेष हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

31 मई, 1972 तक बिक्रीकर का 36.61 करोड़ रुपया बकाया था इस में से 15-6-72 तक अर्थात 15 दिनों में कितनी राशि वसूल हुई है और कितनी शेष है इसका उत्तर देना संभव नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के आंकड़ों का संकलन महीने की अंतिम तिथियों में ही होता है और 30-6-1972 की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

इलाहाबाद के सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का वेतन

20—श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में कितने गैर सरकारी बालक बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालय हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं और वेतन अध्यादेश के संयुक्त खाते से अपने अध्यापकों को वेतन वितरित नहीं कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन वितरण के सम्बन्ध में अब कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं है। जिला इलाहाबाद के समस्त साहायिक हाईस्कूलों तथा इन्टरमीडिएट कालेजों में उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम, 1971 की अपेक्षानुसार संयुक्त खाते से वेतन वितरित किया जाता है।

इलाहाबाद जिले में देशी शराब की दुकानों की नीलामी

21--श्री रामगोपाल संड--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये देशी शराब के कुल कितने अधिकृत ठेकों की नीलामी हुई तथा प्रत्येक ठेका कितने-कितने रुपये में किस-किस के नाम नीलाम किया गया ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह--

इलाहाबाद जन पद में वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये देशी शराब के कुल 86 अधिकृत ठकों की नीलामी हुई। प्रत्येक ठेका कितने रुपये में किस-किस के नाम नीलाम हुआ उसकी सूची संलग्न* है।

* [देखिये नत्थी [ङ] आगे पृष्ठ 631 पर]

अस्थायी सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स

*22--श्री राम गोपाल संड--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स इस समय अस्थायी हैं और उनकी कार्य करने की अवधि क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उनकी कार्यावधि लगभग एक मास स लेकर 20 वर्ष तक है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री अनन्तराम वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, हममें से बहुत से लोग यहां ऐसे हैं जो कि अनन्तराम वर्मा जी को बहुत समय से जानते रहे हैं। अनन्तराम जी अलीगढ़ के निवासी थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। वह स्वतंत्रता संग्राम के हमारे 1921 से ही सैनिक रहे हैं। गांधी जी के आन्दोलन में अलीगढ़ में अनन्तराम जी का एक बड़ा प्रमुख योगदान रहा है। पिछले सालों में तो ऐसा हो गया था जब कि अलीगढ़ पर दृष्टि पड़े, वहां के ऐसे कार्यकर्त्ता को ढूंढ़ने के लिये जो नैतिक हो, जिसने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में लगाया हो, और जिसकी प्रतिष्ठा और सम्मान हो, तो अनन्तराम जी के ऊपर सदैव दृष्टि जाती रही है।

काफी उन्होंने जेल की यातनाएं भी भोगी थीं और हमारी विधान सभा के भी वह सदस्य रहे हैं, 1957 से लेकर 62 तक। अवस्था उनकी 70 वर्ष की थी। इधर कुछ दिनों से वह बीमार थे। अभी कुछ समय पहले अलीगढ़ के मसलों में उनसे मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था तो दिखाई दे रहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, काफी खिन्न भी दिखाई दिये। मैंने पूछा आपकी तबियत आजकल खराब चल रही है, तो वह अस्वस्थ थे, लेकिन वह अपना काम लगातार करते रहे। शिक्षा संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में और राजनैतिक कार्यों में वे बराबर अपना योगदान देते रहे, एक लम्बी समाज सेवा उनके साथ लगी हुई थी।

अभी 26 जुलाई को अलीगढ़ में उनका निधन हुआ था। मान्यवर, उनको पैरोलेसज-(फालिज) का अटैक हुआ था, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। वह हमारे प्रदेश के उन कार्यकर्त्ताओं और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में थे, जिनका नाम व्यापक रूप से तत्कालीन कार्यकर्त्ता सब जानते थे। सब उनका सम्मान और आदर करते थे। उनकी तपस्या, उनके बलिदान और त्याग की भावना से सभी लोग पूरी तरह परिचित थे। उनके निधन से अलीगढ़ में विशेष

रूप से और हमारे प्रदेश में उस पीढ़ी में जो पुरानी पीढ़ी कही जाती है, जिसके प्रयास से और योगदान से हमारे राष्ट्र ने अपनी स्वाधीनता अर्जित की, उस पीढ़ी के वह व्यक्ति थे और ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनके उठ जाने से उस पीढ़ी की श्रृंखला में आज एक कमी आ गयी है। हम सब एक त्यागी, तपस्वी, कार्यकर्ता के, स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़े परिपुष्ट और निरन्तर संलग्न रहने वाले सैनिक के उठ जाने से अपना हार्दिक दुख प्रकट करते हैं। मान्यवर, मेरी आप से प्रार्थना है, हम सब की प्रार्थना है, कि हमारी हार्दिक सहानुभूति और सम्वेदना उनके परिवार के प्रति पहुंचा दें। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनकी स्मृति आज की पीढ़ी के लिए जो सेवा में लगी हुई है प्रेरणाकी स्रोत बनी रहे। यह हमारी कामना है। मान्यवर, हम अपना हार्दिक दुख व्यक्त करते हैं और हमारी सहानुभूति और सम्वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय, श्री अनन्तराम वर्मा के सम्बन्ध में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं आपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री अनन्तराम वर्मा उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भाग लिया और देश के लिए बहुत यातनाएं भोगीं। वह गांधी जी के सिद्धान्तों में अटूट विश्वास रखते थे और उन पर चलने का बराबर प्रयास करते रहे। वह बहुत ही जनप्रिय थे, सक्रिय काम करने वाले थे और सरल स्वभाव के थे।

1957 से 1962 तक वह सदन के सदस्य थे। मुझे भी उनके साथ इस सदन में काम करने का मौका मिला था और मेरे उनके विचारों में काफी सामंजस्य रहा। यहां एक दूसरे के बहुत निकट रहे थे। वह बड़े त्यागी थे। वह सार्वजनिक और शैक्षिक संस्थाओं में भी बहुत भाग लिया करते थे। उनके पास अपना कोई कार्य, राजनैतिक कार्य के अलावा नहीं था। उनका सारा समय राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यों में बीतता था और यही उनका मुख्य कार्य हो गया था।

ऐसे पुराने आदमियों के लिये जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया हो, यातनायें भोगी हों, उठ जाने से स्वाभाविक है कि सब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। उनके उठ जाने से हम लोग बड़े दुखी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले। जहां तक उनके परिवार का सवाल है, मैं निश्चित नहीं हूं कि उनके परिवार में कोई है। लेकिन अगर उनके परिवार में कोई हो तो उस परिवार के पास मेरी और मेरे दल की सम्वेदना भेजने की कृपा करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो स्वर्गीय वर्मा जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनमें मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, हम सब वर्मा जी के निधन स दुखी हैं और हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम लोग की सम्वेदना उनके परिवार पक पहुंचाने की कृपा करें। साथ ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जो भाव नेता सदन ने तथा अन्य माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त किया गया माननीय स्वर्गीय अनन्तराम जी वर्मा के सम्बन्ध में, म अपने को और अपने दल को उस भाव से सम्बद्ध करता हूं। पुरानी पीढ़ी के वे लोग जो प्रेरणा स्रोत हैं, आज की मौजूदा पीढ़ी के लिए उनका उठना स्वाभाविक तौर पर महान् कष्टदायक है और उनकी मृत्यु से हम सभी लोग

[श्री कल्पनाथ सिंह]

दुखी हैं । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दें और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार को हम लोगों की भावनाओं को पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय नेता सदन ने , अन्य दल के नेतागण ने स्वर्गीय, श्री वर्मा जी के निधन पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं और मेरे दल के अन्य सदस्य बहुत दुखी हैं । आपसे मेरा निवेदन है कि वर्मा जी के शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी सम्वेदना को भेजने की कृपा करें ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

वर्मा जी के बारे में माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी दल के नेतागण ने जो विचार व्यक्त किये है, मैं तथा मेरा दल भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता है । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो उनकी सेवायें रही हैं, वे आने वाली पीढ़ी के लिये प्रेरणा देने वाली होगी । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

श्री अनन्तराम वर्मा जी के निधन पर जो भावनायें और संवेदनायें मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य दलों के नेतागण ने व्यक्त की हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । पुरान आदमी एक-एक करके जो निःस्वार्थ भाव से इस स्वतंत्रता संग्राम में कूदे धीरे-धीरे चले जा रहे हैं । इसके लिये हम सब को खेद होना चाहिये । वे प्रेरणा के स्रोत अपनी जगह पर रहे हैं और नौजवान उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं क्योंकि सेवा की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी । उन्होंने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही कार्य नहीं किया, बल्कि शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य किया था । तो ऐसे सदैव सेवा में रत कार्यकर्त्ता के निधन पर हम सब का दुखी होना स्वाभाविक है । आपने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । जहां तक उनके कुटुम्बियों का प्रश्न है वे अकेले ही थे । इसलिये कुटुम्बियों के प्रतिसंवेदना भेजना जरा मुश्किल सा काम है लेकिन तो भी मैं प्रयास करूंगा कि कोई निकट का अथवा दूर का भी सम्बन्धी हो, तो मैं उसको सम्वेदना भेज दूंगा । अब हम परमात्मा से प्रार्थना करें दो मिनट के लिये खड़े होकर ताकि उनकी आत्मा को शान्ति मिले ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये ।)

विविध विषय

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष जी हमने सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन किया था और उसके लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी दिया था । आपने विश्वास दिलाया था लेकिन पता नहीं आप कब उस विषय पर बहस करायेंगे । किसानों की हालत दयनीय है । उनसे लगान जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है । उनको जेल भेजा जा रहा है । भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । तालाबों में पानी पीने के लिये नहीं रह गया है । फसल बेकार हो गई और सूखा पड़ गया है । ऐसे संकट के समय में सरकार को स्वयं कुछ इन्तजाम करना चाहिये था. . .

श्री अध्यक्ष—

सूखे के बारे में आप कह रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जी हां,

श्री अध्यक्ष—

वह चार तारीख के लिये रखा गया है 2 घन्टे के विवाद के लिये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आज कम से कम मंत्री जी से एलान तो करवा दीजिये कि लगान की वसूली रोकने के आदेश जारी किये जायंगे ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आज भूमि-भवन कर के सिलसिले में सारा इलाहाबाद बन्द है और जितनी भी छोटी छोटी दुकाने वहां थी वे सब बन्द हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी को इलाहाबाद का एक शिष्ट मंडल भी मिला था और उनसे बातचीत हुई थी । तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद को खोला जाय और वे यहां पर एलान करें कि वे भूमि व भवन कर के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने तो एक आंधी सी चला दी है । वे हमेशा किसानों के ऊपर टैक्सों का बोझ लाद रहे हैं । टैक्सों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं । वे कहीं पर यह ध्यान भी देते हैं कि वे दो किसान विरोधी टैक्सों में एक को वापस ले लेंगे और दूसरे पर विचार करेंगे। आज इसी सम्बन्ध में सारा इलाहाबाद बन्द पड़ा है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर मंत्री जी का वक्तव्य आ जाय ।

नवजीवन के सम्वाददाता तथा सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

पहले हम विशेषाधिकार के प्रश्न ले लें । आज एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय माधव प्रसाद जी ने दिया है कि अखबारों में यह बात छपी है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बनारस में एक बयान बनारस और फीरोजाबाद के दंगों के बारे में दिया है जिसके बारे में उन्होंने जनसंघ को जिम्मेदार ठहराया है । उन्होंने यह भी लिखा है कि मुख्य मंत्री ने ऐसा नहीं कहा था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अखबार में छपा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रकट किया है कि बनारस और फीरोजाबाद के दंगों में जनसंघ दल का हाथ था । किन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा है । तो मान्यवर, यह तो मेरे साथ अन्याय किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

यहीं मैं भी कह रहा हूं कि उसमें ऐसा छपा है और जनसंघ की तरफ संकेत किया है । मैंने उनके भाषण को पढ़ने की कोशिश की किन्तु मुझे अभी तक वह मिला नहीं । अभी साढ़े दस बजे तो मुझे यह मिला ही है । नवजीवन तो मैंने पढ़ लिया है लेकिन उनका भाषण अभी पूरा नहीं पढ़ा । इसलिये मैं उसे पढ़ कर कल इसमें फैसला दे दूंगा । लेकिन साथ ही मैं चाहूंगा कि नवजीवन के जो सम्पादक हैं वे कृपा करके मुझ से मिल लें कि वे कहां से ये चीज लाये हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैंने नवजीवन नहीं पढ़ा और यह नहीं देखा कि उसमें क्या रिपोर्ट है लेकिन इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि माधव प्रसाद जी खुद स्वीकार करते हैं कि मैंने ऐसा संकेत नहीं किया है क्योंकि कि मेरे दिमाग में भी यह बात नहीं थी। इसलिये यदि कोई इस प्रकार की रिपोर्ट छप गई है तो मैं समझता हूं कि वह भ्रामक रिपोर्ट है और उसके खन्डन के लिये अखबार वालों को दे देना चाहिये। इसमें विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष—

मैंने देखा, आप भी खुद कह रहे हैं कि आपने नहीं कहा और वे भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं कही तो ऐसी हालत में अखबार वालों का स्वयं कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उस भ्रामक रिपोर्ट का एक प्रतिवाद निकालें और क्षमा याचना कर लें।

भूमि-भवन कर के समाप्त किये जाने के संबंध में संक्षिप्त सूचना

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी भी भूमि-भवन कर के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते थे आपने उन्हें रोक दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आने दिया जाय। सब को सन्तोष हो जायगा। वे कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

भूमि-भवन कर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हों, तो कहें।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

हमारे संड जी ने यह कहा कि एक शिष्ट मंडल मुझसे मिलने आया था और हमारे माधव जी ने कह दिया कि एक वक्तव्य मैंने पढ़ा है। शिष्ट मंडल तो जरूर आया था लेकिन वक्तव्य मैंने कहीं कुछ नहीं दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसी खबर छपी है, वक्तव्य वाली बात गलत है।

श्री राम गोपाल संड—

संगठन कांग्रेस, भारतीय क्रान्ति दल, संसोपा, जनसंघ और बहुत से कांग्रेस दल के लोगों ने भी भूमि-भवन कर के विरोध में एक मूक प्रदर्शन किया है और आपका सारा इलाहाबाद बन्द है तो उसके बारे में आप वक्तव्य दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बन्द है तो इसका मुझे दुख है। बन्द नहीं करना चाहिये, सारी दूकानें खोल देनी चाहिये। अब जब आप इलाहाबाद जायं तो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि दूकानें बन्द वगैरह न की जाय और चलने दें। माननीय माधव जी ने यह कह दिया कि मैंने एक आंधी चला दी है करों की। यह ठीक है कि मैंने विकास सम्बन्धी कार्य करने की आंधी चला दी है। विकास का कार्य करना चाहते हैं इसलिये विकास कर लगाने का प्रस्ताव है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक भूमि-भवन कर की बात है वह कभी वापस नहीं लिया गया। 5–6 वर्ष के अन्दर जितनी भी सरकारें आयीं, 2, 3, 4, 5, 6 सबों ने उसको स्थगित रखा। कानून जहां का तहां रहा। किसी गवर्नमेंट ने उस कानून को वापस नहीं लिया। उस समय की सरकारों ने यही कहा कि अभी इसको स्थगित रखा जाय, चालू न किया जाय। इसके फलस्वरूप उससे कई करोड़ रुपये की आय जो सरकार को होती वह रुक गयी। अगर भूमि-भवन कर को नहीं रखना था तो बीच में ही उसको वापस ले लिया गया होता। यह कानून सेक्रेटेरिएट में ऐसे ही पड़ा हुआ था उसको हमने जारी कर दिया है। इसके खिलाफ अगर आपको कुछ कहना हो जब यह विधेयक सदन के सामने आयेगा तो उस समय जो सुझाव आपको देने हों, वे दे देंगे और आवश्यक होगा तो उसमें संशोधन कर देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जहां तक इस कानून के पास करने की बात है, और वापस लेने की बात, मैं है पंडित जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि 4–5 वर्ष तक यह जरूर स्थगित किया गया लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि इसको फिर से लगा दिया जाय। हमें तो वहां रहने का अवसर ही नहीं आया, वरना अगर हमारी सरकार मौजूद रहती तो इस तरह का कानून अवश्य बना देती। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि हमने कानून नहीं बनाया। अगर हमें रुकने का अवसर मिला होता तो हम निश्चित रुप में कानून बना दिये होते लेकिन हमें समय ही नहीं मिला इसलिये हम इसको रिपील नहीं कर सके। मुझे दुख है कि आप कहने के खिलाफ काम कर रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि या तो मुझे भ्रान्ति है या माधव जी को भ्रान्ति है। भ्रान्ति दोनों को हो सकती है। "या देवि सर्वभूतेषु,भ्रान्ति रूपेण संस्थिता"। आपको मालूम होना चाहिये कि एक बार भूमि-भवन कर विधेयक सदन से पास हो चुका, फिर उसे पास करने की आवश्यकता नहीं थी। पास होने के बाद उसे एकाध साल के लिये स्थगित कर दिया गया और उसे चालू नहीं किया गया। इस स्थिति में यह पड़ा रहा। रिपील नहीं किया गया था। आज मैंने उसको जगा दिया है जिसको आपने सुला कर रखा था।

श्री रामगोपाल संड—

जनता की मांग पर उसे स्थगित किया गया था और आप भी जनता के प्रतिनिधि है और आज जनता की मांग है कि इसको स्थगित कर दिया जाय। आप ऐसी घोषणा कर दें कि फिर इसको स्थगित करते हैं।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव जो रखा गया है, मैं चाहता हूं कि उसके लिये एक तारीख निश्चित कर दूं। पहले उसके ऊपर मैं आपकी राय लेकर फिर अपना निर्णय दूंगा। इसके लिये कितना समय आप लोग लेंगे? क्योंकि 4 अगस्त तक यह सब काम खतम होना है। इसलिये कि 14 अगस्त की रात को हम लोगों को बैठना है स्वतंत्रता की 25 वीं वर्षगांठ मनाने के लिये। तो ऐसे मौके पर जब कि आप लोगों की यहां मीटिंग होगी, तो कम से कम गड्ढे वगैरह जो टूटे हुए हैं उनको ठीक कर दिया जाय, यह तय हुआ है। कम से कम जिस रोज आप खुशी मनायेंगे और एकत्र होंगे रात को तो ऐसे वक्त में यह सब रिजुनिवेंट होना चाहिये। तो यह चीज वित्त विभाग की सलाह से तय हुई कि उसमें कुछ भी खर्च पड़

†27 जुलाई, 1972 की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

जाय लेकिन इसको ठीक तरह से तरतीब से बनाया जाना चाहिये। पी०डब्ल्यू०डी० वाले चाहते हैं कि इस हाल को हम उनको 4 तारीख की शाम तक दे दें ताकि इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सके और उस वक्त इसमें आखिर में फ्लैशलाइट भी होगी यह सब चीजें होंगी लेकिन उसके लिये इतना समय बनाने में लगाया जाना जरूरी है। अब इस बीच आपका यह अविश्वास का प्रस्ताव आ गया और इसको उससे पहले ले लेना चाहिये। पहली को इसलिये नहीं ले सकते क्योंकि हमारे जनसंघ के माननीय नेता त्रिपाठी जी ने कहा कि 31 और पहली को उनकी मीटिंग है, इसलिये अब यह 2 तारीख से लिया जावे लेकिन उसके लिये कितना समय दिया जावे यह सुझाव आप यानी सरकारी और विरोधी दलों की दोनों की तरफ से आ जावे। उसके बाद निणय कर लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आप इस सम्बन्ध में हम लोगों की एक बैठक बुला लें तो ठीक रहेगा। यों तो आपका डिस्क्रीशन फाइनल है ही।

श्री अध्यक्ष—

नेताओं की या कार्यमंत्रणा समिति की ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप जिसको उचित समझें बुला लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि नेताओं को बुला लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जिसको आप उचित समझें।

श्री अध्यक्ष—

नेताओं को ही बुलाना ठीक रहेगा क्योंकि नेता लोग हमेशा अपने सेकन्ड को बैठकों में भेजते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस मामले में तो हम अपने मुख्य मंत्री जी को फालो करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि उसमें मुख्य मत्री जी भी आवें और अन्य दलों के नेता लोग भी आवें तो अच्छा रहेगा। उसमें जो समझौता होगा वह ठीक होगा। तो मैं कल बुला लूं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, बैठक होने के बाद ही निर्णय करिये।

श्री अध्यक्ष —

वह तो ठीक है ही, मैं उसके बाद ही निर्णय करूंगा। लेकिन कल शाम को बुला लें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब माननीय मुख्य मंत्री जी को सूट करे वे समय दे सकें।

श्री अध्यक्ष—

(मुख्य मंत्री जी से) क्या आपको कल सुबह 10 बजे सूट करेगा क्योंकि उस समय तो आपको पूजा पाठ करनी होगी उसमें बाधा हो सकती है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

सदन के बाद आज ही बुला लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आज शाम को साढ़े सात बजे तक है, उसके बाद जरा लेट हो जावेगा।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

साढ़े सात के बाद तो ज्यादा लेट नहीं होता, अगर चाय वगैरह का प्रबन्ध हो सके तो कोई बहुत समय नहीं लगेगा। साढ़े सात के बाद कोई ज्यादा लेट भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो आपको आज साढ़े सात बजे के बाद सूट करेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है, आज शाम को ही बैठ जावें।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 (क्रमागत)†

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आज की कार्य-सूची के मद नं० 7 पर जिस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का जिक्र है उस सिलसिले में मुझे निवेदन यह करना है कि आप श्रीमन् इसे कार्यसूची से निकलवा दें क्योंकि यह विधेयक इस सदन की विधायिनी क्षमता से परे है। श्रीमन्, मैंने उस दिन भी कहा था किन्तु उस दिन ऐसा माहौल पैदा हो गया था जिससे आपने उस दिन उस बात पर कोई व्यवस्था नहीं दी। लेकिन आज मैं आपकी निश्चित व्यवस्था चाहता हूं। हमारा कहना यह है कि पहले इसको पेश कर लें और फिर सदन अनुज्ञा दे या न दे, हम इस पर व्यवस्था चाहते हैं कि यह कार्यसूची में ही न आये क्योंकि यह सदन की विधायिनी क्षमता के परे है। आर्टिकल 246 में स्टेट लिस्ट दी गई है उसकी मद नम्बर 2 में आप देखें कि 45 नम्बर पर यह कहा गया है कि भूमि की मालगुजारी जिसका निर्धारण (असेसमेन्ट) और उसकी वसूलयाबी, भूमि अभिलेखों का रखा जाना (मेंटीनेन्स आफ लैंड रिकार्डस) और इसके साथ ही सर्वे जो रेवेन्यू परपज से किया जाय, मालगुजारी के निर्धारण करने के लिये किया जाय। उसके सम्बन्ध में जो राइट्स हैं उसके खत्म करने के लिये या बनाने के लिये अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं ह कि उनके मुताबिक यह अधिकार मिलता हो कि लैंड रेवेन्यू को आधार बना कर अलग से नया कर आरोपित करें। ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार इस सदन में जो उनको अधिकार नहीं है न सरकार को और न सदन की विधायिनी क्षमता के अन्तर्गत आता है कि यह सदन में पेश हो। कोई कह सकता है, जहां यह बात कही गई है उसके आगे 49 पर यह कहा जा सकता है कि टैक्सेज आन लैंड बिल्डिंग्स पर कर लगाने का अधिकार है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि भूमि-भवन कर को लगाना

---

†24 जुलाई, 1972 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

और कृषि भूमि पर मालगुजारी निर्धारण पर टैक्स लगाना यह दूसरी चीज है। जिस भूमि-भवन कर की चर्चा हुई उसकी विधायिनी क्षमता सदन में थी। इसीलिये वह बना हुआ है और लगा हुआ है। लेकिन इसके अलावा यह जो दूसरा कानून ला रहे हैं और अध्यादेश जारी कर दिया है उसको सदन की कार्यसूची में नम्बर 7 पर रख कर पुरःस्थापित करने का अधिकार देने का कोई औचित्य नही है। इसलिये आप कृपा करके इसको निकाल दें और किसानोंके ऊपर जो यह कर लगाने का प्रस्ताव है, जो गला घोंटू विधेयक ला रहे हैं उससे देशकी जनता को बचाने की कृपा करें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने दो तर्क रखना चाहता हूं। एक तो हमारे कल्पनाथ सिंह जी ने जो तर्क रखा है उसके विषय में पहलें मैं दो शब्द कहना चाहता हूं यह बात सही है कि सेकेंड शिड्यूल में जो म ें दी हैं वे प्रदेशीय सरकार को कानून बनाने का आदेश देती हैं लेकिन जमीन से सम्बन्धित कानून बनाने का जो सरकार को अधिकार दिया गया है वह जहां तक मैं समझ सका हूं वह 45 से 49 के अन्दर दिया है। इस संदर्भ में 45–46 ही रेलेवेन्ट हैं। 45 में लैंड रेवेन्यू से सम्बन्धित अधिकार दिया गया है। यदि यह यह कहें कि हम लैंड रेवेन्यू लगा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है और हमारा तर्क कमजोर हो जाता है। अगर हम यह कह दें कि इस बिल के द्वारा जमीन पर वह मालगुजारी फिर से लगाने जा रहे हैं तो बात दूसरी है। लेकिन ऐसा यह नहीं कहते। यह भूमि-विकास कर लगाने जा रहे हैं। इस तरह का प्राविधान 45 में नहीं है।

जब भूमि से सम्बन्धित कर लगाने की शक्ति दी जा रही थी प्रादेशिक सरकार को तो उस वक्त इस संविधान के निर्माताओं ने इस पर भली भांति विचार किया था और 46 का प्राविजन किया था? इसमें उन्होंने कहा था कि 'टैक्स आन एग्रीकलचरल इन्कम' तो लैंड रेवेन्यू के अलावा और दूसरी सूरत कैसे हो सकती है और मालगुजारी के अलावा कैसे यह किसी प्रकार का भार लाद सकते हैं? दूसरा अधिकार 4 में यह दिया कि यह एग्रीकल्चर आय कर लगा सकते हैं। उसमें यह कहीं नहीं आया कि लैंड रेवेन्यू के आधार पर सरकार लेवी लगा सकती है।

मैं थोड़े में माननीय कल्पनाथ सिंह के आर्गुमेन्ट का उत्तर दे दूं। खासतौर से पुरःस्थापन के बारे में मुझे यह कहना है कि आज की परिस्थिति में बड़े दुखी होकर मैंने अभी एक जुमला माननीय मुख्य मन्त्री जी के बारे में यह कहा था कि उन्होंने प्रदेश में करों की आंधी चला दी है। भूमि विकास लेवी और भूमि-भवन कर लगा कर आपने बड़ा अन्याय किया है। भूमि-भवन कर पहले भी था लेकिन एस० वी० डी० सरकार ने पहले उसको समाप्त करने की बात की, वह एस० वी० डी० सरकार के कामन प्रोग्राम में था कि इसको हम हटा देंगे लेकिन वह नहीं हो पाया और फिर बाद में वह किया गया। आपकी नीयत तो हमेशा यह रही कि जो कुछ एस० वी० डी० कर चुकी है उसको खत्म करें लेकिन आपने दो जो एस० वी० डी० के प्रोपोज्ड प्रोग्राम थे उनको ही अपनाया है और आपने इसीलिये यह पुल निगम और शुगर निगम बनाये हैं। जिन भावनाओं को हमने जन्म दिया था अधिकांश आपने उनको ही अपनाया लेकिन आपने भूमि-विकास कर लाकर यहां के किसानों के साथ अन्याय किया है।

यह किसान विरोधी विधेयक है यह मैं पहले ही कह चुका हूं और इस अवसर पर उसे और दोहराना नहीं चाहता था। लेकिन इस वक्त फिर कहने की आवश्यकता इसलिये हुई कि आज जनता का मुख्य मन्त्री जी की किसी बात पर या उन पर भरोसा नहीं रह गया है। जब सन् 1965–66 में माननीय सुचेता जी की सरकार थी और आज के मुख्य मन्त्री जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनके समय में ही कांग्रेस का एक प्रस्ताव मुरादाबाद या मुजफ्फरनगर में पास हुआ था कि सवा 6 एकड़ तक के किसानों पर से लगान हटाया जाय क्योंकि वह एक अनएकनामिक होल्डिंग है। वही प्रश्न जब संविद सरकार के सामने आया तो उस पर उन्होंने शुद्ध हृदय से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार किया और कहा कि हम इसको स्वीकार करते हैं और ऐसी चीज शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित हो जाय। उस वक्त हमारी डा० राजेन्द्र कुमारी जी ने भी यह कहा था कि खरीफ की फसल से ही इनके लगान की माफी का एलान कर दिया जाय। लेकिन आज की परिस्थिति म कौन सा ऐसा अवसर बदल गया कि आप यह करने जा रहे हैं। आज एक भयंकर सूखा प्रदेश के किसान के सामने मुंह बाये खड़ा है और अनावृष्टि के कारण एक अकाल की स्थिति है। इस स्थिति में यदि आप खेती को बचाने के लिये सिंचाई के साधन का विशेष प्रबन्ध करते, आज किसान दुखी है.....

श्री अध्यक्ष—

आप मेरिट्स पर न जायं.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह सब होते हुए भी आज उन्होंने इस कर को लगा दिया और उस दिन भी जब इसके पुरःस्थापन की अनुज्ञा मांगी गई थी तो इसकी अनुज्ञा नहीं मिली थी। मैंने जहां तक समझा है, उनको अनुज्ञा नहीं मिली। ये इस कराहती जनता के ऊपर फिर से कर लगाने की सदन की अनुज्ञा मांगें, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। इसलिये हम 10 मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, जनसंघ दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो वैधानिक प्रश्न उठाया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

जहां तक जमीन पर टैक्स या मालगुजारी लगाने का सवाल है, जैसा कि उन्होंने बताया वह स्टेट लिस्ट की जो अनुसूची 2 है, उसके अंक 45, 46, 47, व 48 पर दिया हुआ है। अंक 45में यह बिल्कुल निश्चित रूप से दिया हुआ है कि लैण्ड रेवेन्यू स्टेट सरकार लगा सकती है और अंक 46 में टैक्स आन एग्रीकल्चरल इन्कम दिया हुआ है, तो या तो मालगुजारी लगाये या एग्रीकल्चर की इन्कम पर वह टैक्स लगाये। लेकिन न तो यह मालगुजारी है और न यह खेती की आमदनी पर टैक्स। अतः यह इन दोनों अंकों में नहीं आता है। इसलिये मेरी भी यही राय है कि यह राज्य सरकार अपने अधिकार के बाहर जाकर इस तरह का कानून बनाना चाहती है जो कि उस कानून के अन्दर नहीं है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, श्री मान् जी वह यह है कि कोई भी टैक्स पूर्वगामी प्रभाव से नहीं लगाया जा सकता है लेकिन इस विधेयक में पूर्वगामी प्रभाव से (1 जुलाई, 1971) से लगाया गया है जो सरकार की शक्ति के बाहर है।

श्री अध्यक्ष—

आप अभी अनुज्ञा तक ही अपना सवाल रखें।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, इस बिल की अनुज्ञा जिस बिल में वे अपने अधिकार के बाहर जाने की बात...

श्री अध्यक्ष—

जब विचार का सवाल आयेगा, तब आप कहियेगा। यह तो ऐसी चीज ऐब इनीशियो कहते हैं। शुरू से ये अधिकार के बाहर जाने की बात कह कर आप डिटेल में जा रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, ये इसे 1 जुलाई, 1971 से कहते हैं कि लगा दिया। कोई टैक्स पूर्वगामी प्रभाव से लगाया जा ही नहीं सकता है। जोत हदबन्दी वाले बिल के सम्बन्ध में इसी डर से भी 12 जुलाई से अध्यादेश निकाल दिया कि तीन महीने में कोई ट्रांस्फर नहीं होगा। जहां तक मेरी सूचना है संविधान में संशोधन करने के बाद ये 24जनवरी, 1972 से लगा सकेंगे, उससे पहले नहीं लगा सकेंगे। जहां तक टैक्सों का सम्बन्ध है कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि टैक्स पूर्वगामी प्रभाव से लगाया जा सकता हो। तो यह साफतौर से सरकार के अधिकार के बाहर है। जिस बिल के रखने की ये अनुज्ञा मांग रहे हैं, वह बिल तो ऐसा है आप देखें, उसमें है क्या चीज। जिस चीज को ये सदन के सामने लाना चाहते हैं, वह उनके अधिकार की सीमा के बाहर है। ये उसको नहीं ला सकते हैं।

जहां तक इसके औचित्य का प्रश्न है यह सदन डिक्लेयर कर चुका है कि जिनके पास सवा छः एकड़ तक के खाते हैं, उनके ऊपर मालगुजारी भी माफ कर दी जायगी। सदन ने यह देखा कि किसान जो पहले से बराबर मालगुजारी देते आ रहे थे, उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे उस मालगुजारी को भी नहीं दे सकते थे, इसलिये उसको माफ कर दिया गया था। तो उस कानून के रहते हुए एक एकड़ से सवा छः एकड़ तक के किसान भी इस लायक हो गये हैं, कि उन पर टैक्स भी लगाया जा सकता है, यह तो बिल्कुल अनुचित है। उस कानून के होते हुए इस तरह का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। या तो उसको कहें मालगुजारी है। मालगुजारी है तो नहीं लगा सकते हैं। टैक्स पूर्वगामी प्रभाव से नहीं लगा सकते हैं। ये सब बातें हैं। इस आधार पर मैं अनुज्ञा देने का विरोध करता हूं।

(श्री विश्वनाथ कपूर के खड़े होकर बोलने के उपक्रम पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। आपके नेता बोल चुके हैं।

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

यदि नेता बोल चुके हों तो क्या दूसरे सदस्य नहीं बोल सकते हैं? मेरा मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह सब बोलते जायेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, अगर सारे सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो आपको इजाजत देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलिये, क्या कहना चाहते हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मैं व्यवस्था की बात उठा रहा हूं कि यह जो विधेयक आया है उसके उद्देश्य तथा कारणों में लिखा है कि—"काफी समय से यह मांग की जाती रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तेजी से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिये और सिंचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेय-जल सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत और विद्युतीकरण के क्षेत्रों पर विस्तार किया जाय। परन्तु शासन के भरसक प्रयत्नों के बावजूद साधनों के अभाव में वांछित प्रगति नहीं हो सकी है। योजना आयोग की सिफारिशों पर उपलब्ध धनराशियां भी हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं रही है। इधर सवा छः एकड़ तक के मालगुजारी के भुगतान के दायित्व से मुक्ति ने और व्यापार वृति आजीविका तथा सेवायोजन कर की समाप्ति के कारण वित्तीय साधनों में और कमी हो गई है। तथापि ग्रामी णक्षेत्रों की विकास योजनाओं को सक्रिय करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भूमि विकास कर आरोपित करना आवश्यक समझा गया।" आपने यह उद्देश्य दिया है।

मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 246 की तरफ आकर्षित करता हूं। उसमें उपधारा 2 में एक शेड्यूल 1 और 2 की लिस्ट है। शिड्यूल 2 में जो लिस्ट है उसके लिये में 45 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

"Land Revenue, including the assessment and collection of revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and records of rights and alienation of revenues."

इस पर्पज के लिये ये सक्षम हैं। लैन्ड रेवेन्यू ले सकते हैं। उसके बाद 46 पर आइये। उसमें है---टैक्सेज आन एग्रीकल्चरल इन्कम। थर्ड है---टैक्सेज आन लेन्ड एन्ड बिल्डिंग्ज। ये जो टैक्स लगा रहे हैं ये भी मान्यवर देख लें। कैसे ये कह रहे हैं। "जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक हो".....

श्री अध्यक्ष---

आप कह क्या रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

आप सुन तो लें।

उसके अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 247-ख की उपधारा (5) के अधीन देय समझे जाने वाले भू-राजस्व का 50 प्रतिशत---आगे है 100 प्रतिशत।

मान्यवर, अभी उधर से उत्तर यह आयेगा कि हम शिड्यूल 7 जो है उसमें 49 में टैक्स लगा रहे हैं। श्रीमन् 49 देख लीजिये। उसमें टैक्सेज आन लैन्ड एन्ड बिल्डिंग्ज है। वह कौन सा हो सकता है यह क्लीअरली दिया हुआ है। उसको देख लें और इसको देख लीजिये। फिर कीजिये आगे। श्रीमन् बसुज कमेन्टरी आन दि कान्स्टीट्यूशन आफ इन्डिया के 247 पेज पर देखें---

"The present entry confers powers on the State Legislature to levy taxes on land and buildings without any terms of legislative manner in which the tax is to be levied."

The following taxes have been held to be covered by the present entry :—

(i) The 'Market Tax' being the licence fee payable for holding a market on municipal land;

(ii) The capital levies on agricultural land;

(iii) The surcharge on particular tax already levied is covered by this entry.

On the other hand while making a liberal interpretation the entries in legislative lists, no artificial meaning can be given to the words contained in an entry. Thus, the power of levy on land or buildings cannot be interpreted to include the powers to tax machinery situated on a land or building even then the machinery was there for the use of the building for particular purpose.

[श्री विश्वनाथ कपूर]

तो श्रीमन्, आप देख लें कि टैक्स जो लगेगा वह केवल टैक्स लगायेंगे लैन्ड की असेस्ड वैल्यू को निकालकर न कि टैक्स के ऊपर टैक्स। रेवेन्यू पर छूट कहते हैं पचास प्रतिशत दी जायेगी। उसको कान्स्टीट्यूशन परमिट नहीं करता है और न ही वह विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। श्रीमन्, और बातें तो छोड़ दीजिये जो माननीय सदस्यों ने कहीं कि मंहगाई बढ़ रही है, कही सूखे और अकाल की भयावह स्थिति है। मैं तो यह कहता हूं कि कोई भी टैक्स रेट्रास्पेक्टिव अफैक्ट से नहीं लगा सकते हैं। आपने यह प्राविजन रक्खा है कि पिछली जो रबी खत्म हुई है उससे लगायेंगे, वह भी अल्ट्रा वायरस होगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहें कि उसको वापिस लें या अनुज्ञा दे दें। मान्यवर, स्वतंत्र भारत के प्रथम पृष्ठ पर भी लिखा है कि टैक्स लगायें या न लगायें या संशोधन कोई आ रहा है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी सदन के सामने इसकी घोषणा पहले कर दें कि हम इसको लगा रहे हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, विरोध पक्ष की ओर से जो तर्क दिया गया है कि यह विधेयक इस सदन की विधायिनी शक्ति के बाहर है श्रीमन् यह एक कानूनी मामला है। मैं कहता हूं कि नैतिक रूप से यह सम्बन्धित है। सदन को आज्ञा नहीं देनी चाहिये इसलिये कि शासक दल जो विधेयक को ला रहा है वह कमिटेड है इस बात के लिये कि उन्होंने सीमा बांध दी है कि जो अलाभकर है। यही नहीं यहां तक भी प्राविधान रक्खा गया है कि हरिजनों को और भूमिहीनों को आवंटित करेंगे वह 31/8 एकड़ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके विकास करने के लिये—उनके लिये जिनको आप 31/8 आवंटित करने जा रहे हैं। उन पर आप टैक्स कैसे लगा रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अखबारों में भी छपा और शासक दल की मीटिंग भी हुई है उसमें भी चर्चा हुयी है। अखबारों में यह छपा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें संशोधन लाना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर संशोधन लाना चाहते हैं तो कृपा करके बता दें ताकि हम लोग इस पक्ष में कि अनुज्ञा दी जाय या न दी जाय विचार करेंगे।

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, जिस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगी गई है और जिस पर श्रीमन् को मतदान कराना है, जहां तक उसके गुण दोष का सवाल है, जब विधेयक इस सदन के समक्ष आयेगा तब इस पर विस्तार से विचार होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह समय उसमें नहीं खर्च करना चाहिये। वैसे श्रीमन्, आज आपने इसे मतदान के लिये रक्खा था लेकिन उसकी आड़ लेकर जो आपत्ति उठाई गई है मैं उससे बचना नहीं चाहता। जो संविधानिक आपत्तियां उठाई गई हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जहां तक माननीय नेगी जी के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं उन्हें यह बता दूं कि हमने इस बात का निर्णय लिया है—जैसा उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री चाहते थे वह ठीक बात है, मुख्य मंत्री चाहते थे और पार्टी की मीटिंग हुई तथा यह निर्णय लिया गया कि 31/8 एकड़ की जो भूमि है उसमें इस कर को नहीं लगाया जायेगा। श्रीमन्, उसका संशोधन दाखिल कर दिया है और वह आपके पास पंहुच जायेगा। तो श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि दो सांविधानिक आपत्तियां इसमें उठाई गई हैं। पहली बात तो यह कही गई कि हम लेन्ड के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं लेकिन लैन्ड के ऊपर जो लगा हुआ लगान है या मालगुजारी है उसको आधार बनाकर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपने 3 1/8 एकड़ बताया या 3 1/2 एकड़ ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन् 3.125 एकड़ ।

तो श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक इस सांविधानिक आपत्ति का सवाल है कहा गया यह है कि हम जमीन के ऊपर मालगुजारी और लगान तो लगा सकते हैं लेकिन जमीन के ऊपर टैक्स, मालगुजारी या लगान को आधार बनाकर नहीं लगा सकते हैं । संविधान में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस संविधान को और उनके अनुच्छेद 245,246 और 249 को पढ़े तो इन्हीं में यह निश्चय पूर्वक दिया हुआ है कि इस प्रकार का टैक्स लगाया जा सकता है ।

श्रीमन् जो आईटम नं0 49 है उसमें यह दिया हुआ है कि टैक्सेज आन लैन्ड एन्ड बिल्डिंग्स उसमें कहीं भी आधार का जिक्र नहीं है । यह माने हुए इन्टरप्रेटेशन का सिद्धांत है कि कानून जिस तरह का बनायेंगे उन्हीं शब्दों का इन्टरप्रेटेशन बनेगा ।

माननीय कपूर साहब ने जो बताया उसमें कमेन्टरी पढ़कर सुनाई उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम इसको आधार नहीं बना सकते । मैं तो यह समझा कि ये कोई पुरानी नजीर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हाईकोर्ट ने शायद ऐसा निर्णय ले लिया हो । दूसरी बात उन्होंने यह कहा है कि हम मालगुजारी को आधार नहीं बना सकते । हमारा यह कहना है कि हमने मालगुजारी को आधार बनाया ही नही है, लेकिन हमको आपके सामने वह धनराशि बतानी है जो हम टैक्स के रूप में लाना चाहते हैं और वह धनराशि क्या है, उसका हिसाब हमने आपको दे दिया है कि इस हिसाब से करना चाहते हैं । उसका आधार हमने यह लिया है कि विकास करने की आवश्यकता है, जमीन पर टैक्स लगा हुआ है, यह हमारा आधार है, 3 1/8 एकड़ पर टैक्स नहीं लगा रहे, यह हमारा आधार है ।

यह कहना कि मालगुजारी को हमने आधार बनाया है, गलत है । लेकिन ऐसा करने में मालगुजारी एक आसान तरीका जरूर है । यदि हम उसको आधार भी बनाते हैं, तो इस कानून में इन सब बातों पर मनाही नहीं है । लैन्ड के ऊपर टैक्स लगायें, यह उसमें लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स लगाये, यह भी उसमें दिया हुआ है और अगर आप इनको जोड़ दीजिये तो निश्चित रूप से टैक्स लगा सकते हैं और इनमें से किसी को भी आधार बना सकते हैं । मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि 45,46 और 49 जिसका जिक्र किया गया है, उसमें यह निश्चित रूप से दिया हुआ है कि हम टैक्स लगा सकते हैं, कहीं भी मुमानियत नहीं है । अगर विधायनी शक्ति संसद में है तो उसमें कहीं यह दिया होता कि यह यह है और जब कभी स्टेट कोई कानून बनाये तो संसद से परमीशन लेना होगा । रेजीडुअरी पावर्स दूसरी बात होती है और वे दूसरी जगहों पर देखी जाती हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो संवैधानिक आपत्ति उठाई गई है वह निरर्थक है और कही कोई मुमानियत नहीं है । मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कृपया इसकी अनुज्ञा देने की कृपा करें ?

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्री कल्पनाथ सिंह जी ने भूमि विकास विधेयक के सम्बन्ध में जो संवैधानिक प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं । मान्यवर, इस सरकार को उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो शिड्यूल की दूसरी लिस्ट में दिया हुआ है । उसमें अगर आप देखें, मैं शर्माजी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वह एक अच्छे वकील भी हैं, जहां पर कृषि भूमि पर कर लगने का सवाल है, उसके पहले यह जोड़ दिया गया है "एग्रीकल्चरल लैन्ड" लेकिन जहां कृषि भूमि नहीं है वहां लैन्ड एन्ड बिल्डिंग्स लिख दिया गया है । इसलिये जो आइटम 49

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

है वह इस कर को कवर नहीं करता। आप अकेले उसको ही नहीं, 45 देख लें, 46 देख लें, 47 देख लें, 48 भी देख लें, और उसके बाद 49 से मुकाबला करें इस से साफ हो जाता है कि जहां पर एग्रीकल्चरल टैक्स है वहां पर हमेशा लिख दिया जाता है, क्वालीफाई कर दिया गया है एक विशेषण जोड़कर "एग्रीकल्चरल लैन्ड" और जहां इस तरह की बात नहीं है वहां पर "भूमि और भवन" लिख दिया गया है शुद्ध रूप से ।

दूसरी बात यह है कि इस माननीय सदन ने सर्वसम्मति से 6 1/4 एकड़ तक लगान माफ करने का फैसला लिया था और कानून भी उसके मुताबिक बन गया है तो इस सदन के फैसले के रहते हुये जब तक उस फैसले को हटा नही दिया जाता, प्रस्ताव करके या कानून को रिपील करके, कोई दूसरा कानून आप नहीं ला सकते हैं--मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं । वह कानून हुआ है, मान्यवर, उसमें इस सदन का, (उस समय आप विरोधी दल के रूप में थे) आपका भी समर्थन था। तो यह नहीं कहा जा सकता कि किसी दल विशेष का कानून था, बल्कि वह तो पूरे सदन के समर्थन से हुआ था, अनुसमर्थन हुआ था, सर्व-सम्मति से पास हुआ था, तब जाकर वह पास हो पाया था । तो वह कानून अपनी जगह पर कायम है । जब तक उस कानून को हटा न दिया जाय, इसके विरुद्ध, उसकी आत्मा के विरुद्ध कोई कानून नहीं लाया जा सकता है, यह एक व्यवस्था का प्रश्न जुड़ा हुआ है ।

आप 3 1/8 एकड़ का नाम लेकर उसको नहीं कर सकते हैं । मुख्य मंत्री जी याद करेंगे, जब वे कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट थे । उन्होंने अध्यक्ष पद से सवा छः एकड़ जमीन पर लगान माफ करने का फैसला ले लिया था । जब आप विरोधी दल में बैठे थे, तब क्रान्तिकारी थे और आज कुर्सी पर बैठते ही उसके खिलाफ काम कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि किसान के समर्थन के कारण ही शायद आपको वह कुर्सी मिली है । तो आपको उस सिद्धांत को याद रखना चाहिये जिसके लिये कि कांग्रेस के दो टुकड़े हुये । गुप्ता जी एक तरफ और आप दूसरी तरफ यह ठीक नही है कि जब गद्दी मिल गयी, तो उससे मुकर जायं । तो सवा छे एकड़ का फैसला अभी कायम है । इसके रहते हुये यह कानून लाया नहीं जा सकता । मेरी, श्रीमन्, केवल दो बातें हैं। एक तो कानून अभी कायम है और दूसरी बात यह है कि जब तक वह पुराना फैसला रिपील न किया जाय, तब तक इसको लाया नही जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं अपना फैसला देना चाहता हूं ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मेरी भी बात सुन लें मान्यवर । केवल 2 मिनट लूंगा । मेरा यह निवेदन है कि प्रकृति का प्रकोप आपके सामने है । सब चाहते हैं कि अपना प्रान्त विकास करे और अच्छा काम हो । लेकिन उसके साथ-साथ आपको प्रकृति के प्रकोप को भी देखना होगा । मान्यवर, यह प्रान्त अकाल के कगार पर है । प्रदेश के किसानों की हालत पहले से ही बड़ी खराब हो चुकी है और उस पर आप टैक्स की बात सोच रहे हैं । तो जायसवाल जी ने सही बात कही कि पहले आपने सवा-छे एकड़ तक लगान माफी का समर्थन किया और उधर कुर्सी मिलते ही किसानों के विरुद्ध काम करने लगे । मेरा निवेदन है कि एक सिद्धांत आपने अख्त्यार किया कि अलाभकर जोतों पर लगान नहीं लेना चाहिये तो फिर उन सवा-छे एकड़ वाले किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की क्या जरूरत है ? इस समय सारे किसानों की हालत बड़ी दयनीय है । गन्ने की फसल पिछले साल अच्छी नहीं हुई । लोहे, सीमेन्ट तथा अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं । फिर किसान पर टैक्स लगाने की बात सोच रहे हैं । यह गैर-मुनासिब बात है । मैं इस बात का ऐलान पहले से ही किये देता हूं और पुलिस मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को आगाह किये देता हूं कि अगर सरकार ने यह टैक्स लगाया तो हम बगावत करेंगे और इस टैक्स को वसूल नहीं होने देंगे । कम से कम हाटा क्षेत्र में तो इसे बिल्कुल नही वसूल होने देंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ही यह फैसला ले लिया है और आदेश भेजे जा चुके हैं कि जब तक दूसरा आदेश नहीं जाता है तब तक के लिये राजस्व विभाग से जितने भी देय वसूल किये जाते हैं वह सब मुल्तवी रहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल—

यह गलत बात है. . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह सारी झूठ बात है ।

श्री अध्यक्ष—

इससे इसका सम्बन्ध नहीं है । इस वक्त प्रश्न यह है कि संवैधानिक आपति उठायी गई है . . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार के सारे झूठ की कड़ी में यह भी एक झूठ है. . .

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में पहले भी यह फैसला हो चुका है —

"जहां तक अध्यक्ष का सम्बन्ध है मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब यह बात कानूनी दृष्टि से स्पष्ट न हो कि कौनसा विधेयक इस सदन के सामने लाया जा सकता है या नही या कानून के सम्बन्ध में मतभेद हो तो मैं अध्यक्ष का यह कर्तव्य समझता हूं कि इस माननीय सदन का जो अधिकार है उसका समर्थन करे"। यानी जो इसका अधिकार है उसके पक्ष में रहे । वह कानूनी तौर पर फैसला नहीं दे सकता क्योंकि आपके यहां सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वह आखिरी फैसला देगा कि यह आप कर सकते हैं या नहीं । तो ऐसी स्थिति में एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाकर, उस पर मैं फैसला दे दूं कि यह जो कानून आप बनाना चाहते हैं वह अवैध है तो इसका मतलब है कि संविधान की जो शक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला देने की शक्ति है, उसको मैं युजर्प कर लेता हूं । हमको सदन की पावर्स को कभी सीमित नहीं करना चाहिये । यह मौका रहना चाहिये कि सदन जो कानून पास करे उसको कोर्ट में ले जाया जा सके और वहां फैसला हो सके । लेकिन आफ हैन्ड तरीके से इस तरह की आपत्ति पर हमें फैसला नहीं देना चाहिये । पहले भी एक फैसला हो चुका है. . .

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अगर अल्ट्रा वाइरस हो जाता है. . .

श्री अध्यक्ष—

यह सेन्ट्रल एसेम्बली का है—

"A question relating to the legislative competence of the Assembly which may often involve much difficulty and complexity should not be summarily settled by the Chair on a point of order. In fact, the Federal Court has been established for the very purpose of dealing with these questions and the Chair has really not the facilities or the time and the material on which to come to a satisfactory conclusion on a point of this character so as to be able to hold finally whether the Assembly should or should not consider the particular legislative proposal."

[श्री अध्यक्ष]

तो मैं समझता हूं मैं इस बात का फैसला देने वाला नहीं हूं। यह फैसला सदन देगा कि वह अनुज्ञा देता है या नहीं, लेकिन यह कहना कि अवैध है या वैध है, मेरा काम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन को पूरा अधिकार है, चाहे वैध हो या अवैध हो, सदन को उसको पास करने का पूरा अधिकार है। अगर अवैध है तो आगे जाकर उसका कोर्ट में फैसला हो जायेगा। यह मेरा फैसला है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर...

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मान लीजिये कि कोई कानून अवैध है, तो क्या उस पर भी सदन से अधिनियम बनाया जा सकता है। वैध या अवैध के संबंध में निष्पक्ष फैसला तो आपका ही होना चाहिये। यह मेरी राय है।

श्री अध्यक्षअ—

मेरा कहना है कि सदन को यह अधिकार है कि वह ....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस प्वाइन्ट पर कि कोई पर्टीकुलर कानून वैध है या अवैध है, इसका निर्णय आप देंगे इसके लिये मतदान नहीं हो सकता है जबकि यह कानून प्राग्दर्शन में ही ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन को कानून पास करने का अधिकार है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इस पर मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन जो प्राग्दर्शन में लगे कि यह अवैध कानून है तो उस पर बहस कराने से क्या फायदा होगा? इसी कारण मैंने इस पर शुरू में आपत्ति की है।

श्री अध्यक्ष—

आपने कुछ पास किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप समरी डेसिजन क्यों ले रहे हैं? आप दो चार दिन गौर कर लीजिये और निर्णय दे दीजिये कि यह वैध है या अवैध कानून है। उसके बाद आप जो निर्णय देंगे वह ठीक होगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है अगर यह उस पर कानून बनाना चाहें तो क्या आप उसकी इजाजत दे देंगे कि हाउस उस को पास कर दे?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह नहीं कहूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने यह कह दिया कि सदन को अधिकार है कि वैध या अवैध जो चाहे पास करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कहता हूं कि आप कानून पर कहते हैं कि वह अवैध है और वह भी कानून पर कहते हैं कि वह वैध है । ऐसे मौके पर.....

श्री बंशीधर पांडेय—

इस पर आप तय करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह आइटम 49 का सहारा ले रहे हैं । आप 45 से 48 तक गौर करें । जहां एग्रीकल्चर टैक्स लगाने का अधिकार है वहां यह विशेषण नहीं है कि लैंड अदर दैन एग्रीकल्करल लैंड हो ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने फैसला दे दिया है । अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उदितनारायण शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, म आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 को पुनः पुरःस्थापित करता हूं ।

(विधेयक के लिये देखिये दिनाक 24 जुलाई 1972 की कार्यवाही में नत्थी 'झ'—पृष्ट 1304 —1308 तक ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह काला कानून वापस हो । यह काला कानून वापस हो ।

(कांग्रेस संगठन और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य खड़े हो गये और व्यवधान करने लगे ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह काला कानून वापस हो, वापस हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह काला कानून वापस हो, वापस हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं 10 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित हुई और 1 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई,)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली है माननीय रामबिलास पान्डेय, मा0 सुरेन्द्र विक्रम और मा0 चन्द्र मोहन सिंह नेगी की "प्रदेश के सहकारिता विभाग में करोड़ों रुपये का गबन तथा विभाग दिवालियेपन की कगार में" इस पर अल्प सूचित प्रश्न लिया जाय ।

श्री अवन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह बाद में कीजियेगा । अभी कुछ सूचनाएं देनी है ।

दूसरा माननीय हरिवंश सहाय का है "देवरिया जिला अकाल की चपेट में"। अकाल पर आगे बहस होने जा रही है। उस समय अपने विचार रख लें। 4 तारीख को 5 बजे से 7 बजे तक अकाल की स्थिति पर चर्चा होगी ।

तीसरा है मा0 बलबीर सिंह और मा0 त्रिलोक चन्द्र ने प्रदेश में खाद्यान्नों के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी के संबंध में दिया है ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

मैं थोडा सा निवेदन करना चाहता हूं। मैं अभी दो दिन के लिए मेरठ गया था तो मुझे अचम्भा हुआ कि हर चीज की कीमत दुगुनी और तिगुनी हो रही है। चीनी 4 रुपये से कम नहीं मिल पा रही है। दालों के दाम साढ़े तीन रुपये हो गये। गेहूं 100 रुपये क्विंटल से ज्यादा हो गया है। गरीब आदमी की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। इसलिये इस पर फौरन विचार करें। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो गरीब जनता की हालत तो गिर ही रही है वह शान्ति-व्यवस्था का भी सवाल पैदा हो जायेगा। क्योंकि जब लोगों में परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी.....

श्री उपाध्यक्ष--

जब नेताओं से बात करेंगे तो देखा जायगा और फिर अविश्वास का प्रस्ताव आ...

श्री बलबीर सिंह--

लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव एक ऐसी बड़ी चीज होगी कि अगर 15 मिनट का समय आपने दे दिया....

श्री उपाध्यक्ष--

जो पुराने आपके हैं 56-51 की सूचनाएं हैं वह संभव नहीं है कि अविश्वास के प्रस्ताव के पहले उस पर विचार हो सके। उसके उपरान्त ही अवसर मिल पायेगा। तो अविश्वास के प्रस्ताव के समय यदि आपको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पायेगा तभी...

श्री बलबीर सिंह----

वह तो ऐसी स्थिति हो जायेगी कि सांप ने आज काट खाया, दवा तत्काल चाहिये और आप कहेंगे कि एक हफ्ते में दवा आने वाली है तब इलाज कर दिया जाय। मैंने तो काम रोको प्रस्ताव इसीलिये दिया था कि तत्काल उस पर विचार किया जाय। वरना आप इसको 52-51 में ही ले लीजिये 7-8 बजे ले लें। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मुख्य मंत्री जी का ध्यान इधर नहीं है। आप इस दृष्टि से इस कार्य को देखें....

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष जी ने अस्वीकार कर दिया वही सूचना मैंने दे दी है। अविश्वास के प्रस्ताव के समय, जिस तारीख को वह हो उस दिन जबकि सदन में सरकार की नीति का स्पष्टीकरण होगा या करवाया जायेगा उस समय उनको अवसर मिलेगा। उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो उसके अनुसार करेंगे।

श्री बलबीर सिंह—

सरकार की नीति की आलोचना ही काम रोको प्रस्ताव का मतलब नहीं है बल्कि जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसके लिये सरकार कोई फौरी कदम उठाए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब अध्यक्ष जी ने इसे किया है वही मैंने सुना दिया।

मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों में संशोधन

वित्त राज्य, मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 'मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य-विधि के नियम के नियम 1 के खंड (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों की सूची के अन्त में निम्नलिखित नयी प्रविष्टि ब ढ़ा दी जाय, अर्थात्:

26 बिक्री-कर 20,5 मुझे खेद है कि 20 के स्थान पर 16 और 5 के स्थान पर 4 छप गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

जब से मैं आया तब से क्या व्यवस्था की बात है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पुराना तो चल ही रहा था जिस पर व्यवधान हुआ। उसके बाद आप भेजे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

16 और 4 तो सभी में हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

पहले व्यवस्था का प्रश्न सुनिये जिस पर यह सदन स्थगित हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—

विधान सभा द्वारा 16 और विधान परिषद् द्वारा 4 का प्राविधान है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं व्यवस्था का प्रश्नः.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी व्यवस्था का प्रश्न उठता नहीं है । 16 इसमें लिखा हुआ है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपको ज्ञात होगा कि अभी अव्यवस्था हो गयी थी सदन में ।

श्री उपाध्यक्ष—

16 और 4 ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, उस प्रश्न को ले लें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, वह सुनें पहले ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके सामने तो यह मामला है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसके पहले एक मामला लम्बित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी हम लम्बित मामला नहीं ले रहे हैं, प्रस्तुत मामला ले रहे हैं । अगर वह लम्बित मामला है तो उस पर आपको अधीर नहीं होना चाहिये । अब जो मामला सामने है वह तो दूसरा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

फिर यह दलील दी जायगी कि अब तो हम आगे बढ़ गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो आगे बढ़ गये, आप जानते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अभी कुछ बढ़े नहीं हैं । अभी तो शुरुआत हो रही है बढ़ने की ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं । लम्बित मामला लम्बित रहेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह जो 26 वीं कमेटी बनायी जा रही है तो जो पहले से 25 स्थायी समितियां हैं वह बिल्कुल बेकार हैं । कोई मन्त्री साल में एक बार भी उन कमेटियों की बैठक नहीं बुलाता, मैं तो एक पार्टी का चीफ व्हिप हूं । सभी चीफ व्हिप्स जानते हैं, जो बड़ी कमेटियों की मीटिंग्स

होती हैं तो मेम्बर्स लड़ने लगते हैं कि हम इसमें जायेंगे, उसमें जायेंगे। या तो इन कमेटियों को समाप्त कर दिया जाय या सारी समितियों का प्रबन्ध ऐसा कर दें कि मन्त्री लोग उसके अध्यक्ष न रहें क्योंकि वे कभी मीटिंग बुलाते नहीं हैं। कोई कोई तो कमेटी ऐसी है कि कभी उसकी मीटिंग बुलायी ही नहीं गयी। जो मेम्बर उसमें पड़ जाते हैं वे हमें कोसते हैं कि ऐसी कमेटी में हमें भेज दिया जिसकी कभी मीटिंग ही नहीं होती। हम इसके लिये तैयार हो जायेंगे कि समिति का अध्यक्ष कोई कांग्रेस पक्ष का ही रहे, लेकिन वह नान आफिशियल रहे। पहले तो ऐसा होता भी था कि साल में 4 मीटिंग जरूर होती थीं, मगर अब तो साल साल भर हो जाता है कोई मीटिंग नहीं होती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय संसदीय कार्यमन्त्री इस संकल्प को प्रस्तुत ही न करें। अगर वे चाहते हैं कि उनको परामर्श देने के लिये कोई समिति बने तो उसका चेयरमैन फिर नान आफिशियल रखा जाय। और फिर जिस तरह से और समितियां जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य समितियां अपना प्रतिवेदन, प्रस्तुत करती हैं, यह समितियां भी अपना प्रतिवेदन मन्त्री जी को दिया करें। ऐसे करें तब तो कुछ इनसे फायदा हो सकता है, वरना बेकार है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं भी इस संकल्प का विरोध करना चाहता हूं। पांडेय जी ने कहा कि उसका चेयरमैन नान आफिशियल हो, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह बिक्री-कर से संबंधित जो कमेटी है यह बहुत से सुझाव दे सकती है। आज करोड़ों रुपया आपको बिक्री-कर से प्राप्त होता है और करोड़ों रुपया कर का बकाया है। कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। उनकी समस्याओं पर विचार नहीं हो रहा है। आठ कर्मचारी उन्नाव में और 2 इलाहाबाद में निकाल दिये गये। इसलिये मैं पाण्डेय जी के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि इन समितियों का चैयरमैन नान आफिशियल हुआ करे ताकि तमाम समस्याओं पर विचार कर समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को दिया करे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

जब कमेटियों की मीटिंग बुलायी नहीं जायेगी तो खाली कमेटी बनाने से और मेम्बरों को जेवर पहनाने से कि तुम फलां कमेटी के मेम्बर हो गये उससे क्या फायदा है? उसके मेम्बर होकर जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उसे न बनाइये, या फिर उन समितियों को उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने नियंत्रण में ले लीजिये...

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो प्रशासन वाली समितियां हैं, वह अलग हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह भी अध्यक्ष के मातहत होनी चाहिये। उधर के लोग भी यही चाहते हैं। अपने चहीतों को तो यह अच्छी-अच्छी कमेटी में भेज देते हैं, दूसरों को इसमें रख देते हैं। हमें बतायें मन्त्री जी हम क्या करें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मैं संसदीय कार्य मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उचित समझा कि बिक्री-कर के लिये भी एक परामर्शदात्री समिति बने। किन्तु विचारणीय बात यह है कि आखिर इन कमेटियों को बनाने की सार्थकता क्या है। यह मन्त्रियों के ऊपर होता है कि वह चाह कमेटी साल भर में बुलाए न बुलाएं। चाहे कोई नैनीताल में बुलाए, चाहे बम्बई में बुलाए और चाहे तो न बुलाए। मेरा ये विचार है कि इन कमेटियों को वर्ष में कई बार बुलाना चाहिये, इनकी सलाहों पर मन्त्री जी कहां तक गौर करेंगे आदि तमाम बातें ऐसी हैं जिनका

[श्री रामधारी शास्त्री]

निर्धारण हो जाना चाहिये । इसके लिये आपको सभी दलों के नेताओं को बुला कर बदली हुई स्थिति में सोचना चाहिये कि इनका कर्तव्य क्या होगा और इनकी आवश्यकता है या नहीं ? यदि इनकी आवश्यकता है तो नये सिरे से विचार करके इनका गठन होना चाहिये । इसको मन्त्री जी मान सकें तो अच्छा है कि इनका अध्यक्ष मन्त्री न हुआ करे, बल्कि विरोधी दलों का कोई सदस्य होना चाहिये । यह बात मेरी नहीं वह मानते हैं तो उन्हीं के दलों का हो, किन्तु जो मन्त्री हैं, वह नहीं होना चाहिये । तो मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करने के बाद इनका गठन होना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) ---

बंशीधर पांडेय जी नेजो कुछ कहा है, उससे मैं सहमत हूं । कमेटियों के बारे में मेरी राय है कि इनका काम है कि किसी न किसी प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण हो, जो मन्त्रीगण आश्वासन समय-समय पर देते हैं, उसकी पूर्ति हो । लेकिन जिस उद्देश्य से ये बनाई गई हैं उसकी पूर्ति वास्तव में होती नहीं है । यहां तक हो गया है कि ये कमेटियां अगर अधिकारियों को कुछ लिखकर भेजती हैं कि इन मामलों में सूचना भेज दें, तो वे सम्बन्धित सूचना काफी काफी समय तक भेजते नहीं हैं । ३-३, ४-४ स्मृति-पत्र देने पर भी नहीं भेजते हैं, कहने का मतलब यह है कि वे कमेटियों की कोई परवाह नहीं करते हैं । प्रशासन के अधिकारी इनकी अवहेलना और निरादर करते हैं और मन्त्रियों की स्थिति यह है कि कभी भी किसी कमेटी की सिफारिशों पर यहां विचार न किया जाए । आपने देखा, आश्वासन, पी० ए० सी० और एस्टीमेट कमेटियों की रिपोर्टों पर यहां चर्चा नहीं हो पाई है, उसके लिये समय नहीं रखा जाता है ।

दूसरी बात जैसा माननीय सदस्य ने कहा बहुत सी कमेटियां ऐसी हैं जो बुलाई नहीं जातीं, जिसके मन्त्री जी अध्यक्ष होते हैं । मैं मन्त्री जी की भी असमर्थता को समझता हूं । वे बुलाते नहीं हैं, यदि बुलाते हैं तो समय पर पहुंच नहीं पाते हैं । इसलिये यह आवश्यक और उचित मालूम पड़ता है कि गैर मन्त्री उसके अध्यक्ष हों । मैं इससे भी सहमत हूं कि आपकी अध्यक्षता में विभिन्न दलों के नेतागण बैठ जाएं और इस पर पुनर्विचार करें । मुख्य मन्त्री जी इस बात पर राजी हों तो इन समितियों को भंग कर दिया जाए, यदि वह समझें कि इनका कोई अर्थ नहीं है । भिन्न-भिन्न कमेटियों में जो भेदभाव है, वह भी समाप्त होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं नियमों की स्थिति बता देना चाहता हूं:-

"स्थायी समितियों का काम परामर्श देना होगा और उनकी कार्यवाहियां पूर्णरूप से गोपनीय होंगी । समिति की किसी भी बैठक में समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने की आज्ञा नहीं दी जायगी ।"

"सचिव स्थायी समिति की बैठक साधारणतः वर्ष में कम से कम दो बार और यदि हो सके तो तीन बार ऐसी तिथियों पर बुलायेगा जिन्हें सम्बन्धित मन्त्री निर्धारित करे । बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृति पत्र के साथ परिचालित करेगा जिसमें स्पष्टतया बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें सम्बन्धित मन्त्री प्रस्तुत करने का आदेश दें---आदि आदि स्थायी समितियों के काम हैं । यह भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं । ताकि आपको स्मरण हो जाए ।

(क) ऐसे सब असरकारी विधेयक व प्रस्ताव जो विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जायं या जिनको प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो, और ऐसे विधान सम्बन्धी प्रस्ताव (लेजिस्लेटिव प्रोपोजल) जिन पर सम्बन्धित विभाग कार्यवाही करना चाहे ।

(ख) समितियों और कमीशनों के प्रतिवेदन (जिनमें वैभागिक समितियों के अप्रकाशित प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं हैं)

(ग) सामान्य नीति सम्बन्धी बड़े प्रश्न तथा बड़ी योजनायें जिन पर सम्बन्धित मन्त्री समिति का परामर्श लेना चाहे।

(घ) वार्षिक प्रतिवेदन।

(ङ) सम्बन्धित मन्त्री की अनुमति से सार्वजनिक महत्व का कोई भी विषय जो समिति के कार्य-क्षेत्र में हो और जो समिति का कोई भी सदस्य विचार के लिये प्रस्तुत करे : किन्तु प्रतिबन्ध यह है—

(1) अत्यन्त आवश्यकता की दशा में सम्बन्धित मन्त्री को अधिकार होगा कि वह समिति का परामर्श न ले,

(2) नीचे लिखे हुए विषय समिति के कार्य क्षेत्र में न होंगे:—

(1) अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तिगत विषय जिनका सम्बन्ध नियुक्तियों, स्थान नियुक्तियों, स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन से हो ;

(2) ऐसे सब विषय जिनको सम्बन्धित मन्त्री जनहित के विचार से समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित समझे। तो समिति की आवश्यकता तो है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जितना समय आपने पढ़ने में लगाया है उतना यह मीटिंग में नहीं लगाते।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने जो इस सदन द्वारा समितियां बनी हैं स्थायी, उनकी कार्यविधि के सम्बन्ध में नियम स्वतः पढ़ दिया। मैं सम्मानित उपनेता सोशलिस्ट पार्टी का आभारी हूं, उन्होंने जो बिक्री-कर का महत्व राजस्व में था उसके अन्तर्गत सदन के सम्मानित सदस्यों का सरकार द्वारा अभिमत प्राप्त करने की बात को ग्राह्य समझा। इसका विरोधी किसी ने इस मानी में नहीं किया कि बिक्री करके मामले में कोई सलाह सरकार को नहीं मिलनी चाहिये। यह हो सकता है कि कभी किसी समिति की बैठकें जितनी होनी चाहिये, जितनी संख्या में उतनी न हुई हों लेकिन इस बात का पिछले वर्ष से सरकार का प्रयास रहा है कि कमेटियों की बैठकें नियमानुसार हों।

श्री बंशीधर पांडेय—

1966 के पहले देख लीजिये, इनका प्रयास क्या रहा है। मैं बिक्री कर समिति के विरोध की बात नहीं कह रहा हूं। सारी स्थायी समितियां जो पुरानी रही हैं, उनको देखें। या तो कमेटियों को बन्द कर दें। बिल्कुल उनके सामने कोई कार्यक्रम नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

स्थायी समितियां आज नयी चीज नहीं हैं। वर्षों से जब से यहां यह सदन स्थापित हुआ है, तब से स्थायी समितियों का प्राविधान रहा है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इसकी नियमानुसार अधिक से अधिक बैठकें हों। दो बार कम से कम लिखा है, दो से अधिक बैठकें हों। नियमानुसार पूरी बैठकों को जायगी कि कमेटी की बैठक कम से कम दो बार हो या जैसा नियम में हो। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि बिक्री कर स्थायी समिति के सम्बन्ध में सम्मानित सदस्य संकल्प को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 'मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य-विधि के नियम' के नियम 1 के खंड (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों की सूची के अन्त में निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्:

26 बिक्री-कर 16 4

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972†

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय यह विधेयक लाने का श्रीमन्, अभिप्राय केवल यह था कि यू० पी० टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, 1947 जिसकी अवधि 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त हो रही है सरकारी कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिये एलाटमेन्ट द्वारा वास स्थान उपलब्ध आज भी कराना मुश्किल हो गया है और इसी तरह जो विधेयक भारत सरकार का था उसको स्थायित्व प्रदान कर दिया । इसकी अवधि समाप्त हो रही थी और हमको आवश्यकता हुई कि हम इसको एक स्थायी शक्ल दें और इस तरह का विधेयक पारित करदें । यह एक बड़ा ही इन्नोसेन्ट बिल है ।

कभी-कभी ऐसी आवश्यकतायें पड़ जाती हैं जैसे रिफ्यूजीज के आने की बात, किसी दफ्तर को बढ़ाने की बात या किन्हीं अन्य कारणों से आवास की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है । इस विधेयक के पारित करने से आप अपनी सरकार को एक ऐसा अधिकार देंगे जिससे हम जनहित में किसी स्थान का अधिग्रहण कर सकें और काम चलाने के लिये कार्यवाही कर सकें । इस विधेयक में खास-खास परिवर्तन ये किये गये हैं ।

सन् 1947 में जो टेम्पोरेरी विधेयक आपके सामने था उसमें इसका नाम यूनाइटेड प्राविन्सेज टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, 1947 था । अब इसका नाम उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 हो गया है । धारा 3 के अन्तर्गत दाऊद अहमद वर्सेज स्टेट के केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जिस व्यक्ति का वास अधिग्रहीत किया जा रहा है उसे भी स्पष्टीकरण देने के लिये पर्याप्त समय मिलना चाहिये । इसलिये इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि जिला मैजिस्ट्रेट किसी वास स्थान को अधिग्रहीत करने के पूर्व उस पर अध्यासित व्यक्ति को मौका देगा और 15 दिन का समय कारण बतलाने के लिये देगा कि क्यों न उसका वास स्थान अधिग्रहीत किया जाय । इस प्रकार वह अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा ।

इसके अलावा सेक्शन 15 था उसमें यह किया गया है कि कम्पनीज द्वारा कोई अनियमितता हो तो उसे दुरुस्त करने के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सेक्शन 15 के अन्तर्गत इसमें अधिकार दिया गया है और सेक्शन 15 के आगे 15 (क) जोड़ने की बात कही गयी है । इसके अलावा सेक्शन 17 में दो उपखण्ड जोड़े गये हैं जिनके अन्तर्गत नियम बनाने की बात है और यह प्राविधान पहले ऐक्ट में नहीं था । इस प्रकार यह एक आवश्यक तथा निरापद बिल है और सदन से मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकृति प्रदान करे ताकि सरकार को आवश्यकता पड़ने पर भू-स्थल अधिग्रहीत करने में सुविधा मिल सके ।

---

†24 जुलाई, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

विधान सभा पुस्तकालय में सफाई की प्रार्थना

श्री राम बिलास (जिला आजमगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। पुस्तकालय के मसले को आपके सामने रखना चाहता था और कई बार यह मसला आपके सामने आया। मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। आपके पहले अध्यक्ष जी ने यह कहा कि 14-15 को 12 बजे रात्रि को हम लोग यहां बैठेंगे। इसलिये 4 को सेशन समाप्त हो जायगा और इस भवन की सजावट हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे बाद में आप उठाइये। इसके लिये आपको समय मिलेगा।

श्री राम बिलास पांडेय—

अध्यक्ष जी ने कहा कि 4 से असेम्बली बन्द कर दी जायगी और 14 तथा 15 को यहां रोशनी होगी। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह आपका पुनीत कर्तव्य है....

श्री उपाध्यक्ष—

ध्यान आकर्षित करने के लिये अगर आपको प्रस्ताव लाना है तो विधिवत लाइये। नियम और समय का तो खयाल रखिये।

श्री राम बिलास पांडेय—

बिजली, पंखे पुस्तकालय में लगवा दें। वहां पर सफाई तक नहीं है, बहुत गंदगी है। पुताई करवा दें और 15 अगस्त तक वहां भी सफाई करवा दें।

उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्रमागत)

*श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने कहा कि इसकी परिधि बढ़ा दी जाय। यह सरकार कितनी जल्दबाजी में काम करती है और किस प्रकार से न्यायालयों से इसके द्वारा बनाये गये बिल इसलिये नामंजूर होते हैं कि इनको प्रवर समिति के सामने नहीं जाने दिया जाता।

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि चूंकि सरकारी कार्यालय निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और रोज काम बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही मन्त्री जी ने यह भी बताया कि वहां पर रिफ्यूजी भी आ जाते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे जिले में 1 लाख शरणार्थी आये हैं। हालांकि उसका सम्बन्ध राजस्थान सरकार से है किन्तु फिर भी जो शरणार्थी आते हैं वे भी वापस चले जाते हैं। अभी बंगला देश से जितने शरणार्थी आये थे वे वापस चले गये हैं। तो यह कारण मैं उचित नहीं समझता। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि समय-समय पर रिक्विजिशन करने पड़ते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाय जोकि इस पर अच्छी तरह से बैठकर विचार करे और भविष्य में जो रिट या याचिकायें दाऊद अहमद के समान आई थीं, न आयें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोपाल सण्ड]

मान्यवर, इसमें लिखा है कि ऐसा मकान जो या तो जनता द्वारा धार्मिक पूजा के लिये अथवा स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक पुस्तकालय या अनाथालय के रूप में अथवा ऐसे पूजा-स्थल या ऐसे स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय अथवा अनाथालय का प्रबन्ध करने से सम्बद्ध व्यक्तियों के वास स्थान के प्रयोजनार्थ एकान्तिक रूप से प्रयोग किया जाता हो, अधिगृहीत नहीं किया जायगा इसके अलावा मान्यवर, जो 15-क और 17वीं नयी धारा इसमें बढ़ायी जा रही है, उस पर समिति अच्छी तरह से विचार कर ले और उसके उपरान्त वह सदन के सामने आये। इसलिये मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस छोटे से संशोधन को मान लें और इसे प्रवर समिति में भेज दें।

मान्यवर, इस विधेयक के बारे में सीधी सी बात है कि वास स्थान ग्रहण करने का पहले हमारे पास टेम्पोरेरी ऐक्ट था।...(व्यवधान) अगर आपकी तरफ से कोई बोलने वाला न हो तो मैं भी बैठ जाऊंगा।.....(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, राज मंगल पांडेय, मिनिस्टर आफ स्पीच हो गये हैं।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं उधर के बैठने वाले अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। वैसे तो विरोध पक्ष का काम ही होता है कि वह कुछ न कुछ सुझाव दे। उन्होंने सुझाव दिये..... (व्यवधान) मैंने समझा उधर से कोई बोलने वाला नहीं है इसलिये.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, कुछ लोग इधर से बोलने वाले थे और वे खड़े हुए थे। उनको तो समय मिलना ही चाहिये। मैंने समझा कि आप इधर के माननीय सदस्यों को बुला रहे हैं किन्तु आपने मन्त्री जी को बुला लिया यदि मन्त्री जी के बोलने के बाद उन्हें आप बोलने का अवसर दें तो ठीक है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

आप लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मालूम पड़ा कि कोई बोलने वाला नहीं है इसलिये इस विधेयक को वोटिंग करके पास कर दिया जाय। माननीय सदस्य ने कहा कि श्री राज मंगल पांडेय मिनिस्टर आफ स्पीच हो गये हैं, तो मैंने सोचा कि उनका विश्वास है कि आई हैव लास्ट माई स्पीच, लेकिन ऐसी बात नहीं है।

*श्री बंशीधर पांडेय—

आप बैठिये, पांडेय जी को खड़ा कीजिये।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह बहुत सीधा सा विधेयक है। इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ी? एक तो इस देश में शरणार्थी बहुत आ गये थे, हमारी सरकार के डिपार्टमेंट्स कितने बढ़ गये। उन डिपार्टमेंट्स के लिये यह आवश्यक हो गया। पहले जो टेम्पोरेरी ऐक्ट था, उसमें इस किस्म का केवल एक एलाटमेंट का प्रोविजन था जिसमें डी0 एस0 ओ0 या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कठिनाई महसूस करता था। तो इस परिस्थिति के बदलने के साथ इस बड़ी समस्या को सरकार ने महसूस किया। केवल यही की सरकार ने नहीं बल्कि सेंट्रल सरकार ने भी महसूस किया और उसने 1952 में इमम्यूवेबिल प्रापर्टी ऐक्ट पास किया जिसके मातहत जहां भी इस किस्म की जमीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या वास स्थान के अधिग्रहण का प्रोविजन होगा, सरकार कर सकती है और इस किस्म की शक्ति सरकार ने अपने हाथ में सुरक्षित रखी ।

उस सरकार के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस बात को देखते हुए कि डिपार्टमेंट्स बढ़ गये हैं, और काम को देखते हुए कि उनको अपने काम के लिये आफिस नहीं मिल पाता, इस बात की आवश्यकता महसूस की कि कानून में परिवर्तन करने की बात सोची जाय और उसी परिवर्तन के फलस्वरूप 1 के सेक्शन (3), 15 और 17 में संशोधन की व्यवस्था की गयी है और सेक्शन 15 के बाद 15(क) जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाऊदयाल केस में यह फैसला हुआ था कि यदि कोई आदमी किसी मकान में रह रहा हो तो अगर उसके लिये आल्टरनेटिव एकोमोडेशन का प्रबन्ध करना हो तो पहले उसको नोटिस देना होगा। जब कि पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था नोटिस देने का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस हुई कि यदि किसी मकान में कोई आदमी रह रहा हो और उसे बेदखल करना हो अल्टर-नेटिव एकोमोडेशन देकर जो यह न्याय के संगत तो है लेकिन पहले उसे नोटिस देना होगा और उसका जवाब पाने के बाद उसकी सुनवाई होगी और उसको सुनने के बाद ही फैसला होगा। वरना वह अमान्य होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही अमेंडमेंट करने की बात तय हुई कि पहले मकान मालिक को नोटिस दिया जायेगा कि तुमको यह अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दिया जायेगा यदि आप को कोई आपत्ति न हो। यदि वह कोई आपत्ति उठावे तो उसको सुनने के बाद ही उसे अल्टर-नेटिव एकोमोडेशन दिया जायेगा।, अन्यथा नहीं।

दूसरी बात इसमें यह भी की गयी है कि पहले से नोटिस मिलने के 15 दिन के अन्दर, उसका जवाब पाने के बाद अगर सरकार यह महसूस करे कि कोई ऐसी जगह और खाली है तो दो महीने का उस मकान मालिक को नोटिस देना होगा कि वह इस बीच उस मकान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दी गयी है कि बिना उसके परमिशन के मकान मालिक मकान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

संशोधन के जरिये यह भी व्यवस्था की गयी है कि अगर कोई फर्म, उसका सेक्रेटरी, पार्ट-नर या डाइरेक्टर की जानकारी में इस तरह का अपराध किया जाय तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो कम्पनी के सारे डाइरेक्टर्स के खिलाफ भी वह अपराध सिद्ध माना जायगा जब तक कि वह यह साबित न कर सके कि वह निरपराध है। इसीलिये यह सेक्शन 15 जोड़ा गया है। और जहां तक 17 (ग) की बात उसमें यह प्राविधान नहीं था कि कोई इस तरह की कार्यवाही होने से पहले इसको दोनों सदनों के सामने रखा जाना आवश्यक है।

सभी यह महसूस करते हैं कि आवास-स्थानों की कमी है। सभी महसूस करते हैं सर-कारी दफ्तर और सरकारी अधिकारी बढ़ गये हैं और उनके लिये आवासों की कमी है। रिफ्यूजीज के बढ़ने की वजह से सरकार पर जिम्मेदारियां बढ़ गयी हैं। इसलिये यह सरकार इस कार्य के लिये प्रबन्ध करना चाहती है और उसको अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा कराना चाहती है। यह सभी की सुविधा के लिये है और जनता के हित का भी है इसलिये इसको ऐसा ही पारित कर देना जरूरी है ।

*श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह जो संशोधन विधेयक इस समय उपस्थित है उसके लिये माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि हमारे यहां कार्यालयों की अधिकता के कारण और शरणार्थियों के आने के कारण स्थान की कमी है। यह मैं भी महसूस करता हूं कि जो चीज बढ़ रही है उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक भवन निर्माण करावे। ऐसा देखा गया है कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ऐसा देखा गया है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जंगबहादुर यादव]

विशेषकर हमारे जिले में बी तथा सी टाइप की बिल्डिंगें बनी हुई हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है खाली पड़ी हुई हैं और यदि कोई व्यक्ति किराये के मकान में रहता है उसमें परिवर्तन के लिये कोई निर्माण करा रहा है ऐसे मामले में डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट यदि जरूरी समझे तो उसको अधिग्रहण करने की नोटिस दे दें यह उचित नहीं होगा ।

इस ऐक्ट के अन्दर है कि यदि कोई अपने मकान में रह रहा है तब उसको लेने की बात नहीं है लेकिन अगर किराये पर रहता है या मकान को तैयार करा के किराये पर उठाता है तो उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है लेकिन सरकार के नियमों के मुताबिक रिक्वीजीशन के बाद रेंट कंट्रोल इविक्शन आफिसर से या पी० डब्लू० डी० इंजीनियर से उसका किराया लगवाया जाता है और इस तरह से उसको किराया भी कम मिलता है। फिर इसके बाद यह भी है कि जो अधिग्रहण हो जाती है बिल्डिंग उसके रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिये मैं कहता हूं कि सरकार अपने अफसरों के लिये अपने गोदाम के लिये भवन निर्माण करावे और यदि किसी की बिल्डिंग लेनी ही है तो पहले उससे किराये के बारे में विचार विमर्श होना चाहिये और जब उससे तय हो जावे तब लिया जाना चाहिये। अगर मनमाने ढंग से जिलाधीश लेना चाहें तब तो इससे जनता का बहुत बड़ा अहित होगा....

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यहां नीचे कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है।

श्री रामगोपाल संड—

नीचे ही कोई नारे लगा रहा है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

आपके परिसर में ही कोई आवाज लगा रहे हैं इससे हम लोगों की आवाज पर असर पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो क्या आप की राय है कि आपकी आवाज के अलावा और कोई आवाज हो ही नहीं ?

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

इसकी आप जांच करा लीजिये ।

श्री राम गोपाल संड—

श्रीमन् इसकी जांच करा ली जाय। ये लोग न्याय पाने के लिये आये होंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन् बिना आज्ञा मारपीट न होने लगे। जैसे जनसंघ के साथ हुआ था।

श्री रामबिलास पाण्डेय—

जनसंघ का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भय स्वरूप हो गया था इसलिये आपका ध्यान दिला दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी स्थिति में जो उचित और आवश्यक होगा, वह होगा।

श्री जंगबहादुर यादव—

यह जो संशोधन हमारे साथी माननीय राम गोपाल जी ने रखा है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द होना चाहिये, मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। प्रवर समिति में हर पहलू पर हर दृष्टि से विचार होगा और सरकार को अच्छा सुझाव मिलेगा। उसके अनुसार इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मूल अधिनियम की धारा 1 के स्थान पर जो नई धारा रखी गयी है उसमें उपधारा (1) में यह है कि "जहां जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि किसी ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जो भारत संघ के प्रयोजन के लिये नहीं है, किसी वास स्थान की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है" उस संबंध में मेरा कहना यह है कि सार्वजनिक प्रयोजन के साथ-साथ शासन को भवन अधिग्रहण करने की आवश्यकता है तो वह करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं के लिये ऐसे भवन की आवश्यकता है जिसमें मकान मालिक नहीं रहता है तो ऐसे भवन को भी इसमें लाने का प्राविधान होना चाहिये।

आप जानते हैं कि शिक्षा का बड़ा महत्व है। जुलाई के महीने में अखबारों में निकलता है कि विद्यालयों में स्थान नहीं है, दाखिले के लिये जगह नहीं है। शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और भवनों का नितान्त अभाव है। लोग दाखिले के लिये आते हैं और निराश हो कर लौट जाते हैं। भवनों की कमी को दूर करने के लिये जिस भवन में मकान मालिक नहीं रहता है और किराये के लिये खाली है तो उसे शासन ले और सार्वजनिक प्रयोजन के साथ-साथ शैक्षिक प्रयोजन के लिये और रख दिया जाय।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह सही है कि यह विधेयक बहुत छोटा सा है लेकिन इसके द्वारा मंत्री जी ने इस सरकार की असमर्थता प्रकट की है और जो असमर्थता है वह अस्थाई नहीं है बल्कि स्थाई बन गई है। उन्होंने साफ कहा है कि इनका प्राप्त करना सदैव सम्भव नहीं है। मैं मूल अधिनियम की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब 1947 में टेम्पोरेरी विधेयक बना था तो उसकी एक भावना थी। वह यह थी कि कोई भी सरकार जो अपने को जनवादी सरकार कहती है उसका कर्त्तव्य होता है कि वह हर एक नागरिक के लिये खाने पीने, मकान आदि की व्यवस्था करे। लेकिन आज हालत यह है कि नागरिकों, की आवश्यकता की कौन कहे, इस विधेयक से प्रकट हो रहा है कि वह सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भी मकान बनाने वाली नहीं है।

चारों तरफ अखबारों में छपता है कि आवास के लिये इतने करोड़ रुपया रखा है। यह नागरिक की समस्या के लिये नारेबाजी हो रही है। लेकिन बिल जो है वह यह साबित नहीं करता। नागरिक तो इतना गया गुजरा है कि आवास समस्या का तो क्या सामाजिक प्रयोजन के लिये भी आप आवास की समस्या हल नहीं कर सकते। यह सरकार की असफलता है और मैं नहीं समझता कि ऐसे विधेयक को पास किया जाय। इसको पास करने का अर्थ यह होगा कि सरकार का ध्यान आवास समस्या की ओर और भी नहीं जायगा।

दूसरी बात यह है कि जो यह धारा 4 है इसमे लिखा है कि अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिगृहीत वास स्थान या उसके भाग का प्रयोग किसी किरायेदार द्वारा उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तत्काल पूर्व कम से कम दो महीने पहले से निवास स्थान के रूप में किया जा रहा हो तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे किरायेदार के हित में वैकल्पिक वास स्थान की, जो उसकी राय में उपर्युक्त हो, व्यवस्था करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन इसमें यह नहीं है जैसा कि आपने (3) में कहा था कि नोटिस देना जरूरी होगा। इसमें आप उस के हक की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, जो व्यवस्था करने के बाद आप खाली करायेंगे वह आप नहीं कर रहे हैं। इस में लिखा है कि किरायेदार के हित में वैकल्पिक वास स्थान की, जो उसकी राय में उपयुक्त हो, व्यवस्था करेगा।

श्री राजमंगल पांडेय—

ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—

मैं बिना पढ़े नहीं कह रहा हूं, मैं बैठ जाता हूं आप स्पष्ट कर दें।

श्री राजमंगल पांडेय—

आप कृपा कर के इसका (2) भी पढ़ लें जिस में लिखा है कि "यदि वास स्थान के स्वामी या अध्यासी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह लिखित आदेश द्वारा वास स्थान का अधिग्रहण कर सकता है और ऐसे अग्रेतर आदेश दे सकता है जो उसे अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों। इस में जिलाधीश मालूम कर लेगा और यदि उचित कारण होंगे तो उनको छोड़ देगा। यह क्यों सोचते हैं कि हमेशा यही रहेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

उन्होंने यह मान लिया है कि हमारा नुक्सान कभी नहीं होगा, जिला मजिस्ट्रेट हमेशा हमारा ही रहेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

फिलहाल की यह खूबी है, हमेशा तो कोई भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह खूबी तो उधर भी हो सकती है इस में निराश होने की बात नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह सरकार भी और दिल्ली की सरकार भी इसी तरह से कानून लाती है .....

(व्यवधान)

जब दलबदलुओं से इनका पेट भर जाता है तो यह कानून ले आते हैं...

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह तो जान बूझ कर ऐसा कर रहे हैं। जिस का आप ने उल्लेख किया वह अध्यासी है किरायेदार नहीं है। दोनों में बड़ा अन्तर है। अध्यासी ट्रेसपासर को कहते हैं.....

श्री राज मंगल पांडेय—

मेरी समझ में से तो अध्यासी का मतलब आकुपायर से है।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं पांडेय जी आप को बता दूं कि जो जमीन पर अथाराइज्ड रूप से काबिज नहीं होता उस को ट्रेसपासर कहते हैं। लेकिन यह किरायेदार वाला मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह किस तरह से होगा, आप हमें बतायें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, आप धारा 8 को देखें। किरायेदार के बारे में धारा 2 में व्यवस्था है। अध्यासी जो होता है वह है जो कब्जा कर लेता है। ट्रेसपासर है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, कानून का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि वर्ग 9 का मतलब है कि कोई जब वह पड़ताल करने गया तो उसने उस वक्त उसको कब्जे में पाया। दैट प्लाट आफ लैन्ड वाज इन दि पजेशन आफ दैट पर्टिक्यूलर मैन। वर्ग 9 में ट्रेसपासर का जिक्र नहीं होता है। आक्यूपायर का जिक्र होता है। अध्यासी का अर्थ अक्यूपायर का है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, वर्ग 9 में जो है निश्चित रूप से वह अध्यासन से डिफर करता है। बिना काश्तकर की इजाजत के जिसका अध्यासन हो जिसका कब्जा हो, वह ट्रेसपासर ही कहलायेगा। अगर स्वामी की हैसियत से हो तो नहीं होता है। ट्रेसपासर जो होगा वह वर्ग 9 में होगा।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, उसकी मंशा तो केवल यह है कि जिस समय पड़ताल हुयी उस समय वह भूमि उसके कब्जे में पायी गयी। वह कैसे कब्जे में है, यह बात उसमें नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

बिना किसी स्वामी की आज्ञा के आपका कब्जा हो, वह ट्रेसपासर है। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अगर मालिक कब्जा देगा तो शिकमी दार कहलायेगा लेकिन अगर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो वही ट्रेसपासर कहलायेगा।

श्री राज मंगल पांडेय—

एग्रीकल्चरल लैंड के अध्यासी को अगर उसमें ट्रेसपासर की बात हो तो उसको प्रासीक्यूट कर सकें इसका कोई प्राविधान नहीं है। यहां पर अगर किसी मकान पर कब्जा है ट्रेसपासर 447–448 में एक्युज्ड होगा। हम जो ला रहे हैं, वह वासस्थानों के बारे में ला रहे हैं। लेकिन यहां पर अध्यासी का मतलब यह है कि किसी मकान में उसकी मर्जी के बिना ट्रेसपासर होगा। तो दोनों में मतभेद है। अगर आपके भाषा को भी मान लें तो भी आप को साबित करना पड़ेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

ये जानकर अनजान बन गये। अगर किरायेदार और अध्यासी एक ही लफ्ज है तो यह कैसे हो सकता है। अध्यासी को तो नोटिस देगा, ऐक्शन होगा लेकिन किरायेदार के लिये प्रतिबन्ध किया गया है क्योंकि जो किरायेदार किराये के मकान में रहता है, उसका एक राइट होता है, अध्यासी का मकान में कोई राइट नहीं होता है।

अध्यासी का कोई राइट नहीं होता, लेकिन किरायेदार का होता है। लेकिन किरायेदार वह समझा जाता है जो गरीब आदमी है, जिसके पास रहने के लिये मकान नहीं होता। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कि आप उसकी दूसरी जगह रहने की व्यवस्था न करें, तब तक

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

आप उस को बेदखल न करें। मैं यह चाहता हूं कि यह जो आप की इच्छा है वह बलवती हो। नहीं तो होगा यह कि उस बेचारे को मकान से बाहर निकाल दिया जायेगा, सामान सड़क पर होगा और उस की बीबी और बाल-बच्चे हैरान होंगे, और मेरा इसलिये यह संशोधन है क्योंकि यह प्रवर समिति में भेजा जाय जिसमें पहले तो 'अध्यासी' और 'किरायेदार' का स्पष्टीकरण हो, और भी इसमें दिक्कतें हैं।

मान्यवर, आज जो किरायेदार मकान में हैं उनसे सरकार मकान खाली करवा लेगी क्योंकि यह सरकार मालिकों के साथ मिली हुई है और उनसे सांठ-गांठ किये हुये है। जो पूंजीपति हैं जो धनीमानी व्यक्ति हैं, उनसे जो मकान लेंगे उससे ध्येय की पूर्ति न हो सकेगी। इसलिये में मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पहले आप इसकी व्यवस्था करें नहीं तो जो लोग रह रहे हैं यह कलेक्टर से मिलकर उसको बेदखल करवा देंगे। मुझे वह गोरखपुर का किस्सा मालूम है कि मकान मालिक वह मकान बेचना चाहता है और उस को आप निकालना चाहते हैं जो मकान में रहता है। मान्यवर, जितने भी अधिनियम बने हैं सब मकान मालिकों के फेवर में बने हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अगर आप देखें तो जो अंग्रेजी का है और हिन्दी का है, उसे मिलान करने पर यह साबित होता है कि 'ओनर' और 'मालिक तथा अध्यासी' को 'आकूपायर' कहा है। इन लोगों की बात ठीक मालूम होती है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, 'लिखित आदेश द्वारा (जिसमें अधिग्रहण करने का प्रयोजन उल्लिखित होगा) वासस्थान के स्वामी तथा अध्यासी..." तो स्वामी 'ओनर' हुआ और 'अध्यासी' आकूपायर हुआ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अध्यासी का मतलब "किरायेदार" तो नहीं है। अध्यासी मीन्स आकूपायर। आकूपायर दो हैं। एक जबर्दस्ती और एक किराये के रूप में। जिसने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया एक वह हैं और दूसरा वह जो किराया देते हैं जोकि सब-टेनेन्ट कहलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन हैं तो आकूपायर ही।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आकूपायर में वह जबर्दस्ती भी कब्जा कर लेगा तो आकूपायर हो जायेगा और किरायेदार में वह मकान मालिक की मर्जी लेनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

तब तो कवर करता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

किरायेदार का मतलब मकान मालिक की राय से और उसी बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

खैर ठीक है। कह लें आप।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, एक आदमी मकान मालिक की बिना राय के कब्जा कर लेता है। मकान मालिक भी नहीं चाहता है। तो भी नोटिस देना जरूरी है। किरायेदार में जबर्दस्ती कब्जा नहीं होता है। यह मकान मालिक के साथ समझौते से आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आकूपायर के बारे में ,जैसा कि आप कहते हैं, यह उसके बीच का मामला हो जायेगा। जहां तक बिल का संबंध है, सार्वजनिक हित में सरकार उसे लाना चाहती है। खैर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

वह तो श्रीमन्, जो चाहते हैं वह है कि—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिगृहीत वासस्थान या उसके भाग का प्रयोग किसी किरायेदार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने की दिनांक से तत्काल पूर्व से कम से कम दो महीने पहले से निवासस्थान के रूप में किया जाता है तो जिला-मजिस्ट्रेट ऐसे किरायेदार के हित में वैकल्पिक वासस्थान की, जो उस की राय में उपयुक्त हो, व्यवस्था करेगा।"

मान्यवर, इसमें होगा क्या? होगा यह कि कोई भी मकान मालिक नहीं चाहता है कि किरायेदार रहे। मकान मालिक जब देखेगा कि हम स्वामित्व नहीं पा रहे हैं, तो मकान मालिक और सरकार दोनों में एक षणयन्त्र होगा, किरायेदार को हटाने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको सरकार सार्वजनिक हित में लाना चाहती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

वह तो मैं देख रहा हूं श्रीमन्, कि किस तरह सार्वजनिक हित में करना चाहती है। अगर सार्वजनिक हित में करना चाहते हैं तो पहले कलेक्टर स्थान का एलाटमेंट कर दें फिर जमीन सार्वजनिक हित में लें। नहीं तो श्रीमन्,सरकार, जैसाकि रोज जनहित में उत्तर देती है, उसी तरह सार्वजनिक हित के नाम उसको भी कर देंगे।

इनका जो उत्तर आता है —सिंचाई राज्य मंत्री जी नहीं है उन्होंने कहा कि इस इंजीनियर ने यह लूट-पाट की, ट्रांसफर किया गया, फिर वहीं भेज दिया गया। हमने कहा कि क्यों? तो कहा कि जनहित में है। तो श्रीमन्, इनका जनहित तो अपना हित होगा। उस पर रोक कसे लगे। अगर किरायेदार की व्यवस्था करके अधिगृहीत करेंगे तो जल्दी नहीं कर पायेंगे। एक किरायेदार है। उसके पास कोई और रहने की जगह नहीं है। वर्षों से वह वहां रहता है। उसको आपने अधिग्रहण कर लिया बिना कोई व्यवस्था किए हुए। उसको सड़क पर निकाल दिया। इस स्थिति में अगर हम अपने को रखें तो हम पर क्या गुजरेगी? इसलिए मैंने कहा कि मंत्री जी इसमें थोड़ा सा संशोधन करने के लिए तैयार हो जायं कि उस की व्यवस्था होगी तब अधिगृहीत होगा तो हमको ऐतराज नहीं है। वरना मैं समझता हूं किराएदार के हित में, गरीब के हित में इस विधेयक का कड़ा विरोध करना हम अपना फर्ज समझते हैं इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री राजमंगल पान्डेय—

श्रीमन्, इसमें यह है —"लिखित नोटिस द्वारा (जिसमें अधिग्रहण करने का प्रयोजन उल्लिखित होगा) वासस्थान के स्वामी तथा अध्यासी को भी ऐसी नोटिस उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वासस्थान अधिग्रहीत कर लिया जाय"। फिर आगे यह है—

"आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि न तो वासस्थान का स्वामी और न कोई अन्य व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना, दो माह से अनधिक ऐसी अवधि की, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्ति तक न तो वासस्थान का निस्तारण करेगा,

[श्री राजमंगल पान्डेय]

न उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करेगा, और न उसे किसी किरायेदार को किराये पर देगा।"

श्रीमन्, यहां अध्यासी का मतलब किरायेदार से ही है और अंग्रेजी में आकूपायर से मतलब है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

हम तो कहते हैं कि आप यह कर दीजिए कि दूसरी जगह देंगे तभी अधिग्रहीत करेंगे।

श्री यादवेन्द्रसिंह—

मान्यवर, अगर सेक्शन 4 के खंड (2) के परन्तुक 2 को देखें तो इसमें लिखा है—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिगृहीत वासस्थान या उसके भाग का प्रयोग किसी किरायेदार द्वारा उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तत्काल पूर्व कम से कम दो महीने पहिले से निवासस्थान के रूप में किया जा रहा हो, तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे किरायेदार के हित में वैकल्पिक वासस्थान की, जो उसकी राय में उपयुक्त हो, व्यवस्था करेगा।"

तो डी० एम० के लिये तो यह मैन्डेटरी होगा कि वह पहले व्यवस्था करे तभी अधिग्रहीत करे। नोटिस देगा, आब्जेक्शन लेगा, व्यवस्था करेगा, उसके बाद अधिग्रहीत करेगा।

*श्री रामधारी शास्त्री—

ऐक्ट की यह मंशा नहीं है।

मान्यवर, माननीय शम्भु नाथ जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने को खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, यह जो विधेयक मूल रूप में सन् 1947 में बना था तब इस देश का विभाजन हुआ था और भारी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान से आये थे। उनकी व्यवस्था के लिये यह विशेष अधिनियम बनाया गया था। वह एक विशेष स्थिति थी। आज तो कोई ऐसी समस्या नहीं है और न कोई ऐसी असामान्य स्थिति है जिसके लिये इस अस्थायी विधेयक को एक स्थायी रूप प्रदान किया जाय।

केवल यह कहा गया कि वह टेम्पोरेरी था, इसलिये स्थाई कर रहे हैं। सन् 1947 में एक विशेष स्थिति थी और अंग्रेजी खंड में यह स्पष्ट कर दी गई है। आज कौन सी ऐसी स्थिति है कि इसको स्थाई किया जा रहा है और कलेक्टर को अधिकार दिया जा रहा है कि जहां उचित समझे सार्वजनिक प्रयोग के लिये मकान ले ले। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का विशेष ऐक्ट सार्वजनिक प्रयोजन में हो सकता है लेकिन इसकी व्याख्या होनी चाहिए। सबसे पहले मेरा नम्र निवेदन है कि देश में सामान्य स्थिति है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जितने प्रदेश में कानून बने हुये हैं उनमें ऐसे बहुत से हैं कि सार्वजनिक काम के लिये जिलाधीश घर ले सकता है, लेकिन यह विशेष अधिकार देना उचित नहीं है। इससे पहले अस्थाई विधेयक से प्रदेश की सरकार को अधिकार था लेकिन उससे नीचे हट कर सारे अधिकार जिला अधिकारी में केन्द्रित किये जा रहे हैं। यह जनतन्त्र के उसूलों के खिलाफ है। यह नहीं होना चाहिये।

अध्यासी औरकिरायेदार का विवाद चल गया है कि कोई फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क नहीं है तो दो जगह पर चौथी धारा के उपखंड (2) में अध्यासी शब्द प्रयोग किया गया है और वहीं प्रतिबन्धात्मक खंड में किरायेदार शब्द प्रयोग किया गया है। तो अगर यह अदालत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में चला जाय तो यह बहस होगी कि निश्चितरूप से लेजिस्लेचर के दो शब्दों को अलग-अलग रखने की मंशा रही है, नहीं तो एक ही शब्द प्रयोग किया गया होता और इसके बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई मकान है, मैं आकूपायर हूं लेकिन मैं किराया नहीं देता हूं लेकिन फिर भी आकूपायर हूं, तो कैसे होगा ?

श्री रामधारी शास्त्री—

जब अधिनियम बनायेंगे तो निश्चित रूप से बनायेंगे। इसीलिये श्री शम्भूनाथ चौधरी ने कहा कि कोई ट्रेसपासर हो और कब्जा कर ले .....

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे ज्यादा मकान हों और हमने दूसरों को दे रक्खे हों।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह स्पष्ट होना चाहिये। अगर ए के नाम मकान और बी या सी रहता है तो उनके परिवार का आदमी रहता है या कौन है। यह अध्यासी शब्द बेग है। अगर इसका मतलब यही है जैसा कि कहा है तो किरायेदार शब्द की क्या आवश्यकता है। इसको स्पष्ट होना चाहिये, नहीं तो विवाद उठ गया तो अध्यासी के मानें काबिज होगा। किस तरह का कब्जा है। परिवार का भी हो सकता है, ट्रेसपासर का भी हो सकता है और किरायेदार का भी हो सकता है। तो किरायेदार की स्थिति स्पष्ट की गई है लेकिन अध्यासी के लिये नहीं की गई है। तो यह स्पष्ट होना चाहिये कि इसका क्या मतलब है।

मेरा कहना यह है कि सामान्य स्थिति में असामान्य नियम क्यों बने। यह निरर्थक है। अगर विधेयक बनाना है तो सोच समझ कर बनाना चाहिये। यह विधेयक न भी हो तो भी सार्वजनिक उपयोग के लिये सरकार अगर मकान लेना चाहे तो ले सकती है। इसके लिये दूसरे कानून हैं। पिछले सत्र में भूगृहआदि अधिनियम पास हुये हैं। तो मैं यह समझता हूं कि यह अस्थाई विधेयक स्थाई न किया जाय। सारी पावर जो प्रदेश सरकार को थी अब जिला अधिकारी को दे दी गई है, जो यह जनतांत्रिक दृष्टि से अनुचित होगा। अगर बनाना जरूरी ही है तो अध्यासी क्या है, किरायेदार क्या है, स्वामी को क्या राइट्स हैं, तो यह स्पष्ट किया जाय। यह सभी बातें इसमें स्पष्ट होना चाहिये।

इसमें दिया है कि जिलाधिकारी वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करेगा। इसके अर्थ यह हैं कि जब तक कि व्यवस्था न हो जाय वह उसमें रहेगा। या फिर यह है कि पहले आप खाली करिये और हम आप की वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाय या वह इसकी व्यवस्था न कर दे उससे खाली न करवाया जाय तब तो इसका औचित्य है। इस सामान्य परिस्थिति में इस असामान्य विधेयक को लाने की न तो कोई आवश्यकता है और न औचित्य ही है और इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक पेश हुआ है आवास के लिये पहले भी यह टेम्पोरेरी बेसिस पर था और आज उसको फिर से लाया जा रहा है। मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक कानूनी बहस का सवाल है उसमें कमी तो है ही परन्तु आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पावर्स जिलाधिकारी को दी गई हैं उनका बहुत दुरुपयोग होता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

जो ऐक्ट 1947 में बना था उसके हिसाब से यह देखा गया कि जिलाधिकारियों ने पुराने मकानों को छोड़ दिया जो कि पहले रेंट कन्ट्रोल के अन्तर्गत आते थे। यह भी कहा गया कि जो किरायेदार नहीं निकाले जा रहे हैं प्रापर्टी उन्हीं के पास रह जायगी और उनको उसका लाभ मिल जायगा। जिलाधिकारी नोटिस देगा कि मकान खाली कर दो और जो गरीब आदमी हैं उनको तकलीफ हो जायेगी। यह तकलीफ गरीबों को पहले भी थी और आज भी है।

मान्यवर, हमारे सामने कई केसेज हैं। जो मकान या कोठियां खाली नहीं हो रहे हैं उनको खाली करवाने के लिये जिलाधिकारी नोटिस दे देगा और इसका नतीजा यह होगा कि जो गरीब आदमी हैं वे मारे जायेंगे। अभी कोई ऐसी विकट समस्या नहीं है, शरणार्थी आ नहीं रहे हैं और न आपके आफिस ही बढ़ रहे हैं जिनके लिये आप को मकान चाहिये। मैं तो यही कहूंगा कि आप इस पर विस्तार के साथ विचार कर लें, विचार विमर्श कर लें और ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे कानून का दुरुपयोग जिलाधिकारी या दूसरे अधिकारी न कर सकें। ऐसी सूरत में जैसा कि कहा गया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय उस को मान लना चाहिये और जल्दबाजी में कोई कानून नहीं पेश करना चाहिये और न जल्दी में कोई कानून पास ही करवाना चाहिये क्योंकि इसके दुरप्रभाव भी हो सकते हैं।

हमको ऐसा नहीं करना चाहिये कि किरायेदारों को नुक्सान हो जाय और वे परेशान हो जायें। यह नहीं है कि उन को मकान देने के बाद ही उनसे मकान खाली करवाया जायगा। मैं पुनः कहूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि इस पर विचार हो जाय।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही इस विधेयक के हर पहलू को आपके सामने रख चुका हूं। इसमें कुछ शंकायें व्यक्त की गयीं। उन शंकाओं के आधार पर यह बार बार कहा गया कि इसको प्रवर समिति के सम्मुख रखा जाय। अगर प्रस्तुत संशोधनों को देखा होता जिसमें हमने यह प्राविधान किया है तो सम्भवतः यह न कहते। जो रूल्स बनेंगे वे आपके सामने आयेंगे और उसमें जो शंकायें होंगी उनका निराकरण भी किया जायगा।

मैं निवेदन करूंगा कि खामखां आप इस प्रकार की शंकायें करें, यह ठीक नहीं है। हमारे सामने लिमिटेशन्स हैं और उसके बाद भी कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मुझे तत्काल व्यवस्था करनी पड़ती है। जो पुराना ऐक्ट था उसका समय समाप्त हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और श्रीमन्, आपके द्वारा यह प्रस्ताव करूंगा कि अब इसको स्वीकार किया जाय और इसे पास किया जाय।

श्री रामगोपाल संड—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश भर में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो जिलाधीश और पुलिस कप्तान के लिये बहुत बड़े-बड़े बंगले बनाये गये थे 4—4, 5—5 बीघे के, दो-दो एकड़ तक उनमें जमीनें हैं। तो सरकारी कार्यालय इन बड़े-बड़े अधिकारियों के बंगले में बनाये जायं बदली हुई परिस्थिति में, समाजवादी व्यवस्था के अनुसार, जिससे जो सरकारी कार्यालय बढ़ रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिये स्थान मिले, इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

वह तो श्रीमन्, सब हो ही रहा है। कम्पाउन्ड की बात कौन कहे, गोरखपुर में तो जो कमिश्नर का रेजिडेंस था वह नर्सेज क्वार्टर में बदल दिया गया। इससे बड़ा सबूत और क्या रखा जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 6, खंड 2, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1977

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्विजिशन ऐक्ट, 1947 को कतिपय संशोधनों के साथ बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

यू०पी० ऐक्ट संख्या 25, 1947 के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना का संशोधन

2—(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्विजिशन ऐक्ट 1947, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के दीर्घ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"वासस्थान अधिग्रहण करने की शक्तियों की व्यवस्था करने के लिए।"

(2) मूल अधिनियम के प्रस्तावना में, प्रथम पैरा निकाल दिया जाय।

धारा 1 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 1 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय अर्थात्—

"(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947 कहलायेगा।"

(2) उपधारा (3) और (5) निकाल दिये जायं।

(3) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।"

धारा 3 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"3(1) जहां जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि किसी ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जो भारत संघ के प्रयोजन के लिए न हो, किसी वासस्थान की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है, और वासस्थान का अधिग्रहण किया जाना चाहिये तो जिला मजिस्ट्रेट—

(क) लिखित नोटिस द्वारा (जिसमें अधिग्रहण करने का प्रयोजन उल्लिखित होगा) वासस्थान के स्वामी तथा

अध्यासी को भी ऐसी नोटिस उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वासस्थान अधिग्रहीत कर लिया जाय, और

(ख) आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि न तो वासस्थान का स्वामी और न कोई अन्य व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना, दो माह से अनधिक ऐसी अवधि की, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्ति तक न तो वासस्थान का निस्तारण करेगा, न उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करेगा, और न उसे किसी किरायेदार को किराये पर देगा।

(2) यदि वासस्थान के स्वामी या अध्यासी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह लिखित आदेश द्वारा वासस्थान का अधिग्रहण कर सकता है और ऐसे अग्रेतर आदेश दे सकता है जो उसे अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा वासस्थान या उसका भाग—

(क) जो उसके स्वामी द्वारा अपने अथवा अपने परिवार के निवास-स्थान के रूप में वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता हो, या

(ख) जो या तो जनता द्वारा धार्मिक पूजा के लिये अथवा स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक पुस्तकालय या अनाथालय के रूप में अथवा ऐसे पूजा-स्थल या ऐसे स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय अथवा अनाथालय का प्रबन्ध करने से सम्बद्ध व्यक्तियों के वासस्थान के प्रयोजनार्थ एकान्तिक रूप से प्रयोग किया जाता हो,

अधिगृहीत नहीं किया जायगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिगृहीत वासस्थान या उसके भाग का प्रयोग किसी किरायेदार द्वारा उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तत्काल पूर्व कम से कम दो महीने पहिले से निवासस्थान के रूप में किया जा रहा हो तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे किराये-दार के हित में वैकल्पिक वासस्थान की, जो उसकी राय में उपयुक्त हो, व्यवस्था करेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के संबंध में धारा 4 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश तामील किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

नयी धारा 15—क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कम्पनियों द्वारा अपराध

"15—क (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य-संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायग

और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने का उत्तरदायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किये।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य है तो ऐसा डाइरेक्टर, मैनेजर सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा, और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये---

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और-

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।"

धारा 17 का संशोधन

6---मूल अधिनियम की धारा 17 की संख्या बदलकर उसकी उपधारा (1) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:---

विधान मण्डल के समक्ष नियमों आदि का रखा जाना

"(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रकि सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि कि खंड 2 से खंड 6 तक, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यादवेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वास स्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972†

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बसिक शिक्षा विधेयक, 1972 पर बिचार किया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है उसका स्वागत इस सदन में और इस सदन के बाहर सर्वत्र उसकी चर्चा हुई है और इस निर्णय का सर्वत्र स्वागत हो रहा है। (इस समय 2 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।) इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी प्रायमरी शिक्षा का स्तर दिनों दिन किन्हीं कारणों से गिरता जा रहा है उसको ठीक ढंग से लाया जाय, ठीक ढंग से प्रचार किया जाय और उस पर एक अच्छी तरह नियन्त्रण किया जाय। यह एक बहुत ही छोटा और मासूम विधेयक है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वह इसका स्वागत करेंगे और इसमें बहुत कुछ बहस करने को नहीं है।

(इस समय 2 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पिठासीन हुए।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

"मासूम" तो सरकार के लिये बहुत प्रिय शब्द हो गया है।

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने हेतु तीन माह तक परिचालित किया जाय।

अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत संक्षेप में भाषण दिया और बड़े आराम से कह दिया कि बहुत मासूम विधेयक है। मैं यह कह सकता हूं कि यह विधेयक कोई मासूम विधेयक नहीं है, यह बड़ा घातक विधेयक है। मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य सदन के बाहर और भीतर इस बात की चर्चा करते रहे कि ऐसा विधेयक लाया जाय। ऐसी कभी किसी की इच्छा नहीं थी कि बेसिक एजूकेशन या सीनियर बेसिक एजूकेशन या और संस्थाओं को सरकार अपने हाथ में उस प्रकार से ले ले जैसा कि राजतंत्र में होता है कि सभी चीजें राजा के हाथ में होती है या कम्युनिज्म में होता है जहां सरकार के हाथ में हर चीज रहती है।

हमारा देश और प्रदेश जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाला है, और प्रजातंत्र में यही होता है कि सत्ता का जितना विकेन्द्रीकरण किया जाय, भार जितना बांटा जाय और सरकार के हाथ में भार कम से कम हो वही डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी और सफल होती है और लोग यह महसूस करते हैं कि जनता का राज्य जनता के लिये है और जनता द्वारा है। यह बहुत घातक विधेयक हो सकता है और जैसी कि केन्द्र में हमारी सरकार की नीति है कि हर जगह वह अपने नामिनेटेड आदमी बिठाना चाहती है चाहे वह यूनिवर्सिटी हो, असेम्बली हो या और कोई जगह हो, उसी परम्परा पर हमारे प्रदेश की सरकार भी चलने जा रही हो कि एजूकेशन में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहती हो कि उसके नामिनेटेड आदमी हर जगह पहुंच जायं।

---

†25 जुलाई, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने अपने उद्देश्य और कारण में बताया है कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जिल परिषदों तथा नागर क्षेत्रों में महापालिकाओं और पालिकाओं द्वारा संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा था और दिनों दिन शिक्षा प्रणाली ह्रासोन्मुख होती जा रही थी। तो जिला परिषद् , टाउन एरिया, नगरपालिका या महानगरपालिका शिक्षा की नीति का निर्धारण कब करती थीं ? चाहे वह बेसिक एजूकेशन हो या सीनियर बेसिक एजूकेशन हो, नीति निर्धारण का काम कभी किसी पर नहीं रहा था। वह तो एक ऐडवाइजरी बाडी की तरह थीं और उनका काम मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार कार्य संचालन करना मात्र था। नीति निर्धारण का काम तो बोर्ड आफ एजूकेशन और डायरेक्टोरेट, यही दोनों करते रहे हैं। कभी भी लोकल बाडीज या जिला परिषद् ने कोई कानून नहीं बनाया। यह सब यहां के द्वारा ही होता रहा।

मान्यवर, उत्तरदायित्व की बात है तो ह्रास होने का उत्तरदायित्व किस पर है ? उसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर है या एजूकेशन बोर्ड पर है क्योंकि वही प्रणाली को निर्धारित करते हैं। शिक्षा प्रणाली को निर्धारित करने की जिम्मेदारी किस की है, उसे यह सरकार तो करती है। अब ह्रास अगर हुआ है तो उसके लिये भी केवल सरकार ही जिम्मेदार हो सकती है। अब जन प्रतिनिधियों से यह चीज को जो छीना जा रहा है वह इसलिये छीना जा रहा है कि अब तक जिला परिषदों, नगरपालिकाओं आदि के अध्यक्षों का जो थोड़ा बहुत हाथ रहता था वह न रहे और सरकार एक ऐसा बोर्ड बना दे जिसमें उसके ही आदमी रहें जिला स्तर पर भी और सूबे के स्तर पर भी। इससे आप शिक्षा का स्तर उठा नहीं पायेंगे। अगर ह्रास हो रहा था तो उसके लिये तो आप को शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की जरूरत थी। यह तो आपने वही किया जैसे कि कोई आदमी घोड़े पर बैठा हो और कुछ सामान भी साथ में लिये हो और वह यह कहे कि सामान का बोझ तो मुझ पर है, घोड़े पर नहीं है। इसलिये अगर ह्रास हुआ है तो अन्ततोगत्वा उसका दायित्व सरकार पर ही है। स्थानीय निकायों के हाथों में प्रबन्ध होता था, मगर देख भाल के लिये तो तब भी इन्सपेक्टर आदि होते थे, नियन्त्रण तो आप का था ही। ऐसी बात नहीं थी कि आप का कोई नियन्त्रण न हो। आपने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के बजाय जो यह परिवर्तन किया है उससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। यह शिक्षा का कार्य तो पहले भी आप के हाथ में था और अब भी है। इतनी बात जरूर हो गयी कि अब जन प्रतिनिधियों को आपने बिलकुल हटा दिया।

मान्यवर, एक बात यह कहते हैं कि इस विधेयक के जरिये हम एक बोर्ड बनायेंगे जिसमें 10 आदमी होंगे। मैं नहीं समझता कि इस बोर्ड के द्वारा भी कोई परिवर्तन होने वाला है। शिक्षा निदेशक पहले भी थे अब भी हैं, पहले भी उनके द्वारा ही शिक्षा का संचालन होता था। इसमें जो भी आदमी रखे जायेंगे वे एक तरह से सरका ी आदमी भी होंगे। आपने कहा है कि इनके लिये बिल्डिंग भी हो ी, इनको वित्तीय अधिकार भी होंगे तथा यह कार्य होंगे।

मान्यवर, यह जो बोर्ड है इसको मैं ऐसा समझता हूं जैसे ऐडवाइजरी बोर्ड यद्यपि आपने उसे पावर दे रखी है। इसके पास कोई साधन नहीं है कि खुद अपना फाइनेन्स कर सके। यह गवर्नमेन्ट पर ही आश्रित रहेगा और उसी के माध्यम से चलेगा। यह कोई इन्डेपेन्डेन्ट बाडी नहीं बनेगा कि उसके बेसिक शिक्षा का उद्धार हो सके। ऐडवाएजरी बोर्ड को जो आपने पावर दी है उसकी जरूरत समझते थे तो आजादी के इतने दिनों बाद तक ऐसा बना सकते थे जिससे एक उचित राय दी जा सकती थी और वास्तव में शिक्षा का सुधार हो सकता था। लेकिन आपका मंशा इसमें केवल यही है कि शिक्षा संस्थाओं में जितने अध्यापक और उसकी जो दूसरी मशीनरी है उसका यूटीलाईजेशन आप किस प्रकार कर सकें। आपने जिला और प्राविंशियल दोनों लेवेल पर ऐसा करने का विचार कर लिया और इसे ले आये।

[श्री त्रिलोकी चन्द]

एजूकेशन ऐसा विषय है जो स्वतंत्रता के वातावरण में रहना चाहिये और आजादी के साथ चलना चाहिये किन्तु यह उस पर अंकुश लगानें का विधेयक है। इस तरह से आप लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं भारतवर्ष में ऐसा दिन न आ जाये जैसे लोग माओ की लाल किताब गले में लटकाये घूमते हैं। तो ऐसे यहां आपकी भी लटकाये घूमनें लगें। जब एजूकेशन पर अंकुश लगाया जाता है तो ऐसा ही मालूम पड़ता है। इस चीज को मैं न शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कह सकता हूं और न सुधार ही, यदि आप को कहना है तो इसे आप शिक्षा का सरकारी करण कहें। आप शिक्षा का सरकारी करण करते चले जा रहे हैं और उसे जनता के हाथों से लेकर सरकार के हांथों में झोंक रहे हैं।

बेसिक शिक्षा समिति जो आपने जिले में बनाई उसमें 3 व्यक्ति अन्तरिम जिला परिषदों तथा जिला परिषदों के होंगे। 3 व्यक्ति जिले में स्थित नगर महापालिकाओं, नगर पालिका बोर्डों नोटिफाइड एरिया कमेटियों तथा टाउन एरिया कमेटियों के सदस्यों में से होगा। और एक-एक व्यक्ति निदेशक द्वारा जिले के लड़कों के इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रिन्सिपलों में से, लड़कियों के इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपलों में से, लड़कों के राजकीय नार्मल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों में से और लड़कियों के राजकीय नार्मल स्कूलों की प्रधानाध्यापिकाओं में से नाम निर्दिष्ट किया जायगा। इसके अलावा तीन से अनधिक अन्य शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

मान्यवर, आप ने जो यह रखा है अब इसमें सब नामांकित तो हैं ही। उसके बाद मुझे एक और बात कहनी है जहां आपके प्रदेश में 5 महापालिकाएं हैं और म्युनिसिपैल्टीज हैं केवल 11–12 परसेंट भाग शहरो में रहता है। तो यहां जो प्रतिनिधित्व दिया गया वह तीन प्रकार के आदमियों को दिया गया। तो इसमें जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है शहरी प्रतिनिधित्व ही ज्यादा बढ़ जायगा देहात का नहीं। जहां तक शिक्षा की व्यवस्था का सवाल है अगर व्यवस्था करनी थी तो गांव की शिक्षा की करते जहां न कोठरी है, न ब्लैक बोर्ड है, न इमारत है, न कोई प्रबन्ध है। बच्चे अपने घर से बोरी लाते हैं उनका प्रतिनिधित्व और कम हो गया। उनकी बड़ी हानि होगी क्योंकि अब तक जिला परिषदों के द्वारा उनको राहत मिलती थी वह भी समाप्त हो जायगी।

आपनें तीन शिक्षाविद् रखे। अगर उनको करना था तो एक आदमी इन शिक्षाविदों में ले लेते लेकिन तीन के रखने की क्या आवश्यकता थी? डिग्री कालेज के प्रिंसिपल को रखने से क्या तात्पर्य निकलेगा। इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल अथवा अध्यापक वृन्द में से रखेंगे। बेसिक शिक्षा से इसका कोई संबंध जोड़ा जायगा? उनका काम केवल एडवायजरी है, कोई पावर नहीं है, अधिकार नहीं है। जिला परिषदों को जो अनुदान मिलता है उसी को आधार मान कर वह काम करते थे और उसी पैसे को लगा देते थे। आज भी वही हालत उनकी है।

जिला स्तर पर इतना महत्व आप दे रहे हैं कि तीन शिक्षाविद् वहां हों। दो इंटरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल हों तो क्या यह जिला स्तर पर एजूकेशन की पालिसी बनायेगा? कौन सी नीति बनायेगा? कौन सा तरीका अख्तियार करेगा एजूकेशन के सुधार के लिये? क्या किताबों का चयन करेगा? जिला परिषद् का जो काम था वही इसका होगा जैसे ट्रान्सफर कर दिया, पैसा आया तो उसको यूटिलाइज किया। इससे ज्यादा और कोई काम इस बाडी का नहीं है।

यह बाडी न भी बनाते तो कोई नुकशान नहीं था। बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इस काम को बहुत आसानी से और आराम से कर सकते थे क्लर्क उनके पास हैं ही। कोई नीति निर्धारित करना है नहीं सिवाय इसके कि सुझाव पेश कर दिया। तो इतनी बड़ी कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह बाडी स्टेट लेविल पर शिक्षाविदों की बनाते और यह परमानेन्ट प्रबन्ध के लिये केवल एडवाइस के लिये बनाते कि बेसिक एजूकेशन तथा दूसरी एजूकेशन

में कैसे तालमेल किया जाय। हमारे प्रदेश में जो क्लर्क पैदा हो रहे हैं पढ़ने के बाद वे पैदा न हों इस तरह की कोई स्कीम नहीं सोची गयी और न इस पर ध्यान दिया गया कि हमारी शिक्षा उपयोगी हो और कल्याणकारी हो बल्कि इस प्रकार से सोचा गया कि हम शिक्षा को किस तरह से कब्जे में करें जिससे कि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। यह जो आपका विधेयक है इससे ज्यादा और कोई लाभ नहीं पहुंचा सका वर्ना यह बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा घातक है।

विलेज लेविल पर जो कमेटी बनाई गई उसमें ग्राम प्रधान चेयरमैन होगा, सीनियर हेडमास्टर सचिव होगा और तीन अभिभावक उसके सदस्य होंगे। प्रधान तो जिम्मेदार पहले भी था। प्राइमरी स्कूलों का फन्ड प्रधान के नाम हो आता है। प्रधान ही हिसाब का देनदार होता है। मैं नहीं समझता कि इससे आपने बेसिक एजूकेशन को कोई बहुत डेवलप कर दिया। एक दो दिक्कतें इसमें मुझको और पेश आईं। हमारे प्रदेश में जो बेसिक स्कूल हैं उनकी संख्या लगभग 63 हजार है।

उस के अलावा सीनियर बेसिक स्कूल हैं जिन को जूनियर हाई स्कूल कहते हैं। वह 8 या साढ़े आठ हजार के करीब हैं। इन दोनों में से बेसिक स्कूल जो कि स्थानीय निकायों के पास थे वह सब के सब चले गये। परन्तु जहां तक जूनियर हाई स्कूल की बात है उस में ज्यादातर स्कूल सरकार के पास हजार डेढ़ हजार होंगे, हजार डेढ़ हजार स्कूल म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया और जिला परिषदों के पास होंगे। उनके अतिरिक्त जो प्राइवेट स्कूल हैं सहायता प्राप्त या बगैर सहायत प्राप्त उनका प्रश्न इस विधेयक में कहीं दिखायी नहीं देता। उनके लिए क्या प्राविजन है? जो प्राइवेट मैनेजमेंट में चलते हैं? पांच हजार के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनको सरकार द्वारा मान्यता दी जा रही है, और सहायता भी देती हैं, कुछ को मान्यता दी है, सहायता नहीं देती है, उनका प्रश्न अधड़ में लटका रह गया। जहां तक यह सवाल है कि यह छोटा सा विधेयक है इस में उन स्कूलों का भी समावेश हो जाता तो अच्छा रहता।

मान्यवर, उन स्कूलों की अलग श्रेणी का प्राविजन नहीं तो उस के बाद उनका क्या भविष्य होगा। यह कहते हैं कि शिक्षा में सुधार की प्रणाली लानी होगी। मैं समझ नहीं पाता कि कौन सी प्रणाली होगी सुधार की। या तो इन स्कूलों को ले लीजिये या छोड़ दीजिये। जो दो बोर्ड बनाये गये हैं, इन दोनों बोर्डों का आपने इस तरह से गठन किया है जिस से आप उनका यूटिलाइजेशन राजनीतिक तरीके से कर सकें। इस लिये आप ने नामिनेशन का, प्राविजन किया है कि जिस को मन में आये उस को नामिनेट कर दें। इस में उन के समय का कोई प्राविजन नहीं है कि छः महीने के लिये होगा, एक साल के लिये या दो साल के लिये। छः महीने या साल भर के बाद निकाल दें। कोई प्राविजन नहीं है कि नामिनेट होने के बाद वह समझे कि तीन साल तक वह सुरक्षित है। जो बात इस अवधि में कहेंगे वह दमदार रहेगी।

उसके विपरीत आपने यह कर दिया कि जिस को चाहा अप्वाइंट कर दिया और जब चाहा निकाल दिया। तो नामिनेटेड आदमी स्वतन्त्र होंगे सोचने के लिये कि यह मैं नहीं कह सकता। जनतन्त्र में कभी ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो लोकल बाडीज हैं छोटी-छोटी आटोनामस बाडीज हैं उन की पावर को छीन कर एक जगह केन्द्रित कर दिया जाय जिस से जनतन्त्र को हमेशा खतरा बना रहता है। हमारे देश में परिपाटी सी पड़ी हुई है केन्द्र में निहित हर चीज और जो स्टेट लेविल पर है वह स्टेट करेगी।

इस विधेयक को बहुत पहले आ जाना चाहिये था। आप कहते हैं कि शिक्षण संस्थाओं का ह्रास हो रहा है और उस समय की कार्यप्रणाली गलत थी तथा ऐडमिनिस्ट्रेशन चौपट था। उस वक्त भी वे ही जनता के नुमाइन्दे थे और आज भी आप के ही नामिनेटेड होंगे। क्या आप यह समझते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ से इसे निकल जाने के बाद और सरकारी कर्मचारियों के हाथों में जाने के बाद उस में निःस्वार्थ से कार्य होगा? मैं नहीं समझता।

[श्री त्रिलोकचन्द]

सरकारी कर्मचारियों की हालत भी कोई अच्छी नहीं है और न ही इस सरकार की हालत अच्छी है। कोई सुधार उनके हाथों जाने के बाद नहीं हुआ। तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी इन शंकाओं का विवेचन करेंगे और ये जो विधेयक वे ला रहे हैं उसे जनता की राय जानने हेतु घुमाया जाय क्योंकि जब तक यह विषय जनता से सम्बन्धित रहेगा तब तक उन्हीं के माध्यम से विचार के बिना इसे नहीं आना चाहिये। अतः इसे वहां भेज दिया जाय।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। वह अपना प्रतिवेदन तीन माह में प्रस्तुत करे। मान्यवर, यह विधेयक बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित है। मैं आप को स्मरण दिलाऊंगा कि सन् 1938 में स्वर्गीय गांधी जी के नेतृत्व में स्वर्गीय डाक्टर जाकिर हुसेन को वर्धा में बुलाया गया था और गांधी जी ने उनसे कहा कि यह अंग्रेजों का राज्य है, इन की शिक्षा प्रणाली गलत है इसलिये जो संस्कार छोटे-छोटे बच्चों में माध्यमिक विद्यालयों में डाले जाते हैं उन के लिये एक योजना बनायी जाय जो कि स्वावलम्बी हो, और मातृभाषा के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाय। बेसिक शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिय, ताकि वे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मान्यवर, यह सिद्धान्त सन् 1939 में गांधी जी के नेतृत्व में डाक्टर जाकिर हुसेन कमेटी ने एक प्रतिवेदन में दिया था और उसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्वीकार किया था। मान्यवर, उस प्रतिवेदन के तीन मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो यह था कि शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जाय वह गांव-गांव में खुले और उस में बच्चों को सूत कातना, बढ़ई-गीरी और क्राफ्ट आदि का काम सिखाया जाय जिसमें से अध्यापकों का वेतन भी आ जाय, जिससे अंग्रेजों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमें उस स्कूल के लिये अनुदान देना पड़ रहा है। साथ ही जो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले नौजवान निकलें वे इस तरह से निकलें ताकि स्वाधीनता की लड़ाई लड़ सकें। इस लिये जब कांग्रेस सरकार का पहला मंत्रि-मण्डल 7 प्रदेशों में बना और उस में इस प्रणाली को अपनाया गया और डाक्टर इबादुर रहमान खान की अध्यक्षता में एक बेसिक शिक्षा कमेटी नियुक्त की गयी।

जो विधेयक लाया गया है उस में बहुत कमियां हैं। इस सम्बन्ध में मैं विवरण बाद में दूंगा, किन्तु उस के बाद एक समिति बैठायी गयी जिस में कि देश के गणमान्य नेता आचार्य नरेन्द्र देव वगैरह थे। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के बारे में एक रिपोर्ट दी। आगे चलकर प्राथमिक अध्यापकों की समितियां बनीं जिनका शोषण जिला परिषदों के राजनीतिज्ञों ने करना शुरू किया, नगर पालिका के नगराध्यक्षों ने शुरू किया और राजनीति का अखाड़ा अध्यापकों को बनाया। उनको कम वेतन दिया जीने लायक वेतन नहीं दिया।

पहले स्वशासी बोर्ड बनाने का लक्ष्य था। इसमें एक धारा आयी है जिसमें स्वशासी बोर्ड बनाने की बात है। इससे नगरपालिकाओं और जिला परिषदों के राजनीतिक अखाड़े बाजी के चंगुल से 2 लाख 86 हजार अध्यापक मुक्त हो सकेंगे इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखें कि इसके अन्दर कितना अन्याय है। 2 लाख 86 हजार अध्यापकों के अध्यक्ष माननीय भोला सिंह, आजमगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके मंत्री श्री रणजीत सिंह, जौनपुर जनपद के प्राथमिक अध्यापक हैं। अनेकों शिक्षा मंत्री आते रहे हैं। डाक्टर रामजी लाल सहायक जब शिक्षा मंत्री थे तब निरन्तर उनके सामने यह मांग रही कि जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा तो इसके प्रतिनिधियों का शिक्षा समितियों के संचालन में हाथ होगा।

मान्यवर, पहली समिति आप देखें कि उसके निम्नलिखित सदस्य होंगे—निदेशक होंगे, ठीकहै। इसके बाद २ व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र समिति के लिये लिये जायेंगे, एक व्यक्ति नगर महापालिकाओं के पांच नगर प्रमुखों में से कोई होगा। वह शायद कांग्रेस का नगर प्रमुख ही होगा। कोई बात नहीं लेकिन एक लिया जायगा अपने प्रदेश में जो १२० या १२४ नगर पालिकायें हैं उनमें से और इसके अलावा एक सचिव होगा। एक प्रतिनिधि राजकीय शिक्षासंस्थान से हैं जो खोज कर रहा हो कि किस तरह का पाठ्यक्रम हो जो इन बच्चों को पढ़ाया जाय जिससे वे देश के अच्छे नागरिक बन सकें।

सब लोग हैं लेकिन शिक्षकों का एक भी नेता इसमें नहीं है। कहीं भी यह नहीं किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री भोला सिंह हों या मंत्री श्री रणजीत सिंह ही हों, लेकिन किसी को नहीं रखा गया जिससे प्राथमिक विद्यालयों के 2 लाख 86 हजार अध्यापकों का प्रतिनिधित्व होता जिससे व बतलाते कि किस तरह से शिक्षकों को वेतन कम न मिले, लड़कों में अनुशासन कैसे लाया जाय, इतिहास, भूगोल कैसे पढ़ाया जाय, गणित की कैसे पढ़ाई हो, कैसे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जायं जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें। और हाई स्कूल, इंटर, बी० ए० व बी० एस-सी० पास करने के बाद वे देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकें। इसका कोई विवरण इसमें नहीं है।

जिला स्तर की समिति जो नियम १० के अन्दर बनायी गयी है इसके लिये भी मैं उनको बधाई देता हूं। कुछ लोग जनता की बात करते हैं, गरीबी को हटाने की बात करते हैं लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसके अध्यक्ष नहीं होंगे। तीन व्यक्ति जिला परिषद् के रखे गये हैं, तीन व्यक्ति नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज के होंगे। वे तो यही चाहेंगे कि गाय बछड़े के चिन्ह पर जो चुनकर आये हैं वही रखे जायें। लेकिन वास्तव में होना यह चाहिये कि उस समिति में शिक्षाविद् होने चाहिये, शिक्षक होने चाहिये और उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि लड़कों के इन्टरमीडिएट कालेजों का एक प्रतिनिधि है, लड़कियों के इन्टर कालेजों का एक प्रतिनिधि है, पता नहीं यह प्रतिनिधि राजकीय इन्टर कालेजों का होगा या गैर-सरकारी इन्टर कालेजों का।

हमारे इलाहाबाद में 120 इंटर कालेज हैं, मेरठ में 140 हाई स्कूल व इन्टर कालेज हैं, उनमें से लिये जायेंगे या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा लड़कों के राजकीय नार्मल स्कूल का एक प्रधानाध्यापक, लड़कियों के राजकीय नार्मल स्कूल की एक प्रधानाध्यापिका। इसमें तीन और भी अन्य शिक्षाविद् हैं। जिला स्तर पर नगरपालिकाओं का प्राथमिक शिक्षक संघ की जो समिति है, नोटिफाइड एरिया और जिला परिषद् के प्राथमिक अध्यापकों की जो समिति है, उसमें करीब करीब 2 हजार अध्यापक हैं।

माननीय मंत्री जी के जिले में गत वर्ष में गया था प्राथमिक शिक्षक संघ सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिये जिसमें शायद 3,800 प्राथमिक अध्यापक आये थे। और लगभग 2 हजार नगरपालिकाओं के अन्दर काम करने वाले अध्यापक हैं।

यह श्रीमन् जिला स्तर पर भी भूल गये। हर जिले में आठ-आठ दस-दस हजार अध्यापक हैं तभी तो प्रान्त भर में 2 लाख 86 हजार अध्यापक होते हैं। इन समितियों में इन विद्यालयों के प्रतिनिधियों को भी रखना चाहिये था, यह उनकी मांग है। पूरे 8 या 10 साल से आन्दोलन होते चले आते हैं। सरकार ने आश्वासन भी दिया था। जब संविद् की सरकार थी तब यहीं पर सचिवालय के सामने प्रदर्शन हुआ था और यह हुआ कि ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसी के अन्दर माननीय रामजी लाल सहायक जो उस समय शिक्षा मंत्री थे उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि वे इसको करेंगे और इसीलिये मैंने यह प्रवर समिति की मांग रखी है कि इसमें न भोला सिंह न रणजीतसिंह और न प्राथमिक शिक्षकों की बात मानी गयी और न इसमें 2 लाख 86 हजार अध्यापकों का एक भी

[श्री रामगोपाल संड]

प्रतिनिधि रखा गया है, न प्रान्तीय स्तर पर और न जिला स्तर पर और यह अध्यापकों के साथ इन दोनों ही स्तरों पर अन्याय हुआ है।

इसके अतिरिक्त, इसमें कहीं यह नहीं बताया गया कि अग्रेसेन इंटर कालेज, कान्यकुब्ज कालेज या प्रतापगढ़ के क्षत्रिय कालेज या वैश्य कालेज हैं ऐसे ही कितने कालेज हैं जिनके अन्दर 1, 2, 3 य 8वीं कक्षायें तक चलती हैं या कानपुर में भी हैं, लखनऊ में भी हैं अकेले इलाहाबाद के अन्दर ही 120 मिडिल स्कूल्स चलते हैं तो प्राइवेट लोग चलाते हैं, जो निजी संस्थायें चलाती हैं कानपुर में तो ढाई या तीन सौ तक ऐसे स्कूल्स होंगे जो लड़कियों या लड़कों का शोषण करते हैं, जो अध्यापकों और अध्यापिकाओं का शोषण करते हैं और अधिक क्या कहूं आप यहां से लेकर स्टेशन तक चलिये तमाम जगह पोस्टर्स लगे हुये हैं कि बिना 8वां दर्जा पास किये हुये हाई स्कूल पास करावेंगे और इंटर मीडियेट पास करायेंगे, यह जो कामर्शल मनोवृत्ति वाले लोग हैं और पहले दर्जे से 8वें दर्जे तक विद्यालय चला रहे हैं पता नहीं हमारे शिक्षा मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी का, या जो निदेशक बना रहे हैं श्री श्रीनिवास शर्मा जी का या अन्य शिक्षाविदों का ध्यान उनकी तरफ क्यों नहीं गया।

इलाहाबाद में डी० ए० वी० कालेज के बगल में ही एक लड़कियों का मिडिल स्कूल है और श्रीमती प्रभा ज्ञानवती जलोटे उसकी प्रधानाचार्या हैं। 8वें दरजे तक वहां शिक्षा दी जाती है। वह एम० ए०, एल० टी०, एम० एड० हैं। उनसे 220 रुपये पर तो हस्ताक्षर कराये जाते हैं बराबर और सौ रुपये ही उनको वेतन मिलता है। वह मेरे मकान के बगल में ही रहती हैं और उनके घर का खर्चा इसलिये चला जाता है क्योंकि उनके पति महोदय ए० जी० आफिस में आडीटर हैं।

तो बड़े-बड़े नगरों में और छोटे बड़े सभी नगरों में अनेकों लोगों द्वारा मान्यता-प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त ऐसे अनेक विद्यालय चलाये जा रहे हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त होने के कारण अनुदान लेते हैं या नहीं भी लेते हैं लेकिन वे सब ट्रेण्ड अध्यापकों जो बी० ए० एल० टी० हैं, एम० ए० हैं या एल० टी० हैं या जे० टी० सी० हैं सभी अध्यापक भाई बहनों का शोषण करते हैं। इस प्रदेश में लगभग 25, 30 हजार मिडिल स्कूल्स ऐसे होंगे जो वैधानिक या अवैधानिक रूप से चल रहे हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व इस बिल में नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, यह कहीं नहीं बताया गया इस विधेयक में कि जो समिति के सदस्य होंगे क्या कार्यकाल उनका होगा, उनके क्या अधिकार होंगे। उसमें यह भी नहीं है जैसा कि स्वर्गीय गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा बेसिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से हो और उसके द्वारा प्रत्येक बालक के अन्दर राष्ट्रीय चरित्र का विकास हो, इसके साथ ही हमारे देश के अन्दर ऐसी शिक्षा संस्थायें कायम हैं जो मिशनरियों के द्वारा चलाये जाते हैं, कोई इटली के मिशन, अमेरिकन मिशन हैं या जर्मनी के मिशन हैं उनके द्वारा स्कूल्स चलाये जा रहे हैं।

इस प्रकार के स्कूल दस-दस बारह-बारह अनेक नगरों में खुले हुये हैं और यही न कि नगरों में बल्कि गांवों तक में खुले हुये हैं। हमारे इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील बहुत पिछड़ी हुई मानी जाती है। वहां भी सेन्ट जोसफ स्कूल कोरांव के अन्दर है और अरैल के अन्दर सेन्ट बेन्थन स्कूल हैं। अरैल के अन्दर, तहसील करछना में वहां सेंट बेंथन स्कूल हैं जिन्होंने वहां 10 लाख रुपये की बिल्डिंग बनवायी। इटली से आने वाले पादरियों ने स्कूल वहां खोल दिये हैं। इन पादरियों ने इंगलिश स्कूल खोल लिये हैं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अन्दर यह आता कि जिन स्कूलों में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक की शिक्षा दी जायेगी, चाहे वे मान्यता प्राप्त स्कूल हों, चाहे अग्रवाल कालेज हो, चाहे कान्यकुब्ज कालेज हो, चाहे मिशनरी स्कूल हों या पब्लिक स्कूल हों, वह सब इसमें आ जाने चाहिये थे।

इलाहाबाद में दस लाख रुपया लगा कर सेंट बेंथम स्कूल खोला गया जिसके चारों ओर गरीब और नीच जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं, वह इसलिये नहीं खोला कि सेवा की दृष्टि ध्यान में रखी गई बल्कि इसलिये खोला गया है कि वहां के गरीब और छोटी जाति के लोगों का ये लोग आसानी से धर्म परिवर्तन कर सकेंगे और वे फ्रांस और इटली के प्रतीक बनेंगे। समाजवादी सरकार का यह कर्तव्य था कि इसके अन्दर एक धारा आई होती कि जितने पब्लिक स्कूल हैं, या जितनी मिशनरी स्कूल हैं, वह भी इसके अन्तर्गत आ जाते। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं। हर एक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। लेकिन अगर इन मिशनरी स्कूलों को इसी तरह से चलने दिया जाता है तो छोटे अबोध शिशुओं पर ये गलत संस्कार डाल कर उनको अराष्ट्रीय मनोवृत्ति और परकीय मनोवृत्ति का बनायेंगे। मैं इस समाजवादी सरकार से इसकी आशा नहीं करता हूं।

हमारे देश में बहुत से लोग बड़ी दुहाई देते हैं अमरीका के प्रगतिशील होने की और रूस के प्रगतिशील होने की बड़ी दुहाई देते हैं। रूस के लोगों से हमारा बड़ा प्रेम भी है। हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग रूस को 'सफरमैना' हैं। रूस अमरीका में 266 वैकल्पिक विषय प्रारम्भिक शिक्षा में पढ़ाये जाते हैं। उनमें छोटे-छोटे काम जैसे पालिश करना वगैरा सिखाये जाते हैं। इनकी शिक्षा प्रणाली में एक से लेकर आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रणाली में इन वैकल्पिक विषयों के दो पीरियड्स लगते हैं और बाकी जो चार पीरियड्स होते हैं उनमें वहां की भाषा पढ़ाई जाती है। इसमें ऐसी बातों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। वही घिसी पिटी बातें कही गई हैं कि जिला परिषद् और नगरपालिका के विद्यालयों में शिक्षकों का शोषण होता था और इधर की ओर से सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं।

पब्लिक स्कूलों और मिशनरी स्कूलों का शायद हमारे मंत्री जी को पता न हो क्योंकि वे नये मंत्री हुये हैं। मान्यता प्राप्त स्कूलों में चाहे एक, दो, तीन, चार, कैटेगरीज के स्कूल हों या दूसरे स्कूल हों या आर्य कन्या पाठशाला हो जहां हमारी बहन जी डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी प्रधानाचार्या हैं। उन्होंने वहां से अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है।

इसी तरह से हमारे गोस्वामी जी ओसा इंटर कालेज, मंझनपुर, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने भी अभी तक त्याग-पत्र नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बेसिक स्कूल हैं उनको न तो सरकारी ग्रांट ही मिलती है और न वहां के अध्यापकों को डी0 ए0 ही मिलता है। इन विद्यालयों के मैनेजर इनके अध्यापकों का बुरी तरह से शोषण करते हैं। उनके दस्तखत 220 रुपये पर कराते हैं और मुश्किल से सौ रुपये देते हैं मान्यता प्राप्त के जो विद्यालय हैं उनको सरकार अनुदान नहीं देती है और वहां के अध्यापकों को महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है।

माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय महेश्वर पांडेय तथा माननीय भोलासिंह जी जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने इसके संबंध में प्रदेश भर में आन्दोलन चलाया कि इन विद्यालयों को मनेजरों के चंगुल से छुड़ाया जाय। इन विद्यालयों के अध्यापकों को मनेजर लोग मुश्किल से 50–60 रुपये माहवार वेतन देते हैं जब कि चपरासी को 120 रुपये माहवार वेतन मिलता है। इस तरह से चपरासियों से भी इनको नीचे गिरा रखा है। एक ग्रेजुयेट लड़की है जो इंग्लो बंगालिन है, उसको 50–60 रुपया माहवार वेतन मिलता है। लेकिन मंत्री जी ने इसकी जांच नहीं की और न निदेशक श्री निवास शर्मा से ही पूछा कि उन की क्या राय है और न डा0 डी0 डी0 पन्त जी की ही सलाह ली और यह अधूरा, लचर और जल्दी में लाकर विधेयक हमारे सामने रख दिया। यह अध्यापक विरोधी कानून है और न यह अध्यापकों को कोई प्रतिनिधित्व ही देने वाला है। न यह विदेशी मिशनरियों के चंगुल से ही हमें छुटकारा दिलाता है और यह गांधी जी का जो सन्देश था और उनके विचार के विपरीत विधेयक है।

सन् 38 में वार्धा में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के विषय में 3 चीजें बहुत आवश्यक बतायी थीं कि अव्वल तो वह स्वावलम्बी होना चाहिये, वह मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिये और

[श्री राम गोपाल संड]

बेसिक विद्यालय जो होंगे उन में पाठ्यक्रम अंग्रेजी के माध्यम से नहीं होगा। लेकिन आज तक न तो डा० जाकिर हुसैन के प्रतिवेदन पर ही अमल किया गया और न डा० इबादुर्रहमान जो शिक्षाविद् समझे जाते हैं उनकी ही रिपोर्ट पर कोई अमल किया गया। किसी भी स्तर पर कोई ध्यान इन रिपोर्टों पर नहीं दिया गया।

इसी तरह से कुठारी आयोग की भी कोई बात नहीं मानी गई और कार्यान्वित नहीं की गई। आज तक अध्यापकों को जीवित रहने के लिये आवश्यक वेतन जो 150 रुपया होता है वह भी मूल्य सूचकांक के अनुसार नहीं दिया गया है। जल्दबाजी में आपने यह एक कदम जरूर बढ़ाया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन आप इसमें और 2 कदम पीछे भी साथ में हट गये हैं। इन्हें आज भी वही फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमरीका की भाषा प्रिय हैं और पब्लिक स्कूलों के जो प्रबन्धक हैं, जो उनकी प्रबन्ध समितियां हैं, जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं या इन्टर कालेज और हाई स्कूल हैं उनके प्रबन्धकों से आप डरते हैं और इसीलिये आपने उन स्कूलों के 1 से 8 दर्जे तक के प्रबन्ध को नहीं छुआ है।

आप जानते हैं कि किस तरह से व्यवसायिक प्रवृत्ति रखने वाले स्कूल लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर आदि बड़े नगरों में चलाये जा रहे हैं और आप जानते हैं कि आप यहां के ही एक सम्मानित विधायक पचासों हजार रुपया अनुदान का ले जाते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन इस तरह के स्कूल आपकी जानकारी में चलाये जाते हैं और पैसा वहां कमाया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे स्कूल चाहे जगदीश गांधी के हों या रामगोपाल संड के हों किसी को भी इस तरह से स्कूलों को आप की ग्रान्ट और परिश्रय नहीं मिलना चाहिये।

आप देखें कि आप की पूरी शिक्षा की प्रणाली में अमली परिवर्तन की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि यहां भी विदेशों की तरह छोटे लड़कों को स्कूलों में धोबी, कलईगीरी और बढ़ईगीरी आदि के वैकल्पिक विषय सिखाये जायं। आज अमरीका में आप देखें तो इस तरह के छोटे-छोटे विषय लड़कों को पढ़ाये जाते हैं जो उनके जीवन में जीविका के साधन बन जाते हैं। ऐसे विषयों का समावेश इन बेसिक स्कूलों में होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री जी के और सदन के समक्ष रखता हूं और उनको इस विधेयक के लाने के लिये बधाई देता हूं लेकिन सैनिक शिक्षा के अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि वह हमारे संशोधन को स्वीकार करें और इस पर व्यापक रूप से विचार होने दें।

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बेसिक शिक्षा विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। यह जो बसिक शिक्षा का भार सरकार ने अपने ऊपर लिया है इस की चारों तरफ से बहुत दिन से मांग थी। इससे पहले यह कार्य जो जिला परिषदों, नगरपालिकाओं या महापालिकाओं द्वारा चलाया जाता था उसमें इतनी अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था थी कि चारों ओर से एक चीत्कार उठी और उस पर सारी जनता में असन्तोष और घोर रोष था। इस को देख कर ही सरकार ने उस भार को अपने ऊपर लिया है इसके लिये हम सरकार का बहुत ही अनुग्रहीत होना है और सरकार को बधाई देना है।

कुछ शंकायें प्रस्तुत की गई कि कहीं ऐसा न हो कि सारा बेसिक शिक्षा का भार ग्रहण करने के बाद भी कहीं वह बीमारी न लगी रहे। बेसिक शिक्षा भी उन्हीं दोषों से पीड़ित रहे जिनसे हमारा समाज शताब्दियों से पीड़ित रहा है।

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि बेसिक शिक्षा की क्या दशा थी अभी तक। मैंने स्वयं यहां पर कई बार प्रश्न किए अपने इलाहाबाद जनपद के विषय में कि कितने ऐसे बेसिक स्कूल्स

हैं जिनके पास भवन नहीं है। सरकार की ओर से उत्तर मिला कि 400 ऐसे बेसिक स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं थे। यह एक जिले की बात है। जब इस जिले में 400 स्कूल्स हैं जिनके पास भवन की व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, तो व्यवस्था क्या थी। तो मैंने दौरा करके भी देखा प्राइमरी स्कूल्स की हालत। जहां टूटे-फूटे मकानों में ये स्कूल्स हैं, वहां उनमें साज-सज्जा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यापकों और अध्यापिकाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। जितनी घोर उपेक्षा बेसिक स्कूल शिक्षा की की गयी है, हमारे प्रदेश में और देश में शायद ही संसार में उसकी कहीं पर तुलना हो।

मान्यवर, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि...

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

बेसिक शिक्षा में जो ह्रास हुआ है उसके कारणों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें ताकि सदन को कुछ लाभ हो सके।

श्री रामगोपाल संड—

आपका क्षेत्र तो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां के बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री सर्वसुख सिंह—

आपके और अपने दोनों क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। जिला परिषदों और नगरपालिकाओं का और अन्य स्थानीय निकायों का अभी तक उन पर शासन था। अध्यापकों की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मकानों और साज-सज्जाओं की व्यवस्था नहीं थी और उन स्कूलों में राजनीति का भी समावेश था। हमने देखा कि जिला परिषदों में बेसिक शिक्षा में राजनीति का अखाड़ा था, वैसे ही माध्यमिक शिक्षा में भी था लेकिन बेसिक शिक्षा में तो जिला परिषद् का जो अध्यक्ष होता था अध्यापक लोग उसके दास समझे जाते थे। वह जहां चाहते, उनका स्थानान्तरण वहीं कर देते थे और चन्दा भी उनसे वसूल करवाते थे। तो इन्हीं कारणों से आज शासन ने बेसिक शिक्षा को अपने हाथ में लिया है।

अब नयी आशाओं का उदय हुआ है। जो पहले इस शिक्षा में विकार हैं, आशा है वे दूर हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान और अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान कुछ विशेष तत्वों की ओर आकर्षित करूंगा क्योंकि शायद कम लोगों का ही उधर ध्यान गया हो। मैं सदा इस धारणा का रहा हूं कि छोटे बालकों और बालिकाओं की शिक्षा देना बड़ा ही कठिन विषय है। जो अध्यापक बाल मनोविज्ञान नहीं जानता, जो शिक्षक अल्पशिक्षित है या अप्रशिक्षित है और हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट होते है वे छोटे बच्चों को हैंडिल नहीं कर सकते है। यदि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि नयी पीढ़ी में परिवर्तन आये, हम लोगों में जो विकार आ गये है, हम जिन व्याधियों से ग्रसित हैं नयी पीढ़ी में अगर हम उन विकारों को न जाने दें तो बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष योजना करनी पड़ेगी।

मैं स्वयं सदैव इस विचार का रहा हूं कि जो अध्यापक और अध्यापिकायें, उन बच्चों को शिक्षा में लगाये जा रहे हैं, उनमें कदापि नय संस्कार पदा नहीं कर सकते हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि कम से कम 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक तो महिलाय ही रखी जायं। उनके लिए पुरुष अध्यापक न रखे जायं। महिलाओं में कुछ मातृत्व का भाव रहता है। और वे छोटे बच्चों की देखरेख प्रेम से करती हैं। अपने अनुभव की बात है मान्यवर, कि गांव के या नगर के ये अल्पशिक्षित अध्यापक बच्चों को जरा-जरा सी बातों में चांटे मार देते हैं। एक नौजवान ने पांच छः साल के बच्चे को चांटा कस दिया। सारा ज्ञान तो उसका उड़ गया जो कुछ सीखा था उसने। इसलिये क्रूरतापूर्वक या निर्दयतापूर्वक जो छोटे बच्चों को हैण्डिल कराया जाता है यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये।

[श्री सर्वसुख सिंह]

तो मेरा एक तो यह सुझाव है कि कम से कम ग्यारह वर्ष तक के बच्चों के लिये महिलाओं को ही शिक्षण कार्य में लगाया जाय और यदि सम्भव हो तो आपको शायद हंसी आये इस बात पर लेकिन मेरा विचार है कि जो रिटायर्ड कालेजों के अध्यापक होते हैं, जो अनुभव प्राप्त पुराने अध्यापक हैं जो हाई स्कूल और इन्टर कालेजों से निकलते हैं जिनके पास ज्ञान होता है और अनुभव भी होता है और वयोवृद्ध होने के नाते वे समझते हैं कि शिक्षा क्या चीज है। किस प्रकार से छोटे बच्चों को हैन्डिल करना चाहिये। उन रिटायर्ड अध्यापकों को भी लगाइये हाई स्कूल और इन्टर कालेजों और डिग्री कालेजों के। अगर वे तैयार हैं छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिये। मैं तो कहता हूं कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स अगर वे भी चाहें, वे इन बच्चों को शिक्षित करें।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

प्रश्न यह उठता है कि जो हाई स्कूल पास और इन्टर पास लोग रखे हैं लाखों की तादाद में अभी हमारे संड जी ने उनकी संख्या भी बताई कि लाखों की संख्या में हाई स्कूल और इन्टर पास लगे हैं उनको लगा दीजिये निरक्षरता निवारण में। तो ये सेना लगा दीजिये 21 परसेन्ट घटा कर। जितने निरक्षर हैं आपकी आबादी का 100–21, हुए 79 परसेंट ये निरक्षर लोग हैं हमारे प्रान्त में। उन निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने में यह सेना लगा दीजिये। य लोग साक्षर तो कहे जा सकते हैं परन्तु स्वयं शिक्षित नहीं हैं। ये बच्चों को हैण्डिल नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, यह मेरा दूसरा सुझाव था। एक बात की कठिनाई मैं और अनुभव करता हूं जो कि प्रायः हमारे साथियों को यहां विधान सभा में आकर इन पंखों के नीचे बोल बाल जाते हैं। उनकी चर्चा मैं कम सुना करता हूं। जितना पिष्टपेषण शाब्दिक होता है वह है कन्याओं की शिक्षा।

देहातों के अंचल में प्रायः यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो सुशिक्षित महिलायें पाई नहीं जातीं। शहरों से व अध्यापिकायें बुलाई जाती ह। शहरों स जो जाती हैं उनके संबंध में बहुत सी कठिनाइयां हैं। उनकी सुरक्षा का भी सवाल होता है। उनके रहने का ठिकाना भी गांवों में नहीं होता। आवागमन की कठिनाई होती है। और कई बातें हैं जो बताने की नहीं हैं, आप सब समझते हैं। देहात के स्कूलों में पढ़ाने के लिये ग्रामीण महिलायें बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि हर ग्राम सभा में स्थानीय तौर पर कम से कम दो महिलाएं बी0 ए0 एल0 टी0 या बी0 ए0 बी0 एड0 कर दी जायं।

हर ग्राम सभा में आप यह किसी प्रकार शीघ्रातिशीघ्र करें। यदि यह न हो सके तो एक पंचायत अदालत के क्षेत्र में कम से कम 2/4 महिलाओं को प्रशिक्षित करें ग्रेजुयेट स्तर की, और उन्हीं को भार दे दीजिये शिक्षा का और वहीं उनकी नियुक्ति कर दीजिये। ऐसा न हो करके यदि यह हुआ कि जौनपुर की महिला इलाहाबाद पढ़ाने गई, या एक तहसील से दूसरी तहसील गई तो वह शिकार बनेगी तमाम सामाजिक अन्यायों की। इससे आपकी शिक्षा को चाहे जितने आप बिल पास कर दें, सफलता नहीं मिलने की है जब तक कि आप उसमें जो मूल दोष हैं उस पर विचार नहीं करेंगे। हर ग्राम सभा और न्याय पंचायत स्तर पर 2–4 महिलाओं को उच्च कोटि की शिक्षा दीजिये, प्रशिक्षित कीजिये और उनको वहीं के स्थानीय बालिकाओं की शिक्षा में लगायें ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े और वह क्षेत्र उनका परिचित हो और सुरक्षा के उपाय भी रहें, तभी ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हो सकती है। अगर आपको केवल बजट को पूरा करना है तो इससे शिक्षा की समस्या का हल न होगा। इन शब्दों के साथ में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी द्वारा आज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक इस विधान सभा में पेश किया है, इससे इस प्रान्त के लोगों को इसके प्रति और इस सरकार के प्रति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत बड़ी आशायें थीं कि शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन श्रीमन्, इस ऐक्ट को देखकर के मुझे ऐसा लगा कि यह मुल्क और देश जो अपनी आजादी की रजत जयन्ती मनाने जा रहा है, पिछले 25 वर्षों में भी अपनी कोई शिक्षा पद्धति नहीं अपना सका।

लार्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति संचालित की थी, वही शिक्षा पद्धति आज तक चल रही है। आज हम यह कहें कि शिक्षा पद्धति में कोई सुधार हुआ है, वैसी बात ही नहीं है। जहां हमारे मुख्य मंत्रीजी शिक्षा शास्त्री हों, जहां का शिक्षा मंत्री स्वयं शिक्षा शास्त्री हो, वह आज तक कोई शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीति न घोषित हो, यह बहुत ही खेद की बात है। परन्तु इतना अवश्य है कि जो लार्ड मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति प्रचलित थी इसमें कुछ सुधार लाया गया है और वह केवल इतना कि जिला परिषद्, क्षेत्र समितियों, म्युनिसिपैल्टीज द्वारा संचालित जो स्कूल हैं उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। यह कार्य बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि यहां जो बेसिक एजुकेशन इनके द्वारा संचालित हो रही थी, इसमें लोगों ने कुछ ऐसे गलत काम किये थे कि कभी शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था या उनके बारे में यह कहा जाता था कि राजनीति में भाग लेते हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है, यह अब देखना है।

वही शिक्षा समितियां अब भी बनेंगीं, जिला स्तर पर होंगी, ग्रामसभा स्तर पर बनेंगी। इस बात का कौन सा साबूत है कि प्रजातन्त्र में उन समितियों में राजनैतिक आदमी न होंगे। जब तक प्रजातन्त्र रहेगा, राजनैतिक आदमी जरूर रहेंगे और राजनैतिक आदमी उन समितियों में आयेंगे—जिला परिषद् से 3 आदमी—ग्राम प्रधान अध्यक्ष हो जायेगा और कुछ उधर के लोग होंगे तो इसमें सवाल इस बात का है कि एक बात इन होने की है लेकिन वह कहां तक सार्थक होगी। अभी कहना कि शत-प्रतिशत इसका फायदा होगा, यह कोई कहने की बात नहीं है। दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि आज उत्तर प्रदेश में आप देखें कि शिक्षा का कितना विकृत रूप हो गया है। किसी भी एम० ए० पास लड़के को बुला लीजिये। वह न हिन्दी ठीक से लिख सकता है और न अंग्रेजी। मैंने कितने ही ऐसे लड़कों को देखा है। आधा अंग्रेजी लिखते हैं तो बीच में हिन्दी। आज 25 वर्ष में जो विद्यार्थी हमने पैदा किये, जो नागरिक मुल्क को दिये, उनकी हालत यह है कि वे न हिन्दी अच्छी तरह से बोल सकते हैं और न अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल या लिख सकते हैं। उसका कारण सरकार की नीति है। अभी तक यह था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हिन्दी मीडियम होगा। लेकिन सरकार की नीति दुरंगी है। कौन-सा मीडियम होगा, इस बात में सरकार स्पष्ट नहीं है।

दूसरी बात जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, जिस अध्यापक के पास आपका बच्चा बेसिक स्कूल में जायेगा, उस अध्यापक की हालत क्या है। मैं अपने गांव का अनुभव बताता हूं कि एक बी०ए० एल०टी०, को जहां 250 रु० मिलते हैं स्कूल में, अध्यापक के पद पर, वहीं अगर एक व्यक्ति चपरासी के पद पर जाता है स्टेट गवर्नमेंट में तो उसको 300 रुपये मिलते हैं। जिस मुल्क में एक अध्यापक को जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल पास चपरासी के बराबर भी वेतन न मिले, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा आदमी मिलेगा अध्यापक के पद के लिये। योग्य अध्यापक तभी मिलेगा, जब आप उसका वेतन बढ़ायेंगे। तभी अच्छे-अच्छे आदमी आयेंगे। अच्छे आदमी के हाथ में शिक्षा रहेगी तो अच्छा फल मिलेगा। तो इसमें इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक कि शिक्षक की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक शिक्षा की प्रगति की बात सोचने में कोई उन्नति नहीं होगी, चाहे आप किसी व्यवस्था को अपनायें। जिस आदमी के पास आपके लड़के को शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना है या जिस आदमी के हाथ में स्कूल के बच्चों की जिम्मेदारी होती है, अगर उस अध्यापक के आर्थिक स्तर को जब तक आपने ऊंचा नहीं किया, तब तक इस ऐक्ट में कोई लाभ होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

एक बात और है, श्रीमन्। दुर्भाग्य है, श्रीमन्, इस मुल्क में कितने ही ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को धनोपार्जन का साधन बनाये हुये हैं। कितने विद्यालय इसलिये आरम्भ करते हैं—कि जनता का फायदा नहीं—उनको किस प्रकार से इधर—उधर से अनुदान मिले और उनका काम ठीक से

[श्री इन्द्रमणि]

चले। सरकार को कम से कम ऐसी संस्थाओं जिनसे कि राष्ट्र को नुकसान होता है, दूर करना चाहिये।]

मान्यवर, सबसे बड़ी चीज जो सरकार को इस बिल को लाकर तय करना चाहिये था, वह थी कि इस प्रान्त में बेसिक स्कूलों में जो-जो लड़के पढ़ते हैं उनको एक तरह की शिक्षा दी जाय। आज भी इस समाजवादी सरकार ने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि पब्लिक स्कूल और बेसिक स्कूल में जो इतना बड़ा अन्तर है, उसको हम दूर करेंगे। जो बड़े आदमी हैं, जिनके पास धन है, उनके लड़कों के लिये पब्लिक स्कूल रहेंगे और जो गरीब आदमी हैं उनके लिये बेसिक स्कूल रहेंगे। इस एक्ट में यह जरूरी था कि जो पब्लिक स्कूलों और बेसिक स्कूलों में इतना बड़ा अन्तर है इसको धीरे-धीरे मिटा देते। बड़े आदमी का लड़का दूर स्कूल में पढ़ेगा, एक हजार रुपया मासिक उस पर खर्च आयेगा, उसका मुकाबला गरीब का बेसिक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कैसे करेगा? इस ऐक्ट के द्वारा आप कोई एसी चीज नहीं लाये हैं कि जिससे शिक्षा में समानता लायी जा सके।

श्रीमन्, अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था की थी वह केवल इस लिए की थी कि उन्हे कुछ क्लर्क हिन्दुस्तान में मिल जायं। आज तक वही शिक्षा पद्धति चल रही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज हर प्लान के बाद बेकारों की संख्या बढ़ रही है। प्लान और शिक्षा का कोई तालमेल नहीं है। हमें जरूरत है डाक्टरों की तो तैयार किए जाएंगे इंजीनियर और जरूरत है इंजीनियर्स की तो तैयार किए जाएंगे कुछ और। इस शिक्षा से न चरित्र बल ही बढ़ा है और न धनोपार्जन ही हुआ है। जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, जितने भी सदस्यगण है, सभी मानते हैं कि शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है। बड़े –बड़े केन्द्रीय नेता तक अपने दीक्षान्त भाषण में कहते हैं कि इस देश की शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है, लेकिन उसको बदलते क्यों नहीं हैं यह बात समझ मे नहीं आती। इसलिए शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस रजत जयन्ती के अवसर पर एक ऐसी परिषद् बनाएं जो इन सब बातों पर विचार करें और एक सुनिश्चित शिक्षा नीति के बारे में बातचीत करें।

एक बात और कहना चाहता हूं। सारे प्रदेश में टिहरी गढ़वाल जिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। महिलाओं में 1.5 प्रतिशत शिक्षित हैं। नरेन्द्रनगर और देवप्रयाग, ये जो जूनियर हाईस्कल हैं, इनके लिए मैंने बार–बार कहा कि इनका उच्चीकरण कर दिया जाय। सब पहाड़ी जिलों में टेहरी–गढ़वाल पिछड़ा हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि गत वर्ष पांच–सात स्कलों का उच्चीकरण किया। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस रजत जयन्ती के अवसर पर टेहरी–गढ़वाल में पांच–सात और स्कूलों का उच्चीकरण जरूर कर दीजिए।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय और साथियों, मैं अभारी हूं शिक्षा मंत्री जी का और सरकार का जिनका ध्यान प्राथमिक शिक्षा की ओर गया। विधेयक के उद्देश्य और कारण प्रकट करते हुये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा में नवजीवन का संचार करने के लिये और प्रगतिशील बनाने के लिये यह लाया जा रहा है। मुझे इस शिक्षा विधेयक को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यह जो दो उद्देश्य हैं कि प्राइमरी शिक्षा में नवजीवन का संचार हो और प्रगतिशील बने, वह इसमें नहीं हैं।

श्रीमन्, शायद इस ओर शासन का ध्यान नहीं गया है कि प्राइमरी शिक्षा में 1,30,00,000 बच्चे हैं और जूनियर हाई स्कूल में 70 लाख बच्चे हैं। कुल संख्या जिनकी बेसिक शिक्षा परिषद् देख भाल करेगी 2 करोड़ है और उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों और अध्यापिकाओं की संख्या 2, 86,000 है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि हरियाना की आबादी

1,30,00,000 है और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2 करोड़ है। यह मामूली काम नहीं है। हरियाना एक छोटा सा राज्य है। उसको चलाने के लिये गवर्नर, मंत्रि परिषद् और सारे अधिकारी हैं और मान्यवर, इस शिक्षा परिषद् को चलाने के लिये जो गठन किया गया है उसमें 10 व्यक्ति हैं। मैं इससे नाइत्तिफाक करता हूं।

मान्यवर, मैं इसके उद्देश्य से सहमत हूं लेकिन आपने कहा है कि उसमें म्यूनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधि रहेगा, म्यूनिस्पल बोर्ड तो अब भी कर रहा था, जिला परिषद् का प्रतिनिधि रहेगा, तो जिला परिषद् तो अब भी कर रहा था, वित्त सचिव को रक्खेंगे, तो वित्त सचिव तो ऐसे मामलों में रहता ही है, लेकिन यहां नव जीवन का संचार कौन करेगा ? वित्त सचिव करेगा या नगर पालिका या जिला परिषद् का प्रतिनिधि करेगा। इसमें दो शिक्षाविदों को भी आपने रक्खा है। उसमें एक के बारे में मैंने सुना है कि स्याल साहब को रक्खा गया है। सारा प्रदेश जानता है कि स्याल साहब को प्राइमरी इजूकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह प्राइमरी शिक्षा में किस प्रकार से अनुसंधान करेंगे इसका पता नहीं है। स्याल साहब के अलावा दूसरा शिक्षाविद आगरा युनीवर्सिटी के वाइस चांसलर को रक्खा गया है। वह डिग्री कालेज की शिक्षा देख सकते हैं लेकिन प्राइमरी शिक्षा भी देख सकेंगे, इसमें मुझे सन्देह है।

मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आप इस बोर्ड से प्रदेश के दो करोड़ बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। इसके लिये 40 या 45 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और उससे दो करोड़ बच्चों का इंतजाम करना चाहते हैं। 40 करोड़ के माने 20 रुपया एक बच्चे पर आया। यह तो दो रुपया प्रति बच्चा भी नहीं पड़ा और उस पर आप शिक्षा में इससे प्रयोग करना चाहते हैं, बालक का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता है।

मैं शिक्षा के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि एक क्लास में 20 से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए टीचर कभी बच्चों को देख नहीं सकते हैं, उन्होंने क्या पढ़ा क्या काम घर से करके लाते हैं तथा और चीजें। आज 50,50 बच्चे एक-एक क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपके पास रुपया नहीं है, आपकी इतनी सामर्थ नहीं है कि इतनी शिक्षा का प्रसार करें तो इस काम के लिये दूसरों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिये। सारी शिक्षा की जिम्मेदारी आपने अपने सिर पर ली है। साधन होने पर ही यह हो सकता है। अन्यथा गांव-गांव मे आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने पैरों पर खड़े हों और अपना काम चलायें।

आपने 10 आदमियों की जो परिषद् बनाई है वह दो करोड़ बच्चों के चरित्र का निर्माण करेगी। उनका जीवन बनाकर उनको देश का सच्चा नागरिक बना देगी। आज बच्चों की यह हालत है वे चाकू रखते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं तथा चोरी करते हैं। यह बहुत बड़ा काम है। यदि आपने रुपये पैसे का इसके लिये इन्तजाम नहीं किया, यदि मास्टरों को हमने उचित वेतन नहीं दिया तथा अन्य सुविधायें जो उनको मिलनी चाहिये नहीं दी तो वे पूरी शक्ति से शिक्षा का काम नहीं कर सकते हैं और बच्चे कभी योग्य नहीं बन सकते हैं।

एक पुस्तक है उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पाठ्यक्रम। यदि इसको आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इससे बालक का निर्माण नहीं हो सकता है। बी० टी० सी० और सी० टी० ट्रेनिंग जो आज हमारे अध्यापकों को दी जा रही है और जिनकी संख्या 2 लाख 86 हजार है। बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापक प्राइमरी तथा 6,7 व 8 कक्षा के लिये है। हमारे माननीय सदस्य और शिक्षाविद् यह जानते हैं इस प्रकार के ट्रेन्ड अध्यापक नहीं जानते हैं कि क्या कोर्स है, किताबें कौन-कौन सी हैं और क्या किया जायगा। मैं तो यह कहता हूं कि यह ट्रेनिंग का जो सड़ा गला भूसा है इसको आप निकाल फेकें आप उनको शिक्षा का उद्देश्य बतायें।

इस लिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम बालक और बालिकाओं के चरित्र निर्माण के लिये काम करें। बच्चों के तन पर कपड़ा, किताब तथा अच्छे चरित्र की शिक्षा

[श्री जगदीश गांधी]

यह पहली चीज है किसी विद्यार्थी के लिये। इसका प्रबन्ध हमको करना है। अगर आपके पास शिक्षा के लिये पूरा रुपया नहीं है तो एजूकेशन सेस लगाइये, कर लगाइये। हमको जनता के सामने जाकर उससे कह कर इसके लिये धन एकत्र करना चाहिये। आज जो हम इस पर व्यय कर रहे हैं उससे कम से कम 4 गुना अधिक व्यय हमको इस पर करना होगा तब हम इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं।

महिलाओं से घर निर्मित होता है परन्तु आप यह देखिये कि प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में कितनी लड़कियां देहातों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये आती हैं। आप इसका सर्वे करवाइये। को एजूकेशन के कारण वहां ऐसा होता है। इसलिये आपको महिलाओं की शिक्षा की ओर भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स अधिक से अधिक खोलें। एक बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हमारे जो शिक्षक आज हैं वे यह भी नहीं जानते हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। जब कभी मैं उनसे पूछता हूं तो वे कहते हैं कि अच्छे नम्बरों से लड़के पास हों, अधिक संख्या में पास हों। शिक्षा का उद्देश्य आज तक हमारी सरकार ने डिफाइन ही नहीं किया। मैं तो कहना चाहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिकों को बनाना। साथ ही उनके अन्दर यह भी विचार उत्पन्न हो जायेंकि सारी दुनियां की मानवता के प्रति सम्मान की भावा रखें।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, उसको स्पष्ट कर देना चाहिये। पुस्तकों का हमें अज-सरे-नौ से निर्माण करना पड़ेगा। ये पुस्तकें काम की नहीं रह गयी हैं। ये पुराने जमाने में लिखी गयी थीं, उनको बदलना होगा। इनको बदलिये। अनुसंधान के लिये कोई परिषद बनाइये। शिक्षा कर लगाइये और ज्यादा से ज्यादा रुपया प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च कर सकें, उसके लिये प्रयास कीजिये।

एक दो बात और कहना चाहता हूं। शिक्षा के बोर्ड में 10 व्यक्ति रखे गये हैं, उनको 15 कर दें और कुछ प्रतिनिधित्व शिक्षा विशेषज्ञों का कर दें तो अच्छा होगा। इसमें सदन के भी हमारे सम्मानित एक दो सदस्यों को ले लिया जाय जिनको आप समझते हैं कि शिक्षा में रुचि है, तो मेरा खयाल है कि उससे आपको मदद मिल सकेगी। मुझे विश्वास है कि मैंने कुछ संक्षेप में थोड़ी सी बातें कही हैं, लेकिन आप शायद उन पर गौर करें इसलिये उनको रखा है। यदि इस प्रदेश में प्रायमरी शिक्षा और जूनियर शिक्षा की ओर आपने ध्यान नहीं दिया और परिषद् बनाकर ही समाप्ति कर दी तो वह प्रदेश का दुर्भाग्य होगा और प्रदेश के बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री जयराम यादव.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ये तो अमेंडमेंट जब इनका आयेगा तो उस पर बोलेंगे, श्रीमन्, जनरल डिस्कशन पर हमें बोलने का मौका दिया जाय।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

पहले हम लोगों को मौका दे दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जनरल बोलने वालों को अवसर दे दीजिये। अब तो समय ज्यादा नहीं है, कल सबको अवसर मिलेगा जहां तक मैं समझता हूं। अब जो अमेंडमेंट पेश करने वाले हैं वह पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर जयराम जी यादव नहीं बोल रहे हैं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप आश्वासन दीजिये कि सामान्य चर्चा होगी तो हमें अवसर दीजियेगा। अब वह बोलें भले ही.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

समय को देखते हुये मैंने कहा था। आप मंत्री जी की ओर न देखें, यह कल भी चलेगा, अब समय कहां रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मंत्री जी की तरफ तो नहीं देखा। आपको देखता हूं तो भ्रम होता है कि मंत्री को देख रहा हूं। अब जो खड़े हुये वह कृष्ण स्वरूप जी, जयराम जी यादव, रामबिलास पांडेय, इनके ऊपर पहले नजर पड़ी। वह नहीं बोलना चाहते हैं तो माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य....

*श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक जो प्रस्तुत किया है उस में इस पक्ष की ओर से जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रचलित किया जाय, मैं उस के समर्थन में कुछ विचार रखना चाहता हूं।

जैसा कि विधेयक के उद्देश्य में यह प्रकट किया गया है कि हमारे प्रदेश की बेसिक शिक्षा इतनी दोषपूर्ण हो गयी है कि उस से प्रदेश को छुटकारा दिलाने की आवश्यकता है। आज तक प्रदेश की बेसिक शिक्षा देहातों में जिला परिषद् और नगरों में नगरपालिकायें, संचालित करती थीं। और इस में भी दो रायें नहीं हैं कि प्रदेश और विधान सभा के अन्दर इस प्रकार की कई बार मांग की गयी कि प्राइमरी एजूकेशन को स्थानीय निकाय और जिला परिषदों से नजात दिलायी जाय। परन्तु इस प्रारम्भिक शिक्षा को जिला परिषदों और स्थानीय निकायों को मुक्त कराने के पीछे भावना क्या थी इस को पहले इस पर विचार करना होगा। इन विद्यालयों का प्रबन्ध अच्छा नहीं होता, यहां के अध्यापकों का राजनीतिक कारणों से साल में 8-8 बार स्थानान्तरण होता है और वहां के अध्यापकों को अच्छा वेतन नहीं मिलता केवल इस से ऊब कर ही हम यह मांग करते थे या कोई और भावना भी निहित थी। जहां ये कारण उन को स्थानीय निकाय और जिला परिषदों से मुक्ति दिलाने के थे वहां यह कारण भी है इन संस्थाओं ने हर प्रकार से इस प्रदेश के लाखों, करोड़ों बच्चों के साथ अन्याय किया। उस की शिक्षा का प्रबन्ध ही दोषपूर्ण नहीं था बल्कि जो बेसिक शिक्षा की प्रणाली है वह भी दोषपूर्ण है, वहां बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहा पढ़ाई का वातावरण नहीं है और न शिक्षा की वह मनोयोगपूर्ण स्थिति ही वहां है कि उसका एक पवित्र उद्देश्य यह है कि जो छोटे-छोटे कोमल बालक हैं उनका विकास हो, उनमें जो छिपे हुये गुण हैं वह प्रकट हो सकें। जहां वहां का प्रबन्ध दोषपूर्ण था और जहां वहां के प्रबन्ध में राजनीति का हस्तक्षेप था, जहां वहां के प्रबन्ध के अध्यापकों के साथ अन्याय था, जहां वहां की व्यवस्था में वेतन समय पर नहीं मिलता था, वेतनों में कटौती होती थी वहां आज आजादी के 25 साल बाद भी हम यह निश्चय नहीं कर पाये कि हम किस प्रकार की बेसिक शिक्षा चाहते हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

बेसिक शिक्षा एक प्रकार से आगे की शिक्षा की नींव है। जैसे मजबूत आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा दी जायगी वैसे ही बच्चा पढ़लिख कर आगे बनेगा। परन्तु आज तक हमने बेसिक शिक्षा का सदैव दुर्लक्ष्य किया। इन्हीं सब चीजों से ऊब कर लोग पब्लिक स्कूलों की ओर जाने लगे और पब्लिक स्कूलों में दाखिला मुश्किल से होने लगा और हमारे मित्र जगदीश गांधी के विद्यालयों में जाने लगे....

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री ने कहा कि बच्चे जगदीश गांधी के स्कूल में जाने लगे? तो इसका मतलब क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय जगदीश गांधी इतने बच्चे नहीं हैं कि वह इसका मतलब न समझें।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि आज की जो प्राथमिक और प्राइमरी शिक्षा है उस से लोग इतने असन्तुष्ट थे कि दूसरे स्कूलों में जाने लगे। आज तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर हम यह बिल लाये हैं वह उद्देश्य पवित्र है परन्तु उस उद्देश्य पर अमल करने वाली जो सरकार है उसका मन भी पवित्र है?

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या खाली प्रबन्धकों को ही बदल देने से बच्चों की दशा में सुधार हो जायगा, शिक्षा का स्तर अच्छा हो जायगा? मैं समझता हूं नहीं हो पायगा। इसके लिये आपको शिक्षा की प्रणाली में परिवर्तन करना होगा, दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम कैसी शिक्षा उनको देना चाहते हैं, हम किस प्रकार से उनका विकास करना चाहते हैं, और उसी के अनुरूप हमें इनका ढांचा बदलना होगा। यदि हम हायर सेकेन्ड्री एजूकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन पर पैसा कम भी खर्च करें और प्राइमरी शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करें, इनके लिये इमारत अच्छी बनवाये, अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करें, टीचर्स को अच्छा वेतन दें, तब यह ज्यादा हितकारी सिद्ध होगा बजाय इसके कि हम मैनेजमेन्ट को ही बदल दें। केवल मैनेजमेन्ट को ही बदलने से कुछ लाभ नहीं होगा। न ही इससे कोई सुधार होने वाला है। आज सरकार का हर निश्चय पोलीटिकली मोटीवेटेड होता है। आज हमारा मन साफ नहीं है। यह सरकार आज भी चाहती है कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक चुनाव में इनकी मदद करे। इनकी तरफ से प्रचार करे। आज प्राइमरी स्कूल का अध्यापक वोट बटोरने का साधन हो गया है और सरकार उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है। आज विद्यार्थी जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है, वह टैरीलीन कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, बेल-बाटम की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्र-भक्त नागरिक नहीं बन रहा है। इस बात का आज कतई प्रयास नहीं होता कि उसके गुणों का विकास हो, वह एक सभ्य और योग्य नागरिक बन सके।

मान्यवर, सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये और वह जिसको चाहेगी उसको बोर्ड मे नामिनेट करेगी। इससे राजनीति वहां पर भी फैलेगी। आज तक जितने भी नामिनेशन जहां-जहां भी सरकार करती है वह किस तरह से होते हैं वह किसी से छिपा नहीं है। जो लोग चुनाव में हार जाते हैं, उनको इन तरह-तरह से निगमों में चेयरमैन आदि बना दिया जाता है। आज इनके सोचने का दृष्टिकोण ही दूसरा हो गया है। आज तो यह यही सोचते हैं किसी प्रकार से इनके आदमी कहीं न कहीं खप जायें। सरकार राजनीतिक कारणों से अपने लोगों को मनोनीत करती है।

आज जो यह विधेयक ला रहे हैं इससे भारतीय जनसंघ का तो शिक्षा के क्षेत्र में नामोनिनिशान मिट जायगा। होना तो यह चाहिये था कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप

बिल्कुल नहीं होना चाहिये। शिक्षा का संचालन, उसका मार्गदर्शन शिक्षाविदों को ही करना चाहिये। जो शिक्षा के प्रेमी हों,जो इसमें रुचि रखते हों उन्हीं को शिक्षा का संचालन करना चाहिये। सरकार को राजनीतिक हस्तक्षेप कतई बन्द कर देना चाहिये। मगर आज तो प्राइमरी स्कूल का अध्यापक राजनीति का अस्त्र बनाया जा रहा है, बच्चों के विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं है। इस बिल को लाने का उद्देश्य पवित्र हो सकता है, मन पवित्र हो सकता है। संकल्प पवित्र हो सकता है, लेकिन जो परिवर्तन आप कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय जनसंघ ने हमेशा कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बेसिक शिक्षा के मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज अपने प्रदेश के अन्दर एक शिक्षा संस्था है, जो बेसिक शिक्षा का काम कर रही है, जिसका नाम है---सरस्वती शिशु मन्दिर। वह प्राइमरी शिक्षा अर्थात् प्राथमिक शिक्षा पांचवीं कक्षा तक बच्चों को देती है। मैं चाहूंगा कि उनकी शिक्षा का जो ढंग है, जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, उसको हमारे शिक्षा निदेशक,शिक्षा मन्त्री दो-तीन दिनों का समय निकालकर उनमें बैठकर सुबह से शाम तक देखें कि वहां की कल्पना क्या है। उनका उद्देश्य कितना ऊंचा और आदर्श है। वहां के अध्यापक, आचार्य बच्चों की देखभाल 10 से 5 बजे तक ही नहीं करते हैं। वहां पर अभिभावक जनसम्पर्क योजना प्रचलित की गई है, जिसकी समितियां बनी हुई हैं। वहां के अध्यापक स्कूल समय में 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ाने के अलावा बच्चों के माता-पिता के पास भी जाते हैं। और यह देखते हैं कि बच्चा कितने बजे सो कर उठता है, नित्य मंजन करता है या नहीं, दैनिक क्रिया करने के बाद खाता है या यों ही खाना वगैरह खाता है, बच्चे पर कैसे संस्कार पड़ रहे हैं, बच्चे का मन कैसा हो रहा है, बच्चे का विकास कैसा हो रहा है।

जब तक हमारे शिक्षा निदेशक, शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मन्त्री का हृदय साफ नहीं होगा कि वह प्राथमिक शिक्षा को कैसा बनाना चाहते हैं, यह बिल कोई लाभ नहीं पहुंचा सकेगा। इसके अन्तर्गत हम महापालिकाओं, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों से इसे लेकर ऐसी परिषदें बना देंगे, जिसमें मनोनयन हम करेंगे और हम राजनैतिक कारणों से उनका मनोनयन करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के जो शिक्षा अधिकारी हैं, जो शिक्षा निदेशक हैं, वे अपना मन साफ करें और इस बात का निश्चय करें कि वे प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में जो सरस्वती शिशु मन्दिर चल रहे हैं वे उन्हें समीप से देखें और यह अध्ययन करें कि प्रारंभिक शिक्षा के जो दोष हैं, उन्हें ये विद्या मन्दिर दूर कर रहे हैं।

आज जो पब्लिक स्कूल विदेशों से आर्थिक सहायता लेकर चल रहे हैं, वे तो समाप्त होने चाहिये। लेकिन सरकार यह भी निश्चय करे कि हम पांचवें स्तर तक का कम से कम एक स्कूल प्रत्येक गांव में अवश्य खोल देंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि वे यह जो विधेयक लाए हैं बहुत गंभीर मसला है, उसमें प्रदेश के दो करोड़ बच्चों का भविष्य निहित है और प्रदेश का कल्याण निहित है, यह जरूरी नहीं है कि जैसे इसे ले आए, यह आज हीं सदन में पारित कर दिया जाय। मेरा निवेदन है कि इसमें शिक्षाविदों का मत जान लिया जाए। आज आप इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं और नया सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिये बड़े सोच विचार के बाद आप इसे लाएं।

जिला परिषदों के अध्यक्ष, नगरपालिकाओं क प्रेसीडेंट और महापालिकाओं के मेयर को इन समितियों में रखने का उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आया। जब हम उनसे इसे लेना चाहते हैं, चूंकि उन्होंने व्यवस्था ढंग की नहीं की तो फिर हम उनका क्यों मनोनयन करना चाहते हैं? इस सम्बन्ध में यदि विरोधी दल ऐसी शंका करे कि आप अपने दल के ही सदस्य रखेंगे, अपने ही दल के मेयर को रखेंगे तो यह ठीक नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि हमें शक भी न हो और आपको मौका न हो कि आप गलत कदम उठा सकें। जब इन लोगों ने प्रबन्ध दूषित किया था तो फिर उनको रखने की क्या बात है। मेरा मत है कि कोई राजनैतिक आदमी,

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

राजनैतिक कार्यकर्ता इन परिषदों में न रखा जाए। उनमें विद्वान और अनुभवी अध्यापक और शिक्षाविद रहने चाहिये। जो शिक्षा के ज्ञाता हैं, वे ही इसमें रहें और जो मनोनयन का अधिकार हमने लिया है वह न हो। इसमें बहुत गंभीर रूप में चिंतन होना चाहिये।

टाउन एरिया क्षेत्र में कौन सी समिति होगी यह बात हमने नहीं कहीं है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम इस विधेयक को परिचालित करवाएं। शिक्षा के आचार्यों में मत देने का मौका होगा। उस के बाद ठंडे वातावरण में सोच सकेंगे कि प्राथमिक शिक्षा को कैसे ढालें। मैं चाहूंगा कि जितना हमारा उद्देश्य पवित्र है मैं चाहूंगा कि सरकार का मन उतना पवित्र हो। सरकार राजनीतिक उद्देश्यों से न सोचे। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक को पारिचालित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 पर जो आपने मुझे विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कई माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले। प्रत्येक माननीय सदस्य ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए अपने विचार प्रकट किये कि यह जो समिति बनायी जा रही है, परिषद्, जिसमें कुछ सदस्य नगरपालिका के रख दिये गये हैं, कुछ महापालिका के सदस्य हैं, कुछ जिला परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य हैं, इससे सहमत हैं। इससे पहले जो बेसिक स्कूल जिला परिषद् में थे, उनकी शिक्षा को जिला—परिषद् के अध्यक्ष और चुने हुए सदस्य देखते थे। इसी तरह नगरपालिका के चेयरमैन और सदस्य उनकी व्यवस्था करते थे। थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रदेश के स्तर पर कमेटी बनायी जा रही है। मैं उन सदस्यों से जानना चाहूंगा कि आखिर जिला परिषद् में, जिला स्तर पर कमेटी बनी थी, तब आप संतुष्ट क्यों नहीं थे। गांव की शिक्षा देखने के लिये गांव का प्रधान या गांव सभा देखती थी। तब आप सहमत नहीं थे। उसके बाद परिवर्तन करके प्रदेश के स्तर पर समिति बना दी गयी, फिर ब्लाक स्तर पर और गांव स्तर पर समिति बना दी गयी। तो कौन सी व्यवस्था की जाय जिससे आप संतुष्ट होंगे। जो बात कही जायगी कहीं न कहीं से विरोध उत्पन्न होगा।

मैं यह मान कर चलता हूं सरकार जो यह बिल पेश किया है वह बहुत अच्छा है इससे प्रदेश की शिक्षा में कुछ न कुछ सुधार जरूर होगा। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने इसको पढ़ा— "शिक्षण देने तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये परीक्षार्थियों को तैयार कराने के प्रयोजन से संस्थाओं को ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे, मान्यता देना, और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलम्बित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर अधीक्षण रखना, एक दूसरा है "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिये अध्यापक–प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना, तथा उस पर नियंत्रण करना, और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध करना होगा।"

यह तो सब है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। बावजूद इस बिल के शिक्षा में सुधार कैसे हो। छात्रों में जो उद्दंडता बढ़ती जा रही है, अध्यापकों पर छुरी चाकू चल रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, अगर लड़का स्कूल से आता है और उससे कहते हैं कि एक चिट्ठी लिख दो, तो वह चिट्ठी नहीं लिख पाता है। तो इससे हम अन्दाजा लगाते हैं कि उसने स्कूल में कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं। लड़के मास्टरों पर कुर्सी चला देते हैं मेज फेंक देते हैं। तो मान कर चलते हैं कि स्कूल में उद्दंडता है, इसका चरित्र गिर रहा है। क्या शिक्षा विद्वों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान चरित्र निर्माण की तरफ गया या इस सदन में विचार किया गया कि जो अनुशासन हीनता बढ़ी ही है, चाहे अध्यापक हों या छात्र हों, वह कैसे दूर की जाय क्या बगैर चरित्र निर्माण के दूर हो जायगी ।

बिल जैसा है मैं उसका समर्थन करता हूं और पूरी तौर से सहमत हूं लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो समिति बनने जा रही है उसके जरिये जब तक चरित्रनिर्माण की कोई व्यवस्था नहीं की जायगी, स्कूलों में बच्चों का जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक स्कूलों में छुरे चाकू चलेंगे, डंडे चलेंगे । उन स्कूलों में हमारे और आप सबके बच्चे पढ़ते हैं । मास्टर हम सब के भाई बन्द हैं । आप ऐसी व्यवस्था करें कि प्रत्येक स्कूल में एक घंटा नैतिक शिक्षा दिया जाना अनिवार्य हो । इसके लिये आप अध्यापकों को ट्रेन्ड करें जिस तरह बी०टी० सी०,सी० टी० तथा एल० टी० की ट्रेनिंग उनको दिलवाते हैं । जब वही अध्यापक स्कूलों में 1 घंटा लड़कों को नैतिक शिक्षा देंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो सुधार भी होगा ।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि शिक्षा में एक रूपता नहीं है और जब तक एक-रूपता शिक्षा में नहीं होगी तब तक शिक्षा में जो कमी है वह दूर नहीं होगी और तब तक समाज में जो आर्थिक व सामाजिक असमानता है वह भी दूर नहीं होगी । जब शिक्षा का बजट आया था तब भी मैंने यही निवेदन किया था । एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांधी जी के स्कूल में लड़के पढ़ने चले जाते हैं । मैं उन विधायक महोदय तथा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे लड़के जो पढ़ने चले जाते हैं वे अमीर लोगों के बच्चे होते हैं । गरीब व्यक्ति का कोई बच्चा ऐसे स्कूल में नहीं जा सकता ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि गरीब बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवायें लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । गरीब हरिजन के लड़के को हाई स्कूल में 9 रुपये, इंटर में 12 रुपये तथा 5वीं क्लास में 6 रुपये आप स्कालर शिप देते हैं, उससे पढ़ाई का खर्चा कैसे चल सकता है? जब तक गरीब परिवार के बच्चे के लिये शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक वह शिक्षित हो कर नहीं निकलेगा, जब तक आर्थिक सामाजिक समानता दूर नहीं होगी तब तक ये जो कमियां हैं वे बनी रहेंगी । लिहाजा शिक्षा में एक रूपता होना चाहिये । क्या गरीब का लड़का जगदीश गांधी के स्कूल में पढ़ सकता है जब कि उसको 50 रुपये माहवार वेतन मिलता है और 16 रुपये फीस वहां ली जाती है ।

प्राइमरी स्कूल का अध्यापक भी जब हमारा बच्चा वहां पढ़ने जाता है तो उसके साथ भेद भाव बरतता है, अपने परिवार के बच्चों को अलग बिठाता है । अगर मांटेसरी पद्धति से बच्चों को पढ़ाना है तो सभी जगह उसको लागू किया जाय वर्ना जो थोड़े से मांटेसरी स्कूल चलते हैं उनको बन्द कीजिये क्योंकि वहां गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते । वहां पर आई० सी० एस० तथा पी० सी० एस० के लड़के पढ़ते हैं और आगे चलकर इसीलिये वे भी आई० सी० एस० तथा पी0सी0एस0 की परीक्षा में आ जाते हैं और गरीब का लड़का इन परीक्षाओं में नहीं आ पाता है क्योंकि उसका स्तर नीचा होता है । उसका स्तर कैसे उठ सकता है? इसके लिये बेसिक शिक्षा में एक रूपता लाई जाय क्योंकि जीवन का निर्माण वहीं से होता है ।

इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को पेश करके सरकार ने स्वीकार किया है कि बेसिक शिक्षा का संचालन संतोषप्रद ढंग से नहीं हो रहा था और उसका स्तर निरंतर गिर रहा था उसमें ह्रास हो रहा था । इस बिल के ऊपर समय-समय पर विधान मंडलों में चर्चा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]
होती रहती थी और जनता को इसकी मांग थी। इसी भावना का समादर करते हुये आज यह बिल पेश किया गया है। यदि शिक्षा के स्तर में ह्रास न हो रहा होता तो आसानी से सरकार इस बिल को स्वीकार करने वाली न होती। खुशी की बात तो यह है कि उसने अपना 25 सालों के पापों को स्वीकारा। लेकिन इस बिल के जरिये से वास्तव में कितना सुधार होगा, इसमें शक होता है क्योंकि उन कारणों को नहीं देखा गया है जिनकी वजह से निरंतर ह्रास हुआ है।

पहले भी अंग्रजों के समय में यही संस्थायें बेसिक एजूकेशन की जिम्मेदार थी, वही नगर-पालिकायें, वही महापालिकायें, और जिला परिषदें आज भी हैं और उस वक्त भी थीं जब कि समय से बच्चे स्कूल जाया करते थे, ढंग से पढ़ाई होती थी और अच्छी तरह से वे चलते भी थे किन्तु जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, जनता के नुमाइन्दे चुनकर आये उनके हाथों में ये संस्थाएं आई तभी बराबर शिक्षा के स्तर में गिरावट आती गयी। सबसे बड़ा कारण यह था कि जो भर्ती के नियम थे वे दोषपूर्ण थे। वहां पर खुलकर पक्षपात होता था, रिश्वत खोरी चलती थी वही भरती हो पाता था जो या तो कांग्रेस के नजदीक रहने वाला हो और खुशामद करने वाला हो। उससे भी ऊपर उन लोगो को जगह मिल जाया करती थी जो कि अधिक पैसा खर्च कर सकते थे। ट्रेनिंग में भिजवाने के लिये भी इसी प्रकार प्रिफिरेंस दिया जाता था। जो एक दफे नियुक्ति पा जाया करते थे वे बने रहते थे और अपने ही आदमियों को लिया करते थे। लिहाजा गरीब लोगों के बच्चे भरती ही नहीं पाते थे। नतीजा यह होता था कि जिला परिषदों के अधिकारी खुश रहते थे और शिक्षा के स्तर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि ये अधिकारी खुश रहें तो उनको घर बैठे भी तनख्वाह मिल जाया करती थी। इस तरह से एजूकेशन का स्तर था।

दूसरा कारण यह था कि जितने देश के असर और आवाज वाले लोग हैं उनके बच्चे उन स्कूलों में नहीं जाते हैं बल्कि किसान और गरीब लोगों के बच्चे ही इन स्कूलों में जाया करते थे। क्योंकि इन बच्चों के लिये मजबूरी थी, वे खर्चीले स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। बड़े आदमियों के बच्चे पब्लिक स्कूल्स या मांटेसरी स्कूल में जाते थे। मेरा अपना कहना यह है कि चूंकि इन बच्चों का यही स्कूल था और आवाज और असर वाले लोगों के पसन्द वाले स्कूल के खर्चे को गरीबों के बच्चे बरदाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिये इन स्कूलों का सुधार नहीं हुआ। इसलिय मैं निवेदन करूंगा कि जब तक दो अवगुण इन स्कूलों में रहेंगे तब तक उनमें सुधार होने वाला नहीं है। अगर उसमें कोशिश की गई होती तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक आज न लाना पड़ता।

इस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं शिक्षा मंत्री हैं और इसके पहले भी वे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा जगत में उनकी दिलचस्पी भी रही है। मैं उम्मीद करता था कि जब इस तरह से सिखाने का नया ढंग होने ही जा रहा है, तो फिर उनका स्वतंत्रता संग्राम के वक्त जो विचार था जो उनका अपना अनुभव था, जो उनकी भावना थी, सब इसमें जगह पायेंगे, लेकिन मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसे पढ़ने के साथ निराशा होती है।

आज भी दो तरह के स्कूल चल रहे हैं खर्चीले और गरीब बच्चों के स्कूल। उनको समाप्त करने का इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। होना यह चाहिये था कि किसी अच्छे जनतंत्र में प्राइमरी शिक्षा पर, उसकी अच्छी इमारतों पर अच्छा खर्च हो, उसकी किताबों पर व उसकी एक्वीपमेन्ट पर उचित खर्च हो। उन सभी स्कूलों पर एक समान खर्च होना चाहिये। अमीर और गरीब बच्चों का जो फर्क है वह नहीं रहना चाहिये। यह सभी समान होना चाहिये। लेकिन इस बिल में समानता के लायक एक भी प्रयास नहीं, एक भी झलक नहीं, जो फर्क आज चल रहा है वही फर्क आगे भी चलता रहेगा। नतीजा यह होगा कि जो आवाज और असर वाले लोग हैं उनकी इन स्कूलों में दिलचस्पी नहीं होगी। जिस

तरह से फर्जी हाजिरी पहले भरी जाती थी, फर्जी रोल भरे जाते थे और जैसा पहले चलता था वही चलता रहेगा और इसका परिणाम यह होगा कि इस ऐक्ट के बावजूद वह सब नहीं हो सकेगा जो इसमें है ।

तो मैं चाहता हूं ,मान्यवर, कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसे आपको मान लेना चाहिये । यह मामला ऐसा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका यही समय है विकास का और बच्चों का मस्तिष्क ऐसा होता है जब कि वे अच्छी या बुरी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं । किसी चीज को सीख सकते हैं ,किसी चीज को रट सकते हैं तथा उनके ऊपर अध्यापकों के चरित्र व व्यवहार का असर उनके ऊपर पड़ता है ।

श्रीमन् मुझे तो ताज्जुब होता है कि आज ऐसे मास्टर उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिये यहां विधान सभा के सदस्य वे चुन जायं तो अपना वोट वे राज्य सभा व विधान परिषद् के लिये एक-एक वोट तीन-तीन आदमियों को बेंच डालें । जब ऐसे लोग बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा । वे अपनी छाप ही उन बच्चों पर डालते हैं । जब अच्छे मास्टर होंगे तभी अपनी पवित्रता की छाप बच्चों पर डाल सकेंगे।

होना यह चाहिये कि प्राथमिक शिक्षा के लिये अच्छे से अच्छे अध्यापक हों । प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये । लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । नतीजा उसका क्या होता है । ये बड़े-बड़े लोग अपना स्कूल तलाश लेते हैं लेकिन इन गरीब बेचारों को अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में भेजना पड़ता है । जब हाई स्कूल से आपने कक्षा 3–4–5 हटाया था तो उसका नतीजा आपने देख लिया कि तमाम मांटेसरी स्कूलों के जाल पूरे प्रदेश में फैल गये । वहां पर बड़े लोग अपने बच्चों को भेजते हैं । वे अपने बच्चों को नगरपालिकाओं, महापालिकाओं व जिला परिषदों के स्कूलों में इसलिये नहीं भेजते कि वहां पर उनके बच्चे गाली देना सीख जायेंगे, बुरी आदतें सीख जायेंगे, मार पीट करना सीख जायेंगे और इसीलिये पूरे प्रदेश में मांटेसरी स्कूलों का एक जाल खड़ा हो गया । उन मांटेसरी स्कूलों में भी सब लोगों के बच्चों का पहुंच पाना मुश्किल है तो इस पहलू पर भी विचार करना है कि दो तरह की पढ़ाई चल रही है इस तरह के स्कूलों में । चाहिये कि उस प्रथा को तोड़े वरना उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा । चाहे वकील हों, चाहे डाक्टर हों, चाहे कारीगर या किसान हों, चाहिये यह कि सबके बच्चे एक साथ ही बैठ कर पढ़ें तभी जो बुराई है, खामी है, अधिक खर्च की बात है, वह समाप्त हो सकेगी । अगर आपको इस तरह के फर्क को खतम करना है तो उसके लिये अच्छे कानून बनाना चाहिये ताकि इन स्कूलों की हालत सुधरे वरना इनमें कोई सुधार होने वाला नहीं है।

इस समय जो स्कूल जिस तरह से चल रहे हैं, वैसे ही आगे भी चलते रहेंगे, यह लाजिमी है । यह इसका लाजिमी नतीजा है । तो मैं कहता हूं कि इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिये और चूंकि यह ध्यान देने लायक बात है इसलिय जल्दी में आप इसको स्वीकार न करें, इस को पहले प्रवर समिति में भेज दें, वहां पर इस पर विचारा जाय और विचार होने के बाद कोई अच्छा सा विधेयक हो उस पर यह सदन विचार करे ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर एक रुझान देखने में आ रहा है और खासकर 71 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कि हर जगह पर एक तरह के लोग बैठा दिये जायं चाहे वह लोक सभा हो, चाहे वह विधान सभा हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो या शिक्षा की कोई संस्था हो उनमें एक ख्याल वाले लोग, एक विचार वाले लोग वहां पर कब्जा करके बैठ जायं और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है हालांकि आपका ध्यान उस तरफ जाया करता था जब आप दुख और तकलीफ उठाया करते थे आजादी से पहले । इसका नतीजा

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

लाजिमी होगा रेजीमेंटेशन और यह चीज बुरी होगी और आपके जनतंत्र जैसे देश में यह चीज शोभा नहीं पायेगी, उससे जनता के विचार कुंठित होंगे और उनमें विकास नहीं होगा । आखिर जनतंत्र को लोग पसन्द क्यों करते हैं इसीलिये न कि उसमें विचारों की छूट है, विचार फैलते रहते हैं, उनमें टकराव होता है, विचार परस्पर टकराते हैं और फिर उनमें से कभी कभी असलियत निकलती है लेकिन जो रेजीमेंटेशन की प्रवृत्ति चल रही है उससे विकास नहीं होने वाला है । इसमें दो प्रकार की चीजें चलेंगी । एक तो इस विधेयक की धारा 11 के अन्दर यह व्यवस्था की गयी है कि केंद्रीय स्तर पर जो शिक्षा समिति बनेगी उसके क्या कर्त्तव्य होंगे । उसके कर्त्तव्य होंगे कि अगर इमारत में कोई विकास करना है, उसे सुधारना है, या इक्विपमेंट है, सामग्री है उसमें सुधार करना है तो वह जिला परिषद् को अपनी रपट देगी और इसका साफ मतलब निकलता है कि इमारत, सामग्री जो जुटाने, उसके बनाने और उसके सुधार करने का कार्य इस ऐक्ट के बावजूद भी जिला परिषद् के पास अधिकार रहेगा और उसमें सरकार की दिलचस्पी नहीं होगी । जहां तक जिला परिषदों की स्थिति है उसको देखते हुये स्कूलों की इमारतों, सामग्री और साज सज्जा में कुछ सुधार होने नहीं जा रहा है । आपने इसके द्वारा शिक्षा को दूसरी तरफ डाल दिया है । शिक्षा का जैसा हाल चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा । जहां तक मास्टरों की गैरहाजिरी वगैरह की रपट है वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को होगी । तो इसमें काम कितना अच्छा होगा, आप सोच सकते हैं ।

अब इन कमेटियों में कौन कौन होगा । एक तो बेचारा गांव का प्रधान होगा । आप जानते हैं कि गांव के प्रधानों का आज शिक्षा स्तर क्या है । इनके दो अफसर होते हैं एक तो पंचायत सेक्रेटरी और दूसरे पटवारी । उनके अतिरिक्त एक हेडमास्टर और उसके ऊपर सदस्य जो होंगे वह अभिभावकों में से चुने हुए नहीं जिनको डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त करेगा । अब इनके रहते हुये कोई रपट हो सकती है । मेरा दावा है कि रपट नहीं पहुंच सकती ।

इसके अलावा जिला स्तर पर जो कमेटी है उसमें गवर्नमेंट के तयशुदा लोग होंगे । गवर्नमेंट द्वारा नामजद लोग होंगे और गवर्नमेंट नामजद किसको करेगी इसको सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे आपके अधिकारी होंगे और म्युनिसपैलिटी के सदस्य वही होंगे जिनको सरकार नामजद करेगी । इसमें संशोधन यह होना चाहिये कि जिला परिषद् के वही सदस्य होंगे जिनको जिला परिषद् चुन कर भेजे, इसी तरह से म्युनिसिपैलिटी से भी वही सदस्य चुने जायेंगे जिनको म्युनिसपैलिटी चुन कर भेजे । यह नहीं कि आप नामजद करें वे सदस्य होंगे । इससे यह होता है कि एक ही तरह के लोग, खुशामदी लोग, जैसे राय बहादुर और राय साहब होते थे, वही पहुंचेंगे । इसके साथ खुशामदियों की पल्टन पहुंच रही है चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे लोक सभा हो या विधान सभा हो, उसकी हालत देखिये । आज विधान सभा की भी वही हालत है जब किसी विषय पर चर्चा यहां होती है तो सरकारी पक्ष के लोगों को बोलने की इजाजत नहीं रहती । मैं नहीं समझता कि उधर के लोग किस लिये बैठे हैं । अपनी बाली बेचकर वहां बैठने से उनको क्या लाभ मिल रहा है । किसी चीज पर आप अपनी राय नहीं जाहिर कर रहे हैं । कोई मामला हो, कोई प्रस्ताव हो, सरकारी या गैर सरकारी, आप बोलते नहीं हैं, इसलिये हेड मास्टर की इजाजत नहीं है । इसलिये कि यह जो चल रहा है इसमें विरोधी पक्ष के लोग ही अपनी बात कहेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे अफसोस है कि माननीय जायसवाल जी समझें नहीं कि इनकी बुद्धि गिरवी रखी हुयी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरी कामना है कि उनकी गिरवीं रखी हुयी बुद्धि छूट जायें, उसकी मुक्ति हो जाये।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

जायसवाल जी हेड मास्टर के बजाय मानीटर के अन्तर्गत काम करते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारी चले तो हम आपको मुक्त करा दें । लेकिन हमारी चल नहीं रही है । जिला स्तर का यह मामला हुआ । इसी तरह से जैसे आपने यह कमेटी बनाई है उसी तरह सूबे के स्तर पर परिषद बना दिया है । राज्य के स्तर पर जो कमेटी बनी है उसमें अधिकारी और नामजद किये हुये लोग रहेंगे । इस ऐक्ट के जरिये से विधान मंडल और विधान सभा का कितना अनादर हुआ है । इसमें इनका कहीं भी कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा । अगर सरकार द्वारा नामजदगी से कोई पहुंच जाये तो वह बात दूसरी है । लेकिन कानून में व्यवस्था करके इस बेसिक एजूकेशन के ढांचे में किसी का प्रतिनिधित्व नहीं है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस सुधार की आपकी मंशा है और जिसकी आप दुहाई देते हैं, वह मकसद इससे हल नहीं होता है । इससे गहराई से सोच विचार करने की जरूरत है । इसलिये यह संशोधन लाया गया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये । वहां इसकी छानबीन हो जायेगी और परिष्कृत होकर जब यह आ जाये तो आप इसको पास कीजिये । इस प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा लगता है कि बहुत से माननीय सदस्य इसके ऊपर बोलना चाहते हैं । अभी जैसा कि जायसवाल साहब ने कहा कि आपकी रुचि इसमें काफी है इसलिये खंडों पर बोलने का समय तो दूंगा लेकिन उसमें कम समय लेकर अगर आप जनरल बातों पर ज्यादा समय चाहते हों वह दे दूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी

अधिकांश लोग यहीं बोलना पसन्द करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर माननीय ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर दिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अब तो यह कल होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कल तो होगा ही ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे अच्छी तरह याद है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्यों को खंडों पर ज्यादा न बोलना हो तो अभी ले लें ।

अनन्तराम जायसवाल—

खंडों पर चर्चा होना तो आवश्यक है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, एक प्रश्न आपके सामने हो सकता है कि सदस्यों के भाषण सुनने के बाद प्रवर समिति की मांग को मान लें और उस सूरत में खंडों पर विचार करने की अभी आवश्यकता ही न होगी । इसलिये अभी जनरल डिबेट की जरूरत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो ठीक है, वह कल चलेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम 51 के अन्तर्गत यह श्री कल्पनाथ सिंह व श्री बलबीर सिंह, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द और श्री सच्चिदानन्द गुप्त की सूचनायें गोरखपुर जिले के देहाती क्षेत्र और सुल्तानपुर जिले में हैजे और चेचक के प्रकोप के बारे में हैं । कई जिलों से और भी ऐसी सूचनायें आई हैं । इस विषय पर पहले मंत्री जी वक्तव्य देंगे और उस पर आप को चर्चा का समय मिलेगा । यदि देरी की संभावना हो तो यह वक्तव्य 3 तारीख को ही हो जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान तो दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह इस वक्त नहीं हो रहा है, मैंने कह दिया है कि वह 3 तारीख तक वक्तव्य रख दें ।

जो अन्य सूचनायें हैं यह अल्प सूचित प्रश्न के विषय में अधिक से अधिक और स्वीकार होने के योग्य नहीं हैं । यह एक श्री बंशीधर पांडेय का है इस में श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रामबिलास पांडेय और महातम प्रसाद त्रिपाठी का है, यह बरेली की रबड़ फैक्टरी के बारे में है लेकिन यह कारखाना सरकारी नहीं है·····

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

लेकिन उनको जमीन इस सरकार ने ले कर दी है और उस में यह शर्त रखी गई है कि अगर जमीन का उपयोग नहीं किया जायगा तो वह वापस हो जायगी····

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन सरकार सीधे उससे संबंधित नहीं है, आप प्रश्न कर लें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

सरकार से उनका लिखित मुआहिदा है कि जमीन अगर उपयोग में नहीं आयेगी तो वह वापस होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन है तो प्राइवेट कम्पनी, आप सरकार से अल्पसूचित प्रश्न कर लें वह उत्तर देंगे कि वापस करायेंगे या नहीं ।

एक यह दूसरा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का है पुलिस द्वारा कानपुर में श्री प्रेम मनोहर, संसद सदस्य व अन्य कार्यकर्ताओं पर डंडे व बूटों से मारना पीटना । यह भी स्वीकार नहीं किया है·····

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आप को मालूम है कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी राजस्थान के उस क्षेत्र में सत्याग्रह शांति पूर्ण ढंग से करने गये थे और कुछ सत्याग्रही उनके साथ प्रदर्शन करने गये थे, लेकिन शासनारूढ़ दल ने वहां ऐसी व्यवस्था की कि उन का अपहरण किया गया और लाठी, डंडे, जूते उन पर बरसाये गये और उनका यह षड़यंत्र था कि वहां से उनको गायब किया जाय क्योंकि पहले भी यह चारू मजूमदार, श्यामा प्रसाद मुकर्जी और लोहिया जी को इसी तरह से कर चुके हैं। वह उनको भी ऐसे ही उठा ले जाना चाहते थे और गायब करना चाहते थे। पहले से ही मालूम होता था कि इनके अधिकारियों को आदेश थे कि यह सब वहां करना है कि जो शांतिमय ढंग से प्रदर्शन और सत्याग्रह करें उन के साथ लात-जूते और डंडों का व्यवहार किया जाय। हमारे संसद के सदस्य और यहां के सदस्यों के साथ ऐसा किया गया इस से बड़ा असंतोष व्याप्त है। यदि ऐसे विषय पर ही आप अवसर नहीं देंगे तो कैसे होगा .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह इस शासन से संबंधित नहीं है, एक दूसरे प्रदेश की बात है।

यहां पर श्री बरकत उल्ला खां, मुख्य मंत्री राजस्थान आये हुये थे। आप के मुख्य मंत्री जी इसी तरह से दूसरी जगह जायं तो जैसे शांति व्यवस्था के लिये रोकथाम करते हैं वह की गई थी, वैसे उनका यहां की सरकार से सीधे संबंध नहीं है .....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हम प्रथम बार ऐसा विचार आप से सुन रहे हैं। वह आये, हम भी उन का आदर करते हैं, हमारे हृदय में भी उन का सम्मान और आदर है। हमारे साथी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उनको ज्ञापन देना चाहते थे। वहां अगर शांति पूर्ण प्रदर्शन किया गया तो उन की रक्षा और सुरक्षा की सरकार की ही जिम्मेदारी थी लेकिन उनके साथ लाठी डंडों और बूटों का व्यवहार किया गया। किसी को जूते से मारा, किसी को डंडे से पीटा। तो आपने कैसे कह दिया कि यहां के प्रशासन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है? व्यवस्था आदि करना तो इस सरकार और इस शासन का कार्य है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके ज्ञापन और प्रदर्शन के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो भी कार्य वहां पर हुआ है वह सरकार के एजेंटों द्वारा ही किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बता दें कि किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार के मामले में वक्तव्य हुआ है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, वक्तव्य हुआ हो या नहीं, लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने जो दुर्व्यवहार किया है उसके बारे में आप मेरे प्रश्न को क्यों नहीं लेते?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको कार्यवाही के लिये शासन को भेज देता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, भेजने से कोई लाभ नहीं होगा । यह वहां जाकर राख में राख मिल जायगी । आपके पास तो हम प्रार्थना इसलिये करते हैं कि आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आपसे हमें न्याय मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

प्रश्न करने से क्या लाभ होगा ? हमारे प्रश्न कभी 67 में कभी 68 पर आते हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । मेरी कल्पना है कि मैंने आपसे प्रार्थना की कि मेरे प्रश्न को अल्पसूचित प्रश्न मान लिया जाय लेकिन वह भी आपने नहीं माना । श्रीमन्, मुझे संतुष्टि नहीं है । यह तो टालने वाली बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो पुरानी बात थी । अब आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसमें संसद सदस्य मारे गये और अन्य कार्यकर्ताओं को भी चोटें आयीं और 50 आदमियों को जेल भेजा गया । मैं समझता था कि यह गला घोट राज हो गया है । कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम नियम पर आते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नियमों का तो हम उत्तर दे देंगे । आप पढ़ें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, किसी भी लोक-महत्व के प्रश्न पर यह सदन चर्चा कर सकता है चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो । जैसे चांद पर अमरीका के लोग गये, उसके बारे में यहां पर प्रस्ताव पास हुआ, बंगला देश की घटनाओं के संबंध में यहां पर प्रस्ताव आया तो राज्य तक ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय लोक-महत्व तक रहता है और नियम 52 में चर्चा हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमें समझा दीजिये ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह गृह मंत्री से संबंधित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका इस सरकार से सीधा संबंध नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह आप कैसे कह सकते हैं ? इसमें लाठी चली, जूते चले. . . .

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसको इस समय स्थगित करता हूं, अस्वीकार नहीं करता हूं । आप हमें समझा दीजियेगा ?

एक माननीय रामनिहोर राय और माननीय सूबेदार प्रसाद जी का है जिसमें उन्होंने एक भूतपूर्व विकलांग सैनिक द्वारा सरकार के अधीनस्थ जिला शासनाधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध 18 जुलाई, 1972 से आमरण अनशन के बारे में कहा है ।

इसमें ज्यादा से ज्यादा वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, नियम 51 में मेरी भी एक सूचना थी ।

श्री उपाध्यक्ष---

जिला कानपुर-मल्हौर क्षेत्र में बिजली फेल रहने से फसल की बरबादी के बारे में है । इसमें आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है और उनकी स्वीकृति की सूचना भी आ गयी है । उस किस्म के प्रश्न पड़े हुए हैं । अल्पसूचित प्रश्न है । वे आज दिन तक एजेंडे में नहीं आ सके हैं । आप देखें, समय नहीं रह गया है । चार तक विधान सभा चल रही है। हमारे क्षेत्र में बिजली न आने से खेती सूख गई है ।

श्री उपाध्यक्ष ---

इस संबंध में और सदस्यों ने भी कहा था । मैंने यह कहा था कि अगर यह समस्या दिखाई पड़ेगी कि सारे सूबे में व्याप्त है तो मैं सामूहिक चर्चा करवा दूंगा । माननीय जगवीर सिंह जी ने बिजली का सवाल उठाया था ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, देखिये इस समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, जिस समय मैंने प्रश्न उठाया था उससे अब समस्या और गम्भीर हो गई है। सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

चार तारीख तक के लिये सब मंजूर है । दो दिन या एक दिन आप अविश्वास के प्रस्ताव कर लेंगे । उसके बाद अगर समय रहा तो लेंगे ।

श्री जगवीर सिंह---

मान्यवर, समस्या गम्भीर होती जा रही है । वर्षा न होने के कारण बिजली फेल्योर देहातों में चल रही है, ट्यूबवेल्स नहीं चल रहे हैं । खरीफ की फसल बरबाद व नष्ट होती जा रही है । आपने मौका नहीं दिया इसके लिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं समझ गया ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनावृष्टि के कारण एक महान् संकट इस राज्य पर आने वाला है और इस पर आपने बहस के लिये समय भी निर्धारित किया है। परन्तु मैं आपके द्वारा सम्भावित सभी नेतागण तथा नेता सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह विषय इतना तात्कालिक महत्व का है कि चार दिन विलम्ब का इस पर कुप्रभाव पड़ सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे नेता गण सहयोग दें। इसके लिये कल या परसों समय निकाला जाय। जितना यह विषय टलता है उतना अधिक नुकसान होता है। उस में बिजली की नलकूप की सारी बातें आ सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नेताओं से बात करेंगे। मैं तो सहमत हूं, समय मिले न, किस समय रक्खा जाय?

श्री भानुप्रताप सिंह—

समय निकाल लें, नेताओं से, आज ही शाम को या प्रातः निमंत्रित कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आज संभव नहीं है। वैसे नेताओं को आज बुलाया गया है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, माननीय बिजली मंत्री को फौरन त्याग-पत्र दे देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी भावनाओं को अपने नेताओं से बता दीजिये। वे कह देंगे। नेताओं की मीटिंग करेंगे, तब उनसे बातचीत होगी।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार करें क्योंकि बिजली न पहुंचने के कारण बरबादी हो रही है और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आपकी इस व्यवस्था पर मैं सदन का त्याग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मैं सदन से चले जाने की अनुमति देता हूं।

(माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये)

संविधान (28वां संशोधन) विधेयक, 1972 के अनुसमर्थन का संकल्प

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 1972 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हों, अनुसमर्थन करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह 28 वां संशोधन विधेयक जिसे 29 मई, 1972 को लोक सभा ने और 31 मई, 1972 को राज्य सभा ने पारित किया है उसमें जो प्राविधान किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के मातहत है । चूंकि हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कुछ अधिकारियों से संबंधित है, इसलिये उसी प्राविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि इससे पहले कि इसे प्रेसीडेन्ट की अनुमति प्राप्त हो सके, कम से कम राज्यों की आधे से ज्यादा विधान सभायें इस प्रस्ताव को पास कर के उसे अनुमति दें उसी क अनुसार इस सम्मानित सदन के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं ।

श्रीमन्, जिस विधेयक के संबंध में यह प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत है उस विधेयक के 3 खंड हैं । यह हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि स्वतंत्रता के पहले हमारे देश में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय इस देश में अधिकारियों का एक विशेष वर्ग तैयार किया गया था जो सिविल सर्विसेज कहलाती थी । इनकी नियुक्ति यहां के सेक्रेटरी आफ स्टेट जो पहले कहे जाते थे और सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल के द्वारा स्वीकृत की जाती थी । जैसा मैंने निवेदन किया अंग्रेजी हुकूमत की यह मंशा थी कि इन अधिकारियों को विशेष महत्व देकर जन-साधाण से ही नहीं, सारे अधिकारियों को एक वर्ग में भेज करके एक विशेष वर्ग तैयार किया जाय जो उनको हुकूमत चलाने में खासतौर से उनकी सहायता कर सके और इसीलिये इसे विशेष सुविधायें दी गई थीं, इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिये गये थे जस इनकी छुट्टियां हैं, इनके भत्ते हैं, इनकी तरख्वाह है, और इनकी पेंशन इत्यादि ।

इन सभी के बारे में इन्हें विशेष सुरक्षा दी गयी थी । इनका स्तर साधारण से ऊपर माना गया था । श्रीमन्, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो पहले 1947 का ऐक्ट बना, हम लोगों को आजादी मिलने का, उसमें भी इनके विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिये प्राविधान किया गया और उसक बाद भी जब हमारा संविधान बना तो उसमें भी अनुच्छेद 314 में वह प्राविधान किया गया जिनके जरिये से इनको जो विशेष सुविधायें उपलब्ध की गयी थीं, इनको जो विशेष मान्यतायें थीं और जो विशेषतायें थीं वे सुरक्षित बनी रहीं ।

श्रीमन्, आज हम उस जगह पर पहुंच गये हैं कि जहां किसी भी प्रकार के विशेष वर्ग को हम अपने समाज के भीतर अपने देश की जो नयी विचार-प्रणाली है, जो हमने नया लक्ष्य स्थापित किया है एक वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिये, इस प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दे सकते और इसी असंगति को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के विशेषाधिकार समाप्त किये जायं । उसी नियम से आपके सामने संसद में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसकी स्वीकृति आपको प्रदान करना है ।

श्रीमन्, इसके दो हिस्से हैं । पहला वह है जो खंड (3) के रूप में आया है जिसमें है कि अनुच्छेद 314 को समाप्त कर दिया जाय जिसके समाप्त होते ही इनकी विशेष सुविधायें समाप्त हो जाती ह । श्रीमन्, चूंकि इसके बाद इन सब लोगों की बराबरी रखने में शासन, संसद और यह विधान मंडल सक्षम हो सके, इसलिये जो पहले से अनुच्छेद 312 संविधान में मौजूद था, उसमें 312 (क) के रूप में एक और खंड जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार श्रीमन्, इसके तीन या चार हिस्से कहे जा सकते हैं । श्रीमन्, एक तो वह है कि जिसमें वे दायित्व जो इस संशोधन के पास होने के समय या उसके बाद में जो काम करते रहेंगे, उनकी सुविधाओं में हेरफेर करने की शक्ति विधान सभाओं को, संसद को और सरकार को मिलेगी । उसी प्रकार से जो लोग पेंशन पर जा चुके हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसमें भी हेरफेर किया जा सके, वह भी इससे प्राप्त होगा ।

इसके बाद जो खंड (2) है, उसमें इस बात का उपबन्ध किया गया है कि उपखंड (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों को विनियमन करने की जो शक्ति किसी विधान

[श्री उदित नारायण शर्मा]

मंडल या किसी अन्य प्राधिकारी की है, उसे इस अनुच्छेद की किसी बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु उनकी शक्ति इस विस्तार तक परिसीमित होगी कि वे कोई ऐसा विनियम न कर सकेंगी जो संसद द्वारा बनाये गये विधि से असंगत हो ।

श्रीमन्, इस अनुच्छेद का जो खंड (3) है, उसमें यह कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे विवाद के बारे में जो ऐसे व्यक्तियों से सम्बद्ध किसी करार, प्रसंविदा आदि से उत्पन्न किसी अधिकार के बारे में या अनुच्छेद 314 के अधीन किसी अधिकारी के दायित्व या बाध्यता के बारे में हो, कोई अधिकारिता न होगी ।

श्रीमन्, हम जानते हैं कि जिस वक्त ये क्लाज बने थे, तो जो इनकी नौकरियों की शर्तें होती थीं, वह एक-एक अधिकारी के साथ में तय हुआ करती थीं, लिखित रूप में तय होती थीं । वह सब खंड (3) दे दिया गया है।

खंड (4) द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान के अन्य उपबन्धों के ऊपर अध्यारोही प्रभाव किया गया है।

जो श्रीमन्, इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया, कि बिल को अनुच्छेद के खंड (3) के द्वारा अनुच्छेन 314 को समाप्त किया गया है ।

श्रीमन्, इसके ऊपर कोई ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं सारे सदन को इस बात से प्रसन्नता होगी कि इस वर्ग की जो सुविधायें थीं, केवल विशेष सुविधायें ही नहीं बल्कि एक ऐसा वर्ग बन गया था जो दूसरे वर्गों से एक बिल्कुल ऊपर होकर रहता था और जिसकी सुविधायें, मान्यता और अधिकार ऐसे समझे जाते थे जैसे कि एक बिल्कुल नया वर्ग है जिसका दूसरों से कोई मतलब नहीं है, उनकी सुविधाओं को समाप्त किया जा रहा है। मैं समझता हूं इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे । मान्यवर, संविधान में जो इतने लक्ष्य निर्धारित किये थे या और भी जो हमारे लक्ष्य हैं उनके अनुसार यह तय है कि हमको हर जगह, समाज के हर अंग में और सेवाओं में भी, वर्ग की विशेषताओं को समाप्त करना है ।

इस आई० सी० एस० वर्ग के खिलाफ न मालूम कितनी बातें लोग कहते रहते थे। इनके विशेषाधिकार, इनकी विशेष मान्यतायें लोगों को इस माने में खटकते थे कि हम जिस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं वह उससे बिल्कुल असंगत है । थोड़े ही समय पहले हमने प्रीवीपर्स और राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त किये । ठीक उसी तरह से, ठीक उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह विधेयक भी उपस्थित किया गया है ।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि आई०सी०एस० के थोड़े से अफसर बचे हैं जो करीब-करीब समाप्त प्राय है और यदि हम कुछ न करते तो अन्यथा भी 1979 के लगभग यह वर्ग समाप्त हो जाता । अब इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद शायद और भी जल्दी समाप्त जायेगा । जहां तक मैं समझता हूं, केवल 56 आई०सी० एस0 और 26 आई०पी० हैं । हमारे यहां केवल चार ही है जो आज काम कर रहे हैं । तो यह कहा जाता है कि क्या जरूरत थी कि आज इस चीज को लाये । मेरा निवेदन यही है कि जिस समय भी जागृति होती है, प्रगति की ओर लोग बढ़ते हैं, उस समय वह सारे जो हमारी एक मौलिक विचार धारा से संगत होते हैं और जिनके रहते हुये हमारी उस विचाराधारा में असंगति पैदा होती है।

श्रीमन्, कोई पैसे की इतनी बड़ी बात नहीं है । जिस तरह से प्रीवीपर्स और राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त किये वह इस वजह से कम किये कि उससे सरकार को कुछ पैसा

बचने वाला है बल्कि इसलिये किये कि जो हमारी एक विचाराधारा है, जिस प्रकार के समाज के सृजन की हम अपेक्षा और कल्पना करते हैं, उससे वह बिल्कुल असंगत है और जब तक वह है तब तक नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में हम अपनी विचाराधारा में निष्ठा रखते हैं। केवल इसी उद्देश्य से यह विधेयक भी आपके सामने प्रस्तुत है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव को इस सम्मानित सदन के सम्मुख विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। ऐसे प्रस्ताव को बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। बहुत देर में लाया गया इस बात का दुख जरूर है। संसद को बहुत से संशोधन संविधान में करने के मौके मिले, लेकिन यह जो बहुत जरूरी था, जो एक निशानी थी विदेशी सरकार के दबाव की, उसको दूर करने के लिये संसद ने जल्दी संशोधन लाना उचित नहीं समझा इस बात का दुख जरूर है लेकिन जो बात बहुत जरूरी थी अगर इतनी देर में भी आई है तब भी उसका समर्थन करना जरूरी है।

श्रीमन्, जब यह देश गुलाम था, उस जमानें में सेक्रेटरी आफ स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा असैनिक सेवाओं में नियुक्तियां होती थीं, जो कि सिविल सर्विस के नाम से प्रसिद्ध है। जब यह देश आजाद हुआ सन 1947 में तो इंडिया इंडेपेंडेंस ऐक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई कि ऐसे अधिकारियों को जो पारिश्रमिक निवृत्ति वेतन या छुट्टी के संबंध में विशेष सुविधायें या अधिकार हैं, वह उसी तरह से भारत सरकार सेवा में या राज्य सरकार सेवा में रह जायेंगे, प्राप्त रहेंगे। यह क्यों ऐसा किया गया? हमारे देश के नेताओं ने ऐसा करना उचित समझा या यह मजबूर होकर दबाव में आकर कि जिससे स्वतंत्रता प्राप्त हो जाय इस शर्त को मान लिया, जैसा कि बंटवारा मान लिया था कि इस देश को आजादी जल्दी मिल जाय। फिर जब संविधान बना उसमें भी यह विशेष सुविधायें और विशेष अधिकार कायम रहे, सुरक्षित रहे और उनको सुरक्षित रखने के लिये संविधान में एक अनुच्छेद 314 प्रविष्ट किया गया, जिससे उनके वह पुराने विशेष अधिकार और विशेष सुविधायें बनी रहें और उन पर उनके संबंध में संसद को भी कोई कानून बनाने का अधिकार न रहे। इस तरह से उनकी विशेष सुविधायें सुरक्षित कर दी गईं।

संविधान बनते समय भी बहुत से सदस्यों ने इस प्राविधान का विरोध किया था। वह नहीं चाहते थे कि इस तरह की सुरक्षा संविधान में की जाय लेकिन उस समय के हमारे गृह मंत्री, सरदार पटेल के कहने से उनके व्यक्तित्व में आकर लोगों ने अपना विरोध बदल दिया और इस बात के लिये तैयार हो गये कि इस तरह की व्यवस्था संविधान में कर दी जाय। सरदार पटेल ने उस समय कहा था कि इस समय संविधान में यह व्यवस्था रख दी जाय कि विशेष सुविधायें और अधिकार कायम रहें लेकिन बाद में चलकर हम संशोधन कर देंगे। इसका मौका हमें रहेगा। लेकिन यह सरकार जिसके हाथों में बागडोर रही है, वह भूल गई थी, सो गई थी और आज तक उसको यह बात याद नहीं आई। दूसरे तरह के काम करने की याद आई लेकिन यह कार्य जिससे भेद करने वाली नीति हमारे देश के और प्रदेश के अधिकारियों के बीच में इस संविधान के द्वारा लादी गई। उसके दूर करने की की बात नहीं सोची गई। जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी कहा कि इस तरह का भेद विदेशी सरकार कराना चाहती थी और उसको करने के लिये ही इस तरह के विशेष अधिकार और इस तरह की विशेष सुविधायें जारी रक्खी गई। माननीय राजस्व मंत्री जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि यह बात अनुचित थी। विदेशियों की तरफ से ऐसा करना और जब यह देश आजाद हुआ तो उसके लिये प्रयास करना कि इसमें कोई परिवर्तन न हो और वह चीजें कायम रक्खी जायं, अनुचित थीं।

[श्री जयराम वर्मा

जब हम स्वतंत्र हो गये तो कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण उस अनौचित्य को दूर करने के लिये हमने नहीं सोचा ? 25 वर्ष व्यतीत हो गये और अब जाकर यह संशोधन लाये हैं जब कि बहुत थोड़े से आई० सी० एस० आफिसर्स इस प्रदेश या देश में रह गये हैं। इस संशोधन के द्वारा कोई रुपये का सवाल नहीं है। उसमें कोई बड़ी बचत होने वाली नहीं है महज उस भावना का प्रश्न है जो कि संविधान ने उन अधिकारियों और दूसरे अधिकारियों के बीच में पैदा कर दी थी। उसको दूर करने का सवाल है।

इसलिये देर में भी यह बात लाई गई है तो भी यह मुनासिब है और उसका समर्थन करना ही है। लेकिन समाजवादी समाज की रचना के ख्याल से यह बात लाई गई है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी समाज का ख्याल होता तो पहले ही इस बात को कर देना चाहिये था। अगर उसका ख्याल होता जो कि कांग्रेस ने प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज को लाने के लिये घोषित किया था उसे पूरा किया जाय तो यह संशोधन पहले आता।

सन् 1962 में भुवनेश्वर में एक प्रस्ताव में प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना की बात कही गई थी उसमें यह कहा गया था कि ईमानदारी, मानवता की गरिमा और नैतिकता प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिये आवश्यक है। क्या समाजवाद को लाने के लिये इन चीजों की तरफ कोई प्रयास किया गया है, मानवता की गरिमा को बढ़ाने के लिये कोई प्रयास किया गया उस समय से। आज परिणाम यह हो रहा है कि हम रोज बरोज नीचे गिरते जा रहे हैं। प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज नारे से नहीं होता है वह तो अमल में लाने से ही आयेगा, आचरण से आयेगा और कार्यों से हम उसको उपलब्ध कर सकते हैं। इसके लिये कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इस लिये मौके बे मौके यह कह देना कि समाजवादी समाज के लिये हम कर रहे हैं तो ठीक नहीं है बल्कि उसके लिये प्रयत्न करना होगा। अगर सरकार इस चीज को पहले करती तो कौन सा दल था तो इस काम में उसका सहयोग न देता।

हर एक दल पूरी शक्ति के साथ उसका समर्थन करता परन्तु उसके लिये सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न ही नहीं हुआ। जहां तक कि इसमें संशोधन का सवाल है इसमें अनुच्छेद 314 है जिसके द्वारा इन आई० सी० एस० अधिकारियों को विशेष सुविधायें सुरक्षित की गई हैं उनको इस विधेयक के द्वारा निकाला गया है। 312 अनुच्छेद में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि जो सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विसेज के अधिकारी संविधान के लागू होने पर या उसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकारों की सेवाओं में रह गये उनका जो पारिश्रमिक निवृत्ति वेतन या छुट्टी के सम्बन्ध में अधिकार है संसद उनमें संशोधन, हेरफेर कर सकेगा भूतलक्षी प्रभाव से या भविष्य लक्षी प्रभाव से। मैं तो कहूंगा कि अगर करना है तो भूतलक्षी प्रभाव से करें और अगर भविष्य लक्षी प्रभाव से करेंगे तो बेकार हो जायगा।

दूसरी बात कही गई है कि जो अधिकारी रिटायर्ड हो गये हैं उनके निवृत्ति, वेतन के बारे में में जो शर्तें हैं उनमें भी संशोधन किया जा सकता है अब भी। इसी तरह से जो बड़े अधिकारी हैं—आडिटर जनरल या चीफ जटिस्स है प्रदेश के या सुपरीम कोर्ट के या अन्य बड़े अधिकारी जो इस वक्त सेवा में है यदि उनकी मौजूदा सेवा की शर्तें इस दृष्टि से है कि वह आई० सी० एस० आफिसर्स तो उन पर भी यह संशोधन लागू होगा और आई० सी० एस० अफसर होने के नाते जो सेवा की शर्तें हैं उनको भी तबदील किया जा सकेगा।

तो इस तरह से तबदील करने का जो प्रयास है जिससे पुराना भेद-भाव समाप्त हो जायगा वह उनके सामने है और रूपये-पैसे का जहां तक मामला है उससे कोई विशेष आमदनी होने वाली नहीं है। ऐसा करने में हो सकता है कि कोई सुपरीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच करते और वहां पर क्वैश्चन उठाते कि इस तरह की जो कार्यवाही सरकार कर रही है वह कायदे के खिलाफ है, तो इसमें व्यवस्था कर दी गयी है कि सुपरीम कोर्ट और हाई कोर्ट

को भी इसमें दखल देने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन यह संशोधन तो महज इनेबिलिंग प्रावीजन है जो कि 28 वां है। इसके पास कर देने से जो उनकी विशेष सुविधाएं समाप्त नहीं होगी। उसके लिए पार्लियामेंट को अलग से कानून बनाना पड़ेगा तब जाकर उनकी विशेष सुविधाएं और अधिकार समाप्त हो सकेंगे। तो यह कह देना चाहता हूं कि इसके पास हो जाने के बाद जिस तरह से अब तक यह सरकार सोई हुई थी फिर न सो जाय वरना यह कानून बेकार हो जायगा। इसलिए संसद जल्दी से जल्दी ऐसा कानून लावे जिससे इस संशोधन के द्वारा जो अधिकार मिल रहा है उसका उपयोग उस भेदभाव को दूर करने के लिए किया जा सके। यह स्थिति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका फिर समर्थन करता हूं और सरकार से फिर प्रार्थना करता हूं कि बहुत देर हो गयी है, लेकिन अब आगे देर नहीं होनी चाहिये। अक्सर होता है कि समय खत्म हो जाता है तब सरकार कुछ करने की बात सोचती है, ऐसा न करके जब वक्त उचित हो तब ही किसी काम को करना चाहिये जिससे उसका उपयोग जनता या प्रदेश कर सके।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं प्रारम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं कि मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं। परन्तु जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है, यह शब्द अवश्य जोड़ना है कि सरकार ने अभी तक इसे क्यों नहीं किया। अनेक संशोधन सरकार ने लाये। मैं तो यह कहुंगा कि इस संविधान की सैंक्टिटी अनेक बार संशोधन लाने से गायब हो गयी। जो अच्छे संशोधन आये उनका स्वागत है, जैसा उनमें से एक यह भी है। संशोधन की स्थिति यह रही कि एक बार किताबें बिक रही थीं, फ्रेंच कांस्टीट्यूशन सामने रखा हुआ था। कोई व्यक्ति उसे खरीदने के लिये गया। एक ने कहा बड़ा सस्ता है यह कांस्टीट्यूशन, तो दूसरे ने कहा कि इसे खरीद कर क्या करेंगे 4–6 दिन में यह भी बदल जायेगा। तो ढेर की ढेर कांस्टीट्यूशन की कापियां पड़ी रहीं, लोगों ने खरीदा नहीं।

आज यहां की स्थिति कुछ विचित्र है कि संशोधन तो इतने लाये गये लेकिन जहां लाना चाहिये था वहां नहीं लाये, दूसरी जगह लाये। खैर, उसकी बात तो मैं नहीं करना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि वह संशोधन जो स्वागत योग्य हैं उनमें से एक यह भी है, लेकिन जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, अब 4–6 आई० सी० एस० अफसर ही भारत वर्ष में रह गये हैं आर्थिक दृष्टि से उसका लाभ नहीं रहेगा, आज तक क्यों नहीं किया। इसका कारण स्पष्ट है।

सन् 1947 के बाद जब सत्ता इनके हाथ में आयी तो ये एकदम से उसी सांचे में ढल गये। आज हम ध्यान से विचार करें कि इन्होंने क्या बदलाव किया है। इन्होंने आई० पी० सी० बदला, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदला, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट बदला? ये उसी ढांचे में चले आये। इस लिये मैं कह रहा हूं कि इन्हीं आई० सी० एस० लोगों द्वारा इनको मार्ग दर्शन मिलता था। हमारे इतने बड़े बड़े लोग भी इन्हीं पर निर्भर करते थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनको छुयें। उसी के कारण यह हुआ, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि आज 25 वर्षों के बाद यह संशोधन आया इनके प्रिविलेजेज समाप्त करने का। कदाचित उधर से यह जबाव आये कि बादशाहों के प्रिविलेजेज समाप्त किये उसी की एक कड़ी यह भी है। हमारे पूर्व वक्ता ने कह दिया कि आपने रेजोल्यूशन पास किये बहुत लेकिन जो आपको सुविधा-जनक नहीं लगा उस पर आपने अमल नहीं किया। दरअस्ल इसे बहुत पहले कर देना चाहिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

इतना इसी संदर्भ में और कह दूं कि केवल इस संशोधन से काम नहीं चलेगा, अभी कानून बनाना पड़ेगा ताकि इसका कार्यान्वियन हो सके। अभी हमारे मन में शंका है कि क्या इतनी जल्दी यह कानून लाया जायेगा कि जो बचे खुचे दो, चार आई० सी० एस० अफसर रह गये हैं उन पर यह लागू हो सके। और वह संका इस लिये है कि आपका कार्य उनके बिना चल नहीं सकता। हर पग पर आप उन्हीं का मार्गदर्शन लेते हैं। आपके मन में अभी यह विश्वास ही नहीं आया कि हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। इसलिये आप उनको तब तक घसीटेंगे जब तक वह आपका कार्य करने योग्य हैं।

उन्हीं की जगह पर एक दूसरी सर्विसेज यहां पर स्टार्ट हुई जिनको आई० ए० एस० कहते हैं। भावना आपकी जरूर थी कि उनके प्रिविलेज लिये जायं लेकिन उसमें भी 6–6 साल की सर्विस के लोगों को जिलाधिकारी बना दिया। आई० सी० एस० लोगों को तो केवल ला ऐंड आर्डर को कंट्रोल करना होता था लेकिन आई० ए० एस० को भी आपने उसी प्रकार से प्रिविलेजेज प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया और उनके मन में यह भावना आ गयी कि आप उनके बिना चल नहीं सकते। आज यही स्थिति है कि आप उनको नाराज नहीं कर सकते। आज 6–6, 7–7 वर्ष के लोगों को जिलाधिकारी बना देते है जैसे बनारस के जिलाधिकारी हैं जिन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया, जान माल की रक्षा नहीं कर पाये, सारे प्रदेश के ऐटमास्फियर को गन्दा कर दिया। हमारे लखनऊ के जिलाधिकारी को बड़ा अभिमान है। वह नहीं मानते कि हम जनसेवक हैं। इस पर मैं बहुत कुछ कह चुका और कहना नहीं चाहता।

आज भी उनको ज्ञान है अपने प्रीवीलेजेज का। उनके लिये नयी-नयी सुविधायें क्या आपने प्रदान नहीं कीं? अभी माननीय वर्मा जी ने कहा है, मैं दोहराना नहीं चाहता, मगर आज सर्विसेज में बड़ा असंतोष है और उसका अनुभव शायद आपको नहीं है और अगर है तो आप मजबूरी में कोई कदम उनके खिलाफ उठा नहीं पाते। आप आज भी आई० ए० एस० को यही समझते हैं कि वह हर जगह फिट हो सकता है चाहे एम० एल० ए० की जगह हो, चाहे निदेशक की जगह हो, चाहे सेक्रेटरी की जगह हो, चाहे किसी इंडस्ट्रियल कन्सर्न में जरूरत हो, चाहे चुर्क सीमेंट फैक्टरी में जरूरत हो, आप केवल उसी को फिट समझते हैं। आज भी आपकी उनके लिये वही पुरानी धारणा है जो अंग्रेजी हुकूमत में उनकी थी। शराब वही पुरानी है, मगर बोतल नयी है। नयी बोतल में आपने पुरानी शराब भर दी है। आप कभी यह नहीं सोचते कि जो 20–20, 30–30 वर्ष से काम कर रहे है उन्हें भी नीचे से ऊपर उठाना चाहिये, उनके एक्सपीरिअन्स से भी फायदा उठाना चाहिये।

मान्यवर, अंग्रेजों के समय में केवल 6 कमिश्नर थे, और आज तो उनकी गिनती नहीं है। कमिश्नर्श के आने के पहले ही उनके लिये पोस्ट क्रीएट हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज उन लोगों के साथ जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उन्हें कोई प्रोमोशन नहीं मिलता, बड़ा अन्याय आप करते हैं। मेरिट्स का कन्सीडरेशन भी आपको करना चाहिये अगर यह नहीं करेंगे तो आप उनके असंतोष को दूर नहीं कर सकेंगे। जो योग्य है उन्हें भी आपको अवसर प्रदान करना चाहिये।

मैं फाइनेन्स विभाग को लेता हूं। यह विभाग अरबों रुपयों को देता है। करोड़ों रुपयों की हानि विभागों में होती है। कहीं सेंक्शन देर से होती है, कहीं नुक्ताचीनी में ही काफी समय निकल जाता है। इस विभाग में ही कभी-कभी 6–6 महीने लग जाते है सैंक्शन मिलने में। कारण क्या है? मने कई बार यह पूछा कि हमें यह बताया जाय कि कितने केसेज वित्त विभाग के पास ऐसे पड़े है जो 6 महीने से अधिक के हैं। मगर फाइनेन्स विभाग प्रश्न से मिला और वह प्रश्न स्वीकार नहीं हुआ। मैं इस लिये कह रहा हूं कि फाइनेन्स विभाग के लिये भी आपने फायनेन्स सर्विसेज के किसी आदमी को सर्वोपरि नहीं समझा, वहां भी वही

सर्विसेज का आदमी रखा। इन्जीनियरिंग में भी आपने अपने इन्हीं आई० ए० एस० वालों को ठूंस दिया। उन्ही को आप सबसे ज्यादा ईमानदार समझते हैं। इस प्रश्न पर आपको विचार करना चाहिये।

महज आई० ए० एस० होने के नाते ही उसको सबसे योग्य समझ लेना उचित न होगा। आप मैरिट्स के आधार पर भी तोलिये। इसलिये जो संशोधन आप लाये हैं उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जिन बातों में मैंने कहा है उस पर भी आप विचार करें। आप ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें कि सर्विसेज में भी घोर असंतोष व्याप्त हो। इन्हीं कारणों से कि जो हम एक मापदण्ड चारों तरफ नहीं लगा रहे हैं। इनके साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो संविधान संशोधन का रेटिफिकेशन माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में हमारे दो नेताओं ने अपनी विचाराधाराएं प्रकट की। मान्यवर, यह विधेयक था आई० सी० एस० आफिसर्स थे, जो उस उक्त सेक्रेटरी फार दि स्टेट आफ इंडिया की सर्विसेज में थे, उनके कुछ प्रिविलेजेज थे, आज का यह उन्हीं के बारे में है। इसके संबंध में कहा जाता है कि हमारे देश की स्वस्थ एकोनामी में इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूं। यह भी कहा जाता है कि सरदार पटेल ने जब इसको मुन्शी साहब पेश कर रहे थे, बड़ा जोर देकर इसको रखवाया था कि अफसर हमारे बड़ा काम करने वाले हैं। आज जो हमारे देश के नेता हैं, वे उनका एबालीशन करते हैं। ठीक है। लेकिन जैसा अभी त्रिपाठी जी और वर्मा जी ने प्वाइन्ट आउट किया, मान्यवर, ये आई० सी० एस० आफिसर्स अपनी एक लीगेशी छोड़ते चले जा रहे हैं।

मैं कहता हूं कि उनके प्रीविलेज आप खत्म नहीं कर सकते है, उनके बिना आपका काम चल नहीं सकता है। वे केवल संख्या में 42 हैं, उनको आपने खत्म किया। यों भी 79 तक लास्ट आई० सी० एस० अफसर रिटायर्ड हो जायेगा। उन्हें तो आप हटा रहे हैं। जहां उनकी ब्यूरोक्रेसी की आप निन्दा करना शुरू करते है, वहां मैंने देखा है, इसमें कई रूलिंग कांग्रेस के नेताओं के मैंने भाषण पढ़े, वे सब परस्पर कंट्राडेक्ट्री हैं। कहा गया कि उनकी हमारे देश के साथ भावना नहीं रही है। आज के नेता जो उनके साथ बैठे हैं एक तरफ उनके प्रविलेजेस तो हटाते है, लेकिन जो स्थान गवर्नर्स, मिनिस्टर्स और विदेशों में अम्बेसडर्स के थे और जो स्थान राजनैतिक नेताओं के लिये सुरक्षित किये जाते थे, आज उन पर आई० सी० एस० आफिसर्स आप नियुक्त करते चले जा रहे हैं।

आज भारत वर्ष की सरकार केवल 5–6 आई० सी० एस० अफसरों के बल पर चल रही है। कहने को यह कहा जाता है कि ये मिनिस्टर्स सरकार चलाते है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इन मिनिस्टर्स की कोई हिम्मत नहीं है कि यह उनका सामना कर सकें, या उनके सामने कुछ कह सकें। मान्यवर, सन 60 में श्री गुलजारीलाल नन्दा जो भारतवर्ष के गृह मंत्री थे और दो चार बार प्राईम मिनिस्टर पर भी आफिशिएट कर चुके थे, जब साधुओं का जुलूस निकला तो एक आई० सी० एस० आफिसर ने उनको मात दे दिया। उसकी तो पदोन्नति हो गई, लेकिन उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। प्राईम मिनिस्टर के बगल का जो सर्किल है वह नाट सराउडेन्ड बाई विंग मिनिस्टर्स, बट बाई दीज आई० सी० एस० आफिसर्स। ये सारे लोग उसमें घुसते हैं और आपकी पालिसी एफेक्ट करते हैं। वह सोचते हैं 42 को जाना है तो जाएं अब 3500 के स्थान पर 5000 और 12,000 रुपये की तनख्वाहें प्राप्त करेंगे।

जो हमारे देश का करीब बरीब दूतावासों का सम्बन्ध है, अगर आप यह कहें कि 42 आई० सी० एस० अफसरों को समाप्त करके कोई समाजवाद लाने वाला ह, तो ऐसा नहीं है

[श्री बंशीधर पांडेय]

13 हजार 33 रुपये पर ऐनम पेंशन है। वह स्टर्लिंग में है। गवर्नमेंट को जब आई० सी०एस० ने कहा कि आप एक हजार पाउंड स्टर्लिंग पर ऐनम के बजाय 13 हजार रुपये कर दीजिये तो नहीं माने। खैर, मैं उसमें नहीं जाता। इससे बहुत बड़ा इकानामिक फैक्टर सुलझ करके समाजवाद आयेगा, यह बात नहीं है। इसमें समाजवाद तब आयेगा जब आप इसके द्वारा अपने रास्ते को दुरुस्त कर लें। जब आर० के० पाटिल जो डेवलपमेंट मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। आई०सी०एस० आफिसर के मुकाबले में। आर० के० पाटिल आई० सी० एस० डेवलपमेंट मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के उस जमाने में। पी०एस०पी० के कामथ साहब, सुभाष बाबू और आर०के० पाटिल आई०सी०एस० थे। जब वह मिनिस्टर बन गये तो आई०सी०एस० सीनियर आफिसर इनका सेक्रेटरी हुआ चीफ मिनिस्टर रिवशंकर शुक्ल थे। उनको दबाने के लिये उन्होंने अपनी पालिसी को एनफोर्स करना चाहिए तो चीफ मिनिस्टर को मिला कर उसने मिनिस्टर को आउस्ट कर दिया। उसमें झगड़ा हुआ, मिनिस्टर का आर्डर हुआ, उसको आई०सी०एस०सेक्रेटरी ने नहीं माना, चूंकि सेक्रेटरी ने सोचा कि उनकी सर्विस कंडीशन इंडिया इंडेपेंडेंस ऐक्ट में है। इसलिए मामला रेफरेंस में गया लंदन को। लंदन से आया लेकिन पाटिल साहब तब तक निकल चुके थे। वहां से आया---सेक्रेटरी इज बाउन्ड टु ओबे लाफुल आर्डर आफ दि मिनिस्टर। सेक्रेटरी की सजा करना चाहिये थी लेकिन सेक्रेटरी की सजा नहीं मिनिस्टर हट गया आज आप इस बात पर बहुत ज्यादा खुश न हों।

श्री राममंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

अभी पांडेय जी ने कहा कि सेक्रेटरी इज बाउन्ड को अबाइड बाई दि लाफुल आर्डर। क्या ऐसा भी प्रिसीडेंट क्रियेट करना चाहिये कि अनलाफुल आर्डर को भी सर्वविसेज माने ?

श्री बंशीधर पांडेय---

आप अच्छी चीज को गंगा जी की तरफ स्नान करने नहीं देते है, कर्मनाशा की तरफ ले कर चले गये ?

समझा जाता है कि मिनिस्टर हमेशा लाफुल आर्डर देगा, लीगल टर्मिनालोजी में। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं कि चन्द आई०सी०एस० अफसर हैं। उनके खान्दानियों और रिश्तेदारों को जोड़िये। मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कुछ कहना नहीं चाहता। 90 परसेंट इन्हीं के खान्दानियों को आई०ए०एस० सर्विसेज में लिया जा रहा है, वही घुसते जा रहे हैं। चाहे इंटरव्यू को प्रभावित करके या एग्जामिनेशन को प्रभावित करके, उन्हीं के रिश्तेदार आई०ए०एस० में जा रहे हैं। आई०ए०एस० आफिसर क्या आई०सी० एस० आफिसर्स से भिन्न हैं ?

सन् 1966 में जब मैं मिनिस्टर था उस जमाने में एक आई० सी० एस० की तनख्वाह 2,250 रु० थी। तब यहां पर चीफ मिनिस्टर सुचेता जी थीं। उन्होंने यह कहा था कि इनकी तनख्वाह 500 रु० नहीं बढ़ानी चाहिये लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक दिन में ही उनकी तनख्वाह साढ़े बाईस सौ से बढ़ा कर साढ़े सत्ताईस सौ कर दी गई। आप आई० सी० एस० के प्रिविलेज की बात करते हैं। केवल 42 आफीसरों के प्रिविलेजेज कम करने से क्या होगा ? आपकी नीति ही असफल रही है। यह तो खाली अब रेटिफिकेशन की बात है और आज एक रस्म अदा करने के लिये खड़े हैं हम लोग। आप इस बात को देखें कि कितनी परवाह आप इन चीजों की करते हैं। मैं तो आपके सामने कहता हूं और आप तो सिर्फ कन्वे ही कर सकते हैं। मुझे आप ऐसा कहने के लिये क्षमा करेंगे कि जो कन्वे करने वाला मैसेन्जर भी होगा चाहे वह आपके मुख्य मंत्री कमलापति जी ही क्यों न हों, उस पर भी सन्देह है। क्योंकि वे अपनी कपेसिटी लौस्ट कर चुके हैं। इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर से कह नहीं सकते।

मैं उन माननीय मिनिस्टर सदस्यों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यह कहा कि आप तो कुछ मामलों में बहुत तेज हैं। आज आई० सी० एस० स्टील फ्रेम्ड हो गये हैं। अगर 10 आई० सी० एस० मिल जायं तो पूरी कैबिनेट को रैन्सम में डाल सकते हैं। एक किताब में यह कहा गया है कि

"Half a dozen I.C.S. Officers can join together and hold the entire Cabinet to ransom. We know that there was a conflict once between the Home Minister and the Home Secretary ; in the end the Secretary remained and the Minister was sent out."

मैं आपसे कहता हूं कि अभी हमारी एक संवैधानिक कमेटी बनी थी जिसमें हमारे माननीय कृष्णानन्द जी राय और राजेन्द्र प्रताप सिंह जी भी थे, उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें गवर्नमेंट को यह सुझाव दिया कि रियर इन्स्टान्सेज हैं जब कि आर्डिनेन्सेज द्वारा राज्य किया गया हो। उन्होंने मुझे बताया कि दुनिया के और देशों में जहां कि डिमोक्रेसी है, वहां पर आर्डिनेन्सेज इस्तेमाल नहीं होते। यह प्रणाली हिन्दुस्तान में है जो कि इमरजेन्सी में लागू होते हैं। इन्होंने आर्डिनेन्सेज और इमरजेन्सी की परिभाषा का इतना मामूली कर दिया है कि 11-11 विधेयकों को पहले आर्डिनेन्सेज के जरिये प्रामल्गेट कर दिया और आज इस सदन में एक रस्म अदाई के लिये वे विधेयक पेश किये गये हैं। ये विधेयक पहले पब्लिक के सामने आर्डिनेन्सेज के रुप में आ चुके हैं। आप आई० सी० एस० आफीसरों को कहते हैं कि इन्होंने जनतंत्र की हत्या कर दी है। आई० सी० एस० तो स्टील फ्रेम्ड थे। तो इस लिये मैं माल मंत्री से निवेदन करूंगा कि ये आई० सी० एस० आफीसर उसी प्रकार है जिस प्रकार यदि एक सांप को मारो तो 5 निकल आते हैं और 5 को मारो तो 25 सांप हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल इन 42 आई० सी० एस० आफीसरों को निकाल देने से काम चलने वाला नहीं है। उससे तो हजारों की संख्या में लीगैसी पैदा हो गई। फिर उसको हटाने के लिये आप इसी सदन में कहेंगे। और तब आपको लोग कहेंगे शर्मा जी ने 42 अफसरों को हटाया लेकिन आई० सी० एस० की लीगैसी पैदा कर गये। मेरा निवेदन है कि मेरे सुझावों पर आप विचार करें और अन्त में जो संविधान में संशोधन विधेयक आया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह बड़े खुशी की बात है कि इतने दिनों से जो हम लोग समझते थे इन आई० सी० एस० अफसरों के प्रिविलेजेज के बारे में वह बात इतने समय के बाद सही निकली और वह यह थी कि इनके जो प्रिविलेजेज तथा अख्तियारात थे जो उनके समकक्ष अफसरान से अधिक थे जितनी जल्दी उनका खात्मा हो जाय उतना ही अच्छा है। उनके दिमाग में हमेशा यह भावना रहती थी कि हिन्दुस्तान में जितने बुद्धिजीवी लोग है, इस देश के लोगों के पास जितनी भी बुद्धि है उनसे अधिक बुद्धि उनके पास है और सारी बुद्धि के ठेकेदार ये आई० सी० एस० अफसरान हैं और उनके उत्तराधिकारी ये आई० ए० एस० आफिसर हैं।

इससे पहले कि मैं आगे कुछ बात कहूं मैं दो उदाहरण आपके सामने रख देना चाहूंगा जिनसे आपको मालूम हो जायगा कि उनकी योग्यता तथा क्षमता किस हद तक थी। वैसे तो मुझे वह केस याद नहीं है लेकिन एक कत्ल के केस में गवाही के दौरान यह कहा गया कि आस पास के खेतों में ज्वार और बाजरा था। हाई कोर्ट में जज उस समय आई० सी० एस० अफसर हुआ करते थे। उन्होंने जजमेंट लिखते समय यह जजमेंट दिया "देअर वर टु विटनेसेज ज्वार एन्ड बाजरा, हु वर नाट प्रोड्यूस्ड। सो दे आर एक्विटेड। आई० सी० एस० आफिसर्स की लियाकत का यह नमूना है। इस देश में इतनी शिक्षा के बावजूद भी वे ज्वार और बाजरा न समझ सके कि ये ज्वार और बाजरा कोई गवाह नहीं है बल्कि फसलें है और इस देश को और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

जिस समय यह कत्ल हुआ तो उसके पेड़ खेतों में मौजूद थे। उन्होंने ज्वार और बाजरा को गवाह की शक्ल में लिया।

दूसरा उदाहरण आई० सी० एस० अफसर का है। उसका नाम नहीं लूंगा। एक केस में फरीक बनाने की बात थी। वह आदमी मर चुका था। डिफेंडेंट को मरे हुए 14, 15 वर्ष हो गये थे लेकिन खेत में नाम उसी का चला आ रहा था। जब वकील ने उसके बेटे को फरीक बनाया और एफिडेविट में लिखा मरहूम फल-फलां वालिद फलां का और उसे जब दाखिल करने लगा तो उन आई० ए० एस० आफिसर ने कहा कि मर गया तो क्या हुआ, नाम उसी का होना चाहिये क्योंकि खेत में नाम उसी का है। मुझे बहुत दिनों तक अदालत करने का अवसर मिला है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह थी मालूम यह होता था कि सारी बुद्धि का ठेका इन्होंने ने ले रखा है।

इस बदलती हुई परिस्थिति में मैं यह ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि चाहे भले ही 25 वर्ष के बाद यह निर्णय लिया गया हो लेकिन यह निर्णय बहुत ही तर्कसंगत तथा न्याय संगत था जिन्हें बहुत पहले लिया जाना चाहिये था लेकिन जब भी लिया गया ठीक ही हुआ। उनमें से कुछ की बुद्धि अच्छी हो सकती है, तीव्र हो सकती है और उन्होंने देश के सामने जो समस्यायें थीं उनको सुलझाने में योगदान भी दिया हो लेकिन जब उनकी सेवाओं को एक क्लास के रुप में लिया जाता है तो यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने देश को कभी अपना देश नहीं माना, इस देश की संतान को अपनी संतान नहीं माना और इस देश के हित में जो प्रगतिशील नीतियां थीं उनके रास्ते में उन्होंने हमेशा रुकावट डाली।

उन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि हम हावी रहें उन मिनिस्टरों पर या जिनके अंडर काम करते हैं। इसका नतीजा यह रहा कि सन् 1947 से लेकर 1972 तक करीब करीब 25 वर्षों में इस देश का जितना भला उन लोगों ने नहीं किया उसके मुकाबले में नुकसान ही किया है। हमें दुख तो इस बात से होता है कि जो चीज पहले होनी चाहिये जैसा कि माननीय माधव जी ने और वर्मा जी ने कहा यह बात सही है कि हम गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक 25 वर्ष तक सेंटर में रहने की बात है, आपकी पार्टी के लोग भी किसी न किसी शकल में पार्लियामेंट के मेम्बर थे और फिर भी किसी ने भी कभी किसी न किसी शकल में, चाहे नाम आफिशियल बिल की शकल में ही उसको लाने का कभी अनुरोध नहीं किया और न प्रयास ही किया।

मैं तो अपने प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि जिस परिस्थिति में यह चीज नहीं लायी गयी वह परिस्थिति ही ऐसी थी। उस परिस्थिति में हर सफेद कपड़े वाले की बड़ी प्रतिष्ठा थी। धनी आदमी की प्रतिष्ठा थी, जिनके पास शक्ति थी उनकी प्रतिष्ठा थी, जिनके पास अधिकार थे उनकी प्रतिष्ठा थी, यानी जिसको ग्लेमर कहते हैं, इस तरह के लोग रहते थे और वे समझते थे कि सारी शक्ति उन्हीं में केन्द्रित है और सबको उन्हीं से नसीहत लेनी चाहिये। वे समझते थे कि सारी दुनिया उन्हीं से प्रभावित हो। आर्टिकिल 314 जिसके अन्तर्गत उनको अधिकार दिया गया है, तनख्वाह के बारे में, पेंशन के बारे में, उनके समकक्ष व्यक्तियों को यह सुविधा नहीं थी और वे समझते थे कि हमारी बुद्धि उनसे कम नहीं है, हमारी शिक्षा दीक्षा व सेवा की शर्तें भी उसी तरह की है फिर यह भेदभाव क्यों। यह आई० सी० एस० और आई० पी० एस० के लोग यही सोचा करते थे कि वे हुकूमत करने के लिये ही पैदा हुए हैं, इस देश में। इस तरह की मनोवृत्ति जो उनके अन्दर पैदा हुई, इसीलिये सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव की गयी कि वे औरों को हेय दृष्टि से देखते हैं और आपस में ही वैमनस्य की भावना पैदा हो रही है इस लिये इस तरह की चीजों का समाप्त होना ही उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें, वरना कोरम नहीं रहेगा तो इसे स्थगित ही करना पड़ेगा।

श्री राजमंगल पांडेय––

अभी मैं समाप्त करता हूं। मान्यवर, पहले स्टर्लिंग की कीमत 13 रुपये 5 आने थी और अब 20 रुपये कुछ आने है। ऐसी हालत में वे सोचने लगे थे कि उनको पेंशन भी बढ़ी हुई दर पर ही मिले। इस तरह की असमानता को हटाने के लिये भी जरूरी था कि समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने के लिये सब को एक समान मौका देना चाहिये। जनता की सेवा करने वालों में एकरूपता होनी चाहिये ताकि इस देश की प्रगतिशील नीति में हम अपने को अग्रसर कर सकें।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा केवल एक पहलू पर। संविधान में जो संशोधन हुआ है उसमें केवल एक पहलू है जिसको मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। माननीय वर्मा जी, माननीय त्रिपाठी जी और माननीय पांडेय जी, सभी विरोधी दल के आदरणीय नेताओं ने इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। पार्लियामेंट में भी जब यह संशोधन विधेयक आया था तो सभी विरोधी दल के आदरणीय नेताओं ने इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया था। लेकिन समर्थन करते हुए भी एक आशंका प्रकट की गयी है कि जब आई० सी० एस० आफिसर्स का कैडर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, 1300 आई० सी० एस० हिन्दुस्तान के इंडपेंडेंस के समय यहां थे और अब शायद 80 रह गये हैं जो 1979 तक यह सारा कैडर खतम ही हो जायगा तो 25 वर्ष के बाद इतने लेट समय में यह संशोधन विधेयक क्यों लाया गया है, इस पर आदरणीय नेताओं ने शंका प्रकट की है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय हिन्दुस्तान एक बहुत ही नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा था जिसने संविधान के निर्माण करने वालों को बाध्य किया कि वे कुछ ऐसे प्रावीजन्स रखें जो किसी डैमोक्रेटिक कंट्री के लिये स्वस्थ नहीं कहे जा सकते हैं। जैसे कि पांडेय जी ने कहा एक कमेटी के बारे में, जो आर्डीनेंस के बारे में सवाल था। गवर्नर को आर्डीनेंस निकालने का अधिकार आर्टीकिल 313 है या आई० सी० एस० आफिसर्स को प्रिविलेजेज देने का सवाल है, राजा महाराजाओं को प्रिविलेजेज देने का सवाल है और प्रापरटी के संबंध में फंडामेंटल राइटस के देने का सवाल है। यह सब विषय उस समय की परिस्थिति को मीट करने के लिये संविधान में रखे गये थे। उस समय हमारे भारतवर्ष को अंग्रेजों के द्वारा पावर ट्रांसफर हो रही थी। अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल तक राज्य किया था और हिन्दुस्तान की जनता को पावर ट्रासफर हो रही थी और उस समय देश का बटवारा भी हुआ था और किसी को यह पता नहीं था कि कौन सरकारी अधिकारी यहां रहेगा, कौन रिटायर हो जायगा और कौन पाकिस्तान को आप्ट कर लेगा।

देश में चारों तरफ एक इनस्टेबिल अवस्था चल रही थी। इस लिये उस समय संविधान के निर्माताओं ने कुछ एडजस्टमेंट्स किये जो किसी कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत नहीं रखे जाते हैं। यह आर्टीकिल 314 उस समय क्यों रखा गया था? यह आई० सी० एस० आफिसर्स को प्रिविलेज देने के बारे में था। उस समय देश में 13 0 आई० सी० एस० आफिसर्स थे। उनमें से यह पता नहीं था कि कौन इनमें से रिटायर कर जायेंगे, कौन पाकिस्तान को आप्ट कर लेंगे और यदि ऐसे समय ये ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हमारे देश में नहीं रहेंगे तो हमारे देश का ऐडमिनिस्ट्रेशन ही गड़बड़ हो जायगा क्योंकि ये लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ थे। इस लिये उस समय की विशेष परिस्थितियों में ही आर्टकिल 314 कांस्टीट्यूशन में रखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णा नन्द राय]

गया और आई० सी० एस० आफिसर्स को जो प्रिविलेजेज प्राप्त थे वह सब उनको उस समय दिये गये। लेकिन ये सारे संरक्षण देने के बावजूद केवल 450 आई०सी०एस आफिसर्स ने हिन्दुस्तान सरकार की सेवा करना स्वीकार किया। 800 आफिसर्स ने पाकिस्तान को आप्ट किया या अपने कंट्री इग्लैण्ड चले गये। सरदार पटेल ने कहा था कि इस तरह की परिस्थितियों में यह प्रिविलेजेज इनको दिये गये। इसी लिये राजाओं और महाराजाओं को भी प्रिविलेजेज उस समय दिये गये थे जिससे वे बगावत न कर दें और इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन में शामिल हों। वे इसमें शामिल होते जायें इस लिये इनको ये प्रिविलेजेज उस समय दिये गये थे और वैस्टेड इंटरेस्ट जो उस समय थे उन को प्रापर्टी के फंडामेंटलराइट दिये गये थे। इसके लिये कांस्टीट्यूशन में आर्टीकिल 99 उनको प्रिविलेजेज देने के लिये रखा गया था।

अब यह चीज साफ हो गई है कि हमारी डेमोक्रैसी स्टेबिल अवस्था पर पहुंच गई है और हमारा देश दो-दो लड़ाइयां भी जीत चुका है और हमारी डेमोक्रेसी को अब कोई खतरा नहीं रह गया है। खतरे के समय 1950 में निर्माण होते समय जिन प्रिविलेजेज को रखा गया था वे अब खत्म होते चले जा रहे हैं। यह इसका हिस्टारीकल प्रौसपैक्टिव है। राजा महाराजाओं के भी प्रिविलेजेज खत्म कर रहे है और प्रापरटी के जो फंडा मेंटल राइट्स लोगों को प्राप्त थे वे खत्म किये जा रहे हैं और संविधान में जिन स्पेशल राइट्स का प्रावीजन किया गया था, अब चूंकि हमारी डेमोक्रेसी स्टेबिल हो गई है इस लिये धीरे-धीरे वे विदड्रा हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भाई इस हिस्टोरीकल प्रौसपेक्टिस को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह चीज 1950 में नहीं आ सकती थी। आज स्टेबिलिटी है इस लिये परन्तु लगा कर नहीं बल्कि ऐतिहासिक तौर पर गौर करना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, बहुत लम्बी चर्चा की न आवश्यकता है और न वह हुई ही है। मैं अपने मित्रगण वर्मा जी, पांडेय जी और माधव प्रसाद जी तीनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय में सम्पूर्ण रूप से इस विधेयक का समर्थन किया है। इसमें केवल एक छोटी सी चीज है कि इंडियन इन्डिपेंडेंस ऐक्ट जब सन् 47 में बना तो जो सेवायें सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया ऐन्ड कौंसिल से सम्बद्ध थीं उनको कुछ थोड़े से विशेष अधिकार दिये गये थे और वे उनकी छुट्टी, वेतन और पेन्शन व अनुशासन से संबंधित थे। उन को हमने इसके द्वारा वापस लिया है। इसके अलावा इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन कुछ चीजें जिनका जिक्र माननीय वर्मा जी, पांडेय जी, माधव प्रसाद जी व अन्य साथियों की ओर से किया गया वे दूसरे विचारणीय विषय हैं और मैं भी उनसे कुछ चीजों के सम्बन्ध में सहमत हूं क्योंकि जो अभिव्यक्ति हुई वह एक भावना थी कि यह कार्य पहले से होना चाहिये था।

कितनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी बनी थीं उनकी रिपोर्ट हैं उनके सम्बन्ध में वक्तन फवक्तन बहुत बार चर्चायें भी हुई हैं। जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि ऐसा समय अब आ गया है और हमारी डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रौढ़ अवस्था में आ गई है जब हम दृढ़तापूर्वक कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। आज प्रश्न हमारे सामने यह है कि यह जो हमारी सेवायें हैं उनको किस तरह से हम ऐसी सेवायें बनायें कि वे सचमुच जनता के लाभ के लिये हों और जनप्रतिनिधियों के साथ काम कर सकें। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज इन दोनों के बीच में एक बड़ी खींचतान की और खिचाव की परिस्थिति चलती है और इसमें भी कोई सन्देह नहीं है जैसा कि वर्मा जी और माधव प्रसाद जी ने जिक्र किया कि तीन चार साल के आई० ए० एस० को जिला मैजिस्ट्रेट बना देना और उसको हर चीज का एक राम बाण औषधि समझना यह एक अनुचित बात है।

आज तो सर्विसेज के भी अलग अलग विषयों में स्पशलोइजेशन का युग आ गया है और यह भावना अब नहीं रहनी चाहिये कि वह एक व्यक्ति हर चीज का सर्वज्ञ हो सकता है और कोई भी काम उसके सुपुर्द किया जा सकता है। यह बात सही है कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों व्यापक रुप से शासन को विचार करना होगा कि क्या यह उचित है कि कम अनुभव के व्यक्ति को किसी स्थान पर डी० एम० बनाया जा सके और हर विधि और हर प्रकार के काम के लिये एक विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है तो क्या एक व्यक्ति सब काम का माहिर कहां तक हो सकता है। चाहे मिल को चलाने की बात हो, चाहे सीमेन्ट फैक्टरी को चलाने की बात हो, किसी आयोग का संचालन करने की बात हो या किसी कारपोरेशन को चलाने की बात हो, हर काम के लिये एक ही प्रकार के विशेष व्यक्तियों या सर्विसेज को भेजने की बात अनुचित है। हमारा विश्वास है कि ऐसी बात होना चाहिये कि आई० ए० एस० में भी विभिन्न प्रकार के कार्यों के विशेषज्ञ के होने चाहिये क्योंकि भविष्य में पब्लिक सेक्टर में अधिक काम होगा, हमारी समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में काम बराबर बढ़ता जायगा और इस सब के लिये किसी न किसी पर विशेष ज्ञान हासिल करने के बाद जिम्मदारियों को डालना होगा। जैसे कि हमारे कम्पनी ला का ज्ञान है या जो फैक्टरी निश्चित रूप से हमारे बढ़ते हुये जो संस्थान हैं उनके लिये अलग-अलग निश्चित विषयों के विशेष ज्ञान के लोगों की आवश्यकता होगी। हर कार्य के लिये अलग विशेष केडर की आवश्यकता होगी। लेकिन आज के समय में हर चीज के लिये एक ही प्रकार के व्यक्ति को लगाना अवांछनीय और अन्यायपूर्ण है। हमारे कृष्णानन्द राय जी ने जिक्र कर दिया था इस विषय में लेकिन मैं 2 शब्दों में एक चीज का और जिक्र करूंगा। अब आई० सी० एस० की व्यवस्था समाप्त हो रही है लेकिन कांस्टीटुएंट एसेम्बली में भी इसकी बड़ी विवेचना हुई थी। और यदि मैं उन प्रमुख शब्दों को दुबारा दुहराऊं तो वे इस प्रकार हैं 'दे आर नाइदर इंडियन, नार सिविल नार सर्विसेज" ये शब्द एक मुख्य व्यक्ति ने कहे थे। पं० जवाहर लाल नेहरु ने भी अपनी आटोबाईग्रेफी में विशेष तौर पर लिखा है। आई0सी0एस0 के सम्बन्ध में हम लोगों के मन में बड़ी कटु भावना थी। वे इस देश के सेवक नहीं थे बल्कि शासन के सूत्र थे, शासन करते थे। इसीलिए जब कांस्टीट्यून्ट असेम्बली में यह विषय सरदार पटेल ने लिया तो यह जरूर जिक्र किया कि इनमें भी देश भक्त हैं और प्रत्येक आई0 सी0 एस0 को पत्र लिखा कि अगर कोई देशभक्त शेष हैं तो वह हमारी सर्विस में आ सकता है। उनका कहना था कि ये चाहते हैं कि वे सचमुच इस देश के सेवक रूप में कार्य कर सकें।

अब समय आ गया है जबकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में विचार करना होगा। जैसे-जैसे हमारा उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है, हम केवल भाग्य पर नहीं छोड़ सकते हैं बल्कि चाहते हैं कि वे लोग देश के सेवकों के रूप में कार्य कर सकें और उन लोगों के साथ कार्य कर सकें जो उनके प्रतिनिधि हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आम तौर पर यह तय नहीं हो पाता है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका भी कोई स्थान है, इस देश के जन-जीवन में। माननीय पांडेय जी ने कहा कि आई0 सी0एस0 साहब रह गये केवल मन्त्री जी चले गये। जिस हीन भावना से हम ग्रसित होते हैं, उसकी समाप्ति का समय आ गया है जबकि हम जनता के प्रतिनिधि एक परिपाटी प्रतिबिंबित करते हैं। तो उसका भी जन जीवन में स्थान है सेवा करने का। भविष्य के निर्माण में और इस देश की कार्य पद्धतियों में उनको भी सहयोग करना है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, 1971 के लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के बाद दिल्ली में जो सरकार वजूद में आई और जिसकी नेता इन्दिरा गांधी जी हैं, उसका और धोखों के साथ-साथ यह भी एक बड़ा धोखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उसकी उपयोगिता प्रायः नहीं के बराबर है। एक तरफ दिल्ली की सरकार कोशिश कर रही है कि जो सचमुच राज करने वाले लोग हैं, उनको हटाकर उनकी जगह पर गैर सियासी लोगों की एक कैबीनेट बना रहे हैं और उसमें भी एक जाति विशेष के लोग हैं। वे अब प्रधान मन्त्री की जाति के हैं। धर साहब, कौल साहब, हस्कर साहब और कपूर साहब को भी शामिल कर लीजिए। इन लोगों की सुपर कैबिनेट है। क्या माननीय शर्मा जी और बहुत से लोगों से यह बात छुपी हुई है? दिल्ली में सचमुच कोई कैबिनेट है? इस समय दिल्ली में एक सुपर कैबिनेट है। जो हिन्दुस्तान का चाहे अन्दरूनी मामला हो या विदेशी मामला हो, सारे मामलों का संचालन कर रही है। एक मोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं हमारे फौरेन मिनिस्टर श्री स्वर्ण सिंह जी हैं लेकिन जो नीति निर्धारण समिति है विदेशी मामलों की, उसके सद्र, अध्यक्ष हैं, धर साहब।

कहीं दुनियां में इस तरह का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन यह हो रहा है दिल्ली में। तो एक तरफ जो मुलाजमत वाले लोग हैं उनकी सुपर-कैबिनेट बनाई जा रही है। जो चुने हुए जनता के नुमाइन्दे हैं उनको प्रीफेरेंस दिया जा रहा है। उन्हीं के दिमाग को दिमाग माना जा रहा है और दूसरी तरफ जनता को भरमाया जाता है कि आई० सी० एस० अफसरों के प्रिविलेजेज खत्म किये जा रहे हैं, पेंशन के, छुट्टी के और रेप्यूनिरेशन के। मान्यवर, सन् 1947 के बाद आई० सी० एस० सेवा तो समाप्त हो गई। कम से कम कांस्टीट्यूशन 50 में आने के बाद। अब उसकी जगह ले ली है आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और इंडियन फारेस्ट सर्विस वगैरह ने। कुछ उनके अवशेष जरूर बच गये हैं। और वे भी अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव श्री मुसद्दीलाल जी या सान्वाल साहब या लखनऊ के कमिश्नर। और पूरे हिन्दुस्तान में अगर आप देखें तो वे गिनती के लोग होंगे।

ऐसा नहीं है कि कोई उनकी बहुत बड़ी संख्या होगी। वे या तो पेंशन पा चुके हैं या इंगलैन्ड जा चुके हैं। अपने देश में तो इसमें प्राविधान यह किया गया है कि ऐसे लोगों की सेवा शर्तों के बारे में, खास कर उनकी छुट्टी के बारे में उनके पारिश्रमिक के बारे में, उनके सेवानिवृत्ति पेंशन के बारे में, अनुशासन की कार्यवाही के बारे में सरकार हेर फेर कर सकती है। जो सेवानिवृत्त हो सकते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की पेंशन के बारे में सरकार हेर फेर कर सकती है। कोई भी आदमी समझ सकता है कि इसका कितना व्यापक असर होगा। करीब-करीब यह कानून है। लेकिन जनता को भ्रम हो जाता है कि सचमुच यह सरकार, बड़े-बड़े जो अफसर हैं, जो हावी हैं उनके पर काट रही है। उनकी शक्ति कम की जा रही है और जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं उनके अधिकार बढ़ जायेंगे। ऐसा भ्रमात्मक आभास हो सकता है। जबकि हकीकत यह है कि मुलाजमत से छटे हुए लोग एक सुपर कैबिनेट इस देश में और सारे कामों में संचालित कर रहे हैं और धीरे-धीरे राजनीति करने वाले राजनीति से छंटते चले जा रहे हैं और दिल्ली की कैबिनेट में जो प्रवेश पा रहे हैं जिनकी किसी प्रकार की राजनीति से कोई और कभी वास्ता ही नहीं रहा होगा। ये तो गिटपिट अंग्रेजी बोल सकते हैं, विदेशी वेशभूषा पहन सकते हैं, शराब पी सकते हैं, क्लबों में नाच सकते हैं। इस तरह की महफिलों को सजा सकते हैं लेकिन क्या सचमुच देश के लोगों से उनका वास्ता है। ऐसे लोग देश में ताकत में आ रहे हैं। इस हकीकत को झुठलाने के लिये इस तरह का बिल पेश किया जा रहा है जिसका समर्थन करने जा रहे हैं श्री शर्मा जी।

जवाहर लाल जी का बड़ा नाम लिया जाता है। आपको अदब के साथ याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1946 तक पहुंचते-पहुंचते जवाहरलाल जी किस राय के हो गये थे, इसको जान

लें। जवाहर लाल जी की निश्चित राय बन गई थी कि जो कांग्रेस के लोग जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे त्याग और तकलीफ के दिनों को गुजार रहे थे, उन लोगों के मुकाबिले आई0 सी0 एस0 के लोग ज्यादा लायक हैं, यह उनकी मान्यता हो गई थी। अगर आप किसी किताब का रेफरेन्स चाहें तो वह गिल्टी मैन आफ इंडियाज पार्टीशन—भारत विभाजन के दोषी पुरुष—उसको आप रेफर कर लीजिये। उसका किसी को हवाला दे दीजिये। इस चीज को लेकर जवाहर लाल जी और लोहिया जी में झगड़ा हुआ।

मान्यवर, आप तो सारी घटनाओं से वाकिफ हैं। सन् 46 के बाद डा0 साहब छूटकर आये जेल से। अल्मोड़ा में कांफ्रेंस थी। डा0 लोहिया ने जवाहरलाल जी के इस बदलते हुए रुख पर कहा था कि जवाहरलाल जी बहुरूपिया हो गये हैं। इन लोगों से अब देश की जनता को होशियार रहना चाहिये और अगर उन्होंने अपने रुख में तब्दीली नहीं की तो जहां पर ये दो आदमियों की बात माना करते थे अब एक आदमी की बात माना करेंगे। और वह कौन एक आदमी होगा, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू कट जायेंगे। इससे पहले कि डा0 लोहिया आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में शरीक होने के लिये राज भवन पहुंचे उसके पहले ही यह अखबारों में छप गया। जब अखबारों में छप गया और डाक्टर लोहिया जब यहां पर आये हैं तो दिन भर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन शाम को जवाहर लाल जी डाक्टर लोहिया को बाटिका में ले गये और बातचीत शुरू हुई।

डाक्टर साहब ने कहा कि आपका यह भ्रम है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुकाबले यह आई0 सी0 एस0 आफिसर ज्यादा दिमाग वाले हैं। ये कांग्रेस कार्यकर्ता जो इस वक्त त्याग कर रहे हैं और तकलीफ उठा रहे हैं, ये जानते हैं कि दर्द कहां हैं। जब वक्त आयेगा तो यह इलाज करेंगे। लेकिन आई0 सी0 एस० आफिसर को मालूम ही नहीं कि दर्द कहां है, इसलिए वह इलाज नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी बात चल नहीं पाई, हालांकि बातचीत में वह मान गये। लेकिन उनकी यह धारणा बन गई थी। नतीजा क्या हुआ? जो इंडिपेंडेंस ऐक्ट आया। उसमें आई0 सी0 एस0 आफिसर को प्रिविलेज दिये गये और जब यह संविधान बना तो आर्टिकल 314 के द्वारा वही इंडिपेंडेंस ऐक्ट का प्रावीजन दोहरा दिया गय और बराबर उनके अधिकार बने रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? उनका खयाल क्या था? वही पुराना खयाल कि अगर यह छट जायेंगे, आई0 सी0 एस० आफिसर अलग हो जायेंगो तब हमारा प्रशासन कौन चलायेगा।

इसलिए जो उस वक्त के सेक्रेट्री आफ स्टेट आफ इंडिया या इन काउंसिल वगैरह के भर्त्ती के लोग थे उनको प्रलोभन देकर और उनकी विशेष योग्यता को देखते हुये इनकी सेवाओं को रोका गया ताकि हमारा प्रशासन चुस्त रहे और ठीक तरह से चलता रहे, उसके पीछे यही भावना थी और उसी कारण उनको यह स्थान मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि बदकिस्मती से हिन्दुस्तान का पहले मुख्य सचिव वह हुआ जिसने माता कस्तूरबा को मृत्यु को वाशिंगटन में रहकर जायज बतलाया। इसके बाद बदलाव हुआ। इस पर गम्भीरता से लोग सोचें। जब तक हम गद्दी से बाहर रहते हैं, हमें गद्दी पर बैठने का अवसर नहीं मिलता, विरोध में रहते हैं या लड़ते हैं, तब हम अपना कैडर इस तरह से तैयार नहीं करते हैं कि इत्तिफाक से कभी हमको प्रशासन सम्भालना पड़ा तो हमारा कैडर इसको सम्भाल सके। यह अपने देश की बात नहीं है, यह सारी दुनिया में यही चल रहा है। पुस्तैनी गुलामों की एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। चाहे वह मुगल साम्राज्य रहा हो, चाहे तुगलक सामाज्य या उसके बाद अंग्रेजों का, लेकिन यह पुश्तैनी गुलाम बराबर हावी रहते हैं, सर्विसेज पर इनका कब्जा रहता है। इनके गुण क्या होते हैं—पढ़े लिखे होते हैं खुशामद करना इनका विशेष गुण होता है। वक्त को पहचानते हैं, कौन कुर्सी पर बैठा है, किसकी खुशामद करना चाहिये। यह तो खुशामद परस्त जमात है जो हर देश में हर पीढ़ी में मिलती है और समूचे राज्य पर इसका अधिकार रहता है। सिर्फ अपवाद है तो रूस। रूस जिसमें

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

कम्युनिस्ट पार्टी वक्त आने पर इन सारी सुविधा को बिलकुल समाप्त कर दिया और इनकी जगह अपना काडर बैठा दिया। यहां तक कि प्राविधिक जाब्स पर जो लोग बैठे थे उनको रिटेन किया और अपने टेकनीशियन्स उनके साथ लगा दिये जो कसकर काम लिया करते थे। कहीं कोई साजिश नहीं चल सकती थी। इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष—

चीन में च्यांग काई शेक के जाने के बाद सभी को पेंशन देकर हटा दिया गया था जब माओं का राज्य चीन में हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, बहुत कुछ आपने हमारी कठिनाइयों में वृद्धि कर दिया और उसमें चीन के मसले को जोड़ लिया। उनका देश ऐसा है कि जहां पुरानी विशेषाधिकार की सेवाओं को हटाने और उसे खत्म करने की विचारधारा है।इसके लिये वहां एक कल्चरल रिवूल्यूशन आया। लेकिन चीन को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो पैदावार अमरीका में 3 मिनट में होती है, वही पैदावार रूस में 6 मिनट में होती और वही पैदावार चीन में 40 मिनट में होती है। हिन्दुस्तान में वही पैदावार 60 मिनट में होती है। जब चीन की समझ में यह फैक्ट आया तो उसे दुख हुआ। इन कमियों को दूर करने के लिये उन्होंने कल्चरल रिवल्यूशन चलाया। लेकिन हमारे यहां आज भी वही गुलामी का सिलसिला चालू है। आप राजनीति के क्षेत्र को ले लीजिये। जो हमारे स्वतन्त्रता के सेनानी थे, उन्हें पेंशन देकर हटा दिया गया। उनको कोई स्थान नहीं मिला उनकी कुरबानियों के लिये जोकि उन्होंने देश के लिये किया, जेल गये, अपने घर बरामद किये और नाना प्रकार की यातनायें सहीं।

आपने उनको योग्य नहीं समझा कि देश के किसी कार्य में उनको लिया जाय। क्योंकि आपके नेताओं का विचार था कि हमारे ये आई० सी० एस० आफिसर ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं, और कायदे-कानून में माहिर हैं और हमारे कांग्रेस के लोग जाहिल हैं, कोई अनुभव नहीं है, कोई भी योग्यता का काम नहीं कर सकते। उदाहरण मांगने की जरूरत नहीं है। नन्दा साहब का सेक्रेटरी से झगड़ा हुआ। सेक्रेटरी तो बैठे रहे लेकिन नन्दा साहब चले गये। यही नहीं, श्रीमन, हमारे इन नेताओं को फाइलों की नोटिंग ड्राफ्टिंग में ऐसा उलझा दिया जाता है कि बेचारे अपना कोई मत रख ही नहीं पाते किसी विषय में। केवल ट्रांसफर आदि के मामलों में पड़े रहते हैं।

सेक्रेटरी कहते हैं कि साहब, आप राजनीति करने वाले आदमी हैं। आपको इतना समय कहां मिलता है इन सब फाइलों को देखने का। इसके पहले जो मन्त्री थे, दस्तखत कर देते थे और आधा घंटे में सब काम हो जाता था। सेक्रेटरी भी खुश और मन्त्री भी खुश। तो मान्यवर, आज यह हो रहा है, यहां। आज आई० सी० एस० और आई० ए०एस० का कितना रोब है। कोई भी उनकी बात की खिलाफत नहीं कर सकता। इसका कारण भी है। ये जो आपके राजनीति के पंडित हैं, ये जनता को उसके आत्म-स्वाभिमान की ओर ले जाने का प्रयास ही नहीं करते। इसी कारण आज इन अधिकारियों का इतना रोब है।

मान्यवर, आज यदि कोई राजनीति का आदमी चेष्टा भी करता है कि यह काम सुन्दर है और इसमें सुधार लाया जाय तो ये आई० ए० एस०/आई०सी०एस० लोग उसको तरह-तरह के नियमों से जकड़ देते हैं और कहते हैं कि इसमें यह कानून नहीं है, इसमें यह कायदा नहीं है, इसमें यह राजाज्ञा है। मैं कहना चाहता हूं कि राजाज्ञा तो मिनिस्टर रोज बदल सकता है, रोज बना सकता है। कहीं कोई अड़चन हो तो उसे हटा सकता है। लेकिन हो क्यों नहीं पाता है? जब तक हम सत्ता के बाहर रहते हैं उस वक्त हम अपने को तैयार नहीं करते हैं कि कभी सत्ता आयेगी तो उसको दक्षता के साथ कैसे चलायेंगे।

मैं चाहता हूं कि यहां के जितने राजनीतिक दल हैं वह इस पुराने इतिहास से सबक सीखें और अपने को तैयार करें कि हमारे साथ जो काम करने वाले हैं गांव से लेकर दिल्ली तक उनको जो भी काम दिया जायगा उसको वह अच्छी तरह से निबाह सकेंगें। उनका प्रशिक्षण और ट्रेनिंग होनी चाहिये। क्या हमने कोई प्रशिक्षण दिया? क्या जनतन्त्र के लिए सचमुच आपने प्रशासन का ढांचा तैयार किया? जी नहीं। आपने दो पायों का राज्य बनाया है—लखनऊ और दिल्ली। अपनी नियमावली को ही पढ़े तो उसमें क्या है? उसमें है कि सवाल पूछे जायेंगे, मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया जायगा, लोक महत्व के विषय पर नियम 52 की चर्चा होगी, कामरोको प्रस्ताव होगा, अविश्वास प्रस्ताव होगा आदि आदि। लेकिन होगा तो तभी जब विधान सभा या लोक सभा चलेगी। पद्धति तो आपके लोकसभा और विधान सभा वाली करोगे और बैठक कम से कम करोगे तो उस नियमावली या उस पद्धति की क्या उपयोगिता होगी? नतीजा क्या होता है? सरकार और नौकरशाही निरंकुश बन जाते हैं। अगर बैठे भी तो आज की हालत क्या है? जिले के स्तर तक या तहसील और गांव के स्तर तक पहुंचते-पहुंचते सरकार के काम और कानून बिल्कुल प्रभावहीन हो जाते हैं।

अगर आप आई० सी० एस० डिप्टी कमिश्नर या सेक्रटरी की जगह यह कर देते कि आजाद हिन्दुस्तान में इस तरह के आई० सी० एस०, आई० ए० एस० के लिये कोई गुंजाइश नहीं है, इन जगहों पर जनता का चुना हुआ नुमाइन्दा रहेगा—एक पोस्ट आप तोड़ देते—तो जिला स्तर पर भी इस तरह की पंचायत नजर आती और फिर उसके नीचे के स्तर पर भी रहती। लेकिन उधर आपका ध्यान नहीं गया। आपको होश तब आया जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी। आपने कसम खा रखी है कि जब तक किसी चीज की उपयोगिता है तब तक उसको नहीं करेंगे। जब आपको सीलिंग ऐक्ट लाना चाहिये था तब आप नहीं लाये। हर चीज का एक वक्त होता है। आज जो बीमारी है अगर उसका इलाज उसके मुताबिक आज नहीं करेंगे, 10—15 साल बाद करेंगे तो वह बिल्कुल बेईमानी हो जायेगी। आज आप जिन कानूनों की बड़ी चर्चा करते हैं उनकी प्रचारात्मक कीमत कुछ भी हो—यह तो आपने लाटरी बना ली है, जब जो लाटरी सूट करती है उसको चला देते हैं। जो सीलिंग का कानून आप ला रहे हैं इससे अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रचार जरूर हो सकता है। आज महंगाई से लोग परेशान हैं। हम शुरू से कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिए फिर दूसरा मौका मिलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक निश्चित दाम नीति चलाओ और ज्यादा से ज्यादा खर्चे पर बन्दिश लगाओ। लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं जाता। आप तो समझते ही नहीं कि महंगाई भी कोई समस्या है। यहां की उपज नहीं बढ़ रही है, न कारखाने की और न खेती की। आबादी बराबर बढ़ रही है। बराबर महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन आप उसको समस्या ही नहीं मानते है। उतनी गम्भीरता से विचार नहीं करते हैं।

आज आप 1500 रुपये वाला कानून ले आये तो उसका मतलब है लेकिन इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही और कारखाने चौपट होते रहे तो इस बात की कोई उपयोगिता 5, 10 साल बाद नहीं रह जावेगी। तो जब इसका समय खतम हो गया तब इस कानून को लाये हैं इसलिये शर्मा जी क्या मैं यह समझूं कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आप धोखा देना चाहते हैं। अब आई० सी० एस० आफिसर हैं कहां। आई० सी० एस० आफिसर तो संविधान लागू होने के बाद खतम हो गया। दो एक बचे हैं। इसमें यह भी नहीं है कि रूपरेखा ही हो। जैसा कि वर्माजी ने कहा कि यह तो इनेबिलिंग बिल है और उसमें आप

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

को अख्तियार होगा। तो क्या लाभ होगा? इसकी जगह जो आई० सी० एस० आप बिठालते चले जा रहे हैं। क्या आपमें दम है कि आप सोचें कि इस प्रदेश में सभी काम आई० सी० एस० आफिसर ही करेंगे या आपका पी० सी० एस० भी कुछ करेगा। आपके जो सिक्रेट्री यहां बैठे हैं जो आई० ए० एस० और कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की रैंक के हैं, क्या सचमुच अपने को वह आपके मातहत समझते हैं, आज उनकी एलीजिएन्स दिल्ली से है। दिल्ली की सरकार आपको बाई पास करके मुख्य सचिवों और गृह सचिवों की बैठक बुलाती है और तय करती है कि फलां को मारो और सख्ती करो। यदि आप दिल्ली से टकराना चाहते हैं तो आप कहिये कि हमारे यहां आई० ए० एस० का कोई काम नहीं है। हम अपने आफिसरों से काम करायेंगे। लेकिन आप में यह हिम्मत नहीं है, आपने इस प्रदेश की स्वायत्तता बेच दी है। जो वहां से इशारा होगा वही काम करेंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसका समर्थन करूं या न करूं, यह समझ में नहीं आता है। इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)

5 मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह भी समय लेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मैं तो शुरू से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब सभी लोग रहने दें।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मैं केवल 5 मिनट समय लूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

रूपनाथसिंह जी की बात मान लें। मेरे से एक बात कहने से रह गई। यदि आप ने आई० सी० एस० की जगह हरिजन, पिछड़े वर्ग के लोग और मुसलमानों को नहीं करते हैं तो इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

दो तीन बातें कहना है। दो तीन मिनट दे दीजिये।

*श्री रियासत हुसैन—

सन् 1947 में कांस्टीट्यूशन बनाते समय आई०सी०एस० को कुछ प्रीविलेजज दिय गये थे। उस समय जो प्रजातन्त्र में विश्वास करते थे उन्होंने डेमोक्रेसी को ग्राम सभा के स्तर पर पहुंचाया था, लेकिन दूसरी तरफ इन 451 आई० सी०एस० ने जो अपने शागिर्द पैदा किये,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई0 ए0 एस0 आफिसर, वह ऊंचे रहे। काम इन आई0 सी0 एस0, आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 आफिसरों का यह है कि जो भी प्रजातन्त्र के तरीके से चुनाव हों, विधायकों के द्वारा जो कानून पास हों, उनका पालन करायें। दूसरी तरफ जो आदेश जुडिशियरी से पास होकर आया है, उसको करें, लेकिन होता क्या है? आज तो उसकी हालत यह हो गई जो ऊपर से कोई आदेश होते हैं उनको देखा भी नहीं जाता और उनके अपने कानून बन जाते हैं और उसी तरह से वे लोग करते हैं। जो कानून हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आते हैं उनको उन्हें करना चाहिये ये उच्च अधिकारी अपने मन का कानून बनाकर उसको पूरा करते हैं। अगर इस मुल्क के अन्दर आजादी की लहर के हिसाब से सारा काडर भर्ती किया जाता तो आज शायद तश्वीर ही दूसरी हो जाती। यह मसला इस माननीय सदन का नहीं बल्कि सारे देश का है। जब हम देखते हैं कि एक नुमाइन्दा एक परगने से चुनकर आता है वह डमोक्रांसी में विश्वास करता है और उस नुमाइन्दे की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिये लेकिन आप देखें कि क्या उस नुमाइन्दे की हैसियत उस परगने के एस0 डी0 एम0 से ज्यादा है? मैं कहता हूं कि नहीं है। उसी के कारण यह नौबत आ जाती है कि हमारी जनतांत्रिक प्रणाली और उसके चुने हुये नुमाइन्दे इन आई0 सी0 एस0 और ऊंचे अधिकारियों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखते।

आज जब किसी आई0 सी0 एस० या आई० एस0 एस0 जोकि सेक्रेटरी हैं तो वह अपने लिये अपनी पोस्ट की ऊंची करवा लेता है और कमिश्नर के रैंक का बन जाता है। उसकी बात फौरन ही पूरी हो जाती है। यह आपकी इज्जत का सवाल है। सारा मसला तो यह है कि आपको यह देखना है कि यह अधिकारी आखिर गवर्नमेंट और मन्त्री के मातहत हैं या जो कुछ यह चाहें करने के लिये खुद मुख्तार हैं। हमारी मौजूदा एक्जीक्यूटिव में चाहे आई0 सी0 एस0 हों, आई0 ए0 एस० हों या पी0 सी0 एस0 हों क्या वे सोशलिज्म के लिये कमिटेड हैं, डेमोक्रसी के लिये कमिटेड हैं या सोशल इक्वीटी के लिये कमिटेड हैं; वे तीनों चीजों में से किसी के लिये भी कमिटेड नहीं है। जब कमिटेड नहीं हैं तो कोई भी कायदा या कानून आप पास करें वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं।

आप एक तरफ तो करोड़ों रुपया खर्च करके स्कीम बनाते हैं क्योंकि आपको तो जनता का खयाल है, उसमें किये हुए वायदों का खयाल है लेकिन ये अधिकारी करते मनमानी हैं। वे अपने लिये तो सेक्रटरी कम कमिश्नर बन सकते हैं। अगर आप को देश के अन्दर प्रजातांत्रिक ढांचा कायम करना है तो आपको सोचना होगा कि इनसे किस प्रकार निपटा जाय, क्या किया जाय कि यह आपके हिसाब से काम कर सकें। जिस समय डिवीजन हुआ था उस समय 451 ये उच्च अधिकारी रह गयें थे और उन्हीं के जन्म दिये ये आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारी भी हैं और उन्हीं की लाइन्स पर चल रहे हैं। जनता के चुने हुये हम लोग हैं, हाउस है, मन्त्री हैं और मुख्य मन्त्री हैं। आये दिन यह होता है कि जो इक्जीक्यूटिव है वह इस प्रदेश के विधान के लिये पालिसियों को पूरा करने के लिये समाजवाद और डमोक्रेसी को लाने के लिये और उसको कायम करने के लिये उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से हम चाहते हैं? क्या हम इक्जीक्यूटिव को अपने कब्जे में ला सकेंगे? अगर हमने उस इक्जीक्यूटिव को कब्जे में कर लिया तो यह एक अच्छी परम्परा होगी और जो एमेंडमेंट किया गया है कि आई0 सी0 एस० के प्रिवेलेजेज को समाप्त किया जाय तब तो वह एक अच्छी ही चीज होगी और उसका फायदा हमको मिल सकेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उनको हटाकर इन्हीं लोगों का राज्य कायम कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

विधायकों की पुष्टि कैसे कर दी जाय?

श्री रियासत हुसेन--

मान्यवर, मैं तो यह कहता हूं कि अगर आप सभी विधायकों को बुलाकर इस पर विचार कर लें तो यह बड़ी अच्छी चीज होगी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, पहले भी हम लोगों ने कहा था कि जिस कमेटी के अध्यक्ष जिलाधीश या आई० ए० एस० अधिकारी हों उसमें हमको न बुलाया जाय क्योंकि उसमें हम लोंगो का मान नहीं रह पाता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

बेसिक शिक्षा का जब बिल आया था उस पर बोलते हुये मैंने कहा था कि जब तक कि एक्जीक्यूटिव की कृपा न हो जाय तब तक विधान मंडल का कोई काम हो ही नहीं सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मिनिस्टर के आदेशों को भी सेक्रेटरी पालन नहीं करते हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

इस संशोधन पर कई दलों के नेताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं और सुझाव के रूप में सदन के सम्मुख बहुत सी बातें आई हैं । हम सभी यह चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम किया जाय जिससे कि हमारा देश शक्तिशाली बनें । आई० सी० एस० आफिसर जो थोड़े से रह गये हैं वह इस मुल्क की 50 करोड़ जनता के मुकाबिले कितने हैं परन्तु उन्हीं का होल्ड आज भी पूरे शासन पर है । वास्तविक शासनकर्ता वे ही हैं । आज हमारा दृष्टिकोण दूसरा है उसमें फर्क है बमुकाबिले पहले के । अंग्रेज इन्हीं को सब कुछ समझते थे परन्तु आज का दृष्टिकोण जनतांत्रिक है, जनता पहले हैं और सब बाद में । आई० सी० एस० की बड़ी कीमत है । अगर कहीं रिक्शा वाला मर जाय तो हाउस में कोई आवाज उसके लिये नहीं आवेगी । आई० सी० एस० को कुछ हो जाय तो बड़ा गलत है । अब दृष्टिकोण बदला है । हम समाजवाद चाहते हैं, कुछ समाजवाद के माने समझे हैं । मैं तो आपके जरिये से प्रधान मंत्री से एक बात कहना चाहता हूं कि आप समझ लें, जब कई अमेंडमेंट हो गये तो एक अमेंडमेंट और कर दें कि उच्च न्यायालय में जो संविधान संबंधी संशोधन हैं वह संशोधित कर दिये जायं । अब भी ऐसा है कि आई० सी० एस० के खानदान वाले ही लिये जायेंगे, तो उसको तरमीम कर दें । अनूच्छेद 216 और 217 को देख लें--(क) और (ख) कि कहां इसमें अमेंडमेंट फिट इन हो सकता है । 217 में जो राज्य में न्यायालय है उनमें वही हो सकता है जो 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो । (ख) में हाईकोर्ट का जज रहा हो या वकील हो दो वर्ष तक । अब इस 25 साल के समय में आजादी के बाद कोई दबा हुआ व्यक्ति है जो लिया गया हो ? कभी कोई आई० सी० एस० दबी जातिवाला हुआ ? तो यह अनुच्छेद 217 तरमीम किया जाय और उनके लिये विशेष व्यवस्था और आरक्षण का नियम बनाया जाय । इसी प्रकार से अनुच्छेद 16 (4) में नौकरियों के लिये पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के लिये जो प्राविधान किया गया है उसको अनिवार्य कर दें.....

(व्यवधान)

जहां तक बिल का सवाल है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उससे कोई लाभ होन वाला नहीं है । सीलिंग तब आ रही जब जमीन नहीं रही । इसी तरह से यह आ रहा है जब वह चीज समाप्त हो गयी । यह तो आगामी चुनावों के लिये बंदिश बांधी गयी है, कुछ होने वाला नहीं है । गरीब लोगों को क्या मिला इन 25 सालों में, यह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यही कहूंगा कि इस कथन की विडम्बना से आप मुक्त हो गये होते अगर संरक्षण वाले मामले में जो सजगता बरती गयी थी और संविद सरकार ने जैसा कि मंत्रि-परिषद के गठन में 60 प्रति सैकड़ा के सिद्धान्त को माना था उसी को वह आगे बढ़ाते।

एक सदस्य—

गिरने और तोड़ने का श्रेय इन्हीं शर्मा जी को है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं सभी का बड़ा आभारी हूं कि सबने मिलकर एक स्वर से मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव के अलावा जितनी बातें कही हैं...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कौन इसका विरोध कर रहा है? आप राय ले लीजिये।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन, माननीय अनन्तराम जायसवाल का न्याय यही है कि जब वह बोलें तो जितना चाहें बोलें, लेकिन जब दूसरा बोले तो जितना चाहें उतना टोकें, भले ही वह बोल पायें या बैठ जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा मतलब और कुछ नहीं है। आप खूब बोलिये। हमको उसमें मजा आता है, लेकिन उस तरफ के लोगों को मजा नहीं आता है। हम तो यही समझते हैं कि जो बुद्धिमान आदमी होता है वह यह करता है जब उसकी बात बिना बोले ही मान ली जाय तो वह बोलता नहीं है।

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, बुद्धि सब इन्हीं के हिस्से में पड़ी है और किसी दूसरे तक नहीं पहुंची। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और उसके अलावा जो कुछ कहा गया है—कह तो सकते ही हैं—लेकिन कहां तक संगत था और कहां तक असंगत था इसको ज्यादा ध्यान में रखने की परम्परा इस सम्मानित सदन में है नहीं। इस लिहाज से वह सब ठीक हुआ। माननीय सदस्यों ने जो अपनी चिन्ता हमारी सर्विसेज के बारे में व्यक्त की वह भी कुछ अंशों तक सही है क्योंकि इसमें कोई सन्देह नहीं कि जबतक वास्तव में ये सर्विसेज कमिटेड नहीं होंगी और जब कमिटेड कहा जा रहा है तो इस शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कमिटेड नहीं, किसी कैबिनेट के प्रति कमिटेड नहीं, किसी मुख्य मन्त्री के प्रति कमिटेड नहीं, किसी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के प्रति भी कमिटेड नहीं बल्कि जो शासन की मानी हुई नीतियां और कार्यक्रम हैं उनके प्रति जब तक कमिटेड नहीं होगा तबतक जिन कामों को हम करना चाहते हैं वह काम उस रूप में नहीं हो सकते और इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर अच्छे कामों के होने में कुछ देर लगी है तो अगर उसके कई कारण हैं तो उनमें से एक कारण यह भी है। इस तरफ सभी लोगों का ध्यान जा रहा है।

वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के आलोचक आप हैं ही बहुत ज्यादा लेकिन यह बात उन्होंने भी कही है और मुख्य मन्त्री जी ने भी कही है और यह ठीक भी है कि सर्विसेज को बहुत जल्दी अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। माननीय सदस्यों का यह खयाल बिलकुल गलत है कि मन्त्रिगण ऐसे हैं जो सचिव से आगे नहीं सोच सकते। इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं कि यदि यह बात सही होगी तब भी हम कुछ कर नहीं पायेंगे। हम जिस प्रकार के समाज को बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को लाना चाहते हैं वह

[श्री उदितनारायण शर्मा]

तभी आ सकती है जब नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं उनके नीचे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वह निष्ठापूर्वक उस दिशा में जायें और उनके लिये यह सम्भव नहीं रहा कि वे अन्यथा जा सकें। इसकी तरफ शासन का ध्यान है। मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार इस प्रस्ताव पर चर्चा के सिलसिले में दिये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (अट्ठाइसवां संशोधन) विधेयक, 1972 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आते हों, अनुसमर्थन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा-
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
31 जुलाई, 1972।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 519 पर)

4 अप्रैल, 1972 के प्रदर्शन में दिये गये मांग पत्र में उल्लिखित मांगों का संक्षिप्त विवरण

1—वेतन का पुनरीक्षण ।

2—महंगाई भत्ता महंगाई सूचकांक के आधार पर दिया जाना ।

3—बोनस (अनुग्रह-भुगतान)

4—नगर प्रतिकर भत्ता ।

5—कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता ।

6—सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सर्विस इन्क्रीमेंट ।

7—कैश हैन्डलिंग एलाउन्स ।

8—रु० 130–240 के वेतनमान में कार्यरत प्राविधिक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता ।

9—निःशुल्क विद्युत् ।

10—कार्यप्रभारित कर्मचारियों को नियमित करना ।

11—नियमित कर्मचारियों का स्थायीकरण ।

12—सेवा सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप ।

13—परिचालकीय कर्मचारियों की पदोन्नति तथा निम्न श्रेणी में कार्यरत डिप्लोमा-धारियों को वरीयता ।

14—चौकीदार के काम के घन्टों का निर्धारण ।

15—चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण ।

16—लेसू, ऐसू के कर्मचारियों को अतिकाल भत्ता ।

17—4 जनवरी, 1972 की मीटिंग में लिये गये निर्णयों की पूर्ति ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 524 पर)

सूची

1—सर्वश्री बसंत लाल हीरा लाल, हाथरस
2—बाबू मियां इब्राहीम, अलीगढ़
3—बिजली काटन मिल, हाथरस
4—बेनी राम, हरचरन लाल, अलीगढ़
5—गंगाधर, राम चन्द्र आयल मिल, आगरा
6—मधुसूदन आयल मिल, आगरा
7—कपूर ब्रदर्स, फिरोजाबाद
8—मु० इस्माइल एन्ड ब्रदर्स, इलाहाबाद
9—विश्व नाथ बया, इलाहाबाद
10—राजाराम, जमुना प्रसाद, इलाहाबाद
11—राम चरन, गिरधारी लाल, झांसी
12—गौरीशंकर, राधेश्याम, झांसी
13—कन्ट्रौलर आफ स्टोर्स, झांसी
14—झांसी डीजल्स, झांसी
15—रुबानी दीन भगवानदीन, कालपी
16—जनरल मैनेजर, एन० ई० आर०, गोरखपुर
17—रीजनल फूड कन्ट्रोलर, गोरखपुर
18—भारत सेवक समाज, गोरखपुर
19—बलवन्त मोटर्स, बरेली
20—डी० एफ० ओ० , हल्द्वानी
21—श्रीचन्द्र विपिनचन्द्र, चन्दौसी
22—डी० सी० डी० एफ०, मुरादाबाद
23—ठाकुर एन्ड कं0, लखनऊ
24—प्रीमियर क्रैडिट एन्ड मोटर्स, लखनऊ
25—प्रीमियर मोटर्स, लखनऊ
26—धर्म सिंह, राम सिंह प्रा० लि०, लखनऊ
27—ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, लखनऊ
28—चन्द्र भान नित्यानन्द, बड़ौत
29—गैरिसन इंजीनयिर, मेरठ
30—गनेश फ्लावर मिल, गाजियाबाद
31—कान्ती प्रसाद, पुत्र भगवती प्रसाद, बुलन्दशहर
32—जय नारायन टीका राम, सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर

विधान सभा

33—आफिसर मैप रिकार्ड, सर्वे आफ इंडिया, देहरादून
34—अग्रवाल क्लाथ मर्चेन्ट, बुलन्दशहर
35—बगाई मोटर सर्विस, देहरादून
36—माडर्न ट्रेडिंग कम्पनी, देहरादून
37—डी0 एफ0 ओ0 चकरौता, देहरादून
38—प्रकाश चन्द्र जैन एंड संस, मुजफ्फरनगर
39—सर्वश्री एल0 एन0 पोद्दार, वाराणसी
40—हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन, वाराणसी
41—मेटल गुड्स मै0 प्रा0 लि0, वाराणसी
42—न्यू सेन्ट्रल जूट मिल, वाराणसी
43—भार्तंड डेरी फार्म, वाराणसी
44—मु0 इकराम खां एन्ड संस, वाराणसी
45—प्रभुदयाल नरायन दास, कानपुर
46—हीरालाल, रतन लाल, कानपुर
47—डेबलपमेन्ट बोर्ड, कानपुर
48—म्योर मिल्स कं0 लि0, कानपुर
49—सी0 पी0 डब्लू0 डी0, कानपुर
50—नगरमहापालिका, कानपुर
51—नेशनल कन्ड्यूट प्रा0 लि0, कानपुर
52—रीजनल फूड कन्ट्रोलर, कानपुर
53—कर्जन लेदर वर्क्स, कानपुर
54—अवतार सिह हरवंश सिंह, कानपुर
55—सेन्ट्रल स्टोरेज, कानपुर
56—गनेश फ्लावर मिल कं0, कानपुर
57—उमराव एन्ड कारपोरेशन, कानपुर
58—विष्णु चन्द्र मिश्रा, कानपुर
59—मातादीन भगवान दास आयल मिल, कानपुर
60—ऊषा सेल्स प्रा0 लि0, कानपुर
61—स्टील इन्टर प्राइजेज, कानपुर
62—कानपुर वनस्पति स्टोर्स, कानपुर
63—कन्हैया लाल राधाकृष्ण, कानपुर
64—सुरेश चन्द्र एन्ड कं0, कानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 525 पर)

जिला ऐटा में उन भट्टों की सूची जिनको 1 अक्तूबर, 1971 से मई, 1972 तक कोयला दिया गया ।

क्रम-संख्या		नाम भट्टा तथा पता	कोयला जो मिला विवरण	
1	सर्वश्री	डी0 पी0 कपूर, एटा ..	.. 2 बाक्स	
2	,,	उपेन्द्र कुमार मिरहची ..	.. 2 ,,	
3	,,	प्यारे लाल श्रीपाल बिलराम	.. 2 ,,	
4	,,	बाचस्पति तोमर, पिवारी ..	.. 3 ,,	
5	,,	शान्ती स्वरूप राजाका रामपुर	.. 3 ,,	
6	,,	उदयवीर सिंह पटियाली ..	.. 2 ,,	
7	,,	श्रवन कुमार सोरी ..	.. 2 ,,	
8	,,	झुनकू लाल मथुरा प्रसाद, अलीगंज	.. ..	बन्द
9	,,	नरायन दास रमेश चन्द्र, जलेसर	.. ..	बन्द
10	,,	लक्ष्मी नरायन, राम औतार, मंगला सलामत	1 बाक्स	
11	,,	महेश चन्द्र महरोत्रा, सोरो ..	.. 2 ,,	
12	,,	एम0 पी0 टंडन, मारहरा ..	.. 3 ,,	
13	,,	भभूती प्रसाद, अलीगंज ..	.. 3 ,,	
14	,,	बासदेव सहाय गोरहा ..	.. 1 ,,	
15	,,	बसन्तलाल ओम प्रकाश, कासगंज	.. 2 ,,	
16	,,	बलवीर सिंह एन्ड ब्रदर्स, गढ़ी मदसुआ	.. 2 ,,	
17	,,	बद्री प्रसाद तेज पुर, सिदपुरा	.. 2 ,,	
18	,,	अल्लाबख्श मौला बख्श, गंजडुन्डबारा	.. 2 ,,	
19	,,	सुमन प्रकाश गोयल, कासगंज	.. 1 ,,	
20	,,	राम कुमार दिनेश चन्द्र, सोरी	.. 1 ,	
21	,,	नूर उल्ला खां, गंजडुन्डबारा	.. 1 1/ 2 बाक्स	
22	,,	सौमेन्द्र बाबू, एटा ..	.. 2 बक्स	
23	,,	राम प्रताप सिंह सत्यकेतु, कांतौर	.. 2 ,,	
24	,,	सीताराम अग्रवाल, अलीगढ़	.. 2 ,,	
25	,,	कान्ती स्वरूप दिनेश चन्द्र, ढोलना	.. 1 ,,	
26	,,	पंडित ब्रदर्स, उजीरपुर ..	.. 1 1/2 बाक्स	
27	,,	एजाज हुसेन अश्फाक हुसेन मेजडन्ड बारा	.. 1 1/2 बाक्स	
28	,,	राम चन्द्र सिंह, कुतुबपुर	.. 2 बाक्स	
29	,,	सहदेव सिंह, सोगरा ..	.. ..	बन्द
30	,,	मगन बिहारी कपूर, एटा	.. 2 बाक्स	
31	,,	रामबेटी दीक्षित, एटा ..	.. 2 ,,	
32	,,	जनता भट्ठा, एटा ..	.. 1 ,,	
33	,,	रामतीर्थ अग्रवाल, एटा	.. 1 ,,	
34	,,	सुरेश कुमार, कसेटी ..	.. 1 ,,	
35	,,	आयन ब्रदर्स, कासगंज ..	.. 1 ,,	
36	,,	राम बाबू, सोरों ..	.. ..	बन्द

1	2	3	4
37	सर्वश्री बदी उद्दीन ,सकोट ..	.. ..	बन्द
38	,, संग्राम सिंह, बढ़ाला ..	.. ..	बन्द
39	,, रामेश्वर दयाल उभई, असदनगर	.. ..	बन्द
40	,, ब्रजनरायन, नकटई खुर्द ..	.. ..	बन्द
41	,, लक्ष्मी नरायन उपेन्द्र कुमार, जाजलपुर	.. ..	बन्द
42	,, कृष्णा ब्रिक कं०, इसोली	.. 2 बाक्स	
43	,, छत्तर सेन, मोहनपुर ..	.. ..	बन्द
44	,, कृष्ण पाल सिंह, पियानपुर ..	.. ..	बन्द
45	,, द्वारिका प्रसाद, भुजपुरा ..	.. ..	बन्द
46	,, किरोड़ी लाल, भंडरों ..	.. 1 बाक्स	
47	,, राम स्वरूप सिंह राजा, रिजोला	.. ..	बन्द
48	,, श्याम लाल कुलश्रेष्ठ, गेवरअसदुल्लापुर	.. 1 बाक्स	
49	,, वासित कशगढ़ का ..	.. ..	बन्द
50	,, भानुप्रताप सिंह, सुबेदार, दखोली	.. ..	बन्द
51	,, शेरसिंह, सिकन्दरपुर ..	.. 1 बाक्स	
52	,, जुलाहल सिंह, मीसाकला	.. ..	बन्द
53	,, योगेन्द्र पाल सिंह, बृजपुरचन्दा	.. ..	बन्द
54	,, रमेश चन्द्र गुप्ता, सुन्ना ..	.. 3 बाक्स	
55	,, सरला देवी यादव, गढ़ी रोशन	.. 3 ,,	
56	,, राम औतार पांडेय, बढ़ागांव कोटरा	.. ..	बन्द
57	,, दीपक भट्ठा, रामपुर धनश्याम	.. 2 बाक्स	
58	,, शंकर लाल, बिमलुमार, ककेरा	.. 2 बाक्स	
59	,, बांके लाल, निरंजन लाल, मिटयाली	.. 3 ,,	
60	,, उमेश चन्द्र अग्रवाल, कसाडी	.. ..	बन्द
61	,, ओम प्रकाश शाह, हरनीलगरा	.. ..	बन्द
62	,, पोखपाल सिंह स्मारक इंटर कालेज, अचलपुर	..	बन्द
63	,, परसादीलाल, सुभाष चन्द्र, सहापुर	.. 1 / 2 बाक्स	
64	,, सत्यदेव गुप्ता, थाना दरियाबगंज	.. 2 बाक्स	
65	,, राजवीर सिंह, मोनपुरा ..	.. ..	बन्द
66	,, मोरमुकुट ओंकार प्रसाद, हुमायूंपुर	.. ..	बन्द
67	,, हर प्रसाद दीक्षित, अलीगंज..	.. 1 बाक्स	
68	,, सोमेन्द्र बाबू, मब्धूपुरा ..	.. 1 ,,	
69	,, मुन्शी लाल सरदार अख्तर, पथरेकी	.. 1 ,,	
70	,, नन्थूखां नोशेरखां,भरगैन	.. 1 ,,	
71	,, खलील अहमद, कनेसर ..	.. ..	बन्द
72	,, शान्ती स्वरूप बिनोदकुमार, भगूपुरा	.. ..	बन्द
73	,, गौतम ब्रिक वर्क्स, वेरनी	.. 1 बाक्स	
74	,, दिनेश चन्द्र सक्सेना, हृदयपुर	.. ..	बन्द
75	,, राम निवास, बरेथरी ..	.. 1 बाक्स	
76	,, जैशंकर ब्रिक वर्क्स, पोडंरी	.. 4 ,,	
77	,, मौजिज जहां अख्तरजमखां, बोदर	.. 1 1/2 बाक्स	

1		2	3	4
78	सर्व श्री	बांके लाल, मुबारिकपुर		बन्द
79	,,	महाबहर सिंह बृन्दा बन लाल, चांदपुर सकोट ..		बन्द
80	,,	नरेन्द्र कुमार गुप्ता, राजा का रामपुर		बन्द
81	,,	नरेश चन्द्र, गुमानपुर	1 बाक्स	
82	,,	नन्द किशोर पाली पाल, सुजानपुर		बन्द
83	,,	रघुनाथ, सिढ़पुरा		बन्द
84	,,	चन्द्रभान सिंह, करमपुर ..	1 1/2 बाक्स	
85	,,	जगदीश प्रसाद केला, देवरी ..	1 बाक्स	
86	,,	रामरक्ष पाल सिंह, अमांपुर ..	1 बाक्स	
87	,,	दामोदर दयाल रमेश चन्द्र, रामपुर ..	1 ,,	
88	,,	ओम प्रकाश, समेठी		बन्द
89	,,	सरदार जयमस सिंह, बरैला ..	1 बाक्स	
90	,,	रूप नरायन गुप्ता, राजा का रामपुर ..	4 बाक्स	
91	,,	राम स्वरूप शर्मा, नादरमई		बन्द
92	,,	श्री राम सुशील प्रकाश, सोहबतभूड़ ..	1 बाक्स	
93	,,	मौहम्मद सिद्दीक, चकेरी ..	2 ,,	
94	,,	महेन्द्र पाल उमा शंकर, पिथनुपर ..	2 ,,	
95	,,	रमेश चन्द्र सक्सेना, पहरैया		बन्द
96	,,	सुरेन्द्र पाल सिंह, पहरैया		बन्द
97	,,	न्यू अग्रवाल ब्रिक वर्क्स, रामनगला ..	1 बाक्स	
98	,,	अग्रवाल ब्रदर्स, कासगंज	1 ,,	
99	,,	श्रीपाल गुप्ता, थाना दरियाबगंज ..	1 ,,	
100	,,	पदम सिंह कमालपुर, तैयबपुर ..	1 ,,	
101	,,	मुकेश बिहारी कपूर, हरहरा सिंह पुरा		बन्द
102	,,	किसान भट्ठा, झकरई	1 बाक्स	
103	,,	रक्षपाल सिंह, बिलराम		बन्द
104	,,	श्रीमती कंठश्री देवी, लालपुर पूंठ ..	2 बाक्स	
105	,,	जलील अहमद, गोहती सलीमपुर ..	1 1/2 बाक्स	
106	,,	मोहम्मद इस्माइल, भरगैन	1 ,,	
107	,,	बाबूराम एन्ड सन्स, पथरेकों		बन्द
108	,,	अब्दुल गफूर, गंगसारा		बन्द
109	,,	उपेन्द्र कुमार, अमृतपुर		बन्द
110	,,	सोहन लाल एन्ड कम्पनी, गूढ़ा पटियाली ..		बन्द
111	,,	फलबती देवी, गंगेश्वर	4 बाक्स	
112	,,	हरेन्द्र सिंह, हसेना	2 ,,	
113	,,	राजवीर सिंह, भाउपुरा	3 ,,	
114	,,	ओम प्रकाश शाह, अहमदनगर, जमनोई ..	3 ,,	
115	,,	शील चन्द्र माहेश्वरी, खोड़िया ..	1 ,,	
116	,,	सुहीश कुमार विनोद कुमार, रामई ..	1 ,,	
117	,,	सतीश चन्द्र अग्रवाल जोंगामई ..	2 ,,	
118	,,	कान्ती स्वरूप अग्रवाल, अमींपुर ..	1 ,,	

1		2		3	4
119	सर्वश्री	देवी सिंह बाबूलाल, बरिगंवा	..	3 बाक्स	
120	,,	बंसल ब्रिक वर्क्स, गुदाऊ	..	1 ,,	
121	,,	अब्दुल अजीज, बरेला ..	..	1 ,,	
122	,,	कुमारी माधवी देवी, रामई	..	2 1/2 बाक्स	
123	,,	राम किशन गुप्ता, गुढ़ा ..	..	2 ,,	
124	,,	बंसल ब्रिक वर्क्स, गढ़िया	..	1 ,,	
125	,,	समीं उल्ला खां, सहावर	..	..	बन्द
126	,,	शिवा भट्टा, शेखपुरा ..	..	2 ,,	
127	,,	मुश्ताकन बेगम, गुजडुन्डबारा	..	2 ,,	
128	,,	निर्देश ईट भट्टा, टिपरुआ ..	..	1 ,,	
129	,,	राकेश अग्रवाल, मैरथरा भगवान दास	..	1 ,,	
130	,,	जगदीश प्रसाद रामजीमल, पटियाली	..	1 ,,	
131	,,	बाबूराम बांके लाल, पटियाली	..	..	बन्द
132	,,	अनवरहुसेन साकिब हुसेन, नागरिया धीस		1 ,,	
133	,,	पाली बाल ब्रिक फील्ड, बांगपुरा	..	3 ,,	
134	,,	सर्वोदय ग्राम सेवा मंडल, जैथरा	..	1 ,,	
135	,,	अजन्ता ब्रिक वर्क्स, जैथरा ..	..	2 ,,	
136	,,	मोहम्मद आरिफ मोहम्मद उस्मान, बस्तरमऊ		1 ,,	
137	,,	सालिक, नगला डाक ..	..	..	बन्द
138	,,	नत्थू सिंह लंकुश सिंह, झगनौल	..	..	बन्द
139	,,	अहबरन सिंह, रानीमऊ ..	..	..	बन्द
140	,,	काली चरन मथुरा राम भगवान दास	..	..	बन्द
141	,,	लक्ष्मी नारायन शर्मा, गांगपुरा	..	2 बाक्स	
142	,,	भारतीय भट्ठा, बागवाला ..	..	2 ,,	
143	,,	लटरी सिंह पुराहार, बुलाकी नगर	..	2 ,,	
144	,,	विजयरानी कुंवर, पिवारी ..	..	..	बन्द
145	,,	सेक्रेटरी, आनन्द मार्ग, चपरई, सिकन्दरपुर..		2 बाक्स	
146	,,	ऊदल सिंह, ढकई ..	..	1 ,,	
147	,,	विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार, खोजपुर	..	1 बाक्स	
148	,,	सदल प्रसाद, लाल का डुन्डवारा	..	1 ,,	
149	,,	रघुवीर सिंह अमर सिंह, भगला भभूती	..	1 ,,	
150	,,	राजेन्द्र सिंह रवीन्द्र सिंह, दुस्तमपुर	..	..	बन्द
151	,,	राजेन्द्र सिंह राठौर, चिलौली	..	1 बाक्स	
152	,,	रामजी लाल राम प्रकाश, जलेसर	..	2 ,,	
153	,,	कैलाश शंकर मिश्र, सहावर..	..	1 ,,	

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न स० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 527 पर)

एल० टी० मेन्स के द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों का विकास खंड अनुसार सूची

क्र० सं०	विकास खंड	1970-71	1971-72
1	मेरठ	2	3
2	बागपत	..	..
3	बड़ौत	..	1
4	परीक्षतगढ़	..	3
5	मवाना	..	1
6	हस्तिनापुर	..	..
7	सिम्भावली	5	5
8	भोजपुर	..	4
9	गढ़ मुक्तेश्वर	..	..
10	रोहटा	..	..
11	धौलाना	..	1
12	लौनी	..	..
13	खेकड़ा	..	2
14	बिनौली	..	..
15	सरूरपुर	..	..
16	सरधना	..	1
17	छपरौली	..	..
18	जानी	2	..
19	हापुड़	..	..
20	मुरादनगर	6	1
	योग ..	15	21

विधान सभा प्रदेश

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे 532 पर)

वर्ष 1972–73 के लिये देशी मदिरा की दुकानों का नीलाम

क्रम-संख्या	नाम दुकान	नाम लाइसेंसी	मई 1972–73 के लिये कितने में नीलाम हुई।
1	2	3	4
सेक्टर नं० 1 नगर			
1	सुलेम सरांय	सर्वश्री मेवालाल, भगवती प्रसाद हरी ओम प्रकाश	117000–00
2	गोंदी	,,	241000–00
3	साहगंज	,,	360000–00
4	सदियापुर	,,	104000–00
सेक्टर नं० 2 नगर			
1	घरहुन्द्र	सर्वश्री जवाहरलाल लक्ष्मनदास, घनश्यामदास	310000–00
2	दारागंज	,,	128000–00
3	कीटगंज	,,	128000–00
4	मुठ्ठीगंज	,,	299500–00
सेक्टर नं० 3 नगर			
1	राजापुर	श्री शिवसरन लाल	200000–00
2	सूरजकुन्ड	,,	470000–00
3	ममफोर्डगंज	,,	200000–00
4	तेलियरगंज	,,	90000–00
सर्किल नं० 2 सोरांव			
1	दहियांवा	सर्वश्री राजा राम रामचन्द्र	12000–00
2	लाल गोपाल गंज	बाबूलाल	8500–00
3	मंसूराबाद	महावीर प्रसाद	7500–00
4	ब्लाक हरहर	ओम प्रकाश	11000–00
5	खेमराज	अमरनाथ शम्भूनाथ	22000–00
6	सिवइद	नारायणदास	11000–00
7	आनापुर	बद्री प्रसाद	3500–00
8	हाजीगंज	बुधई राम	7000–00
9	कोडिहार	कन्धईलाल	9700–00
10	चायल	मेवालाल	5200–00

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

1	2	3			4
11—थरवई	सर्वश्री	ओम प्रकाश	..	..	10000—00
12—सल्लाहपुर	,,	मेवालाल	..	..	9000—00
13—गंगागंज	,,	सरजू प्रसाद	..	..	3800—00
14—मकनपुर	,,	मेवालाल	..	..	3500—00
15—मनौरी	,,	मेवालाल	..	..	35500—00
16—तेलई बाजार	,,	मालिक राम	..	..	3200—00
17—सराय अकिल	,,	संगम लाल मेवालाल		..	35000—00
18—मऊ आइमा	,,	शम्भू नाथ	..	..	15000—00
19—फाफामऊ	,,	शिव शरन लाल	..	..	90000—00
सर्किल 3 सिराथू					
1—अजुआ	सर्वश्री	जितेन्द्र लाल	..	..	19500—00
2—भरवारी	,,	रामेश्वर प्रसाद	..	..	26500—00
3—कड़ा	,,	रामनारायण	..	..	3600—00
4—कुसिहवां	,,	छत्रपाल सिंह	..	..	5000—00
5—करारी	,,	जवाहर लाल	..	..	6000—00
6—गुलामीपुर	,,	कामता प्रसाद	..	..	11400—00
7—मन्झनपुर	,,	जवाहर लाल	..	..	12200—00
8—मूरतगंज	,,	बचनलाल	..	..	13000—00
9—पश्चिम शरीरा	,,	बाबूलाल	..	..	4800—00
10—शामसाबाद	,,	कामता प्रसाद	..	..	1600—00
11—सिराथू	,,	प्यारे लाल	..	..	21200—00
12—उदहिन	,,	सुरेशचन्द्र	..	..	1500—00
13—सतो	,,	जीवन प्रकाश	..	..	700—00
14—दारानगर	,,	मंगलदास	..	..	1000—00
सर्किल 4 फूलपुर					
1—बरोत	सर्वश्री	बन्झारी देवी	.	..	14000-00
2—बीबीपुर	,,	रामदेव त्रिवेनी प्रसाद		..	4300—00
3—चकिया साथर	,,	राम अभिलाष, अमरनाथ		..	2000—00
4—बरेठी	,,	बद्री प्रसाद, रामचन्द्र		..	5000—00
5—हनुमानगंज	,,	लालजी मेवालाल, जवाहरलाल		..	23000—00
6—इमामगंज	,,	मोती लाल	..	..	13000—00
7—झूंसी	,,	जवाहर लाल, चन्द्रशेखर		..	43000-00
8—जंघई	,,	लाल प्यारे राम		..	10800—00
9—मुन्शी गंज	,,	केदार नाथ	..	..	18000—00
10—फूलपुर	,,	सत्यराम राय, रामजनर राय		..	29300—00
11—पूरे मिया	,,	राम अभिलाष, अमर नाथ		..	7100—00
12—सेहसों	,,	लाल जी, मौजी लाल, जवाहर लाल		..	36000—00

1	2	3			4
13—सदियावाद	सर्वश्री	माता प्रसाद	..	..	9000—00
14—सिकन्दरा	,,	विश्वनाथ	..	..	5000—00
15—प्रतापपुर	,,	रामकिशोर	..	..	4600—00
16—तरई का पुरवा	,,	मातादीन	..	..	1500—00
17—मदारी बाजार	,,	सालिक राम	..	..	4500—00
18—सराय इनायत	,,	रामनाथ रामऔतार		..	11500—00
19—घरना	,,	रामनाथ, भगवती		..	5000—00
सर्किल 5 मेजा					
1—बरोत्तर	सर्वश्री	लक्ष्मनदास	..	..	3000—00
2—भारतगंज	,,	महाबीर प्रसाद	..	..	8000—00
3—बाजार गढ़ैया	,,	छोटे लाल, छब्बू लाल		..	2050—00
4—घूरपुर	,,	ओम प्रकाश	..	..	20000—00
5—हमलिया	,,	मूलचन्द्र	..	..	5300—00
6—जसरा	,,	बसन्त लाल	..	..	14000—00
7—धीरी	,,	तुलसीराम	..	..	7500—00
8—करया	,,	राम प्रकाश	..	..	11200—00
9—कोरांव	,,	पंचमलाल	..	..	12000—00
10—लोगरा	,,	सुरेशचन्द्र	..	..	18000—00
11—मेजा	,,	रामलखन	..	..	10000—00
12—नैनी	,,	जवाहरलाल, लक्ष्मनदास, घनश्यामदास			131000—00
13—सिरसा	,,	रामआधार	..	..	15000—00
14—सोराम पट्टी	,,	मुरारी लाल	..	..	13000—00
15—शंकरगढ़	,,	किशोरीलाल	..	..	10000—00
16—ककोढ़ा	,,	सच्चिदानन्द	..	..	2500—00
17—बारा	,,	भोलानाथ	..	..	14200—00
18—डान्डी	,,	जवाहरलाल, लक्ष्मनदास, घनश्यामदास			90500—00
19—लेडियारी	,,	त्रिवेणी सिंह	..	..	3200—00
20—मान्डा	,,	नन्कूलाल	..	..	9500—00
21—कोडहारघाट	,,	जमुनाप्रसाद	..	..	2750—00
22—करछना	,,	श्रीमती रामकली	..	..	4900—00

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 142 एल० ए०—1973—835।